राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9 बारहवीं विधान सभा के नवम् सत्र का बत्तीसवां दिवस संख्या : 22

गुरुवार;

20 मार्च, 2008

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: राम, राम सा।

अनेक माननीय सदस्य: राम, राम।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामने भी।

अनेक माननीय सदस्य: होली की राम राम।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्यों, होली के बाद नहीं आओगे क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सभी को।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पहले दे दें, पूर्व संध्या पर दी जाती है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पहले नहीं दी जाती है, बाद में होती है, तो संध्या कहां है, अभी तो वो बेला है।

श्री उपाध्यक्ष: मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): राम राम करने के बाद बैठा ही नहीं इसलिए कि वापस खड़ा होऊं, फायदा क्या है उससे।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष: आज शुरूआत आप ही कर रह हो।

राज्य में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्साकर्मियों के रिक्त पद

339. **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों व

(मोहम्मद माहिर आजाद)

चिकित्साकर्मियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कुल सृजित व रिक्त पदों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने एवं आवश्यकतानुसार नये पद स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार प्रदेश में नये यूनानी कालेज स्थपित करने तथा पृथक यूनानी विभाग की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री नरपत सिंह राजवी): (1) जी हां। आयुर्वेद विभागान्तर्गत आयुर्वेद चिकित्सकों, यूनानी चिकित्सकों व नर्स कम्पाउण्डर के जिलेवार स्वीकृत पदों व दिनांक 31.12.2007 को रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-'क' में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त पद भरने पर माननीय उच्च न्यायालय की रोक है। यूनानी चिकित्सकों के 30 रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सितम्बर, 2007 में विज्ञप्ति प्रसारित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये हैं।

नर्स/कम्पाउण्डर के 419 रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना भेजने को कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नवीन औषधालयों के साथ नवीन पद सृजित करने की कार्यवाही की जाती है।

(3) राजकीय क्षेत्र में यूनानी महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार स्तर पर विचाराधीन नहीं है क्योंकि राज्य में वर्तमान में दो यूनानी महाविद्यालय निजी क्षेत्र में संचालित हैं।

यूनानी का पृथक विभाग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य में वर्तमान में यूनानी चिकित्सा पद्धति के 105 चिकित्सालय/औषधालय हैं जिनके लिये एक उपनिदेशक (यूनानी) व तीन सहायक निदेशक (यूनानी) के पद सृजित हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अपने उत्तर में यह तो स्वीकार किया है कि आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों के पद 31.12.2007 को रिक्त हैं और उसका विवरण भी दिया है। एक तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह पद कब से रिक्त हैं? 31.12.2007 को रिक्त हैं लेकिन कब से? पहला।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि आपने यह कहा है कि आयुर्वेद चिकित्सकों के पद भरने पर राजस्थान उच्च न्यायालय की रोक है तो फिर आपके सी.एम. एण्ड एच.ओ. जो हैं वो मैरिट लिस्ट काहे की बना रहे हैं? आयुर्वेद का काम जिला आयुर्वेद अधिकारी करते थे सलैक्शन का, चयन का, मैरिट बनाने का, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सी.एम. एण्ड एच.ओ. आयुर्वेद और यूनानी की मैरिट लिस्ट बना रहे हैं, क्या यह सही है?

यह इसलिए हो रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि पहले इस सदन में पंडित दाउदयालजी जोशी, श्रीमती उजला अरोड़ा, वैद्य भैरूंलालजी भारद्वाज जैसे लोग, जिनका आयुर्वेद और यूनानी देसी चिकित्सा पद्धतियों में विश्वास था, आज यह सरकार इसके प्रति बिलकुल गम्भीर नहीं है इसलिए मेरा यह निवेदन है कृपया आप यह बताएं कि एक तो यह काम आपने सी.एम.एच.ओ. को क्यों दिया है और उच्च न्यायालय की रोक है तो क्यों कर रहे हैं? दूसरा, यह पद रिक्त कब से हैं?

क्योंकि स्थिति देखिये आप, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके पास भी तालिका है, आप जरा अध्ययन करें क्रमांक 12-झुन्झुनूं, चार में से तीन पद रिक्त, भरतपुर जहां से मैं आता हूं, सात में से छह पद रिक्त चल रहे हैं वैद्यों के और बारां, जहां से समाज कल्याण मंत्रीजी आते हैं, इनका तो खैर पता ही है यह क्यों लगने देंगे, तीन के तीन ही पद रिक्त, झालावाड़ से माननीय मुख्य मंत्रीजी आती हैं, तीन में से तीन पद ही रिक्त चल रहे हैं और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ आदिवासी क्षेत्रों की तो स्थिति यह है कि शत-प्रतिशत पद खाली चल रहे हैं। इससे ज्यादा खराब स्थिति हो नहीं सकती।

इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि कब से रिक्त चल रहे हैं, यह भी बताएं और मैंने जो सवाल पूछे, उनके जवाब बताइये।

श्री उपाध्यक्ष: अब कब से वाला तो आपने पूछा है नहीं इसके अन्दर।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वो भी पूछूंगा, अभी एक सेकण्ड सप्लीमेंट्री।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न में तो है नहीं, कब से पूछा है, अलग-अलग कोई तारीख ...(व्यवधान)।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): काहे का? अब जब रिक्त बता रहे हैं तो सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकता कि कब से रिक्त चल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: पूछ तो सकते हो पर कब से वाली बात तो वह बड़ा ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, तो बताएं आप, इनके पास तो जानकारी है।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बिलकुल पूरी जानकारी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1998-99 में 25 नवीन औषधालय खोले गये थे जिनमें से 20 आयुर्वेद पद्धति के औषधालय खोले गये थे गत सरकार के कार्यकाल में। 1999-2000 में 100 आयुर्वेद औषधालय खोलने की घोषणा की गयी थी लेकिन वर्ष 1999-2000 से 2003-04 तक उन नवीन औषधालयों हेतु बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं कराया था इसलिए रिक्त रह गये।

इसी क्रम में गत सरकार के कार्यकाल में 1999-2000 में 50 यूनानी औषधालय को लेकर घोषणा की गयी ...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अभी गयी सरकार को ही नहीं भूले हैं, अभी तो इनके वो ही भूत चढ़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: तो पुरानी बात पूछ रहे हो आप।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बजट का प्रावधान रखा है हमने।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, बताओ आगे। बताइये।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 50 यूनानी औषधालय खोलने की घोषणा की गयी थी किन्तु 1999-2000 से लेकर 2003-2004 तक उन नवीन औषधालयों हेतु बजट का प्रावधान उपलब्ध नहीं कराया गया था जिससे वो नहीं खोले जा सके और पद जितने बने थे वो रिक्त रह गये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी अजीब बात है, मेरा सवाल यह था कि आपके पद सृजित कितने हैं? सृजित से मतलब वो होता है जिसके लिए आपका बजट में प्रावधान है, वो नहीं है, वो तो खाली घोषित ही होता है या प्रस्तावित होता है। जब आपके सृजित पदों में से रिक्त हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं तो कि यह जो रिक्त आप बता रहे हो कि यह वैकेंसीज हैं तो यह वैकेंसीज कब से हैं? यह आप बताएं, माननीय मंत्री महोदय, फिर मैं आगे पूछूंगा। वह कब भरेंगे, नहीं भरेंगे आप तो केन्द्रीय सरकार ने घोषणा की थी और उसमें बजट का प्रावधान

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आपके जो सृजित पदों की सूची दी है इसमें यह जो रिक्त बताये हैं यह कब से रिक्त चल रहे हैं?

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह आपके टाइम से रिक्त चल रहे हैं, इन लोगों ने बजट में प्रावधान ही नहीं किया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप बताएं न एक-एक की तारीख, हमारे टाइम से ही रिक्त चल रहे हैं फिर आपने चार साल क्या किया?

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इन्होंने तो बजट का प्रोविजन ही नहीं किया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): फिर चार साल आपने क्या किया? हमने किया वो ही किया क्या आपने भी?

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हम तो रेगुलर भर रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या भर रहे हैं, एक भी भरा हो तो बता दो आप।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सुन लें आप। 43 यूनानी चिकित्सकों के पद रिक्त हैं उसके विरुद्ध 30 आर.पी.एस.सी. को सितम्बर, 2007 को विज्ञप्ति जारी कर दी थी, अब जितने और खोलने हैं आयुर्वेद औषधालय 40, उनका भी इस बजट में प्रावधान है और रिक्तियां आर.पी.एस.सी. को भेजी जा रही हैं।

नर्स, कम्पाउण्डर के 904 रिक्त पदों के विरुद्ध 419 आर.पी.एस.सी. को अर्चना भेज रहे हैं और उसे हफ्ते में, इसी दस दिन के अन्दर-अन्दर भेज दी जायेगी। क्योंकि 200 तो पहले भेज दी थी, बाकी और अभी भेज रहे हैं, 419 इसमें हो जायेगी। हम तो रेगुलर भेज रहे हैं, अब बजट का प्रावधान नहीं है, नये खोल लो, अब वो तो जिसको, जो वो सरकार भी वो ही दोषी है। आज राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य नहीं हैं वरना वो बताते कि किस कारण से प्रावधान नहीं किया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरा दूसरा सवाल यह था कि क्या यह सही है कि जिला आयुर्वेद अधिकारी और जिला यूनानी अधिकारियों के बजाय सी.एम. एण्ड एच.ओ. इन वैकेंसीज की मैरिट लिस्ट बना रहे हैं, वो तैयार कर रहे हैं? उसका जवाब आपने दिया ही नहीं।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद विभाग में डाइरेक्ट्रेट है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पद भी हमने अलग सृजित कर रखा है। 2007 में जो हमने सीनियरिटी लिस्ट प्रकाशित की वो आयुर्वेद विभाग ने की है सी.एम.एच.ओ. ने नहीं की है और उसके अगेंस्ट में जो स्टे मिला है भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 यह आने के बाद में जिनको पहले अनरिकोग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से जिन्होंने भर्ती ली है और पदोन्नति भी ली है वो परिलाभ से वो भारतीय कानून के कारण वंचित रहे हैं। जिनको एक व्यक्ति को सिर्फ इसमें उसकी हानि हुई है, उन्होंने जाकर स्टे लिया है बाकी और कोई बात नहीं है। सीनियरटी चैलेंज नहीं हुई, आपत्ति के आधार पर यह वापस लिया गया और वो बात भी सही है ...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि अब आप यह बता दें कि चलिये, यह कब से खाली चल रहे हैं वो तो छुट्टी, अब इन पदों को आप कब तक भर देंगे? (व्यवधान)

क्या क्या जवाब, यह जवाब आप दे रहे हो कि यह देख रहे हैं, अभी हैल्थ मिनिस्टर भी नहीं हो आप और हैल्थ मिनिस्टर थे तब भी आपके पास आयुर्वेद विभाग नहीं था, घनश्यामजी को तो फिर भी आयुर्वेद और यूनानी के ऊपर महारत हासिल है, ये तो फिर भी जवाब दे सकते हैं, आप तो जानते ही नहीं हो यूनानी क्या होती है।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): मैं नहीं बोल रहा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पूछूं क्या, गुलब्शा क्या होता है? बताओ आप। दो-चार दवाओं के नाम, पूछूं क्या? और आप कह रहे हो यह जवाब दे दो।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यूनानी के कुल 43 रिक्त पद हैं ...(व्यवधान) यह आधी बीमारी तो आपकी लगाई हुई है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह इनकी लगाई हुई है बीमारी ? (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यूनानी के कुल 43 पद रिक्त हैं ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नगर से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कुल 43 पद यूनानी के रिक्त

(श्री नरपत सिंह राजवी)

हैं, 30 की अभ्यर्थना भेजकर उसकी विज्ञप्ति जारी हो गई, 13 पद जो रिक्त रहे हैं प्लस इस वर्ष जो खुलेंगे, उनकी भी अभ्यर्थना भेजने के लिए, हम पेपर्स मूव कर रहे हैं, 904 रिक्त पदों में से नर्स कम्पाउण्डरों के ...(व्यवधान) 419 तो अभी आर.पी.एस.सी. को इसी वक्त जा रहे हैं, दो सौ तो सैंक्शन हो गई लेकिन दो सौ और साथ में जोड़ कर भेज रहे हैं, हमारे वित्त मंत्री ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माफ करना, मंत्री जी, मेरा सवाल तो टोटल आयुर्वेद के आपके जो वैद्यों के 683 और यूनानी हकीमों के 43 और जो आयुर्वेद कम्पाउण्डरों के 904, यह जो टोटल आपकी वेकेंसीज हैं, यह वेकेंसीज कब तक फिल-अप कर दोगे, आयुर्वेदिक और यूनानी दोनों का पूछ रहा हूं, दोनों का ही सवाल है मेरा।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आयुर्वेदिक चिकित्सकों का जब तक स्टे वेकेट नहीं होता, वह भर्ती नहीं हो सकती।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कम्पाउण्डरों की ? (व्यवधान) कम्पाउण्डर्स में स्टे कहां है ?

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उसमें कोई स्टे नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): तो आप तो 200 भर रहे हो, 904 में से 700 तो अब भी वेकेंट हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 419 भर रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 400 भरेंगे फिर भी 500 तो फिर भी खाली रह गये ...(व्यवधान) 500 तो फिर भी खाली रह गये ...(व्यवधान) तो आपके आधे से ज्यादा तो अब भी बाकी रह गये ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): फेजेज में भरेंगे ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): और आपके मुख्य मंत्री के क्षेत्र में एक भी पद भरा हुआ नहीं है, आपके आदिवासी क्षेत्र में एक भी भरा हुआ नहीं है, इनको तो प्रायोरिटी देंगे कि नहीं देंगे, कब तक भरेंगे, यह बताएं आप ?

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह आयुर्वेद के जो रोग लगाये हुए हैं, इनको धीरे-धीरे निकलेगा, एकदम नहीं निकलेगा, हम आधे से ज्यादा पद तो भर ही रहे हैं और वह भी हम फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं अभ्यर्थना भेजने के लिए और वह भी सैंक्शन आने के बाद हो जाएगी, अभी तो पहुंचो पहले। कर भी रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री प्रहलाद गुंजल।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, एक सवाल और है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं नहीं, अब नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): लास्ट एक सवाल, छोटा सा सवाल है, माननीय यह क्या है, यह तो मैं मानता हूं, आप जानते हो क्या इसको? आपको क्या पता है, आयुर्वेद यूनानी का, मैं आसन से टाइम मांग रहा हूं, ++ + बीच में मत बोला कीजिए, चार बार कह दिया चीडिया ...(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, इनकी पुरानी सरकार ने तो एक चपरासी की ही भर्ती नहीं की। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): किसकी? (व्यवधान) हम राष्ट्रपति बनाते हैं, चपरासी की भर्ती करने का काम तुम्हारा है, कांग्रेस राष्ट्रपति बनाती है, यह चपरासी की भर्ती करने का काम तुम्हारा है।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कुछ नहीं किया। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह चपरासी भर्ती करने का काम तुम्हारा है। हम राष्ट्रपति बनाते हैं, उप राष्ट्रपति बनाते हैं, माननीय प्रतिभा पाटिलजी को कांग्रेस ने बनाया, डा. हामिद अंसारी को कांग्रेस ने बनाया ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, ...(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): ×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में रोक-टोक मत कीजिए ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आपस में नहीं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माहिर आजाद जी। आप बैठिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरा काम मैं स्वयं करता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह सुना था ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): साहब, कोई नहीं कर रहा हूं, यह तो इनका भी पता है, यह तो बोलने के लिए बोल देते हैं, चपरासी के हैं क्या वह? (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके मुखातिब हूं, मेरा सवाल यह है कि हम यह सुनते आते थे आज तक कि हाकिम बदल जाता है लेकिन हुक्म नहीं बदलता। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जिसमें माननीय राजाखेड़ा से आने वाले प्रद्युम्न सिंहजी वित्त मंत्री थे और सांगानेर से आने वाली इंदिरा मायारामजी आयुर्वेद मंत्री थी, 50 नये यूनानी चिकित्सालय खोलने की घोषणा इस विधान सभा में की थी लेकिन ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं ...(व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा, कोई अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान) नहीं, कुछ भी अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: एक ही बात में क्या आपस की बात में बढ़ गये आप? (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप व्यक्तिगत लांछन मत लगाइए एक दूसरे पर, कुछ भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप कोई आरोप नहीं लगा सकते ...(व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान) आपस के आरोप प्रत्यारोप कुछ भी अंकित नहीं होंगे आपके रिकार्ड में ...(व्यवधान) छोड़ो बात ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिए, बीच में कुछ भी अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह व्यक्तिगत आरोप आपस में अंकित नहीं होंगे ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैं सदन के सभी सदस्यों से यही निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्य, यह इस तरह की परम्परा मत डालें कोई भी आपस में ...(व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं, बैठ जाइए। (व्यवधान) आपका कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य, बैठिए, अब आप। माननीय सदस्य, आपने बहुत कह दिया, आप स्थान ग्रहण कर लीजिए, माननीय सदस्य, बैठिए आप ...(व्यवधान) बैठिए, आप बीच में नहीं, माननीय लोढ़ा साहब, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप कहोगे वह कुछ भी अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्यों मसों से यह निवेदन करना है कि ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, कुछ भी नहीं ...(व्यवधान) कोई भी चर्चा नहीं होगी माननीय सदस्य। इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। मेरा निवेदन है ... (व्यवधान) माननीय सदस्यों से निवेदन यह करना है कृपया आप एक दूसरे पर सीधे लांछन नहीं लगाएं। यह सदन की गरिमा के खिलाफ है ...(व्यवधान) माननीय सदस्यगण बैठिये, बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट अमरारामजी ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये, बैठिये माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बीच में अभी नहीं, इनका है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: किस बारे में है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बताइये क्या कहना चाहते हैं, पहले कहिये आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब यह बीच में प्रश्नकाल के अन्दर ही, माननीय सदस्य कुछ नहीं, कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य यह इस तरह से बीच में इसमें ..

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप इस बारे में मुझे चैम्बर में आकर के बता देना क्या बात है, क्या नहीं है। माननीय सदस्य, आपस में उत्तेजना पैदा होने वाली ऐसी बात मत कीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उत्तेजना की बात नहीं है, आप प्लीज मेरी बात सुन लें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तो बीस साल से मैं सदन में आ रहा हूं, मैंने एक शब्द कभी असंसदीय बोला हो या किसी के बारे में बोला हो, आप प्रोसीडिंग निकालकर देख लें ...(व्यवधान) एक मिनट मेरी बात

(मोहम्मद माहिर आजाद)

सुन लें प्लीज। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की भी आप प्रोसीडिंग निकाल लें, मैंने एक भी शब्द कोई असंसदीय बोला हो तो ...

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लैट मी कम्पलीट ...(व्यवधान) प्लीज बैठ जाइये, मेरी बात खतम कर लेने दीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य कह रहे हैं मैंने नहीं बोला आप इसको मान लीजिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अगर कोई असंसदीय है तो वह अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए आप।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं निवेदन यह कर रहा था कि यह आज की बात नहीं है। मैं आपसे प्रोटक्शन चाहता हूं, जब भी मैं बोलता हूं, आज मेरा जो सवाल था, लिस्टेड सवाल था, आयुर्वेद और यूनानी से सम्बन्धित था।

श्री उपाध्यक्ष: पूछो आप पूछो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पाली का उसमें कोई मतलब नहीं, माननीय सदस्य के क्षेत्र का मतलब नहीं। मैं पिछले दस दिन से आप उठाकर देख लें, मैं जब बोलने खड़ा होता हूं इन्होंने जब भी डेढ़-डेढ़, एक-एक घंटे का भाषण दिया है तो अगर मेरा डिस्टरवैंस एक शब्द हो तो आप मुझे इस सदन की बची हुई कार्यवाही से निलम्बित कर दें, मैं इस सदन में नहीं ...

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप मेरी बात कह लेने दीजिए।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या पुरानी बात कर रहे हैं, ...(व्यवधान) कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप देख लें, मैं निवेदन यह कर रहा था जब मैं बोलने खड़ा होऊं तब दो सदस्य यह तय कर लें कि मुझे बोलने देना नहीं है और आसन मेरी रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा। मैंने उनको कभी डिस्टरवैंस किया हो आप बता दें।

श्री उपाध्यक्ष: कोई डिस्टरवैंस नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आज जो स्थिति हुई, एक बार खड़े हुए, मैंने मना कर दिया, दुबारा खड़े हुए फिर एक बात बोल देना और बिना कोई बात के बात कहना यह ठीक नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे जब अलाऊ करें तो आपसे प्रोटक्शन की आशा करता हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं बेवकूफ बातों के सवालों के जवाब नहीं दे सकता, नहीं दे सकता और बोलिये समझदारी की बात करें तो मैं तो उसकी बात कर सकता हूं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): +++ का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अन्तिम सवाल यह था हाकिम बदल जाता है लेकिन हुकम नहीं बदलता। पिछली कांग्रेस सरकार ने आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए आप भी एक तरफ तो हर्बल खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, आप उसके लिए गार्डन दे रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही उन्होंने कहा है कि वित्तीय प्रबन्ध उस समय नहीं किया और इसलिए यह प्राब्लम आयी, यही कहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने सुना नहीं, दुबारा सुन लूंगा, आपसे कमजोर आवाज तो नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): झुन्झुना संभलाया है और मुसलमानों को राज़ी करने के लिए उन्होंने आयुर्वेद और वो यूनानी दवाखाना .....

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब यह देखिये मुसलमानों को ... (व्यवधान) अब इसका मतलब कोई चिकित्सा पद्धति मुसलमानों को, यह प्रद्युम्न सिंहजी हो क्या रहा है? आप इस हाउस को हिन्दू और मुसलमान बनाना चाहते हो क्या?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यदि वित्तीय प्रबन्ध किया हो तो बता दो आप।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, वह जवाब देंगे मुख्य सचेतकजी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या सवाल है क्या जवाब है

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं निवेदन यह कर रहा था आप तो यह बता दें कि यह प्रावधान किया था, उन्होंने बजट में किया है या नहीं किया, आप उसको मानते हुए इसके ऊपर भर्ती करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था और अब तो राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य भी पधार गये हैं और उनको जानकारी होगी। यूनानी के पचास यूनानी औषधालय खोलने की घोषणा की गयी थी 1999-2000 में और 1999-2000 से लेकर 2003-04 तक एक भी पद को भरने का वित्तीय प्रावधान नहीं रखा। इसी प्रकार सौ आयुर्वेद औषधालय खोलने की घोषणा की थी और 1999-2000 से लेकर 2003-04 तक एक भी पद भरने का वित्त्तीय प्रावधान नहीं रखा है।

जहां तक यूनानी पद्धति से सम्बन्धित चिकित्सकों का है वह पद भरने का मैंने आपको बता दिया कि 43 में से 30 तो भेज दिये तीन रिटायरमैंट के कारण खाली हुई हैं और दस कोई डेपुटेशन पर और वालैंट्री रिटायरमैंट लिये हैं उसके कारण हुई है। वरना अभ्यर्थना हम सारी की सारी भेजते हैं। आयुर्वेद चिकित्सकों के पद 683 जो रिक्त हैं, स्टे वेकेट कराने का प्रयास कर रहा हूं और एक डेडिकेटेड अधिकारी भी इसमें लगाया हुआ है और शीघ्र उसको भरवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमैंट्री क्वेश्चन है।

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी बात सारी, बहुत हो गया माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): बहुत हो गया, सारा समय

(श्री रामचन्द्र सराधना)

बरबाद हो गया, एक सप्लीमैंट्री क्वेश्चन करना चाहता हूं, मेहरबानी करें, मुझे इजाजत दें, मैं यह पूछना चाह रहा था, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि आयुर्वेद चिकित्सकों की भर्ती में न्यायालय का स्टे है। स्टे किन मुद्दों को लेकर था और उन मुद्दों का ...

श्री उपाध्यक्ष: बात कर लेना, बता देंगे ...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): उन मुद्दों को लेकर यह हुआ था और उन मुद्दों को ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: क्या मुद्दा है?

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): जिन मुद्दों को लेकर न्यायालय ने स्टे दिया था उस स्टे को बाई पास करके सी एम एच ओ से भर्ती करवाने का क्या कारण था? यह पूछना चाह रहे हैं और यह सारा मामला उसी के कारण रुका है1

श्री उपाध्यक्ष: वह आप पूछ लेना।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): भावना इसके साथ छिपी हुई थी उस भावना को इन्होंने बाई पास कर दिया, आयुर्वेद के अधिकारियों को ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): आयुर्वेद का इतना बड़ा महकमा है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

कोटा जिले के वन क्षेत्र में स्वीकृत अपूर्ण सड़क निर्माण कार्य

340. **श्री प्रहलाद गुंजल** (रामगंजमण्डी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कोटा जिले में ऐसी सड़कों की स्वीकृति जारी की गई है, जो वन क्षेत्र से होकर गुजरती हैं? यदि हां, तो कौन कौनसी?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्वीकृत सभी सड़कों का निर्माण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? सरकार इन सड़कों को अब कब तक बनवाने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) जी हां। कोटा जिले में वन क्षेत्र से होकर गुजरने वाली सड़कों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(अ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

1. डोलया से गिरधरपुरा

2. मांडलिया से पंचपहाड़

3. मांडलिया से मंदि गढ़

4. सलावद खुर्द से बड़ोदिया आंतरी

(ब) मिसिंग लिंक योजना

1. चम्बल पुल एप्रोच मंडावरा रोड एम डी आर-4

(2) जी नहीं। उक्त सड़कें संरक्षित वन क्षेत्र/वन्य जीव अभयारण्य में से गुजरती हैं और वन विभाग से सक्षम स्वीकृति अपेक्षित है। स्वीकृति प्राप्त होने पर ही सड़क निर्माण करवाया जाना सम्भव होगा।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं जिन पांच सड़कों का इन्होंने जिक्र किया है, सवाल केवल उन पांच सड़कों का नहीं है। राजस्थान के प्रत्येक जिले में ऐसी समस्या सैकड़ों गांवों में है और जो मार्ग आज भी गांव के परम्परागत सम्पर्क मार्ग हैं, वन्य क्षेत्र और अभयारण्य क्षेत्र होने के बाद भी उन मार्गो के अतिरिक्त गांव के व्यक्तियों के पास कोई रास्ते नहीं। वन विभाग से हजारों ट्रोली पत्थर रोज निकल जाय, सैकड़ों ट्रक लकड़ियां काटकर रोज निकल जाएं तो वन विभाग को कोई आपत्ति नहीं और गांव को जो असुविधाओं में जी रहे हैं, जंगलों में जी रहे हैं, जिनके लिए पानी, बिजली, सड़क जैसी सुविधाएं बहुत नितान्त आवश्यक होती हैं, जब उनको विकास के लिए सड़क की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और तुरन्त ही वन विभाग एक बड़ा अड़ंगा बनकर खड़ा हो जाए।

मेरे कहने का आशय उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि जब यह समस्या लगातार पूरे राजस्थान में आ रही है, सार्वजनिक निर्माण विभाग के छोटे अधिकारी रोज वन विभाग के चक्कर लगाते हैं, सड़क का काम प्रारम्भ करते हैं तो वन विभाग के अधिकारी आकर एफ आई आर की और जेल में डालने की धमकियां देते हैं और इस विवाद के चलते राजस्थान के सैकड़ों गांव आज भी सड़क बनने से वंचित हैं।

मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि इस गम्भीर समस्या पर खाली नीचे आकर आपके एक्स ई एन की जिम्मेदारी लगा दी, एस ई की लगा दी और फोरेस्ट डी एफ ओ और वन विभाग के अधिकारी आपस में

(श्री प्रहलाद गुंजल)
उलझते रहें। कुश्ती करते रहें। गांवों का विकास रुकता रहे। इससे एक कदम आगे बढ़कर कभी आपने मंत्री और सचिव स्तर पर वार्ता करके जो राजस्व रिकार्ड में गांव के रास्ते दर्ज हैं, आज भी उन गांवों के परम्परागत मार्ग हैं। उन पर सड़कें बनाने में कोई अवरोध पैदा न हो इसके बारे में कोई नीतिगत चर्चा की गयी, या आगे कोई चर्चा करने का विचार है ताकि आने वाले समय में कोई व्यवधान पैदा नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान के अन्दर पिछले वर्षों में लगभग 29,000 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। इन सड़कों में से 170 सड़कें ऐसी हैं जो वन क्षेत्र से होकर गुजर रही थीं जिन पर आपत्तियां हुई। 85 सड़कों की हमें सक्षम अधिकारियों से स्वीकृतियां मिल गयी और 85 सड़कें अभी पैंडिंग हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जब से फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की धारा 2 के सख्त इम्प्लीमेंटेशन के लिये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आये हैं तब से इस पूरी प्रक्रिया में वन्य क्षेत्र में गैर वन्य कुछ भी काम करें इसके लिये स्वीकृति लेनी पड़ती है। स्वीकृति में भी लम्बा समय लगना वाजिब है क्योंकि सबसे पहले तो किसी भी राजकीय रिकार्ड में वन्य भूमि के रूप में दर्ज वन क्षेत्र का गैर वानिकी उपयोग के लिये प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत नोडल आफिसर के पास जाता है जो अतिरिक्त प्रधान मुख्य संरक्षक है। उसके बाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भेजते हैं। हमारा विभाग उनको भेजता है। फिर जिले के उप वन संरक्षक प्रस्तावित मौके का मुआयना करते हैं और उसके बाद वह अपनी सिफारिश के साथ वापस नोडल आफिसर को भेजते हैं। नोडल आफिसर वापस उनको शासन सचिव, वन विभाग को भेजता है। शासन सचिव, वन विभाग उनको भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय में मंजूरी के लिये भेजते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पूरी समस्या के समाधान के लिये 2006 से 2008 के बीच में मुख्य सचिव ने तीन बार बैठक ली। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने दो बार बैठक ली दोनों विभागों के प्रमुख शासन सचिवों के साथ। हमारे प्रमुख शासन सचिव, पी डब्ल्यू डी ने दो बार बैठक ली और प्रत्येक महीने एक बार पी सी सी एफ के साथ हमारे अधिकारी बैठते हैं। हर महीने लगातार बैठकें हो रही हैं और मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी सड़कें स्वीकृत हुई हैं उसमें 85 सड़कें ऐसी हैं जो वन क्षेत्र से गुजरने के कारण, वन्य जीव अभयारण्य से गुजरने के कारण जिनमें रोकथाम, रुकी हुई हैं। इनको भी पूरा करने के लिये हम प्रयास कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण के लिये कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य जहां से आते हैं उन्हीं के सम्भाग में कोटा बाई पास इसके लिये मार्च, 2004 से अनुमति लेने के लिये, भारत सरकार तक यह मामला गया और हमें स्वीकृति अब मिली है 5.12.2007 को, मतलब इतना लम्बा समय इन औपचारिकताओं को पूरा करने में लग जाता है। निश्चित तौर पर विभाग चिंतित भी है और हम प्रयास भी कर रहे हैं। पर सर्वोच्च न्यायालय के सख्त निर्देश और फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार हमें उसी रूप में कार्यवाही करनी पड़ती है। इसमें पूरा प्रयास करेंगे।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद आम आदमी को जो अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है क्या आपने कभी इस विषय में कोई नीतिगत प्रस्ताव भेजा है? इस पर कोई अमेंडमैंट लाकर, कोई विधेयक लाकर, कोई नियम कानून बनाकर इसका सरलीकरण किया जाए ताकि भारत सरकार की प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो मैक्सिमम सड़कें हैं जिनमें व्यवधान हो रहा है वन विभाग के कारण, भारत सरकार कोई ऐसी नीति बनाये, चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश और भारत सरकार का भी इसमें हस्तक्षेप आता है, केन्द्रीय मंत्रालय का, तो क्यों नहीं भारत सरकार इस बारे में पहल करे कि कोई नीतिगत निर्णय भारत सरकार इस प्रकार का करे। सर्वोच्च न्यायालय के और आपके विभागीय निर्देशों के बाद विभागीय कार्यवाही में कोई सड़कें पांच-पांच साल तक अगर उसकी परमिशन नहीं आती है तो क्यों गांव का आदमी पांच साल तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे? लगातार सात साल बाद भी हम एक के बाद एक कानूनी उलझन में उसको मूलभूत सुविधा प्राप्त करने से पीछे धकेलते जाएंगे तो आखिर कोई आप नीतिगत प्रस्ताव इस बारे में भारत सरकार को भेज रहे हैं या इस बारे में कोई आपकी नीतिगत चर्चा हुई है? जरा माननीय मंत्री महोदय, यह जानना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय आपके ... (व्यवधान)

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी प्रश्न का जो इन्होंने उत्तर दिया है, मिसिंग लिंक मण्डावरा से चम्बल पुल तक जिसका काम रुका हुआ है, कारण बताया है कि अभयारण्य क्षेत्र और वन क्षेत्र में आती है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आप स्वीकृति का उल्लेख कर रहे हैं कि स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही सम्भव होगा। मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि इसी चम्बल नदी पर मण्डावरा पर पुल बनाया गया था जब आपके माननीय ललित किशोरजी चतुर्वेदी सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी थे। उन्होंने चम्बल पर पुल बनाया इसी रोड पर कंटिन्यूशन में, उसी के लिए मिसिंग लिंक में इस सड़क को मंजूरी दी गयी है। क्या उस समय उस सड़क के जो, नियम तो उस समय भी था। क्या उस सड़क की स्वीकृति वन विभाग से ली गयी थी?

दूसरा, यह सड़क स्वीकृत होने के बाद इस पर मेरी जानकारी के अनुसार एक करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था। 30 लाख रुपये इन्होंने लगाया। तो स्वीकृति विभाग ने प्राप्त करी थी? और जब प्राप्त नहीं करी थी तो फिर इस सड़क को अधूरा क्यों छोड़ दिया? इन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि इन्होंने अथाह प्रयास किये। 2004 से 2007 में स्वीकृति मिली कोटा बाइपास पर पुल बनाने की। क्या इनकी प्राथमिकता शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की अलग अलग है? यह सारी सड़कें ग्रामीण क्षेत्र में रुकी हुई हैं। शहरी क्षेत्र में तो पूरा महकमा लग गया, पूरी भारत सरकार और राजस्थान सरकार जुड़ गयी मगर जहां पर ग्रामीण क्षेत्र का सवाल आता है आप उसको प्राथमिकता में उस रूप से क्यों नहीं लेते हो जो एक अरबन एरिया में लेते हो?

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामगंजमण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया ... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और है। एक सवाल और पूछ लेता हूं। आपके माध्यम से मुझे इतनी जानकारी लेनी थी ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सवाल तो जनरल सवाल है। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय मंत्रीजी, जो आपकी

(श्री हेमाराज मीणा)

पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कें काण्ट्रेक्टर बनाते हैं वह खुद न बनाकर के रोड को दूसरे को सबलेट कर देते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अभी यह प्रश्न दूसरा है, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): और उसके कारण से आपकी सड़कें एक-एक साल, दो-दो साल लेट हो रही हैं, काम भी नहीं हो रहा है इसलिए इस बारे में उन संवेदकों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं या दुबारा इनको करवाएंगे। यह भी एक पूरे जिले में, बारां जिले में, कोटा जिले में, सम्पूर्ण राजस्थान में यह समस्या है, इसके बारे में जरा बता दें।

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामगंजमण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने नीतिगत सवाल उठाया है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं के लिए मिनिस्टरी आफ फोरेस्ट को लिखा भी है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जो सड़कें निर्मित हैं उनको इन प्रावधानों से मुक्त किया जाए परन्तु चूंकि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो कानून विज्ञ हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले के अन्दर एम्पावर्ड बोर्ड तक बना रखा है और अब तो एम्पावर्ड बोर्ड निरीक्षण करने आता है और एम्पावर्ड बोर्ड के निरीक्षण के बाद भी समय लग जाता है। पर माननीय सदस्य ने सही कहा है कि इन पूरी पेचीदगियों की वजह से समय लग जाता है।

जिस चम्बल पुल एप्रोच मण्डावर रोड की आपने बात की है, निश्चित तौर पर यह घड़ियाल सेंक्च्यूरी में आती है सड़क। उसमें पुल तो बन गया पर एप्रोच रोड के लिए जो पहले भी बनी थी, इसमें तो अब हमसे सवाल यह किया जा रहा है कि जो पहले सड़क बनी तब अनुमति नहीं ली। अब उसकी अनुमति भी लो, हमने इसके लिए प्रयास किया है। मुख्य वन्य जीव पालक, जयपुर को इसके प्रस्ताव बनाकर हमने भेज रखे हैं और पूरा प्रयास है कि समय पर यह सड़क भी पूरी हो। आपने सही कहा इस पर 122 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं और वन विभाग की आपत्ति के कारण इस काम को अभी हम कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सी ऐसी सड़कें है, मुख्य सचिव के स्तर पर दोनों विभागों के शासन सचिव और पी.सी.सी.एफ. सब को बैठाकर बैठक करके, और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यही कारण है लगातार हमने इस पर ध्यान दिया तभी सड़कें, जिसमें 85 सड़कें इसमें वन विभाग के नो-आब्जेक्शन मिला है, जिनको हमने बनाया भी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। डाक्टर सुरेश चौधरी। (व्यवधान) माननीय सदस्य आप। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय, आपने यह जो कहा, मंत्री महोदय, आप बता दें मेरे विधान सभा क्षेत्र की जिन चार सड़कों का जिक्र है, वन विभाग से स्वीकृति कब तक प्राप्त कर लेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्री महोदय ने बता दिया डिटेल में। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): कब तक प्राप्त कर लेंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई निर्धारित समयावधि है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कब तक ... (व्यवधान) ठीक है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ट्राइबल राइट्स बिल में जो दिया है ... (व्यवधान) सरकार ने अभी जो बिल पास किया है ट्राइबल राइट्स बिल का उसमें अस्पताल, स्कूल, सड़कें उसके लिए कोई प्रोविजन किये हैं। क्या उन नियमों के अन्तर्गत जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उसके प्रोविजन नहीं हो सकते? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अभी आया ही है बिल तो। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पास हो गया, क्या बात कर रहे हैं आप? (व्यवधान) जिस बिल पर प्रधान, ग्राम सभा कर रही है और आप कह रहे हैं कि आया ही नहीं इससे बड़ी और क्या विधान सभा की दुर्गति होगी कि विधान सभा के कानून बनाने वाले हमारे +++ को भी मालूम नहीं कि कानून बन गया, नियम बन रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह का प्रावधान उक्त बिल में है तो उसका अध्ययन करके जैसा नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जिक्र किया है अगर उसमें कुछ चीजें उन्होंने निकाली हैं तो निश्चित तौर पर उसका ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जल्दी सड़कें बनें, उसके लिए प्रयास करेंगे और रामगंजमण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जिन सड़कों के बारे में उन्होंने मूल सवाल किया है, कब तक उन सड़कों के बारे में एन.ओ.सी. ले लेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी औपचारिकताएं विभागीय स्तर पर पूरी करके फोरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने अलग-अलग तारीखों को भेजी हैं, आप कहें तो मैं तारीख कोट कर दूं, एक-एक सड़क की। (व्यवधान)

जो आपने सवाल उठाया है मैं आज ही मेरे अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि इन सड़कों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ होने के लिए जो कुछ भी कानूनी औपचारिकतायें शेष रही हैं उनको पूरा करके प्रयास यह रहेगा कि एक महीने के अंदर-अंदर इनका काम कराने का प्रयास करेंगे, जब तक कि हमें फोरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस मिल जाये तो।

श्री उपाध्यक्ष: डा. सुरेश चौधरी।

भादरा, नोहर एवं तारानगर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में साहवा लिफ्ट कैनाल से सिंचाई सुविधा

341. डा. सुरेश चौधरी (भादरा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भादरा के 12, नोहर के 9 तथा तारानगर के 2 कुल 23 गांवों को साहवा लिफ्ट कैनाल से सिंचाई सुविधा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो अभी तक इस पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सिंचाई मंत्री (श्री सांवर लाल): सर्वे कराने सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है। सर्वे रिपोर्ट के बाद विचार किया जायेगा।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं राज्य सरकार का और राज्य सरकार के जल संसाधन एवं सिंचाई मंत्रीजी का कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं नोहर-भादरा विधान सभा क्षेत्र दो अलग-अलग विधान सभा क्षेत्र हैं और वहां 2003 के बाद पहली बार चाहे सिंचाई का मामला हो, चाहे सैटलमेंट का मामला हो, चाहे सिंचित क्षेत्र विकास का मामला हो, इस सरकार ने आजादी के बाद सबसे ज्यादा काम सिद्वमुख सिंचाई परियोजना क्षेत्र में किया है चाहे वह री-फिटिंग के मामले में दो करोड़ रुपये देकर के किया हो, चाहे खाला नाला निर्माण के लिए 181 करोड़ रुपये देकर किया हो, चाहे क्रोस रेगुलेटर का हो।

(डा. सुरेश चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से दो तीन सवाल पूछना चाहूंगा, नम्बर एक, यह सर्वे का कार्य माननीय मंत्रीजी कब तक हो जायेगा। नम्बर दो, क्या सरकार साहवा लिफ्ट कैनाल की तरह राज्य की सभी सिंचाई परियोजनाओं में बहते हुए पानी से सिंचाई करने के बजाय, फ्लड इर्रिगेशन के बजाय स्प्रिंकलर और ड्रिप की जो सिंचाई पद्धति है उससे सिंचाई अनिवार्य करने का विचार रखते हैं। यदि हो तो कब तक और नहीं तो क्यों?

तीसरा, साहवा लिफ्ट कैनाल का जो कल्चरेबल कमांड एरिया है उसको सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए क्या सिंचाई विभाग ने अलग से कोई पायलट प्रोजेक्ट बनाया है, यदि हां तो वह क्या है और उससे काश्तकारों को क्या-क्या फायदा है? क्या सरकार इस पायलट प्रोजेक्ट को दूसरी सिंचाई परियोजनाओं में भी अनिवार्य रूप से लागू करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यों?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, हम प्रयास करेंगे कि सर्वे का काम दो महीने में पूरा हो जाये।

दूसरा, साहवा लिफ्ट की तरह अन्य योजनाओं में भी फव्वारा सिस्टम और ड्रिप सिस्टम के सम्बन्ध में राजस्थान में पानी की कमी है, लिमिटेड फैक्टर पानी है इसलिए इसका आप्टिमम यूटिलाइजेशन हो तो जहां-जहां पर भी किसान पानी के उपयोग के लिए फव्वारा और ड्रिप लेना चाहते हैं उनको सब्सिडी भी दी जाती है। जितनी भी लिफ्ट योजनाएं हैं उसमें दस प्रतिशत एरिया हमने शुरू में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सब में लिया हुआ है। यह काम हमने शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो नर्मदा का पानी आ रहा है, पूरे ढाई लाख हैक्टेयर में यह स्प्रिंकलर सिस्टम से ही सिंचाई एक अनुपम उदाहरण हमारा शुरू होने जा रहा है।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): क्या सभी सिंचाई परियोजनाओं में इसको कम्पलसरी करने का विचार रखते हैं?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह जो फार्मूला चल रहा है, लोगों का लगाव पैदा होगा तो सरकार तो जो जनता चाहती है उसी के हिसाब से काम करती है।

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री हीरालाल निवाई।

लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु नवीन राजस्व न्यायालय

342. श्री हीरालाल (निवाई): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। :-

(1) राज्य में कुल कितने राजस्व न्यायालय हैं तथा इन न्यायालयों में दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 तक कुल कितने मामले लम्बित हैं?

(2) क्या सरकार राजस्व न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या को देखते हुए नये राजस्व न्यायालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने कहां-कहां?

(3) क्या सरकार राजस्व अधिकारियों को राजस्व मामलों के शीघ्र व सुगम निपटारे के लिए निजी सहायक, कम्प्यूटर व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामनारायण डूडी): (1) राज्य में राजस्व मंडल सहित 322 राजस्व न्यायालय हैं तथा इन न्यायालयों में दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 तक 295220 मामले लम्बित हैं।

(2) जी हां। वर्ष 2008-09 में 26 सहायक कलक्टर न्यायालय क्रमश: लालसोट (दौसा), गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर), अलवर (अलवर), बानसूर, अंता (बारां), चौहटन (बाड़मेर), बायतू (बाड़मेर), बीकानेर शहर (बीकानेर), कुम्हेर (भरतपुर), नदबई (भरतपुर), उच्चैन (भरतपुर), जयपुर में जयपुर शहर, बस्सी, फागी, चौमूं, आमेर, कोटपूतली व सांभर, करौली (करौली), दीगोद (कोटा), कोटा (कोटा), रियांबड़ी (नागौर), रायपुर (पाली), सीकर (सीकर), पिंडवाड़ा (सिरोही) एवं कुचामन (नागौर) सृजित किये जा रहे हैं।

(3) राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को मामलों के शीघ्र व सुगम निपटारे के लिए कम्प्यूटर उपकरण एवं सोफ्टवेयर उपलब्ध करवाया जा चुका है। सभी न्यायालयों के लिए शीघ्र लिपिक/निजी सहायक के पद सृजित किये हुए हैं।

श्री हीरालाल (निवाई): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी को और राजस्व मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस नये बजट में 26 एसीएम कोर्ट कार्यालय खोले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि 322 राजस्व न्यायालयों में 295220 प्रकरण लम्बित हैं, जो एक एसडीएम कोर्ट के लिए एक हजार औसतन आता है और यह भी 15-15, 20-20 साल से लम्बित

(श्री हीरालाल)

हैं तो इस तरह से आम जनता को, किसान को किस प्रकार न्याय मिल पायेगा। मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि आप इन लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिए क्या कार्यवाही करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा ज्युडिसियल आफिसर्स को काफी सुविधाएं हैं, शेट्टी आयोग की सिफारिश से न्यायिक अधिकारियों के लिए वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं काफी बढ़ गयी हैं, उनके विपरीत जो राजस्व अधिकारी हैं इनको यह सुविधाएं नहीं मिली हैं, यहां तक कि इनको सहायक, निजी सहायक, कनिष्ठ लिपिक, इनके आफिसेज और रेजिडेंस भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में यह भी राजस्व कार्य करते हैं, उसी तरह के फैसले देते हैं तो यह सब सुविधाएं नहीं मिलने से, स्टाफ नहीं मिलने से, आफिस नहीं मिलने से इनकी एफिशियंसी में कमी आती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राजस्व मंडल के आदेश क्रमांक 12929 दिनांक 24.09.1998 के द्वारा 85 सहायक कलक्टर कार्यालय एवं 24 उप खण्ड कार्यालयों में निजी सहायकों के 109 पद सृजित किये गये थे और बाकी बचे कार्यालयों के लिए 92 निजी सहायकों के नये पद स्वीकृत करने के प्रस्ताव 2005-06 में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजे गये थे। यदि हां तो 1998 से यह पद नहीं भरे गये हैं, क्या कारण है, कृपया बताने का कष्ट करें। राजस्व अधिकारियों को कानून व्यवस्था का जिम्मा होने के साथ-साथ अन्य प्रशासनिक कार्य भी करने होते हैं, उससे जो यह राजस्व के कार्य हैं वह भी पिछड़ते जा रहे हैं। मेरी मांग है की कानून व्यवस्था के लिए अलग से अधिकारी नियुक्त किये जाने चाहिए और जो राजस्व न्यायालय के अधिकारी हैं इनके लिए कार्यालय, उनके आवास, सहायक और लिपिक के जो पद हैं उनको कब तक पूरा कर लेंगे, कृपया बताने की कृपा करें।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राजस्थान में जितने उप खण्ड कार्यालय कार्यरत हैं जहां पर एसीएम कोर्ट नहीं हैं, क्या सभी जगह सरकार एसीएम कोर्ट खोलने का विचार रखती है क्योंकि मुकदमों को अम्बार लगा हुआ है और दूसरा यह है कि अभी जो 26 एसीएम कोर्ट खुल गये हैं यह कब तक काम शुरू कर देंगे।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजसमंद में माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि रेलमगरा एक तहसील क्षेत्र है और वहां हमने एसीएम कोर्ट की मांग की है, क्योंकि मुकदमे लम्बित हैं और मैंने निवेदन भी किया है कि क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलमगरा में यह कोर्ट खोलने की मंशा सरकार रखेगी। साथ ही उप तहसील कुंवारिया जिसको तहसील में क्रमोन्नत करने के लिए भी मैंने निवेदन किया था, कुंवारिया उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत का विचार रखते हैं क्या?

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सिविल न्यायालयों या राजस्व न्यायालयों में कोई भी वाद दायर होने के बाद निर्णय होने की निश्चित समय अवधि तय करने का इरादा रखते हैं क्या?

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं, पहले मेरा जवाब माननीय मंत्रीजी से दिलवाइए।

श्री अमराराम (धोद): निश्चित समय में वाद निर्णित करने के लिए क्या कोई टार्गेट फिक्स करके शीघ्र न्याय दिलाने का इरादा रखते हैं? राजस्व न्यायालयों में दस साल तक, पन्द्रह साल तक वाद चलते रहते हैं, पीढ़ियों तक चलते रहते हैं, क्या इनको समयबद्ध निर्णित करने का आप कोई इरादा रखते हैं, अगर रखते हैं तो कितना समय तय करेंगे?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष: आप बाद में पूछ लेना।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवाई से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसके सम्बन्ध में मैंने अपने उत्तर में सारी बात बता दी। यह जो केस पेंडिंग बताएं हैं वह हमारे अलग-अलग 322 न्यायालय में पेंडिंग हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल अजमेर में 40,200 है, उसके बाद सम्भागीय आयुक्त स्तर पर, जिला कलक्टर, एस डी एम, ए सी एम, इन सभी 322 न्यायालयों में 2,95,290 है। इनकी समय-समय पर मोनिटरिंग भी की जाती है। हमने राजस्व मण्डल से लेकर नीचे तक के सभी न्यायालयों में कितने राजस्व मामले निपटाएंगे, इसकी एक पूरी सारणी बनायी हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके उपरान्त भी

(श्री रामनारायण डूडी)

आप देखेंगे हमने यह महसूस किया कि राजस्व न्यायालयों में पेंडेंसी बहुत ज्यादा होती जा रही है और एस डी एम और ए सी एम लेवल पर राजस्थान में हमने 26 और ए सी एम कोर्ट खोलने का निर्णय लिया है। यह ए सी एम कोर्ट खोलने का निर्णय इसलिए लेना पड़ा कि 1,91,727 जो 192 एस डी एम न्यायालय स्तर पर 1,91,727 केस हैं और सहायक कलक्टर के यहां 12,700 हैं, राजस्व अधिकारियों के पास 12,847 है और एस ओ जो आर ए ए का काम करता है, उनको भी अलग से अधिकार दिए हुए हैं। इस प्रकार से जब हमने यह सारी बातें की, आवश्यकता समझी क्योंकि एस डी एम पूरा समय नहीं दे पाते हैं तो उनके कार्य का विभाजन करके उनके केसेज को हमने ए सी एम को डाइवर्ट करके उनको निस्तारण करने को दिए हैं। फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 2004 से पूर्व के जो 2,10,817 शेष थे और दायर हो गए, 64,934, योग हो गया 2,75,751 और हमने निस्तारण किया 51,713, निस्तारण और भी हो रहे हैं लेकिन आज जिस प्रकार से लिटिगेशन वगैरह बढ़ रहा है, छोटी-छोटी जोत हो रही है, उसके बाद में भी जो हाइकोर्ट की अब्दुल रहमान का निर्णय आया, उस निर्णय के आधार पर जहां भी प्रतिबंधित मामले थे, उसके अंदर यदि उनका रेफरेंस चल रहा है, इस प्रकार से उनकी संख्या बढ़ती जा रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 93,761 मामलों का निस्तारण किया तो 1,16,271 मामले और दायर हो गए, इस प्रकार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है तो हमने एक निश्चित कार्यक्रम के आधार पर यह बात कही है कि 2001 से पहले के जितने केसेज किसी भी न्यायालय के अंदर यदि पेंडिंग हैं तो पहले उनको निस्तारित किया जाए। उसके अंदर हमने राजस्व मण्डल के लेवल पर 50 वाद प्रति सदस्य डिस्पोजल करने का एक महीने के अंदर टार्गेट दिया हुआ है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय मेरा एक प्रश्न इसी से सम्बन्धित है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामचन्द्र जारोड़ा। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): इस प्रकार सारे के सारे में जैसा निवाई से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है...

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आपने 26 एस डी एम कार्यालय खोल दिए। मैं कह रहा हूं कि जहां एस डी एम कैम्प कोर्ट चल रहे हैं उनको ही आपने स्थायी नहीं किया, क्या आप एस डी एम कार्यालय खोलेंगे? (व्यवधान)... वहां कैम्प कोर्ट वर्षों से चल रहे हैं, उनको ही आपने स्थायी नहीं किया। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति भोपालसागर, पंचायत हैडक्वाटर पर उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने का आप विचार रखते हैं और ए सी जे एम कोर्ट खोलने का विचार रखते हैं क्या?

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामचन्द्र जारोड़ा।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): प्रश्न संख्या 343

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, नए राजस्व न्यायालय कहां खोले जाने थे उसके बारे में माननीय मंत्रीजी ने जवाब दे दिया। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ...(व्यवधान) हमारे यहां ए सी एम कार्यालय की सख्त आवश्यकता है। ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात का जवाब दिलवाएं।

श्री उपाध्यक्ष: अब अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) आ गई बात सारी।

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): ×××

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन कॉल लिया है, आप बीच में न बोलें।

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप माननीय मंत्रीजी से मिल लेना, आपकी कोई समस्या हो तो।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ अंकित नहीं होगा, आप बैठ जाइए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप क्यों खड़े हो गए, आप बैठ जाइए। मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है। (व्यवधान) फिर आप बीच में बोल रहे हैं। श्री रामचन्द्र जारोड़ा।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मिल गया जवाब, मैं संतुष्ट हूं।

मेड़ता विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सकों के रिक्त पद

343. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में चिकित्सकों के कुल कितने पद स्वीकृत एवं कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? चिकित्सालयों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मेड़ता क्षेत्र में दिनांक 1 जनवरी, 2004 के पश्चात् चिकित्सकों के कितने पद कहां-कहां समाप्त किए गए? विवरण मय स्थान सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) मेड़ता क्षेत्र के अस्पतालों की वर्ष 2004 से 2008 की आउटडोर मरीजों की चिकित्सालयवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री नरपत सिंह राजवी): (1) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों की स्थिति, रिक्ति अवधि सहित चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(2) 1 जनवरी, 2004 के पश्चात् विधान सभा क्षेत्र, मेड़ता के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रियां बड़ी में समानीकरण योजना के अन्तर्गत एक चिकित्सा अधिकारी का पद आदेश दिनांक 05.06.2007 के द्वारा समाप्त किया गया है।

(3) जी हां। कनिष्ट विशेषज्ञों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त एवं चिकित्सा अधिकारी के रिक्त

(श्री नरपत सिंह राजवी)

पद जिला स्तर पर समेकित वेतन के आधार पर/राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरे जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(4) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के वर्ष 2004 से 15 फरवरी, 2008 तक के आउटडोर रोगियों का चिकित्सा संस्थानवार एवं वर्षवार संख्या विवरण परिशिष्ट 'ब' पर प्रस्तुत है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि मेड़ता अस्पताल में एक निश्चेतक चिकित्सक का पद 2005 से खाली है। यह खाली होने से वहां जो आपरेशन होते हैं या डिलीवरी होती है उसमें कितने मरीजों को परेशानी आती है, यह पद आप कब तक भर देंगे?

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एनेस्थेटिक के पद जहां पर रिक्त हैं वो न तो कांट्रेक्ट पर मिल रहे हैं। हमने अभी एक क्रेश कोर्स करवाया चार महीने का, एक बैच निकल गया। उनमें से एक मेड़ता में एक चिकित्सा अधिकारी को वहां पर पदस्थापित करवा देंगे। बाकी अन्य रिक्त पदों का जहां तक प्रश्न है नागौर जिले में ऑन कांट्रेक्ट 64 चिकित्सकों की स्वीकृति जारी की गई थी, इसके विरूद्ध 63 पद भरे हुए हैं, मात्र जनवरी, 2008 से एक पद रिक्त हुआ। 64 भरे थे, एक रिक्त हुआ है उसको भी शीघ्र भरने का प्रयास करेंगे।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि रियां बड़ी जो पंचायत समिति क्षेत्र है और काफी हलका ग्रामीण क्षेत्र से आता है उसमें दो पद ही रिक्त हैं और दोनों ही रिक्त पद हैं एक मेडिसन का, एक सर्जरी का इसलिए वह आप कब भरने जा रहे हैं?

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): चिकित्सा अधिकारी के दो पद हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रियां बड़ी में कनिष्ट विशेषज्ञ मेडिसन, जूनियर स्पेशलिस्ट की दिक्कत आ रही है क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू में जूनियर स्पेशलिस्ट नहीं आता इसलिए मैं अन्य स्थान पर जहां पर अधिक पद हैं उनमें से कम करके यहां पर जरूर पदस्थापित कर दूंगा यह बैन खुलते ही।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय मंत्रीजी, इतना और जवाब दें जिन पदों पर चिकित्सक राजस्थान में ड्यूटी पर नहीं आते .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): वे वहां पर उपलब्ध नहीं होते, वे अपना क्लीनिक खोलकर कहीं और चले जाते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त माननीय सदस्य।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्षजी, यह प्रश्न राजस्थान से सम्बन्धित है, पूरी चिकित्सा प्रणाली का है।

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान का है तो ..(व्यवधान) यह प्रश्न मेड़ता विधान सभा क्षेत्र तक ही सीमित रखा है माननीय सदस्य।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): एक मिनट में जवाब दे देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान का प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र का है ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह राजस्थान के बारे में नहीं पूछा है माननीय सदस्य, उन्होंने।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): डाक्टरों को लगाने के, ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात करने के लिए निर्देश देंगे?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न देखिए। मेड़ता विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित पूछा है उन्होंने। सब विधान सभा क्षेत्रों के बारे में आप प्रश्न नहीं पूछ सकते।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): राजस्थान का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान का मामला है ..(व्यवधान) चिकित्सा विभाग की मांगों पर पूछ लेते। प्रश्न मेड़ता विधान सभा क्षेत्र का है .. (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): जहां इनकी पोस्ट ही नहीं है वहां पर डेपुटेशन पर हैं। यह नीतिगत सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये एनेस्थेसिया के बारे में तो मंत्रीजी आप फरमा दें कि राजस्थान में जहां-जहां ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप ..(व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए। बैठिए माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप जानते हैं एनेस्थेसिया ..(व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: चिकित्सा विभाग की मांग के समय में भरपूर चर्चा विस्तार से हो चुकी है। (व्यवधान)..

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर एवं अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया पृष्ट-217 पर आगे देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री रणवीर सिंह गुढा, सदस्य की ओर से राजस्थान विधान सभा के परिसर एवं सदन में महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डा. भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगाने आदि के सम्बन्ध में।

मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि विधान सभा परिसर में या विधान सभा सदन के अंदर कौनसी मूर्तियां लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, सदन के अन्दर इसकी चर्चा एक तरह से नहीं होनी चाहिए। आप मुझसे वैश्म में मिल लीजिए, इसके बारे में बातचीत करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह नियमों में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: इसलिए इस पर मैं अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य ..(व्यवधान) इस पर सदन में चर्चा सदन के बारे में नहीं

होनी चाहिए। माननीय सदस्य, परम्परा नहीं है ..(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): संविधान निर्माता की मूर्ति है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी।

श्री सुरेश मीणा (करौली): प्रजातंत्र का सम्मान करने की मांग आपसे कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप मुझसे बैठकर बात करके ..(व्यवधान) माननीय सदस्य, यहां कोई कहेगा लगनी चाहिए, कोई कहे नहीं लगनी चाहिए। इसमें चर्चा सदन के बारे में नहीं होनी चाहिए। माननीय सदस्य ..(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): राजा-महाराजाओं की मूर्ति के लिए राज्य सरकार ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैंने व्यवस्था दे दी।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न हैं ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठिए आप, कह दिया मैंने। आप मुझे मिल लेना।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): केवल दो मिनट का समय लूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: अतः इस पर मैं अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य, कोई समय नहीं दिया जाएगा।

2. श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से जयपुर नगर निगम द्वारा सामान ढोनी के रिक्शे, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी के लाइसेंस नहीं देने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री रामनारायण मीणा एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजनान्तर्गत निर्मित दुकानों का लोगों को स्वामित्व नहीं मिलने एवं बेदखली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

4. श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित एम्पावरमेंट कमेटी द्वारा मार्गदर्शन दिये जाने के उपरान्त भी आरा मशीनों का स्थानान्तरण एवं हस्तान्तरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

उपरोक्त प्रस्ताव हाल ही में घटित घटना से सम्बन्धित नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाये। वैसे भी आज पर्ची पर माननीय सदस्य को इस विषय पर बोलने का अवसर उपलब्ध है, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

5. श्री खुशवीर सिंह एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राजस्व विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू उपयोग हेतु ईंट बनाने वालों से टैक्स वसूली की रोकथाम के सम्बन्ध में।

6. श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से स्वतंत्रता सेनानी मगाराम जाट का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथडाऊ (जिला जोधपुर) से हटा देने से जनता में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी हाल ही में घटित घटना से सम्बन्धित नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री खुशवीर सिंह एवं श्री संयम लोढ़ा को अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

1. श्री बंशीलाल खटीक, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के केलवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

2. श्री हीरालाल मीणा, सदस्य की ओर से ईसरदा बांध के ओवरफ्लो पानी को मोरेल एवं डील बांध में डलवाने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

3. श्री कन्हैयालाल पाटीदार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा की ग्राम पंचायत सुनेल की चुंगी के बदले क्षतिपूर्ति अनुदान की बकाया राशि का भुगतान शीघ्र करने के सम्बन्ध में।

4. श्री सुशील कटारा, सदस्य की ओर से जिला डूंगरपुर के थाना चितरी में दर्ज मुकदमा नं. 79/07 में लिखे 45 लोगों के दर्ज नाम हटाकर मुकदमे को सरकार द्वारा वापस लेने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

5. श्री मदनमोहन सिंघल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कामां की

(श्री उपाध्यक्ष)

पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

6. श्री जालम सिंह रावलोत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शिव, जैसलमेर एवं शेरगढ़ में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

7. श्री देवीशंकर भूतड़ा, सदस्य की ओर से ब्यावर स्थित सिटी डिस्पेंसरी को मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के रूप में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

8. श्री अर्जुनलाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गंगरार में सड़कों के निर्माण एवं सम्पर्क सड़कों के पुन: निर्माण के सम्बन्ध में।

9. श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से परसरामपुरिया आयुर्वेद महाविद्यालय, सीकर के शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्रों के 157 दिन से हड़ताल पर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

10. श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य की ओर से जयपुर शहर के अग्निशमन केन्द्रों में पर्याप्त एवं प्रशिक्षित कार्मिक नियुक्त करने के सम्बन्ध में।

11. श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत रोहिड़ा एवं वासा पंचायत समिति पिण्डवाड़ा की नई आबादी भूमि के पट्टे दिये जाने के सम्बन्ध में।

12. श्री धर्मेन्द्र मोची, सदस्य की ओर से भाखड़ा नहर सिंचाई प्रणाली की नहरों, माइनरों एवं खालों को पक्का करने के सम्बन्ध में।

चूंकि आज सदन में विधायी कार्य अधिक है और उसमें समय लगना स्वाभाविक है, अत: माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ा हुआ माना जा रहा है।

(पढ़े हुए माने गये विशेष उल्लेख के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री खुशवीर सिंह।

शून्यकाल

अजमेर नगर सुधार न्यास के सीडी प्रकरण पर जवाब की मांग

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल जो प्रकरण आया था सीडी, अजमेर नगर सुधार न्यास का, आपने फरमाया था कि आज सरकार जवाब देगी 12 बजे। उसको 48 आवर्स हो गये हैं। कृपया वह

जवाब दिलवा दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे समय के बारे में आपने कोई निश्चितता नहीं की थी।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): कल कहा था 24 घंटे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने यह फरमाया था कि सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री अमराराम (धोद): संसदीय कार्य मंत्रीजी, कल सदन में माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था 24 घंटे में जवाब आ जाएगा और सदन में रख दिया जाएगा।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): आप प्रोसीडिंग देख लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपने तो यह कहा था कि 24 घंटे या 48 घंटे में इसका जवाब दे दो, यह समय सीमा में नहीं बांधा था।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): 24 घंटे बोला था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कोई समय सीमा में नहीं बांधा था। उपाध्यक्ष महोदय, समय सीमा में कहीं नहीं बांधा था।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): 24 घंटे का बोला था। 24 घंटे में जवाब, आप देख लें प्रोसीडिंग को।

श्री अमराराम (धोद): 24 घंटे से पहले तो हट ही गये वो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वो अलग बात है।

श्री अमराराम (धोद): उनको तो चलता कर दिया आपने। उन्होंने 9 करोड़ रुपये लेकर.....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बात सुनें। माननीय सदस्य, आपके स्थगन प्रस्ताव पर वैसे कहा था कि सरकार से जवाब मांगा है, जवाब अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, आज नहीं हुआ है तो परसों हो जाएगा। उसमें आपकी बात पर बराबर सुनवाई की जाएगी। (व्यवधान) सरकार की तरफ से कार्यवाही हो रही है। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): 24 घंटे में आना चाहिए। 24 घंटे के अन्दर जवाब देना था। आसन के आदेश की पालना सरकार नहीं कर रही है इससे ज्यादा और क्या होगा। (व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री उपाध्यक्ष: आप लिखो मत। नहीं लिखें। अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य, देख लेते हैं उसमें। प्रोसीडिंग देखकर के बतायेंगे आपको। (व्यवधान) बैठिये आप। बात तो सुनें थोड़ी। बैठिये आप। बात सुनें आप। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री। माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी कह रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: क्या हद हो गई? माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कौन कह रहा है? पता नहीं है माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): ×××

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सरकार को सब पता है, पूरा विस्तृत जवाब दे दिया जाएगा। माननीय सदस्य, पहले सरकार का जवाब सुन लीजिये। सरकार का जवाब तो सुनिये पहले। जवाब सुनिये पहले कि वो क्या कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। लेट मी कम्पलीट प्लीज। आप विराजो। आप विराजो। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जवाब दिया नहीं तो आप क्या बोलेंगे। पहले आप जवाब यहां दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए उसके बाद में आप बोलेंगे। जवाब ही नहीं दिया तो आप क्या बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप विराजो-विराजो। उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर कल आपने व्यवस्था देते हुए कहा था कि जल्दी से जल्दी सरकार की तरफ से उत्तर आ जाएगा उसके बाद.....

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): 24 घंटे के लिए कहा है। आप कार्यवाही उठाकर के देख लीजिये, 24 घंटे का कहा है। यह जल्दी से जल्दी....

(व्यवधान) 24 घंटे का कहा था।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये। आप सुन लें बात। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जल्दी से जल्दी क्या, इस पर आपने कहा कि 24 घंटे, 48 घंटे में जवाब आ जाएगा और उसके बाद सरकार को पूरी जानकारी होने के बाद यह जो सारे अधिकार आपके पास हैं, आप फिर किसी विषय पर सरकार का स्टेटमेंट चाहेंगे, नहीं चाहेंगे, स्थगन पर अपनी व्यवस्था देंगे। पर पहले आपके सम्मुख सारी जानकारी आप तक प्रेषित करने की जिम्मेदारी सरकार की है इसको हम स्वीकार करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश के बाद सारी जानकारी जुटा कर मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आज नहीं तो दुबारा जब बैठेंगे तब तक यह पूरी जानकारी आपको पहुंचा दी जाएगी। (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सुनिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बात तो सुनें। माननीय सदस्य, बात सुनें आप। कोई बात नहीं सुनते हो आप। माननीय सदस्य, वो बात कह रहे हैं उसमें क्या बात है? (व्यवधान) बैठिये आप। ऐसा कौनसा दो दिन के अन्दर पहाड़ टूट रहा है? यह कोई बात हुई क्या? क्या बात हो गई? एक्शन लिया जा रहा है, वो देंगे जवाब। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष की व्यवस्था पर तो....

श्री उपाध्यक्ष: आप पहले बैठिये। पहले आप सुनें। पहले सुनें माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये। कोई अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: पहले आप स्थान ग्रहण कीजिये, स्थान ग्रहण कीजिये पहले। आप बैठिये पहले। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जैसे संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कहा है, आपने 24, 48 घंटे के लिए कहा था... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठ जाओ। अब बात सुनें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सुनो तो सही। प्रोसीडिंग है सारी। पहले 48 घंटे और फिर आपने 24 का पेश किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को एक-दो घंटे, तीन घंटे सारा विवरण देने में विलम्ब हो सकता है। आपके पास भेज रहे हैं, आप वैश्म में जब जाएं तो आपको मिल जाएगा। इनको भी बुला लीजिये, समय आप जैसा करना चाहें कर लें। इसमें विवाद की क्या बात है? (व्यवधान) आप अपने वैश्म में आकर के बातचीत कर लें। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आज दे देंगे? आप कह दीजिये कि आप दे देंगे। समय तय कर देंगे। वैश्म में तो समय तय कर देंगे, जवाब तो आप हाउस में दे दो, जवाब तो अभी दे दो आप। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सारी बात इनको दिखा देंगे, वैश्म में जाकर उपाध्यक्ष महोदय, आप भी चले जाएं, कर लेंगे वहां पर तय। समस्या क्या है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जानकारी मेरे पास आ जाएगी उस वक्त आपको बुलाकर..... (व्यवधान) अभी तक आई नहीं है। 23 घंटे का मतलब यह 11 बजे, 12 बजे थोड़े ही था? यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सरकार जवाब देगी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको कह दिया। माननीय सदस्य, यह सदन को सूचित कर दिया है। मेरे पास जवाब आया नहीं है, जवाब आते ही आप इसके ऊपर कर दिया जाएगा जवाब के लिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, पहले बात सुनिये। बात सुनिये। पहले बात सुनिये आप।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, पहले मेरी बात सुन लीजिये। क्या व्यवस्था दी थी वह सुनें आप। (व्यवधान) व्यवस्था क्या दी है वह सुननी पड़ेगी आपको। माननीय सदस्य, व्यवस्था नहीं सुनेंगे आप? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बात तो सुनें।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं करें। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, सदन में क्या व्यवस्था दी थी वह सुनिये पहले आप। माननीय सदस्य, पहले सुनें।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): 24 घंटे में जवाब आ जाएगा,

जवाब दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष: 24 घंटे में जवाब आ जाएगा। 48 घंटे का टाइम हमने दिया है, 24 घंटे में जवाब आ जाएगा। (व्यवधान) मैं अभी कोई सरकार को मजबूर नहीं कर सकता हूं। (व्यवधान) अब यह कह दिया 48 घंटे में...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह 24 घंटे में जवाब आ जायेगा। आपने कहा है, आया है क्या जवाब? आप खुद कह रहे हैं कि जवाब नहीं आया, यही तो है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: 48 घंटे का टाइम दिया है। (व्यवधान) यह क्या बात हुई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह कह दिया था। व्यवस्था यह थी कि मेरे पास जवाब आ जायेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आ जायेगा जवाब (व्यवधान) माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैंने सरकार को 48 घंटे का टाइम दिया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आ जायेगा जवाब माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): ×××

अनेक माननीय सदस्य: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। मैंने सरकार को 48 घंटे का टाइम दिया था और 24 घंटे के अन्दर मेरे पास जवाब आ जाएगा तो अपने आप टाइम निश्चित कर देंगे। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) इसकी आप चिंता मत कीजिये, इसकी चिंता मत कीजिये माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैंने कहा था कि... (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। कोई अंकित नहीं हो।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप हमारी चिंता मत कीजिये, मैं अपने आप मंगा लूंगा। मैं अपने आप मंगा लूंगा। मैं अपने आप मंगा लूंगा। (व्यवधान) हम मंगा लेंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मैंने कह दिया है सरकार को, मैंने कह दिया है सरकार को। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सदन का सदस्य किसने बना लिया आपको? (व्यवधान) नहीं, माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप किस बात की चर्चा कर रहे हैं माननीय सदस्य। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिना परमिशन बोल रहे हैं।

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बिना परमिशन बोल रहे हैं। एक आदमी बोले पहले। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आपने व्यवस्था देखी नहीं, पढ़ी नहीं (व्यवधान) माननीय सदस्य, व्यवस्था क्या दी गई थी। क्या व्यवस्था दी गई थी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। वह व्यवस्था क्या दी थी। (व्यवधान) व्यवस्था में 48 घंटे का टाइम दिया है माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप, बैठिये आप। माननीय सदस्य, 48 घंटे का टाइम दिया था और मैंने कहा था कि... (व्यवधान) यह क्या बात हुई? (व्यवधान) अब कह दिया, 24 घंटे में जवाब आ जायेगा तो अभी...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोयदय...

श्री उपाध्यक्ष: अभी हम तो यहीं बैठे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: 48 घंटे का टाइम दिया था।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग हुई है, आपके पास बिना जानकारी आये इस आसन के पास, आप निकलवा लीजिये कि कल मंत्रीजी आपको वक्तव्य देना है इस मामले के अन्दर। पूर्व में हम लोग भी तैयारी करके आते थे, आकर वक्तव्य देते थे यहां पर, आप टाइम फिक्स कर दीजिये अभी भी, तीन बजे, चार बजे दे दीजिये, जब आपकी इच्छा हो तब दे दीजिये लेकिन अगर आप यह चाहे कि ये आपको पहले दिखायेंगे। यह दिखाने का क्या मतलब है? पहले आप संतुष्ट होइये, तब आप टाइम देंगे यहां पर, यह सरकार का बचना नहीं चलेगा। सरकार की नीयत यही है कि यह भ्रष्टाचार को दबाने के अन्दर जुटी हुई है और उसको उजागर नहीं होने देना चाहती है। आप टाइम दे दीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप सरकार को एम्बरेसिंग पोजिशन में डाल रहे हैं। आपने कहा है। आप कहिये यहां पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आप बीच में नहीं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। कुछ भी अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, आप किस बात की चर्चा कर रहे हैं? (व्यवधान) कुछ अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये पहले। माननीय सदस्य, बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये। कुछ भी अंकित नहीं होगा आपका। (व्यवधान) यह बिना मतलब के कोई एलीगेशन नहीं लगाते माननीय सदस्य। कुछ भी अंकित नहीं होगा। यह आप इस तरह से क्या कर रहे हैं। बैठिये आप, बैठिये। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

अनेक माननीय सदस्य: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा आपका माननीय सदस्य। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिना परमिशन बोल रहे हैं, कुछ अंकित नहीं होगा, कुछ भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

अनेक माननीय सदस्य: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

अनेक माननीय सदस्य: ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष एवं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा निरन्तर नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते। माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) कुछ भी अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य, बैठिये, स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य। बैठिये माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये अपना। माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये आप, आप स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये पहले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हां, करेंगे बात। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य। (व्यवधान) कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप सदन का समय बरबाद कर रहे हैं, माननीय सदस्य आप। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मान लो, स्थान ग्रहण कीजिये माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये आप। कुछ भी अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य, आप सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं। (व्यवधान) आप सदन की

(श्री उपाध्यक्ष)

कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं माननीय सदस्य, बिना परमिशन के बोल रहे हैं, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा आपका, कुछ भी अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य। (व्यवधान) मैं आगे अब..(व्यवधान) माननीय सदस्य, देखो, आज मैं फिर, मैं आगे की कार्यवाही ले रहा हूं मैं माननीय सदस्य, मैं आगे के कार्य की मैं कार्यसूची शुरू कर रहा हूं। (व्यवधान) आप बात करिये, यह क्या बात हुई है। यह कोई यहां, आप सदन में अव्यवस्था फैला रहे हैं, अव्यवस्था फैला रहे हैं आप। (व्यवधान) नहीं-नहीं, यह गलत बात इस तरीके की। यह क्या बात... (व्यवधान) आप सुनना ही नहीं चाहते हो। आप सुनना नहीं चाहते तो आज, आप सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान) सुनिये आप, सुनिये आप, सुनिये पहले, सुनिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो भावना है हम उससे कोई भिन्न भावना नहीं रखते। बाकी के, आपने इस विषय को जिस रूप में, उस व्यक्ति ने स्वयं ने अपना त्यागपत्र दे दिया, चार्ज हमने कलक्टर को दे दिया और सीडी की जांच के लिए हमने जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया, अब जांच में उसका दोष आयेगा उसके बाद ही तो उस चीज को प्रमाणित कर पाओगे, कैसे कर पाओगे। अगर मान लो आप में से कोई भी मेरी एक सीडी बना दे, जैसे बनाई थी मेरी जमीन में मैंने कोई स्टाम्प ड्यूटी चोरी कर ली, क्या उसके बना देने से मैं स्टाम्प ड्यूटी का कोई चोर हो गया। मेरे पर कोई आरोप लगा दे, कोई सीडी बनाकर के यह बयान दे दे कि गुलाब चन्दजी कटारिया ने वहां से दस लाख रुपये ले आये तो उसके कहने मात्र से तो मैं मुलजिम नहीं बन सकता हूं। जांच के आधार पर अगर सीडी में उसका कोई दोष निकलेगा तो हम कोई बचाने की मंशा नहीं है, जो गलत काम करेगा, वह भुगतेगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं। (व्यवधान) कोई दिक्कत है नहीं। अगर किसी ने किया है गलत, तो वह भुगतेगा। (व्यवधान) हमारी यह मंशा कभी भी नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपसे प्रार्थना यह कर रहा हूं, एक विषय खड़ा हुआ, जो जिस प्रकार से भी आया है, सीडी के माध्यम से आया, हाउस में उस विषय पर चर्चा हो गई, हम भी जानते हैं अगर इस सीडी में जांच के बाद कोई दोष निकलेगा तो जो कानून के तहत कार्यवाही

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

होगी और निश्च‍ित होनी है...(व्यवधान) अब इसको...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य। यह बात सही है। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) नहीं-नहीं, यह।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ××× (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: वह जवाब दे रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जोशीजी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अच्छी परम्परा नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ××× (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ××× (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ××× (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपनी, आप सीट पर जाकर बोल लेवें, क्या दिक्कत है। नहीं, पर आप स्थान पर जाकर..(व्यवधान) तो स्थान पर जाकर बोलते हैं तो क्या नुकसान है, जब गृह मंत्रीजी ने अपने स्थान पर खड़े होकर जवाब दिया है...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान पर जाकर कहने में क्या एतराज है आपको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: जब गृह मंत्री ने अपने स्थान पर ही जवाब दिया है तो आपके क्या दिक्कत आ गई...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी सीट पर जाकर के...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ××× (व्यवधान)

डा. ओ.पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप सीट पर...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ××× (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ××× (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

सदन में नारेबाजी

(पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: या तो हाउस को चलने दीजिए माननीय सदस्य ...(व्यवधान) मैं सदन का बिजनैस ले रहा हूं या तो आप स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य या तो आप स्थान ग्रहण कीजिए और नहीं तो मैं सदन का बिजनैस ले रहा हूं। माननीय सदस्य आप बोलने का माननीय सदस्यों का अधिकार छीन रहे हैं। माननीय सदस्य आप किसी भी बात से संतुष्ट नहीं हो ...(व्यवधान) जगह पर जाकर के बोलेंगे नहीं, अपने स्थान पर जाकर के बोलिए। माननीय सदस्य जोशीजी, माननीय सदस्य जोशीजी आप अपने स्थान पर जाकर के बोलिए। माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

सदन में नारेबाजी

(पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कर लीजिए माननीय सदस्य। माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ...(व्यवधान) आप सरकार का जवाब सुनना नहीं चाहते, सरकार का जवाब आपको सुनना नहीं है, सरकार का जवाब नहीं सुनना चाहते आप और बात को वैसे ही हवा में उछाल रहे हैं, सरकार का जवाब सुनना नहीं चाहते आप। माननीय सदस्य आप सरकार का जवाब सुनना चाहते नहीं, आप सरकार का जवाब ...(व्यवधान) देगी जवाब, आप सुनना ही नहीं चाहते हो, आप सुनना नहीं चाहते, यह क्या बात हुई? नहीं, यह गलत बात है। आप जवाब नहीं सुनना चाहते माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य सदन

(श्री उपाध्यक्ष)

की बैठक आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 12.44 बजे आधे घंटे के लिए स्थगित हुई)

(समय : 13.14 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: राम-राम, राम-राम। मुझे सदन को सूचित करना है कि इस सम्बन्ध में आपस में बातचीत होने के बाद तय यह किया गया है कि सरकार की तरफ से 5.00 बजे वक्तव्य दे दिया जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, हमने तो पहले ही कहा था, आपने व्यवस्था दी थी सरकार तो हमेशा ही तैयार है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): गलत बात। आसन की व्यवस्था के बाद आपके पास जवाब था ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: छोड़ो इस बात को।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ...(व्यवधान) इस्तीफा ले लो, पैसे लोटाओ मत।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ये राजेन्द्रजी राठौड़ माने नहीं इस वजह से ये इतना उद्दल हुआ। (व्यवधान) ये बिलकुल ये ही चाहते थे, ये राजेन्द्रजी राठौड़ नहीं चाहते थे इसलिए इतना व्यवधान हुआ।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, सब मानेंगे। अब होली है आप इसको बुरा मत मानें और आज होली का त्यौहार है इन विधेयकों को जल्दी पारित करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में घर जाना है यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री खुशवीरसिंह, अपने स्थगन प्रस्ताव पर दो मिनट बोलें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

घरेलू उपयोग हेतु ईंट बनाने वालों से टैक्स वसूली रोकने बाबत

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लगभग हर दूसरे वर्ष अकाल की स्थिति होती है और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश हमारे यहां अकाल की स्थिति है और जब-जब

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

भी अकाल राहत कार्य प्रारम्भ होते हैं तब-तब ही हमारे यहां अधिकांश अकाल राहत में नाड़ी और तालाब खुदाई के कार्य लेते हैं और प्रतिवर्ष अकाल में उन्हीं नाड़ी और तालाब को सरकार लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करके खुदवाती है और दूसरी तरफ जो कुछ लोग अपने पारम्परिक तरीके से अपने जीवनयापन के लिए, किसान खुद के उपयोग के लिए जो गिट्टी की ईंट बनाते हैं उपाध्यक्ष महोदय, उनको सरकार का राजस्व विभाग आये दिन परेशान करता रहता है और उनसे टैक्स भी वसूल करता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि एक तरफ सरकार उन तालाबों को खुदवाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है और दूसरी तरफ सरकार उन्हीं किसानों से जो पारम्परिक तरीके से ईंट बनाते हैं उन्हीं तालाबों को खोद कर उनसे पैसा और टैक्स वसूला जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दोहरा लाभ है पहला लाभ तो यह है कि जो किसान का एग्रोवेस्ट है किसान की उपज का जो वेस्ट है हमारे यहां अधिकांश मेहंदी की उपज ज्यादा होती है सरसों और इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी हैं उसकी टहनी है उन सब का भी इसके माध्यम से किसान को पैसा भी मिलता है क्योंकि वह पारम्परिक तरीके से जो ईंट बनाते हैं उनको इसके माध्यम से वो खरीदते हैं और वो जलाने के काम आता है ईंट को पकाने के लिए।

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, आज यह कला प्राय: नष्ट होती जा रही है आये दिन परेशानी यह आती है कि उनको मिट्टी कहां से प्राप्त करनी, तालाब खोदे तो राजस्व विभाग पीछे पडा है खोदने नहीं देता है जबकि दूसरी तरफ करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं उसी तालाब को खोदने के लिए बार-बार तो मेरा आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, अनुरोध है कि जो मिट्टी की ईंट पारम्परिक भट्टे से नहीं मैं कह रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, पारम्परिक तरीके से जो मिट्टी की ईंट बना रहे हैं उन किसानों की और जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है उन सभी किसानों को हालांकि हमारे सदन में मंत्री महोदय भी उसी समाज से सम्बन्धित हैं अभी विराजमान नहीं हैं लेकिन अभी थे और उस समाज के दो चार और हमारे सदस्य भी हैं आज दिन तक किसी ने इसकी आवाज नहीं उठाई। इस समाज ने आज बहुत बड़ा सम्मेलन करके भी इस सरकार से मांग की लेकिन फिर भी सरकार ने इनकी एक नहीं सुनी है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आप उनको पैसा देकर तालाब खुदवा

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

रहे हैं सरकार और दूसरी तरफ जो खुद खोदते हैं और ईंट बनाते हैं उनसे टैक्स वसूला जा रहा है तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि उनका टैक्स माफ करते हुए जो तालाब खोदकर ईंट बनाते हैं उनको सरकार अनुदान दे और जो ये मिट्टी के बर्तन की कला समाप्त हो रही है उसको भी बचाया जा सकेगा। एक तरफ तो उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर के अन्दर बाहर के लोग आकर ईंट बना कर पूरे जयपुर का निर्माण कर सकते हैं उपाध्यक्ष महोदय, और वह नियमों को ताक में रख कर नई-नई इतनी बिल्डिंगें बना रहे हैं कि चार मंजिल की परमिशन लेकर 10-10 मंजिल की बिल्डिंग बनायी जा रही है। दूसरी तरफ जो गरीब किसान है जो तालाब खोद कर ईंट बनाते हैं उनके साथ सरकार इस तरह का सौतेला व्यवहार कर रही है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति ईंट बनाते बनाते आज जयपुर का निर्माण करने लग गया। यूनिक बिल्डर जो सभी नियमों को ताक में रखते हुए उस व्यक्ति ने आज 10 हजार, हाउसिंग बोर्ड की योजना से तीन हजार ज्यादा भवनों का निर्माण किया है और सभी नियमों को ताक में रख कर किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति जो एक तरफ तो आज जनता का गला घोट कर, सरकार सभी नियमों की अनदेखी कर रही है। पूरी सरकार के सामने जयपुर में इस तरह नियमों का उल्लंघन हो रहा है और दूसरी तरफ ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बस।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, उन गरीब किसानों का आज गला घोट कर सरकार टैक्स वसूल कर रही है। उसके लिये कोई कानून और कायदा उन पर लागू नहीं होता है और जब सच्चाई आती है तो मंत्री लोग खडे हो जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमें सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आज जिस तरह के हालात गरीब और किसान के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा ..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, किस विषय पर बोल रहे हैं यह। उपाध्यक्ष महोदय, सदन में एक लिमिटेड स्कोप है। लिमिटेड स्कोप में आपने अनुमति प्रदान की है और उसका बेजा फायदा माननीय सदस्य उठायेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, यह नई परम्परा हो जायेगी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय मंत्री बोलते हैं तो मैं कभी खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं मेरी बात एक मिनट में

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

कन्क्लूड कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कोई बात नहीं हुई, जब मर्जी आये तब खड़े हो जाते हैं बीच में। उपाध्यक्ष महोदय, यह आसन का उल्लंघन हो रहा है, आसन का खुला उल्लंघन हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, आप मुझे एक मिनट की अनुमति देवें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया है इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं कनक्लूड कर रहा हूं। हां, मैं सब्जेक्ट पर बोल रहा हूं। आज इस अकाल की स्थिति को देखते हुए हमारे प्रधान मंत्रीजी ने राष्ट्रीय गारंटी ग्रामीण रोजगार योजना लागू की और उसके माध्यम से आज हिन्दुस्तान विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिससे गरीब को अब कोई बेचारा या कोई दया करने की जरूरत नहीं है। उसको रोजगार का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली में प्रतिमाह दर्जनों देश इस योजना को देखने के लिये आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): ... (व्यवधान) पाली जिले में मात्र पाली से आने वाले जो विधायक हैं उनके 12 गांव हैं उसके अलावा पाली जिले में कहीं अकाल का है ही नहीं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, वह तो गलत गिरदावरी कराई गई, इंस्ट्रक्शन दिये गये सरकार के द्वारा। जीरा पूरा नष्ट हो गया, ईसबग़ोल पूरा नष्ट हो गया। इस तरह की भ्रमित करने की बात हाउस में होती है तो किसान के लिये, गरीब के लिये, मजदूर के लिये हम आवाज नहीं उठायेंगे, हम हमारा कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे तो कौन करेगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आपने अपना पाइंट रख दिया है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अंत में आपसे इतना ही अनुरोध है कि उन गरीब लोगों से जो एक तरफ तो इस तरह की अनियमितताएं हो रही हैं और दूसरी तरफ जो गरीब अपनी रोजी रोटी के लिये.. (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही अनुरोध करना चाहूंगा आपके

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

विधान सभा क्षेत्र से जो मिट्टी के वर्तन में मटकी बनाई जाती है आज उस मटकी की कितनी डिमांड है। आज बाड़मेर जिले की मोगलसर की मटकी की कितनी डिमांड है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आपकी बात आ गई उसमें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय अभी खड़े होकर घोषणा करें, मंत्रीजी ने वायदा किया था पिछली बार जब इनका डेलीगेशन आया उनसे मंत्री जी ने और सरकार ने वायदा किया था कि हम इस टैक्स को माफ करेंगे और आपको अनुदान देने की बात करेंगे। न तो टैक्स माफ हुआ, अनुदान तो बहुत दूर की बात है। मैं चाहूंगा मंत्री महोदय अभी जवाब दें कि उन गरीब लोगों की जो अपनी रोजी रोटी के लिये तालाब खोद कर ईट बनाते हैं उनके लिये आप क्या करने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: कह दिया आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आपके दिये हुए दो मिनट का बेजा दुरुपयोग किया उस पर तो मैं नहीं बोलूंगा लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं राज्य में रुपये 50 प्रति हजार ईंट की दर से वसूल किये जाते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं के उपयोग के लिये यदि ईट बनाई जाती है तो उस पर कोई कर दायित्व नहीं है, किसी भी प्रकार का कर दायित्व नहीं है। ईट पर कर संग्रहण ठेके से भी किया जाता है लेकिन जो स्वयं द्वारा बना कर स्वयं के उपयोग में लेने पर ठेकेदार वसूल करता है तो वह गलत है। इसी प्रकार गारा मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं वह सभी टैक्सों से मुक्त हैं। इनका जो प्रस्ताव था वह प्रस्ताव केवल यहां तक सीमित था कि गांव में जो आदमी है वह अपने काम के लिये, घरेलू उपयोग के लिये ईट बनाता है उन पर टैक्स लगाते हैं। मैंने स्पष्ट निवेदन कर दिया कि जो अपने घरेलू काम के लिये, घरेलू उपयोग के लिये किसान जो भी ईट बनाता है उन पर किसी भी प्रकार टैक्स नहीं है। लेकिन ठेकेदार जो ईट बनाता है उसमें प्रति एक हजार ईट पर 50 रुपये उनसे टैक्स का लिया जाता है। जो व्यापार करता है उनसे और मिट्टी से बनने वाले सारे बर्तन जो प्रजापत या कुम्हार लोग बनाते हैं वह सारे टैक्स से मुक्त हैं। उन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं है। इसके अलावा इन्होंने जो तुलना करने की कोशिश की है, किसी बिल्डर का नाम लेकर इसका इससे कोई

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सम्बन्ध नहीं है। कोई भी बिल्डर ईट खरीद कर लायेगा तो उसको तो टैक्स चुकाना ही पड़ेगा, उसको किसी भी हालत में हम टैक्स से मुक्त नहीं कर सकते। किसान अपने काम के लिये या ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में कोई भी आदमी अपने स्वयं के काम के लिये ईट बना कर लायेगा तो उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं है।

श्री उपाध्यक्षः श्री संयम लोढ़ा।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय मैं इतना ही चाहूंगा कि राजस्व विभाग को आप निर्देश दे दें कि उनको परेशान नहीं करे।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य कह दिया आपने कि घरेलू काम के लिये नहीं होगा।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): टैक्स का तो आपने बताया लेकिन राजस्व विभाग परेशान कर रहा है उनको। मेरे विधान सभा क्षेत्र और जिले की बात निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्षः आप किसी की शिकायत करना उस पर कार्यवाही होगी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय राजस्व मंत्रीजी आप उनको इंस्ट्रक्शन दे दें जिस तरह आपने गिरदावरी के इंस्ट्रक्शन दिये।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य कोई वसूल करता है तो उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। (व्यवधान) जवाब आ गया कोई टैक्स नहीं लगा हुआ।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): वह आगे बोल रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आगे बोल रहे हैं उसका जवाब नहीं है।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): वह तो आपको हैड लाइन दी है, उसका दर्द यह है कि...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आगे जो बोल रहे हैं उसका जवाब दूसरे पाइंट से लेकर आओ तो उसका जवाब भी मिल जायेगा।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): हम टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, राजस्व विभाग वाले उसको खोदने नहीं देते, आपका तालाब बन रहा है और

(श्री रामचन्द्र सराधना)

उसकी ईट बन रही है आपको क्या तकलीफ हो रही है उसमें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य जो सूचना है वह आपको दे दी गई है।

स्वतंत्रता सेनानी मगाराम जाट का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथडाउ (जिला जोधपुर) से हटाने बाबत

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, देश के स्वाधीन होने से पहले हमारा प्रदेश और देश की जनता दोहरी गुलामी की शिकार थी। एक तो अंग्रेजों की जालिम हुकूमत आम अवाम का भयंकर शोषण कर रही थी और दूसरी तरफ रियासतों और रजवाड़ों की मार आम जनता को झेलनी पड़ रही थी। उस दौर में स्वयं प्रस्फुटित अनेका अनेक आंदोलन हुए और आवोअवाम को शोषण के उस दुष्चक्र से बचाने के लिये हमारे महान स्वाधीनता सेनानियों ने अमूल्य योगदान किया। उपाध्यक्ष महोदय, चाहे हिंसा के विचार पर चले आंदोलन हो और चाहे अहिंसा के विचार पर चले स्वाधीनता आंदोलन हो। उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी की रहनुमाई में सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो और अनेक संघर्षों के ज़रिये हिन्दुस्तान की आवोअवाम को संगठित किया गया, जागृत किया गया जिससे कि अंग्रेजों की जालिम हुकूमत को यहां से भगाया जा सके। आज मैं आपकी आज्ञा से ऐसे ही महान स्वाधीनता सेनानी का एक प्रसंग लेकर भारी हृदय के साथ इस सदन में खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर जिले के महान स्वाधीनता सेनानी मगाराम जी जाट जिन्होंने उस दौर में आवोअवाम के लिये अपना जीवन समर्पित किया। उपाध्यक्ष महोदय, वह आजाद हिन्द फौज के सिपाही थे और उस जालिम दौर में दो बार वह जेल भी गये। ऐसे ही महान स्वाधीनता सेनानियों की वजह से हमारा मुल्क आजाद हुआ, प्रजातंत्र की स्थापना हुई। नागरिक अधिकार हमको उपयोग करने को मिले। हमारे जैसे साधारण लोगों को इन सर्वोच्च सदन में बैठने का अवसर मिला। आम प्रजा को हर क्षेत्र में तरक्की का अवसर मिला तो हमारे अंग्रेज नेताओं ने यह सोचा कि ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना सर्वस्व हम सब को अंग्रेजों की जालिम हुकुमत से मुक्त करने के लिए कुर्बान किया है, समर्पित किया है ऐसे स्वाधानीता सेनानियों की स्मृति को अक्षुण रखा जाए। इसी प्रसंग में उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने पत्रांक ब 4/38

(श्री संयम लोढ़ा)

सामान्य प्रशासन /01 /2000/ जयपुर/ दिनांक 27.09.2001 के जरिये राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय नाथडाउ जिला जौधपुर का नामकरण आजाद हिन्द फौज के उस महान सेनानी मगारामजी जाट के नाम पर किया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बेहद पीड़ा है मुझे कि आज यह सरकार उस महान स्वाधीनता सेनानी की स्मृति में किये हुए उस पावन कार्य को नष्ट करने पर तुली हुई है। उस महान स्वाधीनता सेनानी के परिवार को ही नहीं जोधपुर जिले के तमाम कृषक समाज को एक वेदना हो रही है। उस विद्यालय के प्रधानाचार्य ने स्वाधीनता सेनानी मगारामजी जाट की पत्नि किस्मी देवी को इसी महीने 9 मार्च, 2008 के अपने पत्र क्रमांक 643 के जरिये सूचित किया है कि अब उस उच्च माध्यमिक विद्यालय मगारामजी के नाम पर नहीं है। इतना ही नहीं मैंने टेबल किये हैं सारे कागज, फोटो टेबल किया है पहले ही, स्कूल की मोहर के अंदर जो नाम लिखा हुआ था मग्गराम जी का, श्री मगाराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उस मोहर को भी बदल दिया गया है और स्वाधीनता सेनानी मग्गारामजी का नाम वहां से हटा दिया गया है। स्कूल में जिस बोर्ड के ऊपर, मैंने आपको फोटो टेबल किया है, मगारामजी का नाम स्कूल के बोर्ड पर बाहर लिखा हुआ था वह नाम भी हटा दिया गया है और अब मात्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाम लिखा गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से बहुत विनम्र शब्दों में प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उन महान स्वाधीनता सैनानियों का जिन्होंने आज के इस लोकतांत्रिक वातावरण में जीने का हमको अवसर दिया है लेकिन राजस्थान की सरकार बजाए उन स्वाधीनता सेनानियों का सम्मान करने के उनके नाम हटाने जैसा दुष्कृत्य कर रही है जिससे न केवल उनके परिवार बल्कि राजस्थान की पूरी आवोअवाम आहत है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं आप राजस्थान दिवस पर कार्यक्रम करते हैं, महामहिम उपराष्ट्रपति तत्कालीन अब्दुल कलाम आजाद के वक्त भी झांकियों का आयोजन किया। सारी झांकियों के अंदर एक भी झांकी स्वाधीनता संग्राम पर नहीं थी, पूरी झांकियों के अंदर कहीं किसी स्वतंत्रता सेनानी का उल्लेख नहीं

(श्री संयम लोढ़ा)

था। यह ठीक है कि आपकी पार्टी में कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं था, आपकी पार्टी का स्वाधीनता संग्राम में कोई योगदान नहीं है लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आपको राज मिला तो स्वाधीनता सैनानियों का अपमान करने का आपको अधिकार मिल गया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय जिस प्रधानाचार्य ने यह दुष्कृत्य किया है सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही की घोषणा करे। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कहा है कि पार्टी के लोगों का किसी का स्वतंत्रता, इसमें कहीं पर भी कोई रोल नहीं है। (व्यवधान) इस बात को एक्सपंज किया जाए। हमारी पार्टी के संस्थापक श्यामा (व्यवधान) प्रसाद स्वतंत्रता सेनानी थे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह तो हिस्टोरिकल फैसला है इसमें कोई विवाद नहीं है। (व्यवधान) नहीं यह ऐतिहासिक....

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): आप कैसे कह रहे हो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह तो प्रमाणित सत्य है हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं यह। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): यह तो राष्ट्रवाद का विषय है वह तो अभी सामने आ जाएगी बात। (व्यवधान) आप कैसे थोथी चीजों को लेकर घूमते हैं सामने आ जाएगी बात।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार....

श्री उपाध्यक्ष: आ गई बात आपकी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार जो भी अपना वक्तव्य है उसकी घोषणा करें और जिस प्रिंसिपल ने स्वाधीनता सेनानी का अपमान करने का दुष्कृत्य किया है उसके खिलाफ कार्यवाही की घोषणा करें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सदस्य, इस सरकार ने...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको मैंने परमीशन नहीं दी, आपका कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका कुछ भी अंकित नहीं होगा, मैंने परमीशन नहीं दी आपको बोलने की।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य बैठ जाइये आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ने कह दी अपनी बात।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री उपाध्यक्ष:माननीय सदस्य, बैठिये, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री उपाध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका कुछ अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री उपाध्यक्ष: स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने की किसी की इच्छा नहीं है, बैठिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अचानक क्या हो गया इनको। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका कुछ अंकित नहीं हो रहा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सदन का समय जाया कर रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आपको किसने परमीशन दी है, कुछ भी अंकित नहीं होगा आपका।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठ जाइये आप, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या बात है यह। (व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि मगारामजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और कलक्टर की अनुशंसा पर इनको राज्य स्तरीय स्वतंत्रता सेनानी समिति से अनुमोदन होने पर 17.08.2000 को इस राजकीय उच्च माध्यमिक नाथडाउ का नामकरण उनके नाम से किया गया

श्री उपाध्यक्ष: किया?

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): किया गया 2001 में, इस स्कूल का नाम। कुछ समय पश्चात से ही जनप्रतिनिधियों ने और ग्रामवासियों ने यह शिकायत की कि मगारामजी स्वतंत्रता सेनानी तो हैं लेकिन जिस गांव में यह माध्यमिक विद्यालय स्थित है वहां के कभी यह निवासी नहीं रहे। रिकार्ड के हिसाब से, पुराना जो रिकार्ड बनाया, सरपंच ने जो रिकार्ड दिया उसके हिसाब से उसके राशन कार्ड और यह सब उस पंचायत के बताए गए हैं लेकिन इसकी जब शिकायत की गई तो कलक्टर ने जांच कराई और जांच में यह तथ्य पाया गया कि पुरानी, उस समय की तत्कालीन सरपंच थी उसने भी, यह दिया गया कि मेरे से असत्य तोर पर यह, धोखे से, अनपढ़ होने का फायदा उठाकर विश्वासघात कर मेरे से हस्ताक्षर करवाये गये, इस प्रकार की शिकायत आई। वर्तमान सरपंच ने ग्रामवासियों ने, उप सरपंच ने, जिला परिषद के सदस्यों ने भी यह दिया कि यह कभी इस गांव के नहीं रहे। कलक्टर की जांच में भी यह रिपोर्ट आई है कि यह उस समय भी उस गांव में नहीं रहे। यह मूलतः गोपालपुरा राजस्व ग्राम के मूल निवासी हैं और वर्तमान में भी उनका परिवार सिरमण्डी औंसिया तहसील में निवास कर रहा है। इसके

(श्री रामकिशोर मीणा)

आधार पर इस प्रकार की बात हमारी समिति के सामने आई 18 तारीख को, मंत्रिमण्डलीय उप समिति, इसकी मीटिंग थी और उसे इस प्रकार की विरोधाभास बातें आने पर इस मामले को पूरी जांच करने के बाद में आगे मीटिंग में रखा जाएगा और इस मामले को स्थगित रखा गया है। अभी तक उनके नाम से नामकरण इस विद्यालय का है और इसकी जांच में जो आयेगा... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक मिनिट मंत्रीजी (व्यवधान) एक मिनिट त्रिवेदी साहब।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्री महोदय, मेरे पास उपाध्यक्ष महोदय, 1954 की निर्वाचन नामावली...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मामला विचाराधीन है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप सुनिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मामला विचाराधीन है फिर क्या सुनें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): विचाराधीन, फिर यह प्रिंसिपल ने चिट्ठी जारी कैसे कर दी। (व्यवधान) मैंने टेबल की है, मैंने लैटर टेबल किया, (व्यवधान) प्रिंसिपल ने चिट्ठी जारी कर दी...

श्री उपाध्यक्ष: कमेटी के सामने आ गया।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): डाक्यूमेंट बता रहे हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वोटर लिस्ट में नाम पड़ा हुआ है फिर क्या प्रूफ चाहिए (व्यवधान) हटाने का आदेश कर दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई शिकायत हुई है उसकी जांच हो रही है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नाम कैसे हट गया फिर।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दोनों चिट्ठी टेबल की हैं। एक वह जिसमें मगारामजी का नाम स्कूल में चल रहा है, दूसरी वह चिट्ठी जिसमें मगारामजी का नाम हटा दिया गया और तीसरा स्कूल का फोटो जिसमें मगारामजी का नाम बोर्ड से हटा दिया गया जिस प्रिंसिपल ने (व्यवधान) राज्य सरकार का आदेश नहीं होने के बाद भी।

(श्री संयम लोढ़ा)

श्री उपाध्यक्ष: विचाराधीन है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह दुष्कृत्य किया है सरकार उसको सस्पैंड करे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विचाराधीन है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): स्वतंत्रता सेनानी का अपमान जिस प्रिंसिपल ने किया है सबसे पहले तो आप उसको सस्पैण्ड करिये इस हाउस के अन्दर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपको राज मिला इसका मतलब यह नहीं देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाले लोगों का आप अपमान करते फिरें और उनकी पत्नी को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कहा, स्वयं ने कि अभी तक सरकार ने फैसला नहीं किया है। आपने खुद ने कहा है। इसका मतलब आज दिन तक उनका नाम होना चाहिए।

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): हां।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): तो वह नाम क्यों हटाया प्रिंसिपल ने। यह इश्यू है। जब आप खुद, सरकार मान रही है कि अभी सरकार ने फैसला नहीं किया है तो अभी तक उस स्कूल का नाम वहां होना चाहिए। फिर प्रिंसिपल ने नाम कैसे हटाया, यह मुद्दा है। (व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): यह अभी 18 मार्च को उप समिति की बैठक हुई थी। (व्यवधान) इसमें मतलब (व्यवधान) बैठ जाइये, आप बैठ जाइये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्री महोदय, वह बैठक करें, आपका अधिकार है, वह बैठक का कम्युनिकेशन तो प्रिंसिपल को नहीं हुआ है। और प्रिंसिपल ने बिना उसके कैसे हटा दिया।

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): इस बात का जो तथ्य है कि उनका नाम हटा दिया गया है, इस प्रकार का मामला अभी आया है। मैं इसकी विस्तृत जांच कराता हूं और जांच करने के बाद में जो स्थिति आयेगी, उसकी स्पष्ट आ जायेगी। उसमें कोई किसी प्रकार की स्वतंत्रता

(श्री रामकिशेर मीणा)

सेनानियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्रीजी, मंत्रीजी, आपने बताया कि आज दिन तक सरकार ने उपसमिति की मीटिंग में कोई फैसला नहीं किया है, उसके पहले यदि प्रिंसिपल ने नाम हटाया है और वह मखौल बनाकर यह काम कर रहा है तो क्या उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): नहीं, इसकी मैं जांच करा लेता हूं। पूरी जांच करने के बाद में जो स्थिति आती है तो उसके आधार पर करेंगे कार्यवाही। (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): वह पहले ही नाम हटा दिया, उसका क्या करेंगे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, टेबल कर दिया, आफिशियल डाकूमेंट टेबल कर दिये जिसमें नाम हटाया, मोहर से हटाया, स्कूल से हटाया, गेट से हटाया। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): फोटो आपके यहां रख दिया, आदेश आपके यहां रख दिये फिर क्यों नहीं कराएंगे। (व्यवधान) आप ऐसे प्रिंसिपल को सस्पेंड करिये जिसने यह हिम्मत की कि राज्य सरकार के आदेश के बगैर स्वतंत्रता सेनानी का फोटो हटाया है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): यह सरकार पहल करके निर्णय ले। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आज ही पर्ची पर, माननीय सदस्य आज ही पर्ची पर यह चीज आई है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पर्ची पर नहीं। स्थगन प्रस्ताव पर है। सारे डाकूमेंट आपके सामने पड़े हुए हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हां स्थगन प्रस्ताव पर आया है और जवाब.. (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और एक स्वाधीनता सेनानी के अपमान पर अगर यह सदन आंखें मूंदकर बैठा रहेगा तो आने वाले समय में राजस्थान की जनता हम में से किसी को माफ नहीं करेगी, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कमेटी के द्वारा विचार हो रहा है, अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): विचार नहीं, कार्यवाही होनी चाहिए। प्रिंसिपल ने कैसे कर दिया यह। (व्यवधान) विचार क्या हो रहा है। किसका विचार हो रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई शिकायत हो गई, उसकी जांच हो रही है। (व्यवधान) ऐसी कौनसी बात हो गई इसकी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह इश्यू नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जांच नहीं हो रही है। अभी तक कमेटी ने (व्यवधान) आप सुनिये एक मिनट, सुनिये पहले, आप फैसला क्या कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपने निर्वाचन वोटर लिस्ट की बात की है तो वोटर लिस्ट में नाम...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 1954 की लिस्ट है।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): आप मेरी बात सुनिये। मनमोहनसिंह जी, देश के प्रधानमंत्री... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): एक मिनट, डाक्टर साहब, डाक्टर साहब। यह मुद्दा ही नहीं है। (व्यवधान) अभी तक सरकार ने...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरे पास 12 डाक्यूमेंट हैं 12, वह नाथडाउ के निवासी थे, 12 डाक्यूमेंट हैं। मैं टेबल कर सकता हूं।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मनमोहनसिंहजी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका कौनसी वोटर लिस्ट में नाम है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): वह मेरे घर में है लिस्ट, बता दूंगा मैं। आप बैठो एक मिनट। (व्यवधान) अभी तक मंत्रीजी ने... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): एक मिनट, एक मिनट, संयमजी, रुक जाओ। माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी, आप सुनिये, यह कह रहे हैं कि अभी तक जी.ए.डी. डिपार्टमेंट ने फैसला नहीं किया है।

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): हां।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम यह पूछ रहे हैं कि जब फैसला नहीं किया अभी तक तो उसके पहले यह प्रिंसिपल ने नाम हटाने का दु:साहस कैसे किया, यह जांच करवाकर कार्यवाही करेंगे क्या। आप खड़े होकर बोल दें।

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): हां, मैं जांच कर रहा हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जांच नहीं, जांच करवाकर...

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): जांच कराने के बाद में, अभी तक हमने नाम नहीं हटाया है, उनके नाम से नामकरण है। और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने का दायित्व सरकार का है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): और प्रिंसिपल ने हटाया है तो कार्यवाही करेंगे आप?

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): विरोध केवल स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के बारे में कहीं नहीं रहा। केवल विरोध इस बात का है कि जिस गांव में इनको इनके नाम से नामकरण किया गया है, उसके आधार पर विरोध आया है। पहले यह हुआ है, उस पंचायत में भी, रजिस्टर में नाम दर्ज है। विरोध आने के बाद में कलक्टर के यहां से पहले के जो तत्कालीन सरपंच ने जो दिया था, उसका राशन कार्ड में नाम लिख दिया था उसके बारे में उन्होंने कहा कि मेरे से गलत तरीके से उसमें दस्तख्त करा लिये थे, उसमें जांच हो गई। उसमें अभी तक हमारे रिकार्ड में वह स्वतंत्रता सेनानी के नाम से स्कूल है और उसमें यदि निर्णय होने से पहले कोई किसी ने कराया है तो उसकी जांच कराकर जो दोषी होगा तो उसको दण्डित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है। श्री जीतराम। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): शिक्षाकर्मी को छह हजार और स्वतंत्रता सेनानी को ढाई हजार। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब क्या बीच में इश्यू उठा रहे हैं आप, माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): स्वतंत्रता सेनानी को ढाई हजार और... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, तो इसमें तकलीफ क्या हो गई। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, यह स्वतंत्रता सेनानी के नाम से सैकण्डरी स्कूल का नाम किया गया, यह कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: सैकण्डरी तो अब क्रमोन्नत हुआ है यह, पहले नहीं था।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं निवेदन करुं, एक मिनट। यह नाम किया गया और अब यह शिकायत आई, जन-प्रतिनिधियों ने एतराज किया। क्या इस प्रकार से महापुरुषों के नाम से स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से जगह-जगह स्कूल हैं, भवन हैं, दूसरे हैं वह, सारे अगर वहां के जन-प्रतिनिधि या वहां की जनता विरोध करेगी, कोई शिकायत करेंगे, उन सब के नाम बदलने का काम आप कर देंगे क्या। जब ऐसा नहीं कर सकते हैं, आज दीनदयालजी कहां के रहने वाले थे। उनके नाम से कहां-कहां संस्थाएं चल रही हैं। तो इस तरह से गुरु गोलवलकर के नाम से, इन्दिराजी के नाम से, नेहरूजी के नाम से, तो इस तरह से जो आपने बात कही, शिकायत की। शिकायत अब सब तो मेवे के लिये भी राज़ी नहीं होते। अब सब खुश होना क्या जरुरी है। उस गांव में भी कोई उनके भी ऐसे विरोध हो सकता है, जो यह चाहते हैं कि यह नाम हटे। लेकिन वह स्वतंत्रता सेनानी हैं। सवाल यह नहीं है कि वह चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। जब सरकार ने एक बार नामकरण उनके नाम से कर दिया तो फिर उसके बाद में नाम हटाने का तो कोई औचित्य ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। फिर आप इस तरह की एक शिकायत आ जाए और उसको लेकर मंत्रिमण्डलीय उप समिति में, मंत्रिमण्डलीय उप समिति में भी फैसला नहीं हो, उससे पहले ही हटा दिया। (व्यवधान) पहले ही नाम हटा दिया, इसका मतलब यह है कि आपकी मंशा ठीक नहीं है।

अब मंत्रिमण्डलीय उप समिति में ही आप कहीं गलत फैसला नहीं करें, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से, जिन्होंने देश की आजादी दिलाने के लिये अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपनी जिन्दगी कुर्बान कर दी अब उस परिवार को कितना कष्ट होगा। स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अगर ऐसा व्यवहार आप करते हो तो यह ठीक नहीं है। आप इस उप समिति का नाम लेकर ऐसा कृत्य नहीं करें।

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय आपने जो मामला उठाया है, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान कोई एक दल विशष से नहीं है। पूरा देश उनका सम्मान करता है और उनको सम्मान देने के लिये ही विद्यालयों के नाम या भवनों के नाम इस प्रकार करने

(श्री रामकिशेर मीणा)

की एक परम्परा रही है और उसी के तहत सारे नाम होते हैं। इनमें मगारामजी के नाम से यह विद्यालय का नामकरण किया गया, उसका समिति के द्वारा निर्णय किया गया। बाद में शिकायत आने पर जांच की गई। जांच रिपोर्ट भी आई है और 18 मार्च को इसकी पहले से तयशुदा मीटिंग थी, उसमें यह मामला आया। परन्तु इसमें विरोधाभास था इस कारण से इस मामले पर निर्णय नहीं किया गया। इसको आगे के लिये बढ़ाया कि विस्तृत जांच करके और इसमें जो भी मामला आयेगा उसमें सम्मान देने के बारे में किसी को शिकायत नहीं है। शिकायत यह है कि जिस गांव के वे निवासी नहीं हैं, उनका नामकरण राशन कार्ड में और उस गांव में नाम लिखाया गया, वह उस गांव के कभी निवासी नहीं रहे, इसके बारे में विवाद है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह 14 डाक्यूमेंट हैं मेरे पास, 14 डाक्यूमेंट।

श्री उपाध्यक्ष: उन डाक्यूमेंट की जांच... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, एस.डी.एम. के द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र, निर्वाचन पत्रावली, जिला मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट...

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मतदाता सूची में नाम है जो आपने उसके गांव का नाम... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जांच हो रही है। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): दीनदयाल उपाध्याय कौन से गांव के मतदाता हैं, क्या आपने प्रमाणित करके नाम लिखा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बी.डी.ओ. का लैटर है। (व्यवधान) उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, 14 डाक्यूमेंट हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: स्टेट की हाई कमेटी ने... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): उसमें उसके गांव का होना जरुरी है क्या। (व्यवधान) फिर दीनदयाल उपाध्याय की भी क्या जांच कराकर नाम सही रखेंगे। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाबूसिंहजी राठौड़, उस गांव में रहते हैं। (व्यवधान) उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है एक जाट के नाम पर स्कूल का नाम कर देना और उन्होंने शिकायत की है यह। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कौनसी मतदाता सूची में नाम था, कौन से गांव के रहने वाले थे, यह तो बताओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, जांच, स्टेट लेवल कमेटी जांच कर रही है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): भारतीय जनता पार्टी के विधायक शेरगढ़ के, वह इस गांव के रहने वाले हैं। उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि एक किसान का नाम एक स्कूल पर लग गया। उन्होंने एक शिकायत करके प्रिंसिपल को दबा करके यह नाम चेंज करवाया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, यह कमेटी के सामने रख देना एतराज, अब माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अगर स्वतंत्रता सेनानी के साथ इस तरीके से होगा तो.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई डिसीजन होगा, माननीय सदस्य, अभी यहां तय थोड़े ही हो रहा है। कमेटी तय करेगी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपके सामने कागज पड़ा है। आपके सामने कागज पड़ा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कमेटी के अन्दर, कमेटी में (व्यवधान) हम कौन-कौन से मसले यहां पर तय करेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं कह दूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक मिनट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बिलकुल सही-सही बात कह दी कि स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने के लिये हम सब लोग पक्षधर हैं और यह नाम क्यों हटा। राज्य स्तर की कमेटी में क्यों गया, इस पर विस्तृत जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: फिर वही बात। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक मिनट, एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर कोई प्रमाण हैं, कोई तथ्य हैं तो मंत्री महोदय को दे देंगे, जांच के अन्दर वह भी सम्मिलित हो जाएगा और इसमें कोई मंशा नहीं है किसी की। इसलिये यह कुछ विषय ऐसे हैं जो सब के लिये, मैं कह दूं इसको बिना मतलब आगे सनसनीखेज बनाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जांच कराएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कराएंगे, जांच कराएंगे, पूरी।

श्री उपाध्यक्ष: आपने कह दिया, माननीय सदस्य, आपने कह दिया।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं, आप जो बात कह रहे हो, मैं उससे अलग। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे खुद का गांव जिसका नाम, राजस्व गांव है बायतू भीमजी। बाड़मेर जिले में बायतू भीमजी मेरे गांव का नाम है। उस गांव का चयन दीनदयाल आदर्श गांव और उसमें जो भी विशेष कार्य करवाते जा रहे हैं उसमें 10 प्रतिशत जन सहयोग रखा है। वह 10 प्रतिशत जन सहयोग मैंने दिया है मेरी स्वयं की जेब से, पाकेट से और दीनदयाल आदर्श गांव के नाम से हम योजना चला रहे हैं। अब दीनदयाल जी हमारे वहां बायतू भीमजी में कब पैदा हुए? वहां के कहां रहने वाले हैं? तो जब दीनदयालजी आदर्श ... (व्यवधान) एक आदर्श पुरूष, एक महापुरूष के नाम से अगर कोई योजना है उसका विरोध नहीं करना चाहिये। हमने विरोध नहीं किया। हमने जन सहयोग दिया है और आप कह रहे हो कि वह वहां के रहने वाले नहीं हैं, जबकि हैं। वह इतने डाकूमेंट पेश कर रहे हैं। फिर भी अगर नहीं है तो उसमें आपत्ति की बात कहां है? विरोध किस बात का? विरोध करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर इस प्रकार जो विरोध कर रहे हैं और जो नाम हटाने की कार्यवाही, जिन्होंने कुत्सित कृत्य किया है उनको आप दंडित करें जिससे कि ऐसा दुस्साहस नहीं करें भविष्य में ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सारे डाकूमेंट दे दिये। सारे कागज पेश कर दिये। फिर भी ... (व्यवधान) मैं धरने पर बैठता हूं। (व्यवधान)

धरना

(श्री संयम लोढ़ा, सदस्य, विधान सभा का सदन कूप में धरना)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): प्रमाण एक बार पेश करने के बाद में प्रमाण भी ठीक है कि नहीं वह भी तो करना चाहिये ना। प्रमाण जो प्रस्तुत किये हैं वह भी सही हैं कि नहीं यह भी तो जांच का विषय हो सकता है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय मंत्रीजी, ऐसा करें आप टेलीफोन से डी एफ ओ से पता लगा लें जोधपुर से यह सत्य है कि नहीं। यदि प्रिंसीपल ने नाम हटाया है तो आप वह कार्यवाही करिये। इसमें क्या तकलीफ है आपको ... (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): हो जायेगी जांच। आप कहां इतना क्षणिक क्यों करते हो किसी भी काम को ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा गलत काम किसी ने किया है, जिसने स्वतन्त्रता सेनानी की आत्मा को ठेस पहुंचायी है ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपका ही डाक्यूमेंट लेकर आये हैं वह। नाम जो हटाया वह तो खुद ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सरकार यदि स्वतन्त्रता सेनानी का सम्मान करना चाहती है तो जिसने कृत्य किया है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये। तत्काल एक्शन लेना चाहिये ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): मैं निवेदन यूं कर रहा था कल्ला साहब ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मंत्रीजी, बिराजो आप ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अभी भी राठौड़ साहब, इसमें दस दिन का क्या है? आज माननीय मंत्रीजी ... (व्यवधान) इसमें क्या तकलीफ है आपको? आप फोन कर लो, घंटे भर में पता लगा लें कि उस प्रिंसीपल ने बिना सरकार की आज्ञा के यदि हटा दिया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। इसमें क्या तकलीफ है? इसमें क्या प्राब्लम है? इसमें क्या जवाब कर रहे हैं कि ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आज तक इस सदन के अन्दर ... (व्यवधान) यह क्या हो रहा है। मतलब सदन की कहीं परम्परा बचेगी क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आप यहां आ जाओ। यहां आ जाओ माननीय सदस्य अपने आसन पर आ जाओ ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह लगता है कि प्रतिपक्ष ने सदन को +++ बना लिया है। आज तक स्थगन के माध्यम से ... (व्यवधान) एक मिनट। आज तक सदन के माध्यम से ... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): यह क्या +++ कर रहे हो ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह क्या बात हो गयी ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बात कर रहे हो, नाटक तो आप कर रहे हो ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अपनी गलती तो मानते नहीं और हमें +++ बता रहे हैं। आप अपनी गलती तो मानते नहीं ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): आपसे ज्यादा कोई नाटक कर सकता है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह क्या तरीका है ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप स्वतन्त्रता सेनानी का अपमान नहीं कर सकते। जिन्होंने हमें आजादी दिलायी है। जिनका खून पसीना बहा है, जो लोग शहीद हुए हैं देश के अन्दर, उनका अपमान सहन नहीं कर सकते हम।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): तो जांच हो जायेगी ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप इतना लाइटली मत लीजिये ... (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): खून पसीना तो सांवरकरजी ने भी बहाया था। उन्होंने क्या देखा देश आजाद होने के बाद में? वीर सांवरकरजी

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

इतना कौल्हू के बैल पर चलकर आए हैं तो क्या आपकी सरकार बनी थी उसके बाद में। खून पसीना कौन नहीं बहाता है। हमारे क्रान्तिवीरों ने बहुत सारा खून पसीना बहाया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी साफ-साफ बात है नामान्तरण की बात आयी। स्वीकार किया है सरकार ने कि स्वतन्त्रता सेनानी थे जिनका मान सम्मान हम सब करते हैं। अब उनका नाम किस घटनाचक्र में हटा? हटा कि नहीं हटा? इसके लिये जब साफ यह कह दिया कि इसकी तत्काल जांच करवायेंगे और जांच में तथ्यों के आधार पर यह आयेगा नाम गलत हटाया हुआ है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। उसके अलावा बचता क्या है? उसके बाद भी अब हर मामले के अन्दर कभी वैल में आना, कभी धरना करना, कभी वहीं से जोर-जोर से बोलना, इस सदन की गरिमा बनाये रखने की जिम्मेवारी तो सब की है। सत्ता पक्ष की है तो प्रतिपक्ष की भी है। अब थोड़ी देर पहले इन्होंने स्थगन के माध्यम से बात उठायी और कह रहे हैं टेलीफोन से पूछकर अभी कार्यवाही करो। तो मतलब इनके दवाब में आकर जो हमने स्वीकार कर लिया कि जांच करवा रहे हैं तो क्या इतना समय भी नहीं देंगे और सदन में कह रहे हैं जिम्मेवारी से कह रहे हैं जांच करवायेंगे। जांच में दोषी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्रीजी, यह इश्यु नहीं है ... (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हो गया ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आज दुनिया बहुत छोटी हो गयी है। आप कन्फर्म कर लीजिये हटाया कि नहीं हटाया। इसमें क्या तकलीफ है? आप जांच किसकी कर रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): एक सैकिण्ड, जोशीजी ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): और उसमें जांच में तथ्य यह होना चाहिये कि फ्रीडम फाइटर का जो नाम रखा है इसमें भी प्री-रिक्वीजिट थी कि

(डा. सी. पी. जोशी)

यहां का निवासी होना चाहिये तो समझ में आता है जिस बात में भी थी कंडीशन ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह सारी बात जांच में आ जायेगी ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, जांच में कहां आयेगी। आप नाम हटाने की कार्यवाही भी कर रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं। एक माननीय सदस्य तथ्य रख रहे हैं। उसकी कापी मैंने रखी है। प्रिंसीपल के साइन हैं ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके श्रीमुख से कोई बात निकले, यह सदन माध्यम बन गया, इसका मतलब यह हो गया ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बड़ी अजीब बात हो गयी सदन के एक माननीय सदस्य एक डाक्यूमेंट रख रहे हैं। प्रिंसीपल के साइन हैं। उसकी जांच हो गयी। स्कूल में फोटो दे रखी है उसके बाद क्या रहता है? आप कन्फर्म नहीं कर सकते? (व्यवधान) आपकी सरकार की समझ में नहीं आता है अपनी गलती को मानने की बनिस्पत हम कह रहे हैं दो घंटे में आप टेलीफोन करके पता लगा लें। फैक्स से सूचना मंगा लें कि सब तथ्य सही हैं कि नहीं है। यह काम भी कर दीजिये आप यदि ... (व्यवधान) आपकी चलेगी क्या ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने सहृदयता का परिचय देकर इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह सहृदयता नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सरकार पूरी आकर्षित हो गयी और हमने कह दिया अगर इसमें कमी खामी रही जांच करवायेंगे। जांच में जिसके खिलाफ कार्यवाही बनती है ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जांच कब की? फिर छोड़िये। फिर आता है जांच कब की? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कार्यवाही करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन का समय जाया करना ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सरकार का एक अधिकारी सरकार के नियम नहीं माने यह सहृदयता हुई है। यह सरकार चल कैसे रही है? एक सरकार के अधिकारी की हिम्मत हो गयी बिना सरकार के फैसला कर ले इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सरकारी अधिकारी बिना सरकार के फैंसले के फैंसला कर ले इससे सरकार कमतर हो नहीं सकती। इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा कोई हो नहीं सकता। सरकार को मालूम ही नहीं कब हटाया। यह तो सरकार की बड़ी अजीब स्थिति है। आपको तत्काल कहना चाहिये। अधिकारी को सूचना जाए कि सरकार के निर्णय के पहले यदि अधिकारी कोई सुओमोटो फैंसला करता है ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। यह आपकी गवर्नेंस है? आप गवर्नेंस की बातें करना चाहते हैं। यह बातें हैं वहां पर आपको पता नहीं है ... (व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक जांच संयम लोढ़ा की भी हो कि इनके भी क्या हो रहा है। यह भी ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह सरकार भी कितनी सावधान है कि राजस्थान की सरकार ऐसे चल रही है कि उनके अधिकारी बिना सरकार के ही फैंसला कर रहे हैं। यह तो अजीब स्थिति बनी हुई है ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका लम्बा संसदीय जीवन रहा है। आपने उधर बैठकर भी कई बार स्थगन प्रस्ताव दिये हैं। आज तक अगर कभी हुआ होगा कि स्थगन प्रस्ताव आया, स्थगन प्रस्ताव पर...(व्यवधान) एक मिनट बैठो तो सही ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): स्वतन्त्रता सेनानी का नामांकन वापस हटाना, इससे बड़ी मैं समझता हूं संवेदनशील बात हो नहीं सकती। यह साधारण बात नहीं है ... (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से नाम हटे हैं। देश के सम्माननीय हैं ... (व्यवधान) मैं भी धरने पर बैठता हूं।

(डा. श्रीगोपाल बाहेती, सदस्य, विधान सभा द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह क्या बना रखा है? यह नयी-नयी परम्पराएं चालू कर रहे हैं ... (व्यवधान) जब सरकार कह रही है वहां जांच करवायेंगे। अगर नाम हटाया है जांच करवायेंगे और नियमों के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विपरीत किसी ने नाम हटाया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): आपको तो देश की आजादी से ... (व्यवधान) इसलिये आप अपमानित करना चाहते हैं ... (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): स्वतन्त्रता सेनानी का नाम हटाया गया यह राष्ट्रीयता के लिये बहुत खतरनाक है ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तीन-तीन बड़े इम्पोर्टेंट बिल हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि यह जरूरी नहीं है स्थगन प्रस्ताव पर जवाब दें। उसके बाद भी हमने देखा कि मामला संवेदनशील है, स्वतन्त्रता सेनानी से जुड़ा हुआ है, सरकार ने जवाब दिया। मंत्रीजी ने बड़ी साफगोई से सारी घटना का जिक्र भी कर डाला। उसके बाद यह भी कह दिया इसके अन्दर क्योंकि स्वतन्त्रता सेनानी से जुड़ा हुआ ऐसा विषय है जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, हमारे सब के लिये सम्मान योग्य हैं। अगर इसके अन्दर कहीं कोई कमी खामी रही, किसी भी स्तर पर रही तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे। उसके बाद और क्या चाहते हैं? यह चाहते हैं अभी कोई हाथों-हाथ निर्णय हो जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं साक्षी हैं यहां स्थगन प्रस्ताव भी रखा करते थे। यहां पर्ची के माध्यम से भी आया करते थे और यहां लोग उठते नहीं थे। एक व्यक्ति नहीं बोला करता था। यह तो संवेदनशील सरकार है कि सरकार में मामला आया, मंत्रीजी ने उठकर जवाब दिया। इसलिये मेरा निवेदन है प्रतिपक्ष के नेता महोदय ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इसी सदन में मंत्रियों ने त्यागपत्र दिया है। शिवचरणजी माथुर ने त्याग पत्र दिया। रामपालजी उपाध्याय ने त्याग पत्र दिया है। यह सरकार गैर जिम्मेदाराना सरकार है। ईनाम देना चाहती है। अच्छा होता कि आप यह कहते ऐसे हैड मास्टर के खिलाफ एक घण्टे में हम कार्यवाही करेंगे। यह फ्रीडम फाइटर की ... (व्यवधान) का सवाल है। यह फिर भी जस्टिफाई कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता कि आपकी सरकार की संवेदनशीलता बता रहे हो आप ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या कर रहे हैं आप? जिस स्थगन पर यह कह दिया सरकार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कार्यवाही करेगी और स्वतन्त्रता सेनानी ... (व्यवधान) स्वतन्त्रता सेनानी हमारे सब के सम्माननीय हैं। उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है ... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष नहीं चाहता आज सदन की कार्यवाही चलाना ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। माननीय मंत्रीजी, सरकार की संवेदनशीलता होती, उसकी गम्भीरता को समझकर कहती कि हम कार्यवाही करेंगे और उन्होंने जो आपका विचार है ना यह विचार भी लोकतन्त्र के लिये खतरा है। यह विचार लोकतन्त्र के लिये खतरा है। हमारे लोकतन्त्र के लिये खतरा है। लोकतन्त्र में तो खड़े होकर कहना चाहिये गलती हुई है तो माफी मांगते हैं। यह लोकतन्त्र है। यह राजा के दरबार का राज नहीं कि दरबारी लोग इकट्ठे हो जायेंगे ... (व्यवधान) आपको कहना चाहिये। यह सरकार की संवेदनशीलता है? स्वतन्त्रता सेनानी के प्रति संवेदनशील है? अब कटारियाजी आप जैसा आदमी बैठा हुआ शिक्षा मंत्री रहा हुआ है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जोशीजी ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि हमारी, आपकी, सब की जिम्मेदारी है कि स्वतन्त्रता सेनानी का सम्मान बरकरार रहे। अगर कहीं भी उसमें कमी खामी है तो सुधारना भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं नहीं समझा कि जिस विषय को मान लिया, अब उसकी इतना कि तुरन्त फैसला करके सुनाओ तो ही राज़ी रहे। मैं सोचता हूं कि इतनी हठधर्मी नहीं होनी चाहिए और अब आपको इतनी जिम्मेदारी से कहा है कि स्वतंत्रता सेनानी किसी एक व्यक्ति या पार्टी का नहीं है सब का है और इस तरह से एक का अपमान होगा तो भविष्य में पता नहीं कितने अपमानित होंगे? राइट समय पर राइट व्यक्ति उसका निदान कर, गलती जिसने भी की है उसके खिलाफ कार्यवाही हो, यह आप और हम सब चाहते हैं लेकिन इसको इश्यू बनाकर हम अपने समय को अगर ऐसे ही जाया करेंगे, आप कहोगे कि अभी लाओ, हम कहेंगे नहीं लाएंगे इसी में अपना समय निकल जाएगा तो मैं समझता हूं कि उपयोगी नहीं होगा। आप इस बात को समझकर सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, जो विषय आज आ रहा है उस पर आपके हमारे कई विचार भिन्नताएं हैं, तो मैं चाहता हूं कि उस पर सही प्रकार से ऐकेडेमिक डिस्कशन हो और भविष्य में आने वाले लोग हमारी उस बात के आधार पर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

निर्णय कर सकें तो मैं निवेदन ही कर सकता हूं। मैं सोचता हूं कि इसको अधिक ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): शाम को सात बजे तक कर दें, आप इसको देख लीजिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): इसको बांधो मत आप। यह बांधने की प्रक्रिया पड़ी तो फिर हमेशा-हमेशा रोज यही लफड़े चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह बड़ी अजीब बात है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं-नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): इतना भरोसा तो करना पड़ेगा अगर हम यहां पर कोई आश्वासन देते हैं तो ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कटारियाजी, माफी चाहता हूं, आपको याद है, इसी सदन में आश्वासन दिया था और उसको करने में कितना समय लगा था। पहले ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): गृह मंत्रीजी, मैं आपको एक इंस्टेंस बताना चाहता हूं ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने जो आश्वासन दिया उस पर भी मैंने ... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): किया था हमने क्या बात कर रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने जो आश्वासन दिया उस आश्वासन की मैंने ... (व्यवधान) मैंने जो आश्वासन दिया उस आश्वासन की हाउस में ही पालना की।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कब-कब? कितने दिन बाद, कितने दिन बाद? ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह जरूरी थोड़े ही है कि एकदम ही कर दें ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): वह आपने कहा, उसके बाद कितनी बार मुख्य मंत्रीजी से एप्रोच करनी पड़ी उस एक आपके आश्वासन को एग्जिक्यूट करने के लिए कितना परसयूशन करना पड़ा? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): इसमें समय की कोई सीमा नहीं बांधें। जब तक रिपोर्ट नहीं आती, आधी-अधूरी जानकारी के आधार पर किसी के खिलाफ कार्यवाही करना कोई भी न्यायसंगत नहीं होगा। मैं सोचता हूं कि जो विषय है अपन मान रहे हैं कि अगर जहां भी चूक हुई होगी, जिसकी भी इसमें गलती होगी, इतना कह देने के बाद कोई विषय नहीं रहता है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): संयमजी मान लो, क्या बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उसके बाद भी संयमजी, आपको देना ही है धरना तो आपका क्वार्टर पास में ही है, वहां जाकर आप धरना दे दो, दोनों जने चले जाओ, पास में ही कोई क्वार्टर है, वहां जाकर दे दो।

(श्री संयम लोढ़ा एवं डा. श्रीगोपाल बाहेती द्वारा धरना समाप्त)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी, रायपुर में ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब इसमें चर्चा बंद करो आप। माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में सरकार ने कलक्टर की लापरवाही को, इसी सदन में सस्पैंड किया था, ऐसे उदाहरण तो हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आ गयी बात।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आप सम्मान करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी फैसला करके उस दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी बात। श्री जुबेर खान। राज्य में आरा मशीनों का नियमानुसार स्थानांतरण एवं हस्तांतरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

राज्य में आरा मशीनों का नियमानुसार स्थानांतरण एवं हस्तांतरण न होने से उत्पन्न स्थिति

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक लम्बे समय से एक मांग चली आ रही है कि आरा मशीनों के मालिकों को जिस तरह से

(श्री जुबेर खान)

इस सरकार की लापरवाही से परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, मैं उस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के वन विभाग के प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर आफ फोरेस्ट ने सेण्ट्रल एम्पावरमैंट कमेटी, जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने गठित की है, उसको एक पत्र लिखा 28 जून, 2000 को। वहां के मैम्बर सैक्रेटरी को पत्र लिखा कि हमारे राजस्थान में जो आरा मशीनों के मालिक अपने आरा मशीन का स्थान परिवर्तन करना चाहता है या उसको बेचकर या किसी तरह से इसका हस्तांतरण करना चाहते हैं, उसके सम्बन्ध में गाइड लाइंस मांगी गयी क्योंकि यह जो सी.ई.सी. है, सेण्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह अनिवार्य हो गया कि इस सी.ई.सी. की अनुमति के बगैर इस सम्बन्ध में न कोई आरा मशीन लग सकती है और न उनका स्थानांतरण हो सकता। उस लैटर के जवाब में वहां से एक चिट्ठी आयी। The Principal Chief Conservator of Forests, Rajasthan Forests Department, Jaipur. 18 जुलाई, 2006 को, जिसमें लिखा, Subject:- Clarification regarding permission for shifting of saw mills from one place to another within the State and cases involving the transfer of license from one person to another. उसमें साफ लिखा है उन्होंने। "Please refer to your letter No. 5534 dated 28th June, 2006 on the above subject. In response of relocation of saw mills/transfer of the saw mill license following decision have been taken by the CEC: Relocation of saw mills from one place to another place by the same owner may be permitted in individual cases by the Rajasthan Forest Department without seeking the specific approval of the Central Empowered Committee subject to the following;..." इसमें कुछ राइडर लगाये हैं कि कौनसी जगह पर, कहीं मान लीजिए कहीं अनापत्ति लेनी पड़ेगी, मैं आपका समय ज्यादा जाया नहीं करना चाहता लेकिन यह देखिये कि 18 जुलाई, 2007 से आज 2008 आ गया। एक भी आवेदक का ट्रांसफर नहीं किया गया है। उसको जगह बदलने की परमिशन नहीं दी गयी है। उसको हस्तांतरण करने की परमिशन नहीं दी गयी है और दूसरी तरफ देखिये हरियाणा ने, हरियाणा ने अपना केस प्लीड किया सेण्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी के लिए और सेण्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी की 2 फरवरी, 2007 को जो बैठक हुई उसमें हरियाणा को सारा, ईवन कि नयी मशीनें लगाने की भी अनुमति दे दी तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह गत वर्ष जनवरी में मैंने एक सवाल लगाया था। क्या यह सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सेण्ट्रल एम्पावरमैंट कमेटी द्वारा राज्य के आरा मशीनों के

(श्री जुबेर खान)

स्थानांतरण एवं हस्तांतरण हेतु राज्य सरकार को निर्देश दिये गये हैं? यदि हां, तो स्पष्ट करें। जवाब है- जी, हां। सेण्ट्रल एम्पावरमैंट कमेटी के पत्रांक- 2, 7 दिनांक 18.7.2006 द्वारा राज्य में आरा मशीनों के स्थान परिवर्तन, हस्तांतरण हेतु राज्य सरकार को मार्गदर्शन दिया है। पत्र की प्रति संलग्न है। उसके बाद में क्या यह भी सही है कि सेण्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी द्वारा उपरोक्त विषय के संदर्भ में दिये गये दिशा-निर्देशों की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना-पत्रों पर किसी प्रकार का विचार किया जा रहा है? उत्तर- जी, हां। सेण्ट्रल एम्पावरमैंट कमेटी के द्वारा आरा मशीन स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध में उनके पत्र क्रमांक फलां-फलां, दिनांक 18.7.2006 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में राज्य में आरा मशीनें स्थान परिवर्तन के प्रकरणों पर शीघ्रता से विचार कर निस्तारण किया जा रहा है। यह जवाब दिया 9.1.2007 को। आज हो गयी 20.3.2008, आज तक इस विभाग ने एक भी आवेदन पर कार्यवाही नहीं की। लोग जगह-जगह मारे फिर रहे हैं। घूमे फिर रहे हैं। एक तरफ तो अवैध प्रकरण के यहां मामले आते हैं। जब हम आते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से दिल्ली, जयपुर के लिए आते हैं, सरिस्का से लाइन लगी रहती है। यह लकड़ी काटकर ले जाने वालों की मेन मुख्य सड़क पर। वहां यह कुछ नहीं करें और जो सेण्ट्रल एम्पावरमैंट कमेटी के निर्देश के बावजूद, नियमानुसार आवेदकों के लोगों के स्थानांतरण है उनको शिफ्ट नहीं करने दें, उनको हस्तांतरण नहीं करने दें, यह कहां की हठधर्मी है इस सरकार की? आप इससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान लोगों को हो रहा है। हरियाणा कर रहा है। पंजाब कर रहा है और राजस्थान में उनको अनुमति नहीं मिले। नये लाइसेंस नहीं देने हैं तो मत दीजिए लेकिन कम से कम कोई आदमी 2002 से पहले का जिनको लाइसेंस मिला पड़ा है अगर वह स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं या कोई बेचान करना चाहता है या कोई पार्टनर विद्-ड्रा करना चाहता है या किसी की डेथ हो गयी है तो उसके आश्रितों के नाम स्थानांतरण होना चाहते हैं तो उसको तो अलाऊ करिये मंत्री सरकार। यह सरकार जिस तरह मूकदर्शक, संवेदनहीनता, आंख बंद करके बैठी है और खास तौर से वन विभाग, इसका अन्दाजा इन बातों से लगाया जा सकता है कि डेढ-डेढ़ साल बाद भी एक भी आवेदन का निस्तारण नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार इसके ऊपर अपना पक्ष रखे कि कब तक जिन लोगों ने आवेदन किये

(श्री जुबेर खान)

हैं, उनके स्थानांतरण और हस्तांतरण नियमानुसार और सी.ई.सी. के निर्देश से कर दिये जाएंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने आरा मशीनों की परमिशन नहीं मिल रही है, इस मामले में यहां पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। मैं उसके मामले में आपको निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य में वर्तमान में 4523 बड़ी आरा मशीनें लाइसेंसशुदा हैं जो अभी वर्क कर रही हैं। दिनांक 30.10.2002 के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बड़ी आरा मशीनों के लाइसेंस जारी नहीं किये जा रहे हैं। हैंडिक्राफ्ट के लिए छोटी आरा मशीनों, जिनकी 24 इंच तक की वह हो सकती है, उनको लाइसेंस दिये जा रहे हैं। अब तक 1236 ऐसे लाइसेंस जारी किये गये हैं। सी.ई.सी. के दिशा निर्देशानुसार लाइसेंसशुदा आरा मशीन, जिसमें मालिक का नाम यथावत रखते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर की स्वीकृति दी जा रही है तथा इसी क्रम में 100 मामलों में ट्रांसफर की स्वीकृति दी जा चुकी है। हस्तांतरण के मामलों में जिसमें विक्रय, उत्तराधिकारी, सम्पत्ति का विभाजन आदि मालिकाना हक में परिवर्तन है, वर्तमान में नियमों में प्रावधान न होने से 1983 के नियमों में संशोधन के प्रस्ताव तैयार कर लिये गये हैं कि जनवरी, 2008 में सीईसी को स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं। माननीय सदस्य ने 18.7.2006 के पत्र का भी जिक्र किया। मैं इस मामले में आपको निवेदन करना चाहूंगा 15 जनवरी, 2008 द्वारा पत्र स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के पास विचाराधीन है। दिनांक 25 जुलाई, 2006 के दिशा-निर्देश के अनुसार लाइसेंसशुदा आरा मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण करने के लिए मालिक का नाम यथावत रखते हुए 393 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिस स्थान से आरा मशीन का स्थानान्तरण किया जाता है, जिस स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है, उन दोनों सम्बन्धित जिला वन अधिकारी से सहमति तथा टिप्पणी प्राप्त करने के पश्चात् प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय द्वारा सहमति प्रदान की जाती है। प्राप्त प्रस्तावों में 100 आरा मशीनों का स्थानान्तरण करने के आदेश परीक्षणोपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा दे दिये गये हैं। शेष 393 से (व्यवधान)..

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कौनसी तारीख को यह आदेश दिये हैं मंत्रीजी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वन एवं पर्यावरण मंत्री): एक मिनट बता दूंगा। शेष 393 में से स्थानान्तरण योग्य नहीं पाये गये 13 प्रकरण निरस्त कर दिये गये हैं। 190 ऐसे प्रस्ताव, जो किसी कारण से अपूर्ण हैं, उसकी आवश्यक पूर्ति हेतु ऐसे प्रस्तावों को आवेदकों को या सम्बन्धित उन अधिकारियों को लौटा दिये गये हैं। प्रधान वन संरक्षक कार्यालय में शेष बचे 36 प्रस्ताव विचाराधीन हैं, जिनके लिये शीघ्र परीक्षणोपरान्त निर्णय ले लिया जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा और माननीय सदस्य को भी यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह जो 26 प्रकरण हैं इनका हम विद् इन ए एट डेज इनका निस्तारण कर देंगे। 190 मामले जो अभी बताये हैं, जो आवेदक या हमारे सक्षम अधिकारी डी एफ ओ, जहां भी पेंडिंग हैं, एक माह के अन्दर-अन्दर उनका भी निस्तारण गुणावगुण-दोष के आधार पर कर देंगे। हमारी सरकार की किसी को भी परेशान करने की इच्छा नहीं है। नियमानुसार जो भी अपनी कार्यवाही फुलफिल कर लेगा, उसको इस मशीन का लाइसेंस दे दिया जायेगा। इस प्रकार का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपने अन्तिम कौनसी तारीख को स्थानान्तरण की स्वीकृति दी है। आपने कहा है 100 कुछ को हमने स्वीकृति दी है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, यह आरा मशीन स्थानान्तरण करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? यह लकड़ियों के पीछे चलती है, जहां-जहां जंगल का सफाया हो गया, वहां नहीं लगकर दूसरी जगह आरे आगे चले जा रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भी आरा मशीन को शिफ्ट करने की बात है, सी ई सी की गाइड लाइन के अनुसार ही उनको परमिशन देते हैं। जुलाई, 2006 से अब तक चूंकि अलग-अलग तारीख को सैंक्शन हुई है, एक साथ तो सैंक्शन हुई नहीं है, इसलिए स्पेसिफिक तारीख बताना मैं समझता हूं अभी एक-एक का मेरे पास मौजूद भी नहीं है, पर मेरे पास इतनी जो जानकारी मौजूद है, उसके अनुसार मैं आपको कह सकता हूं कि जुलाई, 2006 से अब तक 100 आरा मशीनों का

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

स्थानान्तरण करने की अनुमति दी है और मैंने आपको निवेदन कर दिया है कि जो भी अभी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं, उनका निस्तारण शीघ्र से शीघ्र मैंने समय भी आपको बता दिया है, उसमें कर देंगे।

श्री उपाध्यक्षः डा. बुलाकीदास कल्ला। (व्यवधान)... माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप आरा मशीन को परमिशन दोगे उसमें यह भी लिखोगे कि राजस्थान का कल्पवृक्ष खेजड़ी नहीं काटी जाये। यह एक क्लॉज डाल दीजिये आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, यह नियमों में हो गया।

एक माननीय सदस्यः पहले से ही है यह।

रामपुरा कच्ची बस्ती पूगल रोड (बीकानेर) में 90 लोगों के मकानों को तोड़ा जाना

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामपुरा कच्ची बस्ती, जो लालगढ़ रेलवे स्टेशन और रामपुरा के बीच में पूगल रोड पर बाइपास पर स्थित जमीन पर 1954-55 से लोग कब्जा-काश्त हैं, वहां 90 लोगों ने कृषि भूमि खरीदकर अपना आशियाना बनाया और उनको बिना नोटिस दिये रविवार, 9 मार्च, 2008 को सवेरे-सवेरे लोग अपने घरों में सो रहे थे, वहां जाकर उनके मकानों को तोड़ा गया और इन लोगों के पास बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, टेलीफोन के कनेक्शन हैं और बरसों से वहां रह रहे हैं। ऐसे लोगों को बिना नोटिस दिये, अपने सामान को निकाले बगैर उनके आशियानों को उजाड़ दिया गया और इसी कारण, उपाध्यक्ष महोदय, वहां जान का तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लाखों रुपयों के माल का नुकसान हुआ। बहुत-से लोग बिना छत के हो गये। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि इस रामपुरा बस्ती में ओ.बी.सी., माइनोरिटी, शिड्यूल्ड कास्ट और सभी वर्गों के लोग वहां रह रहे थे, उनको आपने अतिक्रमी मानकर बेदखल कर दिया। वह अतिक्रमी नहीं हैं। उनके पास कृषि भूमि के पट्टे हैं और उनके पास पानी-बिजली के सरकार द्वारा दिये हुए कनेक्शन हैं, फिर उनको आपने किस आधार पर बेदखल किया? क्या आप उनको उचित मुआवजा देंगे? मैं आपको भी नाम लेकर बताना चाहूंगा कि इन लोगों की वहां जमीनें हैं। 1954-55 से कब्जा काश्त रिकार्ड में है। नाम हैं-

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

लाला वल्द सालगा, केवल वल्द लाल, चम्पालाल वल्द सुगना, हीरालाल वल्द सुगना और ऐसे 90 व्यक्तियों की मेरे पास सूची है, जिनकी कृषि भूमियों पर अपने मकान बनाये हुए थे और इसी कारण वहां पर लाइप लाइन और नालियों का पानी मिक्स हुआ टूटकर और उसी कारण से 500 से अधिक आदमी वहां पर बीमार हो गये और आज भी बीमार व्यक्ति अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप क्या इनको मुआवजा देंगे और प्रभावशाली लोगों को जो इससे पहले रेलवे लाइन के पहले करीब 130 फीट के पास में थे, उनको छोड़ दिया गया। यह भेदभाव क्यों किया गया? इसके अलावा करणी माता का जो मंदिर है, वह निश्चित रूप से वहां स्थानीय लोगों ने बचाया है। वहां पर नालियों की व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी है। उनको बचाने के लिये क्या करेंगे? इसके साथ-साथ आप क्या मुआवजा देंगे और इनको पुनः बसाने के लिए आप कोई, मान लीजिये आपने पब्लिक परपज के लिए उनको बेदखल किया है तो उनको नोटिस देना चाहिये था। बिना नोटिस के इस प्रकार की आइन्दा कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिये और ऐसे व्यक्तियों को आप, जिनको बेदखल किया गया है, क्या आप उचित भूमि देंगे?

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो गजनेर रेलवे ओवर ब्रिज है, जो आर यू आई डी पी बना रही है और यह बीकानेर की बहुत बड़ी समस्या थी ओवर ब्रिज की और यह जो अतिक्रमी थे, यह रामपुरा कच्ची बस्ती के अतिक्रमी हैं और यह बसते-बसते मास्टर प्लान में 100 फीट रोड दर्शाई गई है, उसके ऊपर इन्होंने अतिक्रमण कर लिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि जब ओवर ब्रिज बनाना है और दूसरा कोई ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट, मैं आपको करेक्ट कर दूं। माननीय मंत्रीजी को साइट का पता नहीं है। यह गजनेर रोड एम.एस. कालेज पर है। आप कभी गये होंगे, वहां पर कोई अतिक्रमण नहीं है। यह पूगल रोड और लालगढ़ रेलवे स्टेशन के बाइपास के बीच की जमीन, आप गलतबयानी कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप मेरी बात पूरी सुन लीजिये पहले। (व्यवधान) आप पहले पूरी बात सुन लीजिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जहां रोड और ओवर ब्रिज बन रहा है, वहां कब्जा नहीं टूटा, वहां कोई कब्जे हैं ही नहीं और यह जो जमीन है, कृषि भूमि है, जहां आप साइट बता रहे हो, वह शहरी भूमि है।

(समय : 14.18 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिये। (व्यवधान) उसके बाद में कुछ बोलिये। मेरा, सभापति महोदय, माननीय सदस्य से यह निवेदन है कि वह मास्टर प्लान में 100 फीट रोड थी और रेलवे लाइन के इधर ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए उस रोड को निकालना यह आवश्यक था। इसलिए 6 महीने पहले इन अतिक्रमियों को सूचित किया गया था और जो मकान बने हुए थे, उनको लाल रंग लगाकर चिह्नित भी किया था कि यह-यह मकान टूटेंगे और यह बाउण्ड्री टूटेगी और यह कच्चे बाड़े टूटेंगे। 6 महीने तक इनका इन्तजार किया, फिर भी सात दिन पहले, तोड़ने के पहले उनको और निवेदन कर दिया था कि आप लोग सुओमोटो अपने स्तर पर हटा लीजिये वरना यह रोड निकलेगी, क्योंकि दूसरी तरफ ट्रैफिक डाइवर्ट करने का कोई रास्ता था नहीं, इसलिए इस रोड को निकालने के लिए, माननीय सभापति महोदय, वह 3-4 मकान टूटे हैं और 10 15 के आधे-अधूरे मकान टूटे हैं और करीब 30-40-50 जनों के किसी की कोई बाउण्ड्री टूटी है, किसी का झूंपा बना हुआ था, झूंपा टूटा है। परन्तु वो रोड निकालना आवश्यक था इसलिए इस प्रकार से उनको अतिक्रमण को हटाया है।

जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उनके कृषि भूमि है, कृषि भूमि के पट्टे हैं, उनके पास बिजली के बिल हैं, उनके पास पानी के बिल हैं तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर उनके पट्टे हैं और डेलीबरेटली, जानबूझकर के उनको नुकसान पहुंचाने की, नियमों के खिलाफ जाकर के तोड़ा है तो मैं जांच कराऊंगा और जांच करवाकर के उसमें कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा परन्तु अगर अतिक्रमण है और रास्ता निकालना बहुत जरूरी था, आपकी खुद की समस्या है और कई वर्षों से समस्या है इसलिए उस अतिक्रमण को हटा कर के यह रास्ता करना था। यह बात थी। धन्यवाद।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अतिक्रमण तो, माननीय मंत्रीजी, है

ही नहीं वो। आपने पब्लिक परपजेज के लिए उसको तोड़ा है और यह जो साइट है यह अपने पूगल रोड के ऊपर जो रेलवे फाटक आता है उसकी है, गजनेर रोड के ऊपर कोई तोड़-फोड़ की ही नहीं है। मैं तो बीकानेर का रहने वाला हूं, मौका देख कर आया हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गजनेर रोड पर आर.ओ.बी. बन रहा है, यह ध्यान है न?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): तो वहां पर कोई तोड़-फोड़ हुई ही नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसीलिए ट्रैफिक बढ़ा है। यही मंत्रीजी कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री): मैं यही तो कह रहा हूं, उस ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, नहीं, आपको भी मालूम नहीं है, पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गजनेर रोड पर आर.ओ.बी. बनने के कारण एन.एच. 15 को एक बार ...(व्यवधान) बंद करना पड़ेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह कारण नहीं है। रेलवे अपना बाइपास बना रही है इसलिए आपने अतिक्रमण हटाये हैं, महाराज। अब बार बार, आपको पता ही नहीं है, मुझे बड़ा अफसोस है कि दोनों योग्य मंत्री होते हुए भी आपको पता नहीं है कि साइट क्या है और किसलिए उनको बेदखल किया गया। उनके पास एग्रीकल्चर के पट्टे हैं, आप तो केवल इतना आश्वासन दे दें कि एग्रीकल्चर का जो पट्टा है और जिसको बेदखल किया गया है उनको उतनी जमीन दूसरी दी जायेगी?

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री): जो तीन चार मकान टूटे हैं उनको ई.डब्ल्यू.एस. में या घरोंदा में, कोई यू.आई.टी. की जो स्कीम होगी उनके अन्दर उन तीन-चार जनों के मकान टूटे हैं उनको व्यवस्था करेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 90 मकान टूटे हैं, मेरे पास सूची है, 90 मकान।

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री): 90 मकान नहीं टूटे हैं, तीन-चार मकान टूटे हैं। 15-16 के ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप तो कह दो जो टूटे हैं उनको दिया जायेगा और जिनके पास कृषि भूमि का पट्टा है उनको दिया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री): मैंने आपको क्या कहा कि अगर पट्टा शुदा है उनको तो देंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां।

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री): पट्टा शुदा नहीं हैं तो अतिक्रमी होंगे, अतिक्रमी होंगे तो अतिक्रमी ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पट्टा शुदा नहीं हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, जिनके पास कृषि भूमि का पट्टा है उनको आप जमीन देंगे। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री): मैं क्या कह रहा हूं आपको, जिनके पास पट्टे हैं, जिनके बिजली के कनेक्शन हैं ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): एक भी पट्टा नहीं है। एक भी मकान पट्टा शुदा नहीं है अतिक्रमण है, सारा दिखवा लिया।

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री): अतिक्रमी हैं तो नहीं दिया जायेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है, मेरे पास यह नक्शे पड़े हुए हैं। कृषि भूमि है और कृषि भूमि विक्रय की हुई है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सरकारी जमीन पर कब्जा है, सरकारी जमीन है यह।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कृषि भूमि 1954-55 से कब्जा काश्त है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सरकारी जमीन है यह।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं है, कब्जा काश्त है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): किसी के नाम से नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कब्जा काश्त है, कृषि भूमि क्रय करके मकान बनाये हुए हैं।

श्री सभापति: श्रीमती राजकुमारी शर्मा, नगर परिषद में सफाई नहीं होने तथा सफाई कर्मचारियों की कमी के सम्बन्ध में।

सीकर शहर की सफाई व्यवस्था खराब होना

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): माननीय सभापति महोदय, मैं सीकर शहर की सफाई व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहती हूं। सीकर शहर काफी बड़ा हो गया है और इसमें जगह-जगह कालोनियां बन गयीं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे यहां सफाई हो, मेरे यहां नाली हो, मेरे यहां सड़क हो, बिजली के खम्भे हों। नगर परिषद में आज तक हमारा बोर्ड कभी बना नहीं है। सफाई कर्मचारी बहुत कम हैं जबकि सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियां तो हैं 397 और मेरे यहां लगे हैं 197, 128 नियुक्तियों की कमी है, सॉरी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी 325 स्वीकृत हैं पद तो और 197 लगे हुए हैं और 128 की कमी है इसलिए मैं चाहूंगी कि 128 की पूर्ति तो हो नहीं सकती है, कहीं गधा गाड़ी लगा कर के कोई और वैसे वार्डों में जाकर उनकी सफाई की व्यवस्था की जाती है और 45 वार्ड हैं तो उनमें 45 वार्डों में एक एक जब गधा गाड़ी जाती है तो उनसे यह कचरा उठता नहीं है इसलिए काफी दिनों से यह समस्या ऐसी बनी हुई है। मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहूंगी कि 128 पद रिक्त हैं तो काफी दिनों से रोक भी लगी हुई है और सरकार भर्ती कर दे, 128 कर्मचारियों की नियुक्ति कर दे, हमारे सफाई कर्मचारी चाहते भी हैं, बहुत दिनों से रोक थी और हमारी सरकार जब से आयी है तब से हर व्यक्ति को कभी शिक्षा में, कभी जे.ईएन. को, एक हमारे जे.ईएन. की बहुत कमी है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि जे.ईएन. की तो शीघ्रातिशीघ्र भर्ती कीजिए और सफाई कर्मचारी की यदि भर्ती पर रोक है और भर्ती नहीं होती तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि किसी ओर से जैसे कि संविदा से लीजिए या किसी ठेके से लीजिए, कैसे भी हो लेकिन सफाई कर्मचारी हो। वैसे हमारे नगर परिषद के तीन ट्रैक्टर हैं और 10 ट्रैक्टर ठेके से लिये हैं, वो भी बहुत कम हैं।

सभापति महोदय, 1963 में जब हमारे नगर परिषद बनी थी तब से आज तक उसकी सफाई नहीं हुई है। जो बड़े नाले थे वो बिलकुल चोक हो गये हैं और नयी ऐसी कोई सफाई की मशीन वहां पर हो कि वो सफाई कर दे। बरसात के दिनों में भी सफाई नहीं हुई है इसलिए उन नालों की या तो सफाई करवायी जाए या फिर वो जो जाम हो गये हैं, उनको निकलवा कर नये

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

लगवाये जाएं। मैं, आपके माध्यम से आदरणीय माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहती हूं, कुछ वक्तव्य चाहती हूं। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जैसा कि सीकर से आने वाली माननीय सदस्या ने सीकर की सफाई व्यवस्था के बारे में ध्यान आकर्षित किया है, इनका कहना बिलकुल सही है कि 128 पद सफाई कर्मचारियों के खाली हैं। 45 वार्ड हैं, सभापति महोदय, और इनमें जो 197 कर्मचारी कार्यरत हैं वो सफाई व्यवस्था कर रहे हैं और सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। कचरा परिवहन ठेके पर दे रखा है और उस पर वार्षिक 73 लाख रुपये का खर्चा आता है। इसके अलावा परिषद की सफाई व्यवस्था हेतु साल में चार करोड़ 72 लाख व्यय किया जाता है। कचरा परिवहन अलग से है और सफाई व्यवस्था वार्षिक चार लाख 72 हजार व्यय करती है और इसके अलावा जो आप कह रही हैं कि मशीन खरीदने के लिए तो कण्टेनर अभी 44.56 लाख का बारहवें वित्त आयोग से पैसा आया है उसमें खरीद लिया गया है।

इसके अलावा जो भी व्यवस्था की जा सकती है वो व्यवस्था नगर परिषद कर रही है और अभी सफाई कर्मचारियों की भर्ती के बारे में जिक्र किया है अभी वित्त विभाग से रोक है जब यह वित्त विभाग से रोक हटेगी तब कोई न कोई व्यवस्था की जायेगी।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): आदरणीय मंत्री महोदयजी, एक जे.ईएन. तो आप लगा ही दीजिए। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि जो सफाई कर्मचारी आते हैं वो आज तक अपना बोर्ड तो रहा नहीं 1963 से लेकर और वो अपने ही आदमियों को देते हैं, जो कचरे का अलग से दिया हुआ है, वो अपने ही आदमियों को देते हैं और अपने ही आदमियों से सफाई कराते हैं तो उसकी कुछ जांच करवा कर आप और किन्हीं अच्छे व्यक्तियों को दीजिए या ऐसा कोई संविधान बनाइये जिससे कुछ पर्ची के माध्यम से या ऐसे भर्ती हों, कोई अच्छे लोग आकर इसमें सफाई करें। सीकर शहर बहुत बढ़ गया है और नालियों की व्यवस्था कीजिए क्योंकि अर्थ का अभाव है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी।

श्री सुरेन्द्र गोयल (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्या ने जो जे.ईएन. का जिक्र किया

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

तो आप मुझे बता देंगे उसके आधार पर व्यवस्था कर दी जायेगी और अभी सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु तीन करोड़ रुपये ए.डी.बी. द्वारा आर.यू.आई.डी.पी. को दिया गया है तो उसमें जो भी सफाई की है, सीवरेज की उनकी व्यवस्था की जायेगी।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, जोधपुर शहर के जर्जर सरकारी स्कूल भवनों का जीर्णोद्धार एवं उन्हें आधुनिक मानकों के अनुरूप विकसित करने के सम्बन्ध में।

जोधपुर शहर की स्कूलों की मरम्मत बाबत

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, अभी काफी देर से यहां सदन के अन्दर स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर चर्चा हुई। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सामने जो विराजमान हैं उनसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि जय नारायणजी व्यास चीफ मिनिस्टर रहे राजस्थान के, उनको गुजरे हुए कितने अर्से के बाद जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम किया गया, यह इनसे जरा आप जानकारी लेते। यह कभी बोलते हैं मैं बीच में नहीं बोलती हूं, मैं सबकी सुनती रहती हूं। भैरोंसिंहजी शेखावत की सरकार आयी 1990 के अन्दर जब मैंने एक सवाल लगाया, मेरे साथ राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ भी थे, डा. बुलाकीदासजी कल्ला भी थे और सारे यह थे।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज नामकरण जोधपुर विश्वविद्यालय का जयनारायणजी व्यास के नाम पर किया गया, वह भैरोंसिंहजी की सरकार ने किया, आपने 26-27 साल तक क्या किया? आप स्वतंत्रता सैनानियों की बात कर रहे हैं, क्या जयनारायण व्यास स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमने कर दिया था जीजी, हमने कर दिया था लेकिन वह दिल्ली में रुका हुआ ..

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): एक मिनट कल्ला साहब, मैंने आपको यह कहा है, मैं बोलूं आप सुनो। आप बोलते हो मैं सुनती हूं, मेरे बीच में मत बोलो। मैं आपसे यह जानकारी चाहती हूं उस विश्वविद्यालय का नाम कब हुआ, आपने भले ही कागजों के अन्दर कुछ भी किया होगा मगर हुआ भैरोंसिंहजी की सरकार में, बी जे पी की सरकार में, आप खाली कागजों में कर देते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और आपकी मांग पर, मुझे याद है जब आपने मांग की थी और आप नहीं चाहते थे वह भी, जीजी की मांग पर।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): और पहला प्रश्न लगा। भगवान की कृपा ऐसी है मेरे ऊपर कि मेरा पहला प्रश्न वह लगा और उसको भैरोंसिंह जी ने माना और आपने, यहां तक मैं कहूंगी अगर सही हूं तो, आपने तो टेबल तक भी नहीं बजाई, यह मेरा दावा है। मैं आपको कहती हूं आपने किसी ने खुशी जाहिर नहीं की थी। जय नारायणजी व्यास स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे?

श्री सभापति: आप माननीय सदस्या, आप अपने विषय पर आ जाओ, आपको जो बात कहनी थी वह आपने कह दी, अब आपका वास्तविक जो विषय है उस पर पधार आओ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, मेरी बात सुनिये।

श्री सभापति: आपका विषय स्कूलों से सम्बन्धित है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): शिक्षा की बात है, वह भी मास्टर थे।

श्री सभापति: आपका पर्ची का विषय स्कूलों की मरम्मत के सम्बन्ध में है, भवन के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में है। आप पर्ची पर आ जाओ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): सभापति महोदय, वह मास्टर थे, उनको मास्टर साहब के नाम से जाना जाता था और शिक्षा से सम्बन्धित यह बात है और वह स्वतंत्रता सेनानी थे, यह स्वतंत्रता सेनानियों की दुहाई दे रहे हैं इसलिए कहा है। स्वतंत्रता सेनानियों का क्यों नहीं सम्मान करेंगे। आज मैं मुख्य मंत्रीजी को बधाई दूंगी, आपने कुछ नहीं किया अभी और कल्ला साहब बोलेंगे। मैं यह बताना चाहूंगी आज जालौरी गेट स्कूल किसके नाम पर है छगनराजजी चौपासनी वालों के नाम पर, यह हमारी मांग के ऊपर राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने किया है। आज भी विद्यासाल स्कूल बंसीधरजी पुरोहित के नाम है, मैं इनको कितने क्या-क्या बताऊं, आज भी हुसैन मण्डी का नाम आप, जहां मैं बताऊं वह सब स्वतंत्रता सेनानियों के हैं।

आपने क्या किया है वह आपका मन जानता है, मेरे कहने की जरुरत नहीं है। अब मैं मेरे विषय पर आ रही हूं ...(व्यवधान) सभापति महोदय, मैं बताऊंगी आपको इन्होंने तो पुराना स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, इसी

(श्री मती सूर्यकान्ता व्यास)

सरकार ने महाराजा उम्मेद सिंहजी के नाम पर किया। इस सरकार की तो मैं जितनी बात करूं उतनी कम है। पर ज्यादा राज तो इन्होंने किया है। अब मैं मेरे मुद्दे पर आ रही हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को यह बताना चाहूंगी जोधपुर शहर के अन्दर स्टेट के टाइम में, राजा महाराजाओं के टाइम के अन्दर स्कूलें बनी हुई थीं उसमें राजमहल स्कूल है, फतेहपोल स्कूल है, न्यू गवर्नमैंट स्कूल है, जालौरी गेट स्कूल है, हुसैन मण्डी स्कूल है, पोटवाली है, विद्यासाल है, महिला बाग़ है, महात्मा गांधी स्कूल है। ऐसी कई स्कूलें, एक-एक स्कूलों के नाम दूं तो बहुत से सरकारी स्कूल हैं। अब उन स्कूलों की आज तक कोई भी देखभाल नहीं की और यह सरकार आयी तो कुछ पैसे भी दिये और सबसे बड़ी बात है मैं पूर्व मंत्री रहे घनश्याम जी तिवाड़ी को धन्यवाद दूंगी कि इन्होंने एक-एक स्कूल को जाकर देखा और देखने के बाद मुख्य मंत्रीजी ने काफी कुछ पैसा रिलीज किया, वह रिलीज हुआ मगर ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हुआ। क्योंकि बहुत पुरनी स्कूलें हैं और आज तक उनकी देखभाल नहीं हुई। फिर भी काफी कुछ मरम्मत हुई और इन्होंने एक-एक स्कूल को देखा कि स्कूल की क्या स्थिति है।

अब प्रजेण्ट मंत्रीजी हैं कालीचरणजी सर्राफ, मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, यह चाहूंगी कि एक तो इन स्कूलों का और भी सुधार होना चाहिए और दूसरी काम की बात बताऊं, प्राइवेट घरों के अन्दर जो स्कूलें चल रही हैं उन स्कूलों की यह हालत है कि वह प्राइवेट घरों में चल रही हैं स्कूलें तो वह क्यों ठीक करायेंगे, उनको क्या किराया मिलता है किसी का पचास रुपये किसी का चालीस है, वह कराते नहीं हैं और वर्षो से वह स्कूलें चल रही हैं।

तो मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह चाहूंगी कि एक तो प्राइवेट स्कूलें जहां-जहां चल रही हैं उनको सरकारी स्कूलें इतनी बड़ी-बड़ी हैं उनके अन्दर उनका समायोजन कर दें, उसका समायोजन करने से क्या होगा कि बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, आने वाले जो भावी हैं, हम चाहेंगे कि वह अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से कुछ करें। आपने काफी कुछ किया है।

अब दूसरी बात मेरी यह है कि जहां-जहां अधिकारी हैं उनके काफी पद खाली पड़े हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं एक-एक को पढ़कर बता दूं।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): पता है, कोई जरुरत नहीं है, आप तो वैसे ही बता देना।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, जैसे राजमहल स्कूल है अब उसके अन्दर कई ऐसे विषय हैं, अंग्रेजी का है, साहित्य विद्या है, गृह कला है, ऐसे कई पड़े हैं उसकी स्वीकृति देवें ताकि वहां लड़कियों की ज्यादा संख्या हो सके क्योंकि अगर सब्जैक्ट नहीं होंगे तो वहां पर टीचर की जरुरत नहीं है, सिर्फ यह खोलने की जरुरत है। यह खोल दें तो वहां पर व्यवस्था हो जाएगी।

दूसरा सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक दो बात और कहना चाहूंगी आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से इन स्कूलों को ठीक कराने के लिए अगर कुछ धनराशि स्वीकृत की जाए, चाहे स्वायत्त शासन मंत्रीजी करें, चाहे नगर सुधार न्यास जोधपुर करे, चाहे सरकार करे और हम भी उनमें पूरा सहयोग देंगे। ताकि पुराने जो प्राइवेट मकानों की स्कूलें हैं वहां पर क्लासें खुलें और वहां पर जाएं और इसके अन्दर पूरा हम भी सहयोग करेंगे।

मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगी कि मंत्रीजी इसके ऊपर कुछ अपना वक्तव्य दें।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो बात कही है मैं उनको बताना चाहूंगा कि 2006-07 में 78 लाख 72 हजार रुपये सैंक्शन किये थे आपके स्कूलों की मरम्मत के लिए, तिरपन लाख रुपये उसमें से खर्च हो गये हैं और बाकी फिनिशिंग का काम अभी चल रहा है। इसी प्रकार से प्राथमिक और यू पी एस जो स्कूलें हैं उनके लिए 24 लाख 75 हजार रुपये स्वीकृत हुए थे और पी डब्ल्यू डी के माध्यम से वहां भी मरम्मत का काम चलाया जा रहा है।

पर यह बात सही है कि वहां स्कूलों की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, पुरानी स्कूलें हैं तो मैं भी स्वायत्त शासन मंत्रीजी से बात करूंगा और यू आई टी के चेयरमैन से भी बात करूंगा और अधिक पैसा मिले....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मेरे से भी बात करूंगा।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर साहब से भी बात करूंगा और ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल जाय और आपकी सब स्कूलें बढ़िया हो जाएं इस बात की मैं कोशिश करूंगा और प्राइवेट स्कूलों के बारे में

(श्री कालीचरण सर्राफ)

जो आपने कहा है, प्राइवेट भवनों में चलने वाले ऐसे चौंतीस विद्यालय हैं जो किराये के भवनों में चल रहे हैं और इसका हम तो अभी किराया ही भुगतान कर सकते हैं और वह कर रहे हैं।

नि:शुल्क भूमि हमें कहीं मिल जाए तो सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से या और किसी योजना के अन्तर्गत वहां नये भवन बनाकर के हम आपको दे सकते हैं।

आपने जहां तक शिक्षकों की और विषयों की बात की, आप मेरे को अलग से बता देना, जो-जो भी हम कर सकते हैं निश्चित रूप से करेंगे। धन्यवाद।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): धन्यवाद।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-07

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह सिंघवी, पर्यावरण राज्य मंत्री, जल अधिनियम, 1974 की धारा 39(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से जल अधिनियम, 1974 की धारा-39 (2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 सदन की मेज पर रखता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008

श्री सभापति: पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक।

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 श्री कालूलाल गुर्जर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करता हूं।

भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक, 2008

श्री सभापति: श्री कालीचरण सर्राफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करता हूं।

जगन नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008

श्री सभापति: श्री कालीचरण सर्राफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि जगन नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से जगन नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि जगन नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से जगन नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करता हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि यह सदन के रिकार्ड में आना चाहिये कि जो विश्वविद्यालयों के नाम आप करते हैं उसके पीछे कुछ सिद्वांत होने चाहिए। यह जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नाम से हम भगवन्त, जगन नाथ जो-जो नाम हम कर रहे हैं, इसके सम्बन्ध में सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि आप विश्वविद्यालयों का इतिहास उठाकर देखें, विश्वविद्यालयों के नामकरण की परंपरा बहुत लेटर स्टेज पर आयी है। पहले जो स्टेट की यूनिवर्सिटी थी उनका नाम राजस्थान विश्वविद्यालय या अलग-अलग स्टेट के विश्वविद्यालयों के नाम थे। बाद में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनके नाम की परम्परा प्रारम्भ की, पर अब हम जो यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा पिंडारा बॉक्स खोल रहे हैं, उसमें इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो वह प्रपोजल दे रहे हैं उनके प्रपोजल को हम एज इट पास करके लेजिस्लेचर का पार्ट बना रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि जब आप स्क्रूटनी कमेटी के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं उनको लेने से पहले, जब सदन में आता है तो हमें ऐसा कोई तरीका ईजाद करना चाहिये जिससे हम सोच सकें कि हम ऐसे नामांकन को अलाऊ करें या नहीं करें।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह फ्यूचर के लिए ज्यादा आवश्यक है और यदि हमने इस सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की और यह परम्पराओं को आगे बढ़ा रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि आगे आने वाले समय में जिस तरह के विश्वविद्यालयों का नामांकन होगा वह उन चीजों को रिफ्लेक्ट

(डा. सी. पी. जोशी)

कर पायेगा, इसलिए मेरी सानुरोध प्रार्थना है I may differ with this ki लेकिन मेरा सबमिशन जरूर है कि यह पांचवीं, छठी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को हम प्रपोज कर रहे हैं, अनफोर्च्यूनेटली जब आपने बिल पास किया, उस दिन मैं सदन में नहीं था। लेकिन मेरी आपसे यह सानुरोध प्रार्थना है कि हम नयी सदी में जा रहे हैं, 21वीं सदी की बात कर रहे हैं। आई टी, बायो डायनोमिक्स, बायो डायवर्सिटी नयी-नयी चीजें आ रही हैं, एनर्जी, पेट्रोलियम सारी शिक्षा की विधा ही बदल रही है। जहां एक तरफ शिक्षा की विधा बदल रही है, नये-नये डिसिप्लेन आ रहे हैं और वहां नामांकन हम कंजरवेटिव सोच से करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में सरकार को कोई न कोई ऐसा निर्णय करना चाहिये जिससे भविष्य में विश्वविद्यालयों के नामांकन के सम्बन्ध में भी हम असेम्बली में बिल लाने से पहले स्क्रूटनी के स्टेज पर ही उन पर चर्चा की जाये। यह मेरी आपसे सानुरोध प्रार्थना है।

विधेयक पर विचार

राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति: डा. बुलाकीदास कल्ला।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 को एक माह के लिये ...(व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट निवेदन करूंगा There are about 45 people who would want to speak. If you could just keep the time phase in mind I don't want to disturb anyone but in case we can all considers the time factors also.

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उक्त विधेयक को एक माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये, यह प्रस्ताव मैंने रखा है। इसके संदर्भ में अपने विचार रख रहा हूं। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 और धर्म परिवर्तन विधेयक, 2006 इन दोनों के उद्देश्य एक समान हैं और 2006 में यही विधान सभा ने यह बिल हमारे विरोध के बावजूद यही सत्ता पक्ष ने

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इसको पारित करके महामहिम राज्यपाल महोदय के पास भेजा और राज्यपाल महोदय ने उनको महामहिम राष्ट्रपति जी के पास उनको कंसर्न के लिए भेजा, वह अभी तक नहीं मिली। वह अभी तक लम्बित है वहां पर और इसके बीच में यह दूसरा बिल यहां पर आ गया। इन दोनों के उद्देश्यों को आप देखें 2008 और 2006, उस बिल के दो उद्देश्य एक जैसे हैं, जैसा इसमें बताया गया है कि एक धर्म से दूसरे धर्म में बल के प्रयोग द्वारा या प्रलोभन द्वारा या कपटपूर्ण साधनों द्वारा संपरिवर्तन का प्रतिषेध करने और उससे आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिए विधेयक, यह विधेयक भी इसी उद्देश्य से लाया गया है और 2006 का विधेयक भी इसी उद्देश्य के आधार पर लाया गया है।

सभापति महोदय, अब मैं माननीय गृह मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आपने अपने उद्देश्यों में यह भी बताया है कि राजस्थान में ला एंड आर्डर की प्रोब्लम के कारण से जो गड़बड़ियां हो गयी थी इस कारण से हम यह बिल लाये हैं तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में धर्म परिवर्तन को लेकर कहां-कहां ला एंड आर्डर की प्राब्लम हुई।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि राजस्थान में धर्म परिवर्तन के सम्बन्ध में कितने मामले दर्ज हुए, वह बता दें आप। ऐसी राजस्थान में कोई बातें नहीं हुई, धार्मिक समरसता है यहां पर। यहां हमारे विभिन्न धर्मों के लोग मिल-जुलकर रहते हैं, त्यौहारों को मिल-जुलकर मनाते हैं लेकिन एक हौवा खड़ा किया गया था कि राजस्थान में जैसे कोई धर्म परिवर्तन के लिए लॉ एंड आर्डर की स्थिति खराब हो गयी। लॉ एंड आर्डर को कंट्रोल करने का काम एक मजिस्ट्रेट का है और राज्य सरकार का काम है लोक व्यवस्था को चलाने का। ला एंड आर्डर की प्रोब्लम को लेकर आप कोई कानून नहीं बना सकते हैं। जो भी कानून धर्म परिवर्तन के बारे में पूरे देश में बने हैं लोक व्यवस्था को आधार मानकर के बने हैं। मैं इस संदर्भ में आपको संविधान की अनुसूची 7 की ओर आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। संविधान की अनुसूची 7 में, 1, 2, 3 सूचियां दी हुई हैं जिसमें 2 नम्बर सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है और इस 2 नम्बर अनुसूची में एक क्रम संख्या पर लोक व्यवस्था का यह विषय आता है। लोक व्यवस्था को लेकर उड़ीसा और एक अन्य राज्य में जो कानून बने थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा था कि यह वैद्य है। लेकिन आप लोक व्यवस्था के लिये नहीं ला रहे हो। आप ला रहे हो कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने के लिए। यह काम सरकार का नहीं

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

है। यह एक सामान्य मजिस्ट्रेट का काम है और मैं समझता हूं कि इसके लिए आप जो यह कानून लेकर के आये हो यह असंवैधानिक है। राजस्थान के ही नहीं, तमाम देश के विधिवेत्ताओं ने इस धर्म स्वातंत्र्य बिल और धर्म परिवर्तन बिल जो 2006 में आया था, विधिवेत्ताओं की राय में यह बात थी कि यह राज्य सरकार का असंवैधानिक कदम है। यह कानून भी विधि सम्मत नहीं है।

सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि खास तौर से धर्म का जो मतलब है संविधान में धर्म के बारे में कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार में आता है। हमें सम्पत्ति रखने का अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और एकांतिका का अधिकार है, हमें बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है। उसी प्रकार से यह धर्म जो है यह आस्था से जुड़ा हुआ है, अंतःकरण से जुड़ा हुआ है और इस अंतःकरण के मामले में कोई भी व्यक्ति कहीं भी आस्था रख सकता है और धर्म की परिभाषा क्या है? हमारे यहां तो स्पष्ट कहा गया है कि धारियते धर्मः कोई व्यक्ति यह मन में धारण कर ले कि तीन वक्त संध्या वंदन करूंगा और उसके बाद अपना कोई काम करूंगा, प्रातःकाल, मध्यान्हकाल और सायंकाल यह उसका धर्म हो गया। कोई व्यक्ति यह कहेगा कि मैं पांच वक्त की नमाज पढ़ूंगा तो यह उसका धर्म हो गया। कोई व्यक्ति यह सोच ले कि मैं गिरजाघर में जाऊंगा और उसके बाद भोजन करूंगा तो यह उसका धर्म हो गया। कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं तो वाहे गुरूजी का पाठ करूंगा और अपना भजन, पूजा करने के बाद अपनी पेटपूजा करूंगा। यह अपना-अपना धर्म है। ऐसे ही अलग-अलग प्रकार के धर्मों की व्याख्या की गयी है। आपने जो नियम धारण कर लिया, कोई जरूरी नहीं है, एक व्यक्ति यह सोच ले कि मैं एक भूखे आदमी को भोजन कराकर के उसके बाद भोजन करूंगा तो यह उसका धर्म हो गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपने जो बताया धारियते धर्मः वह तो ठीक है लेकिन इसके आगे पूरा बोलिये, धारणात धर्म मित्याहु, धर्मो धारयति प्रजा, यस्याद धारण संयुक्त, स धर्मोः इति निश्चयः, तो यस्याद धारण संयुक्त जो है ना, उसके लिए यह बिल लेकर आये हैं।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, अस्यात् धारण का मीनिंग क्या होता है, आप बताओ। मीनिंग बताओ इसका। इसका मतलब यह होता है कि जिस प्रकार से अग्नि का धर्म गरम है, पानी का धर्म शीतल है, इसका मतलब है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराज जाएं। सम्माननीय सदस्य, आप विराज जाएं। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य जिनको इस आसन ने परमीशन दे रखी है उनके अलावा कोई भी बोलेगा तो अंकित नहीं होगा। जिस वक्त आपका अवसर आए उस समय आप अपनी बात बखूबी करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय खाद्य मंत्रीजी ने जो श्लोक बोला उसका अर्थ जो आप बता रहे हो, वह नहीं है, मैंने जो बताया है वही है। सार में जो व्यक्ति धारण करे और धारण में भी उसके ऊपर थोपने की बात करेंगे, यह श्लोक कभी नहीं बताता, जो व्यक्ति अपने मन में धारणा बना लेता है कि मैं यह उपासना करूंगा, यह उसकी आस्था से जुड़ा हुआ है, यह उसकी भावना से जुड़ा हुआ है, यह उसका मौलिक अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को आप कम्पेल नहीं कर सकते कि आप इस धर्म को माने या उस धर्म को नहीं माने लेकिन आपके इस बिल के आने के बाद आप किसी भी व्यक्ति को कम्पेल कर सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, मुसलमान है कि आपके पूर्वज हिन्दू थे, आपने आना पड़ेगा, इसमें यह जो कुचक्र है इसी के कारण यह झगड़े की जड़ है। आप इसमें बलपूर्वक, कपटपूर्वक, छलपूर्वक किसी भी प्रकार से प्रलोभन देकर मूल धर्म में लाने की बात करते हैं लेकिन दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति स्वेच्छा से जाए तो षड्यंत्र बनाकर गैर जमानती और नोन बेलेबल ओफेंस बनाना चाहते हैं, ऐसा तो दुनिया में कहीं भी कोई भी कानून नहीं है कि धर्म के बारे में, धार्मिक आजादी के बारे में इस प्रकार का हस्तक्षेप करे, यह मैं समझता हूं कि यह उसकी व्यक्तिगत आजादी है, उसकी धर्म स्वतंत्रता ...(व्यवधान) आप विराज जाएं।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री सभापति: यह कोई बात अंकित नहीं हो रही है। आप पुनः इस बात को याद रखें कि आप बगैर परमीशन बोल रहे हैं तो यह अंकित नहीं हो रहा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह डिप्टी चीफ व्हिप को पता नहीं है। यह तो सदन को कण्ट्रोल करने वाले हैं और यही अनकण्ट्रोल हो रहे हैं।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): × × ×

श्री सभापति: Let him finish, then you can … let us see what he has to say.

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपके गृह मंत्रीजी अपने आप जवाब दे देंगे, आप उन पर भरोसा करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): × × ×

श्री जुबेर खान (रामगढ़): × × ×

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, धर्म को अंगीकार करने के लिए, धर्म को मानने के लिए कहीं पर भी कोई कानून नहीं बना हुआ है। हां, जैसा मैंने बताया कि लोक व्यवस्था के लिए कानून बने हैं। जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया हमारे यहां तो भारत के लोकतंत्र की जो सर्वोच्च संस्था संसद है, उस पर ऋगवेद की एक ऋचा लिखी हुई है,

अयं निज परोवेति, गणनाम् लघु चेतसाम,
उदाराणाम् चरिताणाम् वसुधैव कुटुम्बकम्,

यानी यह तेरा और मेरा भारत की संस्कृति में नहीं है, संकुचित नहीं है, हमारी संस्कृति उदार चरित्र वाली है जिसमें पूरा संसार एक कुटुम्ब की तरह है, एक परिवार की तरह है जहां हम एक तरफ तो ऐसी फिलोसोफी करें और हमारे हरे रामा हरे कृष्णा वाले पूरे अमेरिका में, इंग्लैण्ड में, जापान में, जर्मनी में, चीन में, सब जगह जाकर अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है लेकिन कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से यहां पर किसी धर्म के प्रति आस्थावान् बन जाए, आज मान लीजिए कोई सनातन धर्म वाला है, उसने वैष्णव धर्म को अंगीकार कर लिया तो आप उसको रोक देंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वैसे ही किसी ने कोई दूसरा बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और किसी ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया तो आप उसको रोक देंगे। यह क्या बात हुई? यह उसकी आस्था का सवाल है, ईसाई धर्म वाला हिन्दू नहीं बन सकता और कोई दूसरे धर्म वाला नहीं बन सकता, यह राजनीति आप छोड़ दीजिए। आपके गुजरात के मुख्य मंत्रीजी...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): × × ×

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आनन्दमार्गियों की जो गतिविधियां थीं, वे आतंकवादी बन गए थे, इसलिए रोका था।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, गुजरात में भी इसी लाइन पर बिल लाया गया था और जब उनको यह बताया गया कि इस बिल में बलपूर्वक, कपटपूर्वक और प्रलोभन से मूल धर्म में जाने को माना है उन्होंने और अपना बिल वापस ले लिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जिस बात का बिल राष्ट्रपतिजी के पास लम्बित है, यदि उन्होंने पुराने बिल पर अपनी कंसेंट दे दी तो इस बिल की क्या हालत होगी? क्या इस विधायिका को राष्ट्रपति के कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार है? मेरी दूसरी बात यह है कि महामहिम राज्यपाल महोदय जिन्होंने राष्ट्रपतिजी को 2006 के उस पुराने बिल को भेजा है और यह 2008 का बिल उनके पास जाएगा, उनको रिव्यू करने का अधिकार है। यह एक ऐसा संवैधानिक प्रश्न है, इसका उत्तर संविधान यह देता है, विधिवेत्ता यह देते हैं, संविधान के एक्सपर्ट यह देते हैं कि सरकार के एक बिल के पेंडिंग रहते हुए दूसरे बिल को नहीं लाना चाहिए था और क्योंकि इनके उद्देश्य समान हैं और जिन समान तथ्यों के आधार पर यह जो बिल प्रस्तुत किया गया है, यह गैर कानूनी है, संविधान के विरुद्ध है, विधि विरुद्ध है और इस बिल को निश्चित रूप से ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप आपस में बातचीत न करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैंने इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का जो प्रस्ताव रखा है इसके बारे में सरकार गौर करे और कानून और व्यवस्था की स्थिति धर्म परिवर्तन को लेकर खराब नहीं थी इसलिए राज्य सरकार जो यह बिल लेकर आई है उसका मैं विरोध करता हूं और खास तौर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा?

सर्व धर्मान् परितज्या मानेकम शरणम् प्रजा

अमत्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष मा शुचा,

सब धर्मों को छोड़ दे, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पापों को ठीक कर दूंगा और मोक्ष दे दूंगा। (व्यवधान) नहीं यह नहीं कह रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कृष्ण सार्वभौम थे। कृष्ण को ईसाई भी जप सकता है, बौद्ध भी जप सकता है, कोई भी जप सकता है तो केवल

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

वह भारत में रहना होगा तो फलां बनकर रहना होगा, इस स्थिति के लिए हो ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): फिर आप यह अलग बिल को क्यों लाए हो, इसको लाने की क्या आवश्यकता है?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, इस बिल को लाने से किसी भी नागरिक का उत्पीड़न हो सकता है, यह संविधान और विधि के विरुद्ध है इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि इस बिल को एक माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 पर चर्चा इस पवित्र सदन में हो रही है और अभी चर्चा चली संविधान के आर्टिकल 25 की जिसने इस देश के प्रत्येक नागरिक को कोई भी पूजा पद्धति, कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान की।

माननीय सभापति महोदय, यह संविधान, भारत का संविधान और इसका आर्टिकल 25 यह 26 जनवरी, 1950 को अस्तित्व में आया इस देश की धरती पर। लेकिन उससे हजारों साल पहले भी इस भारत की इस पवित्र

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

भूमि पर कभी भी किसी भी पूजा-पद्धति के लिए आग्रह, दुराग्रह नहीं रहा, जिसने जो चाहा उस पद्धति से ईश्वर का भजन किया और नहीं चाहा तो नहीं किया। अलग-अलग देवताओं की पूजा करना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। 33 करोड़ देवताओं की कल्पना इस देश ने की है और उन 33 करोड़ को छोड़कर एक ऋषि हुए जिनका नाम है चार्वाक। उन्होंने कहा कि यह धर्म आदि सब फालतू की बातें हैं, ईश्वर आदि सब फालतू की बातें हैं, मैं ये कुछ नहीं मानता और उन्होंने अपनी विचारधारा प्रस्तुत की इस देश के सामने, वह श्लोक है-

यावद जीवेत् सुखम् जीवेत,
ऋणम् कृत्वा घृतम् पीवेत,
भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम् कथः।

यह शरीर तो एक बार जलकर राख हो जाएगा, इसका वापस कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए जब तक जीना है सुख-चैन से जीओ, खूब चैन से, खूब आनंद से घी पीओ, चाहे उसके लिए कर्जा भी लेना पड़े तो परवाह नहीं। उसको भी हमने ऋषि का दर्जा दिया है, उसको हमने हिन्दुस्तान से बाहर नहीं भेजा, उसको हमने तड़ीपार नहीं किया, उसको हमने संघसार नहीं किया। संघसार यानी पत्थर मार-मारकर मारना। उसको फांसी पर नहीं लटकाया, उसको हमने उस सलीब पर नहीं चढ़ाया। उसको भी ऋषि का दर्जा दिया। यह श्रेष्ठ और उच्च परम्परा इस देश की मिट्टी का अंग है।

इस देश की धरती पर सबसे पहले जिस दिन इस्लाम ने कदम रखा था, जिस क्षेत्र में उन्होंने कदम रखा वहां के हिन्दू राजा ने उनका स्वागत किया, उनके धर्मगुरुओं को बिठाकर समझने की कोशिश की कि इनके विचार क्या हैं, इनकी पद्धति क्या है और उसके बाद उनको अपनी पद्धति से पूजा करने के लिए मस्जिद बनाने के लिए अपने राज्य में जगह दी, राज्य के कोष से पैसा देकर उस मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक यही हमने ट्रीटमेंट किया, यही व्यवहार किया जब ईसाई यहां पहली बार इस धरती पर पैर रखने के लिए आये। ये दोनों बातें इतिहास में दर्ज हैं इसको कोई नकार नहीं सकता। पर उन सब का परिणाम क्या हुआ? उसके दुष्परिणाम इस देश ने भुगते। यह विशाल देश धीरे-धीरे करके छोटा होता गया, टुकड़ों-टुकड़ों में बंटता चला गया और कहां से बंटा? इस देश का वही हिस्सा अलग हुआ जहां इसका मूल धर्म हिन्दू अल्पमत में आ गया। इस तथ्यों को भी कोई नकार नहीं सकता।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

आज के 50 साल पहले, 60 साल पहले से लेकर आज तक का अध्ययन कर लें भारत के जिस भी प्रदेश में, जिस भी प्रान्त में अशांति, आतंकवाद पैदा हुआ है, अलगाववाद पैदा हुआ है उन सब में हिन्दू अल्पमत में आ चुका उसके बाद हुआ। चाहे नोर्थ ईस्ट की बात कर लीजिए, चाहे कश्मीर की बात कर लीजिए, कहीं की बात कर लीजिए, यह एक ऐतिहासिक तथ्य, सार्वभौम तथ्य है जिसे मेरे विरोधी भी नहीं नकार सकते और नकारेंगे तो वे उस कबूतर की तरह हैं जो बिल्ली को आते देखकर आंखें बंद कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं कपोल-कल्पित बातें नहीं कर रहा हूं ... (व्यवधान) जब आपको निगलेगी तो पता चलेगा।

सभापति महोदय, यह मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कहूंगा तो ये कहेंगे कि संघ का दीक्षित स्वयंसेवक है यह तो बोलेगा ही, पर जिनको ये मानते हैं, इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिनके कारण यह देश धर्मनिरपेक्ष घोषित हुआ, जिनके कारण आर्टिकल 25 इंक्लूड हुआ उन्होंने अपने राज्यादेश से एक आयोग का गठन किया था जिसका नाम है नियोगी आयोग। 1954 में वह आयोग बना था। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। इस पवित्र सदन के 70 प्रतिशत से ज्यादा सदस्य शायद उस समय पैदा नहीं हुए होंगे, उस समय उस नियोगी आयोग ने जो जांच की और जो रिपोर्ट की उसके कुछ अंश, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मामूली से अंश पढ़कर सुनाना चाहूंगा ताकि इस बिल का विरोध करने वालों की आंखें खुल सकें।

उस आयोग की रिपोर्ट के भाग 3, अध्याय 3 में लिखा है "35 करोड़ की आबादी वाले देश में जहां बहुसंख्यकों का धर्म हिन्दू धर्म है वहां लगभग एक करोड़ के अल्पसंख्यक आबादी वाले को प्रतिष्ठा और सम्मान के स्थान का आश्वासन दिया गया है संविधान के द्वारा।" यहां से वे शुरू कर रहे हैं और फिर वे कहते हैं, कितना विदेशी पैसा इस देश में आ रहा है और उस पैसे का क्या असर हो रहा है। दुनिया जानती है मिशनरियों का कार्य केवल ईसाई बनाना ही है। यह नियोगी आयोग बोल रहा है, जोगेश्वर गर्ग नहीं बोल रहा है। उन्होंने यह स्पष्ट कहा और इनके साधन क्या हैं, धर्म परिवर्तन के साधन हैं स्कूल, अस्पताल और अनाथालय और इन सब के माध्यम से वे कैसे-कैसे ईसाइयत का प्रचार करते हैं उसका इन्होंने पूरे विस्तार से वर्णन किया है। इसको प्रमाणित करते हैं उन्हीं के लोग। क्रिस्टी मण्डली का इतिहास, एक पुस्तक निकली। प्रो. आई.वी. जौहरी, एम.ए., बी.डी. (इंदौर), उनके द्वारा लिखी

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

हुई थी। कैथोलिक मिशन द्वारा ऋण का प्रलोभन देकर जो धर्मान्तरण हो रहा था उसके बारे में। अब यह धर्मान्तरण किसका, हिन्दू से ईसाई बनाने का नहीं था, यह धर्मान्तरण प्रोटेस्टेंट को रोमन कैथोलिक बनाने का, उस पर यह पुस्तिका है। शब्दावली देखिए। रोमन कैथोलिक मिशनरी गांव के कृषकों को कुछ रुपये उधार देने लगे और यह नियम ठहराया कि वे कृषक यदि रोमन कैथोलिक रहे तो उनको जो उधार दिया गया है सो वापस नहीं लिया जाएगा। परिणाम यह हुआ कि अन्य मिशन के बहुत से लोग रोमन कैथोलिक हो गये।

छोटा नागपुर का उल्लेख करते हुए रिवर्ड पैकेट पादरी लिखते हैं जो प्रोटेस्टेंट मत के पादरी थे वो लिखते हैं रोमन कैथोलिक मिशन सहकारी समितियों द्वारा आर्थिक सहायता के प्रलोभन, ऋण, नौकरी, स्कूल में नि:शुल्क शिक्षा और मुकदमे में धन की सहायता आदि के द्वारा प्रोटेस्टेंट वर्ग के लोगों में से अपने वर्ग में मिलने की प्रबल चेष्टा कर रहे हैं। प्रोटेस्टेंट भी ईसाई हैं, रोमन कैथोलिक भी ईसाई हैं, उसी क्राइस को मानने वाले हैं दोनों। उनमें से धर्मान्तरण करने के लिए ये-ये हथकंडे जिन लोगों ने अपनाये हैं वो हमको क्या बख्शेंगे? यह एक उद्धरण काफी है यह जानने के लिए कि यह जो अस्पताल खोले जा रहे हैं मिशनरीज के द्वारा ये जो स्कूलें खोली जा रही हैं, मिशनरीज के द्वारा ये सोसाइटियां खोली जा रही हैं उन सब के पीछे क्या उद्देश्य है यह एक उदाहरण पर्याप्त है। यह किसी हिन्दू की टिप्पणी नहीं है, यह किसी आरएसएस के लीडर की टिप्पणी नहीं है, यह जगदगुरू शंकराचार्य की टिप्पणी नहीं है, यह प्रोटेस्टेंट मत के एक पादरी की टिप्पणी है।

इससे भी ज्यादा स्पष्ट आप करना चाहें तो उदयपुर राज्य में मिशनरियों के प्रवेश पर रोक लगी हुई थी। वहां के राजा नाबालिग थे और राज्य का प्रबंध राजनैतिक विवाद द्वारा ही होता था। जून, 1935 में कर्नल मीग के पास यह रिपोर्ट पहुंची कि प्राय: 6 हजार व्यक्तियों ने बपतिस्मा के लिए याचना की है, ईसाई बनने के लिए याचना की है 6 हजार लोगों ने एक साथ। 1935 में रिपोर्ट पहुंची कर्नल बीग अंग्रेजों की सरकार के अधिकारी, उनके पास रिपोर्ट पहुंची तो उन्होंने जांच करवायी। उन्होंने रांची के बिशप से भेंट की और जानना चाहा।

क्या उन लोगों को ऋण आदि का प्रलोभन तो नहीं दिया गया है, बिशप ने इस पर उत्तर दिया, रांची के बिशप उत्तर दे रहे हैं, जिन लोगों को

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

रुपयों की आवश्यकता होती है, उन लोगों को मिशन ऋण देता है, ऐसा सुन कर दूसरे लोगों को ईसाई धर्म में प्रविष्ट होने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता है, कर्नल द्वारा बाकायदा इसकी जांच करवाई गई और उदयपुर राज्य के 15 गांवों का दौरा किया गया, उन्हें पता चला कि उदयपुर राज्य में एकदम से ईसाई बनने की बात निरी झूठी है, यह 6 हजार एक साथ कन्वर्ट हो रहे हैं, झूठी अफवाह है लेकिन आगे जो उन्होंने कहा, उन्हें उक्त दौरे में यह भी पता चला कि समस्त राज्य में समाचार फैलाया जा चुका है, कि तपकारा मिशन केन्द्र से बिना किसी जमानत के केवल हैंड नोट लिख देने मात्र से ऋण मिलता है और इसमें केवल एक शर्त होती है कि ऋण लेने वाले को अपनी चोटी कटा लेनी होती है, चोटी कहां तकलीफ दे रही है ऋण लेने में, चोटी कहां तकलीफ दे रही है सेवा करने में, चोटी कहां तकलीफ दे रही है मदद करने में? यह शर्त क्यों रखी गई यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपकी अक्ल पर तरस आता है। इतना स्पष्ट लिखा है, आपकी सरकार द्वारा आपके प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा आपकी पार्टी के थे वह उनके द्वारा स्थापित किए हुए नियोगी आयोग की रिपोर्ट में यह सारी बातें लिखी हुई हैं इसमें और भी ऐसी बहुत खतरनाक बातें लिखी हुई हैं। इन्होंने इस्लाम को भी नहीं बख्शा, आप सहिष्णुता की बात करते हैं न, विशाल ह्रदयता की बात करते हैं, इस्लाम के बारे में हजरत मोहम्मद के बारे में जिन शब्दों का उल्लेख हुआ था, कौन सी पुस्तक में? ईसाईयों के प्रचार का सच्चा मजहब कौन सा?, इस नाम से पुस्तिका निकली, उस पुस्तिका में हजरत मोहम्मद के बारे में जिन शब्दों में उल्लेख हुआ है, +++ यह पृष्ठ 9 में लिखा है उस पुस्तिका में और पता नहीं क्या-क्या लिखा हुआ है, अभी मैं बोलूंगा तो बवेला बच जाएगा। एक बात ही बहुत है जानने के लिए और इसी प्रकार से, उन्होंने हिन्दू देवताओं पर भी किया, +++ यह गुरु परीक्षा नाम की उसकी एक पुस्तक निकली उसमें लिखा है राम कृष्ण मुक्तिदाता नहीं हो सकते क्योंकि +++ ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): एक जरा सी चर्चा पर आपकी भावनाएं आंदोलित हो गई, मुझे बहुत फक्र है यह महसूस करके कि आपके अन्दर भी कहीं न कहीं भगवान मौजूद है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): बिलकुल ठीक है। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा जो यह भावना प्रकट की उनका स्वागत करता हूं। यह मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। यह कोटेशन मैंने नहीं बोले हैं, यह पुस्तिका भी मैं नहीं लाया, यह उन पुस्तकों में छपे हुए कोटेशन हैं जो पुस्तिका इस देश में आज से 54 साल पहले बांटी गई, यहां के लोगों के धर्म को परिवर्तित करवाने के लिए, यहां के लोगों को अपने धर्म से विमुख करने के लिए और अपने धर्म में मिलाने के लिए, अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और वह पुस्तिकाएं जो नियोगी आयोग के हाथ में पड़ी, उन्होंने पढ़ा और उन्होंने रिकार्ड पर लिया, यह एक संवैधानिक रूप से नियोगी आयोग, एक संवैधानिक पुस्तक हो गई, तरह से उसमें यह सम्मिलित कोटेशन है, इन कोटेशन के बारे में इतना सा सुनने के बाद जब हम इतना उद्वेलित हो रहे हैं तो उन पुस्तिकाओं को ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): और यह क्यों किया गया, माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आप नियोगी आयोग में से निकलवा दोगे क्या इन शब्दों को? नियोगी आयोग की रिपोर्ट में से निकलवा सकते हो तो निकलवाओ, यहां से तो तुरन्त मैं खुद निकलवा दूंगा। माननीय सभापति महोदय, इन सब बातों का उद्देश्य क्या था ? उस नियोगी आयोग में लिखा है, पेज 104 पर मसीह का साम्राज्य घर बंधु नामक के 1952 के अंक में पृष्ठ 12 पर प्रकाशित लेख, निराला राज्य और उसके कर्मचारियों में निम्न प्रकार युद्ध हुआ था, आज हमारे सामने सरगुजा का विस्तृत राज्य है जिसे मसीह के साम्राज्य में मिलाना है। स्पष्ट उद्देश्य था उनका, अब जमाना बदल गया, इक्कीसवीं सदी आ गई, इतने स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं वह, अब वह नाम परिवर्तन भी नहीं करते, अब वह सुशील कुमार रखते हैं नाम, सुशील कुमार

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

को ईसाई बना दिया, सुशील कुमार पाल, पूरा नाम हो गया, सुशील कुमार पाल, अजमेर में पधारे थे, देवनानीजी जानते होंगे, एस के पाल, वह सुशील कुमार पूरा नाम था, वह हमारे जालौर के आणखोल में धर्म परिवर्तन करवाने आए थे, वह सुशील कुमार पाल, पाल नहीं बोलेगा, आज हिन्दुओं से मिलेगा, गांव में जाएगा, सुशील कुमार ही बोलेगा, ताकि अगले को डाउट नहीं हो, यह तो सेवा कर रहा है, सांचौर तहसील के भीलों के गरीबों के बच्चों को वह ले गया, उधर गुजरात में बीसा के आसपास उनके हास्टल चल रहे हैं, उन हास्टल में ले गये, उनके सारे खर्चे का, उनका पढ़ना, लिखना, खाना, पीना सब कुछ और साल भर उस हास्टल में रहने के बाद जब वह बच्चा छुट्टियां मनाने के लिए गांव में आता है तो बिलकुल अप-टू-डेट, सूटेड, बूटेड बाबू बन कर आता है, बाकी सारे उसके मां-बाप भी हैरान रह जाते हैं, उसके रिश्तेदार हैरान रह जाते हैं और उसके साथ वाले, उसके आसपास के परिवार के बच्चे हैरान रह जाते हैं और वह भी कहते हैं कि हम भी जाएंगे। यह है तरीका उनका और यह पुराना तरीका है, 54 साल पहले का उदाहरण तो यह बिलकुल रिकार्ड है, वह मैंने आपके सामने रखे हैं। यह तरीका आज भी चल रहा है, यह तरीका उनका अस्पतालों के माध्यम से भी चल रहा है, यह तरीका उनके छात्रावासों के माध्यम से भी चल रहा है, यह तरीका उनके स्कूलों के माध्यम से चल रहा है और समय-समय पर ऐसे उदाहरण सामने आते रहते हैं। यह धर्म स्वातंत्र्य विधेयक सरकार जो ला रही है, उसका मैं स्वागत करता हूं इसलिए जो स्थिति नार्थ ईस्ट के राज्यों में बन गई, वह स्थिति राजस्थान में भी बन सकती है, आने वाले वर्षों में हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, हम शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गरदन रेत में धंसा कर बैठे हैं, जो होना है वह हो रहा है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर इन आदिवासी क्षेत्र में जाइए, उदयपुर क्षेत्र के इंटीरियर में, पहाड़ों में जाइए, जहां हमारे डाक्टर को नौकरी करने जाने में ही शर्म आती है, जहां हमारे अध्यापक को पढ़ाने जाने में शर्म आती है, तनख्वाह लेने के बाद भी तकलीफ होती है वहां जाने में, वहां वह लोग पहुंचे हैं, हम भी कहेंगे एक बार तो कि बेचारे सेवा ही तो कर रहे हैं, बेचारे उनको पढ़ा रहे हैं, बेचारे उनका इलाज कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप, पहली दृष्टि में देखने में यही लगता है कि वह सेवा कर रहे हैं पर उस सेवा के पीछे का उद्देश्य जो 54 साल पहले इस सरकार के आयोग ने स्पष्ट कर दिया था उससे हमको अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए और रहेंगे तो अपने देश के, प्रदेश के भविष्य के

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

साथ हम खिलवाड़ करेंगे, प्रदेश की भावी पीढ़ी को हम धोखा देंगे और इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को अवश्य पास करवाया जाए और इसको देर आयद दुरूस्त आयद, पहले होना चाहिए था, दो साल पहले, जो हुआ उसको भी अब कह रहे हैं, दुबारा क्यों लाए? मैं पूछता हूं वह क्यों रूका, वह क्यों रूका, कितने विधेयक रोके गये होंगे, इस पवित्र सदन में हजारों विधेयक पास होते हैं, सब पर दस्तखत होते हैं, जहां राज्यपाल महोदय के दस्तखत की आवश्यकता होती है वहां राज्यपाल महोदय दस्तखत करते हैं, जहां राष्ट्रपति महोदय तक जाने की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति महोदय तक जाते होंगे पर यह एक ही क्यों रूका ? इस प्रश्न का जवाब अब चूंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति संवैधानिक पद हैं, मैं उस बारे में कोई विवाद नहीं करना चाहता लेकिन इस प्रश्न का उत्तर भी सदन को देना होगा और कितना परिवर्तन आ रहा है, किस गति से परिवर्तन आ रहा है, यह मैं अपनी अंतिम बात करूंगा, यह जनसंख्या के कुछ आंकड़े रख कर।

1901, 1951, 1991 के कम्पेरेटिव तीन आंकड़े मेरे पास हैं। आसाम में 1901 में ईसाइयों की संख्या 0.4 प्रतिशत, 1951 में 2 प्रतिशत और 1991 में 3.32 प्रतिशत, यह आसाम के आंकड़े हैं। मणिपुर में 1901 में 0.016 प्रतिशत, 1951 में 11.84 प्रतिशत और 1991 में 34.12 प्रतिशत हो गई। अब भी आपकी आंख नहीं खुलती तो फिर आप जानो। मेघालय में 1901 में 6.16 प्रतिशत थी और 1951 में 24.66 प्रतिशत, 1991 में 64.58 प्रतिशत हो गई। 6 प्रतिशत से बढ़कर के 90 साल में 64 प्रतिशत हो गई। सभापति महोदय, 2001 का आंकड़ा तो इससे भी खतरनाक निश्चित रूप से होगा। मिजोरम में 1901 में 0.05 प्रतिशत थी और 1951 में 90.52 प्रतिशत हो गई यानि 50 साल में 90 प्रतिशत बढ़ गई। नागालैण्ड में 1901 में 0.59 प्रतिशत थी, 1951 में 46.05 प्रतिशत और 1991 में 87.47 प्रतिशत हो गई। हिण्डौली से आने वाले माननीय विधायक हरिमोहनजी कह रहे हैं कि यह एक्ट वहां लागू होगा क्या तो दुर्भाग्य इस देश का कि वहां यह एक्ट 50 साल पहले लागू नहीं हुआ इसलिए यह हालत हुई और यदि यहां लागू नहीं हुआ तो यहां के आदिवासी इलाकों के भी यही हालात होने वाले हैं। जरा नोर्थ ईस्ट के लोगों से पूछकर के आइये कि क्या हो रहा है। आज जब वहां का आदमी दिल्ली में किसी काम से आता है, सरकारी काम से, अपने एम.पी. से मिलने या किसी मिनिस्टर से मिलने आता

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

है तो वह अपने पड़ौसियों से कहता है कि इण्डिया जा रहा हूं। तो अरूणाचल प्रदेश इंडिया नहीं है? त्रिपुरा इण्डिया नहीं है? यह हकीकत है, कटु सत्य है जिसको हमको स्वीकार करना होगा। इस देश की यदि सार्वभौमिकता को बचाना है, इस देश की सम्प्रभुत्ता को बचाना है तो इस धर्म स्वातंत्र्य पर रोक अत्यन्त आवश्यक है।

सभापति महोदय, एक बात और मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा, इस सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा। पचासों साल पहले, 100 साल पहले जब भी कभी इस तरह के लोग चाहे आदिवासी क्षेत्र के रहे होंगे चाहे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग रहे होंगे, वो कन्वर्ट हो गये। आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादातर तो ईसाई बन गये। एससी के लोग, अनुसूचित जाति के लोग ज्यादातर मुसलमान बने, ईसाई भी बने। क्यों बने? आदिवासियों में तो शिक्षा नहीं थी, तकलीफ थी इसके उनकी सेवा के बहाने उन्होंने बना लिया। एससी के लोग क्यों बने? हिन्दू समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी थी छुआछूत, जिसको महात्मा गांधी ने कहा कि छूआछूत अपराध है। वो छुआछूत इस देश की धरती पर सैंकड़ों साल रही, हजारों सालों तक रही और उससे प्रभावित होकर, उससे पीड़ित होकर, उससे तिरस्कृत होकर कई लोगों ने ऐसे धर्मों की शरण ली जहां पर सब को समान समझा जाता था। वो लोग चले गये। अब उनकी कोशिश हो रही है कि जब वो उधर चले गये तो इधर के जो अधिकार थे, हिन्दू होने के नाते उनको जो अनुसूचित जाति के अधिकार प्राप्त थे, आरक्षण के अधिकार प्राप्त थे वो समाप्त होने ही थे, स्वाभाविक है। क्योंकि इस्लाम में तो छूआछूत होती नहीं और एससी को आरक्षण का एकमात्र आधार है यह, एसटी के लिए 5-5 आधार होंगे, एससी के आरक्षण का एकमात्र आधार है छुआछूत और मुसलमानों में छुआछूत नहीं होती। होती है तो माहिर आजाद साहब हों तो कह दें, जुबेर खान साहब कह दें कि होती है। ईसाईयों में भी नहीं होती। जब छुआछूत नहीं होती तो किस बात का आरक्षण? (व्यवधान) यातायात मंत्री से भी पूछ सकता हूं। उनसे तो पूछ रखा है मैंने, वो तो मेरे मित्र हैं। उनसे पूछ रखा है, आप लोगों से पूछना बाकी था।

श्री सभापति: अब आप कन्क्लूड कर लें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, जब छुआछूत नहीं तो अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण उनको नहीं मिलना चाहिए। यह केन्द्र सरकार

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

षड़यंत्र कर रही है अनुसूचित जाति वर्ग के साथ और अनुसूचित जनजाति वर्ग के साथ कि जो कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में चले गये उनको वापस, उधर का मजा भी ले लिया, इधर का आनन्द भी ले लिया, उधर की सुविधा भी ले ली और इधर की सुविधा भी उनको प्राप्त करने की भूख लग रही है और यह प्रलोभन देकर के आप अपना वोट बैंक मजबूत करना चाह रहे हैं। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। इसका विरोध होना चाहिए, यह नहीं होने देना चाहिए और मैं सरकार से चाहूंगा कि इस बिल में यह भी प्रावधान करें कि यदि कोई गलती से या सोच समझकर के जैसे भी करे, यदि अनुसूचित जाति वर्ग का कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म में चला जाए चाहे प्रेम से जाए, चाहे धोखे से जाए, चाहे दबाव से जाए तो उसको इधर से जो अधिकार मिल रहे थे वो सामाप्त होने चाहिए। यह धारा भी इसमें जोड़ी जानी चाहिए। इसी मांग के साथ, सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इस सदन से कि इस बिल को पास करें और मैंने जो संशोधन दिया है जनमत जानने के लिए परिचालित करने का, उसको मैं वापस लेता हूं।

श्री सभापति: श्री सुभाषचन्द्र बहेड़िया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री सभापति: ऐसे कोई शब्द कहें हों तो आप.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ×××

श्री सभापति: कमीशन को अगर कोट किया है..... (व्यवधान) एक मिनट आप विराज जाएं। I clarify. In case it is a quotation from Commission, आप उसको चैक कर लें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): एक मिनट। शक की जरूरत नहीं, मैं नियोगी आयोग की रिपोर्ट जो पुस्तक के रूप में छपी है उसको टेबल कर सकता हूं।

श्री सभापति: श्री सुभाष जी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री सभापति: मेरा पुन: सब से निवेदन है कि आप अपने समय का ध्यान रखें क्योंकि 35 और माननीय सदस्य हैं।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, मैं तो वैसे ही बहुत कम बोलता हूं और पांच मिनट से ज्यादा कभी बोला भी नहीं हूं। आज जो यह धर्म स्वातंत्र्य विधेयक जिसको इस सदन में विचारार्थ लिया गया, जिसको पारित करना है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? सभापति महोदय, दिनांक 7.4.2006 को ऐसा ही विधेयक इस सदन में पारित हुआ और माननीय महामहिम के पास गया पर संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत माननीय महामहिम का संदेश वापस सदन को नहीं मिला और यह लम्बित है और इसी वजह से आज यह वापस विधेयक यहां पर प्रस्तुत हुआ, विचारार्थ आया।

सभापति महोदय, भारतीय दर्शन किसी को भी कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए न तो प्रेरित करता है और न कोई उसमें व्यवस्था है। अपना जो संविधान है आर्टिकल 25 के तहत सबको अपना-अपना धर्म रखने की या सबको अपने-अपने धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता है और इसीलिए यह विधेयक, इसमें कहीं यह प्रतिबन्ध नहीं है कि धर्म परिवर्तन कोई नहीं कर सकता है। कोई भी काम करना है तो उसके नियम हैं या कैसे क्या है। इसमें भी ऐसा ही लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करना चाहे तो एक महीने पहले वहां जो भी अधिकारी है, एडीएम या जो भी है उनको सूचना दे दे कि मेरा इस धर्म से विश्वास हट गया है, मैं यह धर्म चैंज करना चाहता हूं और उसके लिए किसी को रोक नहीं है। जो यह कह रहे हैं, बार-बार की कि किसी को रोक रहे हैं यह बिलकुल गलत है। इस विधेयक में ही यह प्रावधान दिया गया है कि कोई भी धर्म परिवर्तन करना चाहे तो चैंज कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है लेकिन उसके अपने नियम हैं। यह सैक्शन 5 में जो प्रोसीजर है उसके तहत करे, किसी को कोई मनाही नहीं है। इसलिए यह कहना गलत है कि यहां यह रोक रहा है। जैसा अभी जालौर से आने वाले माननीय विधायक ने बताया कि बलपूर्वक, सेवा के माध्यम से, गलत तरीको से जो परिवर्तन हो रहा है उसको रोकने के लिए यह विधेयक लाया गया है। आज यह स्थिति कोटा में हुई है, इमानुअल मिशन और वहां पर जो पढ़ने वाले लड़के, क्योंकि अरूणाचल में यह धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, वहां पर धर्मान्तरण पर रोक है तो वहां के बच्चों को यहां पर ईसाई मिशनरी में लाकर उनका ईसाइकरण किया जा रहा है और इसी दृष्टि से यह जरूरी है कि यहां पर भी कोई न कोई ऐसा कानून बने जिसके कारण से जो गलत ढंग से क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में वहां पर धर्मान्तरण पर रोक है और उसी हिसाब से यहां लाकर चेंज करे, ऐसे कानून की यहां पर भी सख्त जरूरत है और यह बनना चाहिए।

(श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया)

सभापति महोदय, बस एक अपनी बात और कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 2006-2007 में वहां की तात्कालिक सरकार जो कांग्रेस की थी, उसने भी इस विधेयक को वहां पास किया और वहां यह प्रचलित है परन्तु मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पर क्यों इसका विरोध हो रहा है। इसका मेरे हिसाब से मैंने थोड़ा एनेलेसिस किया कि क्या कारण है विरोध करने का तो सभापति महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बिलकुल भी अल्पसंख्यक कहीं पर भी किसी चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं हैं और इस कारण से कांग्रेस ने वहां पर तो करवा दिया, वहां तो वोटों का चक्कर ही नहीं है। न तो कोई वह चुनाव प्रभावित करने की स्थिति में है और न कहीं है परन्तु यहां पर क्योंकि इनको डर लगता है कि कहीं हमारे वोट बिगड़ नहीं जाये इसलिए यह केवल उसको बताने के लिए कि हम विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं नहीं तो आज कोई एक ही पार्टी एक राज्य में विरोध करे और दूसरे राज्य में पक्ष करे, यह कुछ समझ में नहीं आता इसलिए सभापति महोदय, मेरा तो यही है सरकार से कि इस विधेयक को जल्दी से जल्दी पारित कराया जाये और मैं अपना दिया हुआ संशोधन है जनमत जानने के लिए परिचालित करने वाला, उसको वापस लेता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: अमरारामजी धोद।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ×××

एक माननीय सदस्य: ×××

श्री अमराराम (धोद): मैं आपके माध्यम से राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का जो प्रस्ताव किया है, मैं इस सम्बन्ध में मेरी बात रखना चाहता हूं। जब राजस्थान की विधान सभा ने, आपने विधेयक पास कर दिया, राज्यपाल के पास भेज दिया और उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के पास भेज दिया, मेरी समझ में नहीं आता कि इसको दुबारा आप जिस रूप में...

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): ×××

श्री अमराराम (धोद): नहीं, आप तो धर्म के नाम पर ही राजनीति कर रहे हो ना और इसीलिए ही दुबारा लेकर आये हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री अमराराम (धोद): मेरा तो नाम ही राम है, आपका राम से क्या लेना-देना? मेरा नाम अमराराम है और मेरे बाप का नाम श्री दल्लाराम है। (व्यवधान) आपका राम से क्या लेना-देना? आपको तो राम के नाम पर वोट लेना है...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अमराराम (धोद): हां, धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की न इस देश के संविधान से, न इस देश के संविधान का रिगार्ड करने की कभी भी इच्छाशक्ति नहीं रही। जब देश के प्रथम नागरिक के पास हमारा यह बिल गया हुआ है, उस रूप में जो भावनाएं लेकर दुबारा लेकर आये हो, वही बिल हमारे देश के राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है। केवल इनके नाम पर, साम्प्रदायिकता के आधार पर, अल्पसंख्यकों को भयभीत करने के लिए, बहुसंख्यकों के वोट प्राप्त करने के लिए दुबारा जो बिल लेकर आये हैं, मैं समझता हूं, कतई अब वह नहीं चलेगी। आपकी काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार-बार नहीं चढ़ती है, एक दफा चढ़ सकती है और मैं समझता हूं, राजस्थान में एक भी ऐसा केस नहीं हुआ होगा जो जोर-जबरदस्ती से, प्रलोभन के आधार पर, जिस इम्मानुएल मिशन की बात कर रहे हैं, जहां हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रीजी बड़ा दावा करते हैं, क्या हालत है आज? आपने कोटा के अन्दर जो गैर कानूनी कार्यवाही की, उसमें तय रूप में राजस्थान की सरकार को भोगना पड़ा कोर्ट के माध्यम से, आज वही लोग बिल के ऊपर कहना चाहते हैं। आज राजस्थान की मुख्य मंत्री के निवास के पास योजनाबद्ध ढंग से जिस तरह से हमले किये जाते हैं, जिस तरह से इसका उपयोग किया जाता है, जिस तरह से अल्पसंख्यकों को भयभीत करके, वोटों की राजनीति करने के लिए, इसलिए मैं समझता हूं कि आप वोट के लिए विकास के नाम पर राजनीति करें, यह हमारी मुख्य मंत्रीजी ने कहा है लेकिन जिस तरह से इस कानून को लेकर आये हैं, राजस्थान में एक भी ऐसा उदाहरण प्रलोभन के माध्यम से या जोर-जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन करने की कोई घटना हुई हो, मैं तो समझता हूं कि आज भी...

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री अमराराम (धोद): आपने तो परिवर्तन कर लिया धर्म का... (व्यवधान) आप राजेन्द्रजी को दे देना। आपने परिवर्तन किया है। इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, इसलिए यह इनको बता दो आप। इसलिए सभापति महोदय...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री अमराराम (धोद): सी.पी. साहब, ये सभी के खास रहते हैं जो भी मुख्य मंत्री रहते हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

श्री अमराराम (धोद): मूल धर्म में आने के लिए, मूल धर्म कौनसा है, आज व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो भी उसकी व्यक्तिगत इच्छा है, मैं समझता हूं कि धर्म को राजनीति में इस्तेमाल करने का सबसे खतरनाक काम और नहीं हो सकता, समाज को, देश को, प्रदेश को बांटने के अलावा, मैं यह समझता हूं, धर्म व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उनकी मनोकामना है, उसकी आस्था का सवाल है, यह कोई राजनीति का विषय नहीं है। राजनीति विकास के लिए होती है...

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): ×××

श्री अमराराम (धोद): भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है?

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री सभापति: यह हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर विश्लेषण बाद में कर लेंगे। आज इस बिल पर चर्चा कर लें।

श्री अमराराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य अनभिज्ञ आदमी हैं। 1962 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) बनी नहीं थी...

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): ×××

श्री सभापति: अब आप लोग कृपा करके बिराज जाइये। आदरणीय सदस्य, कृपा करके बिराजिये. What should you get agitated? Let him say what he has to say. बिराज जाओ, बिराज जाओ श्रीमान्, बिराज जाइये।

श्री अमराराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, 1962 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) नहीं थी और मैं समझता हूं कि कम्युनिस्टों ने जो 1962 में कहा, वह आज पूरे हिन्दुस्तान में हर पोलिटिकल पार्टी कहती है कि पड़ोसी देश से संघर्ष करने की बजाय वार्ता से सम्बन्ध बढ़ाये जाने चाहिए। जो हमने 1962 में कहा, आज हिन्दुस्तान में वह भारतीय जनता पार्टी भी वही कहती है जो देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी वही कहते हैं जो 1962 में कम्युनिस्टों ने इस देश के लिए कहा था कि भारत और चीन को आपस में सीमा के विवाद को लेकर संघर्ष नहीं करना चाहिए...

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री अमराराम (धोद): उस पर भी कर लें बहस।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री अमराराम (धोद): आजादी की लड़ाई की बात हो और भारतीय जनता पार्टी करे और जनसंघ करे, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। देश की आजादी के लिए लड़ने वालों के खिलाफ अंग्रेजों के पक्ष में कोई गवाही देने वाले लोग हैं, वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल है और आज भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो देश की आजादी के लिए एक दिन भी जेल गया हो। अगर देश में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक व्यक्ति भी ऐसा बता दें जिन्होंने देश की आजादी के लिए एक दिन जेल काटी हो केवल, मैं नहीं कहना चाहता, चाहे वह आजादी की लड़ाई हो, चाहे आजादी के बाद जो सच्चाई है वह कही तो मैं समझता हूं सच्चाई सुनने में बड़ी तकलीफ होगी। (व्यवधान) चाइना में जो हमने 62 में कहा, आज वह हिन्दुस्तान की हर पालिटिकल पार्टी कहती है। (व्यवधान) वही हुआ जो छियालीस दफा आपने किया। इसलिए मैं सभापति महोदय, यह केवल उनकी बातों को लिये, साम्प्रदायिक एजेंडे को लेकर जो आरएसएस, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी केवल उनका एक मुखौटा है, एक राजनैतिक विंग है, जो कुछ भी फैसला उसके कारण से दोबारा राजस्थान की विधान सभा के सामने यह बिल लाया गया है,

(श्री अमराराम)

मैं समझता हूं यह राजस्थान के अहित में है, राजस्थान की एकता के खिलाफ है, यह केवल अपनी साम्प्रदायिक राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, अल्पसंख्यकों को भयभीत करने के लिए जो यह विधेयक लाया गया है, किसी भी सूरत में पास नहीं किया जाना चाहिए, यह राजस्थान के अहित में है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, इसलिए मैं इसका सख्त विरोध करता हूं और इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाना चाहिए, आम जनता के बीच में ले जाना चाहिए। सभापति महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हरिमोहनजी शर्मा। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं विनम्रता के साथ आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं जब अपनी बात यहां रखूं तो सत्ता पक्ष के लोग उसको गम्भीरता से सुनें, मानने योग्य है तो उसको माने, नहीं मानने योग्य है तो नहीं माने और मानने योग्य होने के बावजूद भी नहीं माने तो भी मुझे कोई एतराज नहीं है। अजीब संयोग है सभापति महोदय। अजीब संयोग है, आज जिस हम धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर चर्चा करने जा रहे हैं और धर्म परिवर्तन के नाम पर अपने-अपने ढंग से व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं लेकिन यह कुदरत इसके ठीक विपरीत सोच रही है इस हिन्दुस्तान में। कल 21 जनवरी है और 21 जनवरी यह वर्षों बाद, सैंकड़ों वर्ष बाद एक पहला दिया आया है माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान) 21 मार्च, वर्षों बाद, सैंकड़ों वर्षों बाद यह पहला दिन आया है कि जब कुदरत ने होली के रूप में हिन्दू समाज के इस त्यौहार को कल का दिन चुना है और आप यह देखिये कि संयोग से जो मुसलमान वर्ग है उनका ईद मिलानदुब्बी का त्यौहार भी कल ही है। यही नहीं, सिख सम्प्रदाय, इनका होला और महला का पुण्य दिन भी कल ही आया है और अफसोस इस बात का है कि जिस दृष्टिकोण से हम विचार कर रहे हैं, ईसाईयों का गुड फ्राइडे भी कल ही मिलाया है। चार धर्मों का एक दिन मिलान कुदरत का करिश्मा है नहीं तो और क्या है। उसके ठीक विपरीत कुदरत हम सब धर्मों को एक दृष्टिकोण से, एक सोच से, एक साथ लेकर के चलना चाह रही है और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार उससे ठीक एक दिन पहले धर्म स्वातंत्र्य बिल लाकर विघटन पैदा करना चाहती है और धर्मों में आपसी रंजिश पैदा करना चाहती है। एक अजीब संयोग

(श्री हरिमोहन शर्मा)

है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय, वैधानिक प्रश्न पर, आप जानते हैं इस बात को कि 2006 में आपने यह बिल पास किया, माननीय राज्यपाल को आपने भेजा। भेजने के पश्चात् राज्यपाल ने महामहिम राष्ट्रपति को यह भेज दिया। राष्ट्रपति के पास यह बिल आज भी विचाराधीन है। यह निर्विवाद बात है। इसके बाद दूसरा बिल 2008 में यहां लेकर के आये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके जो आब्जेक्ट्स और उसके जो आब्जेक्ट्स हैं, जैसा माननीय कल्ला साहब ने कहे, एक शब्द का अंतर भी 2006 के बिल में और 2008 के बिल में अलग-अलग नहीं है। नाट ए सिंगल वर्ड। जो वर्डिंग्स इसमें है उसकी डिटो कॉपी आपने 2008 में की है। उद्देश्य एक है, 2006 के और 2008 के। तो क्यों कर उन्हीं उद्देश्यों के लिए क्या एक विधेयक माननीय राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है तो क्या वैधानिक रूप से उन्हीं उद्देश्यों के लिए दूसरा बिल ला सकते हैं। मैं दावे से कहता हूं माननीय सभापति महोदय, कि कानूनी प्रावधान के अनुसार यह दूसरा बिल इनका लाना शत-प्रतिशत अवैधानिक और अनकांस्टीट्यूशनल है। या तो यह मंशा हो सकती है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और विशेष रूप से राजस्थान सरकार की, हमेशा कांस्टीट्यूशनल अथारिटी को चैलेंज करने का मानस इनका रहा है। कांस्टीट्यूशन में जो लिखा है उस अथारिटी को हमेशा चैलेंज करते रहे हैं, चाहे संसदीय सचिवों का शपथ का मामला आया हो, सरकार ने स्वीकार किया और राजस्थान के सभी लोगों ने स्वीकार किया हो लेकिन उस कांस्टीट्यूशनल अथारिटी की हत्या करने का यह हमेशा प्रयास करते रहे हैं। क्या कारण है, माननीय सभापति महोदय, कि जो कांस्टीट्यूशनल अथारिटी गवर्नर है, कांस्टीट्यूशनल अथारिटी जो प्रेसीडेंट आफ इण्डिया है, उनके पास यह विचाराधीन है, यह उस कांस्टीट्यूशनल अथारिटी की हत्या करके उसको चैलेंज करने के रूप में इस बिल को दोबारा यह यहां रख रहे हैं, इनकी आदत में है कि कांस्टीट्यूशनल अथारिटी की इज्जत नहीं करनी, बेइज्जती करनी है, इसके लिए राजस्थान सरकार सबसे आगे चल रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रश्न इसमें यह है कि पहले वाला जो आपका विधेयक जो माननीय राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है, क्या वह समाप्त हो गया, क्या वह मौजूद है, क्या उस पर विचार किया, तो पेण्डिंग है या वह बिल समाप्त हो गया।

मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, आर्टिकल 200 और 201, दो आर्टिकल हैं जिसमें बिल पास करने के बाद राज्यपाल के पास

(श्री हरिमोहन शर्मा)

और महामहिम राष्ट्रपति के पास जाते हैं। राज्यपाल ने उस बिल को महामहिम राष्ट्रपति के पास भिजवा दिया। राष्ट्रपति के पास वह अभी विचाराधीन है। अगर किसी आब्जर्वेशंस के साथ वह अगर उस बिल को रिटर्न करते, उन संशोधनों के साथ या अपने हिसाब से यह उसी बिल को दोबारा यहां पर पास करते तो राष्ट्रपति और राज्यपाल उन बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य हैं। वह काम तो हुआ नहीं, बिल आया नहीं, उस पर विचार हुआ नहीं, उसके लिए छह माह की अवधि तय थी कि उनके भेजने के बाद राजस्थान सरकार छह माह के अन्तर्गत उसको दोबारा पास करके जैसा भी वह चाहे, उस हिसाब से भेज देगी।

माननीय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा ही एक मसला कि बिल जिंदा है या मर गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने आया मान्यवर। सन् 1962 में सुप्रीम कोर्ट के सामने यह आया कि राष्ट्रपति के पास एक बिल पेण्डिंग था, उन्होंने उस पर असेंट भी नहीं दी और अपने पास उसको रखा। कोई करिश्मा, कोई बात ऐसी हुई कि विधान सभा भंग हुई। विधान सभा के बाद जब यह दूसरा बिल वहां पर रखने की बात आई, तो उसमें यह बात हुई कि वह पहले वाला बिल, पहले वाला बिल ही विधान सभा में उन्होंने रखा है तो प्रश्न यह पैदा हो गया कि जब प्रेसीडेंट ने गयी विधान सभा में उसको असेंट नहीं दी तो वह बिल दोबारा नहीं रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में यह मसला गया, सुप्रीम कोर्ट में मसला जाने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, यह सुप्रीम कोर्ट... (व्यवधान) मान रहे हैं तो मैं मेरी बात कह दूं ना। आप यों नहीं मानेंगे। तो मेरी गृह मंत्रीजी ने और सरकार ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग में ज्युडिशियल रिमाण्ड की बात नहीं मानी थी तो वहां से वापिस आई तो नीचे देखना पड़ा ना। इसलिए मैं मेरी सलाह दे रहा हूं, मानना, नहीं मानना आपके हाथ की बात है। यह सुप्रीम कोर्ट है, गजेन्द्र गडकर, ए.के. सरकार, के.एन. वांचू, के. सी. दासगुप्ता एण्ड राजगोपाल एन. अय्यर, यह पांच जजेज की बैंच है। इसके पैरा नम्बर सोलह में प्रश्न यह हुआ कि यह बात, क्या प्रेसीडेंट और क्या गवर्नर उसको बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए, असेंट देने के लिए कोई टाइम लिमिट है। इन्होंने यह होल्ड किया कि संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए असेंट देने या न देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया और जब समय निर्धारित नहीं किया तो वह बिल आज भी सरवाइव

(श्री हरिमोहन शर्मा)

करता है और यह इन्होंने जो होल्ड किया है, इसका पैरा नम्बर 16 मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, "It is clear that if a Bill pending assent of the Governor or the President is held to lapse on the dissolution of the Assembly, it is not unlikely that a fair number of Bills which may have been passed by the Assembly during the last 6 months of its existence may be exposed to the risk of lapse consequent on the dissolution of the Assembly, unless assent is either withheld or granted before the date of the dissolution. If we look at the relevant provisions of Articles 200 and 201 from that point of view, it would be significant that neither Article provides for a time limit within which the Governor or the President should come to the decision on the Bill referred to him for his assent. Where it appears necessary and expedient to prescribe a time limit, the Constitution has made appropriate provisions in that behalf vide Article 197 (1)(b) and (2)(b). In fact, the proviso to Article 201 requires that the House to which the Bill is remitted with a message from the President shall reconsider it accordingly within a period of 6 months from the date of the receipt of such a message. Therefore, the failure to make any provision as to the time within which the Governor or the President should reach a decision may suggest that the Constitution-makers knew that a Bill which was pending assent of the Governor or the President did not stand the risk of lapse on the dissolution of the Assembly. This is why no time limit was prescribed by Articles 200 and 201. Therefore, in our opinion, the scheme of Articles 200 and 201 supports the conclusion that the Bill pending the assent of the Governor or the President does not lapse as a result of the dissolution of the Assembly and incidently shows the provisions of Art. 196 (5) are exhaustive." निवेदन यह करना है कि वह बिल सरवाइव करता है और जब वह बिल सरवाइव करता है तो आप दूसरा बिल नहीं ला सकते। मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप विराज जाइए, आप दे देना जवाब, इतना बढ़िया आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं तो भी आप नाराज हो और जब बोलते हैं तब तो परेशानी होना स्वाभाविक है, वह बात तो बोल ही नहीं रहा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपने लॉ सेक्रेटरी की राय ली है। आपने ला सेक्रेटरी ने जो राय दी है, उसने यह राय दी है, जो मुझे जानकारी है कि जब तक उस प्रीवियस बिल को आप असेम्बली में लाकर के उसको विड़ा नहीं करवाओगे तब तक वह एग्जिस्ट करेगा। यह राय दी आपके ला सेक्रेटरी ने, यह लीगल ओपिनियन यह सारे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हैं, इस हिसाब से ओपिनियन दी है। आपने रास्ता

(श्री हरिमोहन शर्मा)

निकाला है, रास्ता आपने निकाला है, आपने एडवोकेट जनरल का, मैं कहता हूं माननीय सभापति महोदय यह सरकार माननीय सभापति महोदय आप अध्यक्ष हैं, ऐसे-ऐसे काम कर रही है, एडवोकेट जनरल को यहां बुलवाइए आप, एडवोकेट जनरल को यहां बुलाकर के आप राय लीजिए और हमारे सामने वह अपनी बात रखे, हम भी उनसे प्रश्न करें और फिर अगर राय पर यह स्टैण्ड करता है तो कोई बात एडवोकेट ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): You are not taking it seriously. यहां पहले बुलवाया जा चुका है एडवोकेट जनरल को, पहले दो बार बुलवाया जा चुका है, महावीरजी जानते हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तो जो एडवोकेट जनरल की राय और लॉ सेक्रेटरी की राय में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हम जानना चाहते हैं ... (व्यवधान) आप क्या है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एडवोकेट जनरल दे सकते हैं कोई भी राय, अपनी राय डिफर हो सकती है, ला सेक्रेटरी से उनकी डिफर हो सकती है, मैं यह कहता हूं कि एडवोकेट जनरल ने जो राय दी है, मेरी राय यह है कि वह शत-प्रतिशत राजनीतिक दबाव के कारण इस बिल को पास करवाने के दृष्टिकोण से ही उन्होंने दी है। संवैधानिक राय उनकी नहीं है और आप उसको संवैधानिक राय मानते हैं तो आप हमारे सामने विधान सभा में बुलाइए यहां उनको खड़ा कीजिए और वह उनकी राय दे और हमको भी अधिकार है कि हम उनसे प्रश्न पूछें, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि एडवोकेट जनरल भी अपने यहां....

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यहां ला सेक्रेटरी को नहीं बुलाया जा सकता, ला सेक्रेटरी को नहीं बुलाया जा सकता, कमेटी की मीटिंग में आप बुला

(श्री हरिमोहन शर्मा)

सकते हो, यहां नहीं बुलाया जा सकता, असेम्बली में नहीं बुलाया जा सकता। आप इसको सलेक्ट कमेटी में भेज दो, सलेक्ट कमेटी में भेज दो वहां ला सेक्रेटरी से बात कर लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तो मैं उम्मीद करता हूं सभापति महोदय से कि इन सारी लीगल परिस्थितियों के हिसाब से आप इस बात का फैसला करें। एडवोकेट जनरल को इस विधान सभा में इस बिल के सम्बन्ध में आप उपस्थित होने और यहां बुलाकर के उनसे व्यापक राजस्थान के हित में, राष्ट्र के हित में उनसे हमको जानकारी लेने का आप फैसला करें। यह आपके ऊपर निर्भर है। संवैधानिक रूप से वह यहां के हाउस के मेम्बर हैं और आप एक निष्पक्ष रूप से निर्णय करने वाले व्यक्ति हैं। इसको पूरा जमाना जानता है। उस हिसाब से राजनीतिक मोह से ऊपर उठकर के हम इस बात का फैसला करें कि एडवोकेट जनरल यहां आकर अपनी राय दे। अभी चर्चा हो रही थी, आपने यही नहीं किया दिमाग तो आपका है ईसाई धर्म को ...(व्यवधान) का, दिमाग तो आपका है कोई मुसलिम धर्म स्वीकार करे तो उसको सलाम-सौट, मूल भावना आपकी यह है, उस मूल भावनाओं में आप ऐसे बहे कि आपने यही ख्याल नहीं रखा कि आपने जो प्रोविजन किए हैं उससे हिन्दू आपस में एक दूसरे से लड़ नहीं जाएगा। आपने यह नहीं सोचा सेन्सेस हुआ, सेन्सेस में रीलिजन लिखा गया, हमने हिन्दू धर्म लिखाया है, जैनियों ने कहा नो, जैन धर्म लिखेंगे नोट हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, अलग अलग धर्म है तो क्या अभी तक के इतिहास में जो हिन्दू समाज के 24 तीर्थंकर जैन समाज में जाकर के बने हैं और अभी कोई हिंदू जैन समाज में जाना चाहेगा तो कलक्टर से परमिशन लेगा, उसको दरख्वास्त देगा, 30 दिन का नोटिस देगा, कलक्टर फैसला करेगा कि आप जैन धर्म में आइए और कलक्टर नहीं करेगा, दरख्वास्त नहीं दी तीर्थंकर बनने के लिए तो उस पर एक हजार रूपए जुर्माना यह सरकार कर देगी। हिंदू को हिंदू से ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): धर्म परिवर्तन है, आप तो उसके नीचे की स्टेप में नहीं आ रहे हो, मैं मानता हूं कि तीर्थंकर बनना तो दूसरी बात है ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हमारे यहां मेरे ज़िले में कई अनुसूचित जाति के लोग विशेष रूप से मैं मदनजी दिलावार से कहूं, इन्हीं की जाति के और इन्हीं के धर्म के लोग जैन धर्म उन्होंने स्वीकार कर लिया पूरे जैनी हैं, खाने-पीने में सब तरह से, आचरण में उसमें अब वो दरख्वास्त देंगे। मदनजी दिलावर कहेंगे कि दरख्वास्त दो तुम जैनियों में क्यों चले गये, हमारी जाति को क्यों कम कर रहे हो? भले ही हिन्दू हो लेकिन रहो तो हमारी जात में ही, यह कोई बात हुई आपकी। अब कोई सिख है, धर्म परिवर्तन करना ...(व्यवधान) आप विराज जाएं। माननीय सभापति महोदय, आप उनको रोक दीजिये। आप उनको रोक दीजिये। आप समझो न। आपके प्राविजन है। आपके प्राविजन है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपका इंडिपेंडेंट प्राविजन है। आप नहीं है नॉट एट आल। उन्होंने लिखा है कि हमारा धर्म अलग लिखो, जैन धर्म लिखो सेंसस में। सिख अलग धर्म है, जैन अलग धर्म है, बौद्ध अलग है, ईसाई अलग हैं, अल्पसंख्यक अलग है।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अल्पसंख्यक नहीं।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मुसलिम धर्म है न।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ऐसा है मदनजी दिलावर, मैं क्या बोल रहा हूं उसका मुझे पता है लेकिन सारे स्टेटमेंट अगर आपके ठेठ से ठेठ तक जो टीवी में और यहां दिये हैं, तो आदमी कहेगा कि कोई मेंटल केस है क्या।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): किस बात के लिए देखो बात सुनो महावीरजी, जहां तक क्षमा मांगने की बात है न इस सदन का जो यह अपने शासन का भी अंतिम वर्ष है हमारा भी सबका, इस सत्र का अंतिम वर्ष है, उस दिन जाते वक्त सबसे क्षमा मांगूंगा बिना काम तो क्यों मंगवाते हो। इसी प्रकार से सिख धर्म है कोई हिन्दू सिख धर्म में जाना चाहता है, कलक्टर को दरख्वास्त दे, कोई सिख हिन्दू धर्म में आना चाहता है कलक्टर को ...

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):

श्री सभापति: आप इनको बीच-बीच में नहीं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप बीच में नहीं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तो मेरा माननीय सभापति महोदय, बहुत संक्षेप में आपसे निवेदन करना है कि आपकी भावना तो थी कि ईसाई नहीं बने, उनकी इंस्टिट्यूशन नहीं चले, उनकी इंस्टिट्यूशन सबसे टाप इम्मानुएल स्कूलें चलें तो आप उस पर कब्जा कर लें और मदनजी दिलावर को उस जगह पर बैठा दें ...(व्यवधान)मेरी बात सुनो। इसलिए आपने प्राविजन 16, कि कोई इंस्टिट्यूशन अगर इस काम में लिप्त होगी तो हम उसका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर देंगे। जब प्राविजन आप अब जोड़ रहे हो तो पहले कैसे रिजेक्ट कर दिया आपने बिना कानून के ही, कैसी सरकार है बिना कानून के ही काम कर रही है और प्राविजन अब जोड़ रहे हैं। ये जो चीजें हैं ये जो बातें हैं ये शोभाजनक नहीं हैं। हम जानते हैं कि बहुमत आपके पास है और ये बिल आप चाहोगे जैसे ही पास होगा लेकिन यह बात भी आपको याद रहे कि इन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने के बाद वही स्थिति आपकी इस बिल में भी होने वाली है चाहे आप गवर्नर को भेज देना, चाहे आप राष्ट्रपति को भेज देना, एक बिल के रहते अवैधानिक कार्यवाही साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के उद्देश्य से हिन्दू को हिन्दू से लड़ाने के दृष्टिकोण से जो आपने इसमें धारा जोड़ी है एक सम्प्रदाय को उससे लड़ा करके, एक को उससे करके नफरत पैदा करने का काम जो 21 मार्च के एक दिन पहले आप करने जा रहे हो इससे ज्यादा राजस्थान की इस सरकार के लिए शर्म की बात नहीं हो सकती। मैं कहता हूं कि आज भी हमारे जो गुजरात के मुख्य मंत्री हैं वो

(श्री हरिमोहन शर्मा)

आपसे ज्यादा कट्टर हिन्दूवादी हैं उन्होंने क्यों किया उन्होंने बिल विदड्रा कर लिया। उन्होंने कहा कि स्थिति बिगाड़ने वाला है गुजरात सरकार ने बिल वापस ले लिया। मेरा विनम्र शब्दों में सभापतिजी के माध्यम से राजस्थान की सरकार से विनम्र अनुरोध है कि उन कट्टरवादी सोच ने ही जब इस साम्प्रदायिक सद्भाव को बनाये रखने का फैसला कर लिया तो माननीय गृह मंत्री जी आप कृपा करके इस बिल को विदड्रा कर लें और विदड्रा नहीं करें तो जनमत जानने के लिए इसको प्रस्तावित कर दें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैंने इस राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 को जनमत जानने हेतु प्रस्ताव दिया है उसके ऊपर अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, क्योंकि पुराने लोग मुझे जानते हैं, घनश्याम तिवाड़ी जी जानते हैं, गुलाबचन्द कटारियाजी जानते हैं, राजेन्द्र सिंह राठौड़जी जानते हैं, जानते तो मदन दिलावर जी भी हैं लेकिन ये किसी चीज में जकड़े हुए हैं उससे आगे निकल नहीं पाते हैं। आदरणीय दवे साहब जानते हैं, आदरणीय नाथूसिंहजी जानते हैं मैं वो शख्स हूं जो चाहे गौमाता का सवाल हो, चाहे भारतीयता का सवाल हो मैं पहले भारतीय हूं उसके बाद में मुसलमान हूं। मैं कभी भी कोई ऐसी बात सदन में नहीं कहता जिससे धर्म के लोगों में, तो मैं कोई बात अपनी रखना चाहता हूं उसको शांति से सुनें और अगर किसी को लगता है कि वो गलत बात है तो उसको चाहे आप एक्सपंज कर दीजियेगा।

आदरणीय सभापति महोदय, संविधान के आर्टिकल 25 में साफ है Right to Freedom of Religion. Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion.

ये जो बिल आ रहा है आज विधान सभा में चर्चा में है ये संविधान के आर्टिकल 25 के खिलाफ है क्योंकि कुछ ऐसे प्राविजंस हैं कि जो इसमें नहीं होने चाहिए। दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक सेकुलरिज्म का बड़ा हमारे संविधान में हमने सेकूलर स्टेट माना है और सेकुलरिज्म के बारे में मैं दो लाइन सुनाना चाहता हूं जो आन्ध्रप्रदेश के हाइकोर्ट ने कहा है "The Andhra Pradesh High Court in Athiest Society V/s Govt. of A.P. observed that secularism is an ideal, an inspiration, a goal as well as striving a produce as well as a process. It is the mode of aggregation rather than segregation of syntheses rather than separatism of pluralism rather than dominance."

(श्री जुबेर खान)

उस सिद्धांत को हम मानने वाले लोग हैं और इस देश में अनेकों धर्म हैं और धर्म के बारे में तो घनश्यामजी जानते हैं, धर्मशास्त्रियों के मुताबिक, मानव शक्तियों के मुताबिक, दर्शनशास्त्रियों के मुताबिक, विद्वानों के मुताबिक धर्म के क्या तंत्र हैं, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास और आस्था है, यही है न घनश्यामजी? धर्म धार्मिक प्रतीकों व पुस्तकों की पवित्रता की मानसिकता है। धर्म प्रार्थना, पूजा व अराधना में तारतम्यता ...(व्यवधान) तारतम्यता, हमारे पास बैठे हैं साहब डा. बुलाकीदासजी और समानता व बंधुत्व यही है न घनश्यामजी? अब ईमानदारी से अपना मन टटोल लीजिये कि ये कितने इस बात को मान रहे हैं और धर्म के लक्षण जो मनु स्मृति में दिखाये गये हैं 10 लक्षण वो क्या हैं धैर्य, क्षमा, मन की शुद्धि, चोरी नहीं करना, इंद्रिय निग्रह, स्वच्छता, बुद्धि, विद्या, सत्य, आक्रोश और आप दोनों अनुभवी कितनी बार यहां कितना गुस्सा कर जाते हैं तो मुझे भी लगता है कि आप लोगों को तो गुस्सा नहीं करना चाहिए और इसके अलावा श्रीमद् भागवत के अनुसार, कहां लिखा है यह भी बताऊं क्या स्कंध सात में? कहां लिखा है ये तो आपको पता होगा, अध्याय 11 के श्लोक 8 से 12 में धर्म के 30 लक्षण हैं जो 10 ये मनु स्मृति है इसके अलावा और भी हैं ईश्वर की भक्ति, सेवा, पूजा और अराधना, ईश्वर के प्रति समर्पण, स्वाध्याय, सरलता, सहजता, संतोष, आत्मचिन्तन, मौन, समदर्शी महात्माओं की सेवा, आत्म शुद्धि यही है न तो फिर इसमें क्या दिक्कत आ रही है, कौन से धर्म में नहीं है ये? कोई ऐसा धर्म है क्या जिसमें इनको नहीं माना जाता हो और सभी धर्मों में अलौकिक शक्ति को मानते हैं उसको अल्लाह के नाम से जान लो, उसको ईश्वर के नाम से जान लो, उसको परमात्मा के नाम से जान लो, उसको गॉड के नाम से जान लो तो फिर यह फर्क क्यों? यह फर्क हम लोगों ने अपने स्वार्थों के लिए कर दिया चाहे राजनीतिक स्वार्थ हो, चाहे आर्थिक स्वार्थ हो, चाहे टेरीटरी का स्वार्थ हो, कोई भी स्वार्थ हो सकता है। मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि हर धर्म का कोई एक प्रचारक रहा है। इस्लाम धर्म में हजरत मोहम्मद साहब रहे, ईसाई धर्म में ईसा मसीह साहब रहे यह अलग है कि इस्लाम धर्म मानता है कि उनके प्रचारक थे, ईसाई धर्म मानता है कि उनके पुत्र थे और जैन धर्म महावीर भगवान को मानता है और सिख धर्म गुरुनानकजी को मानता है और उसके बाद दसवें गुरु गोविन्दसिंहजी तो कह ही गये कि अब के बाद में गुरु ग्रन्थ साहिब ही सब कुछ है इन्हीं को मानना है।

(श्री जुबेर खान)

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा सबसे पुराने वेद पुराण है ना, क्या लिखा है सर्वधर्म सद्भाव। सभी धर्मों के प्रति आदर भाव और सम्मान, यही है ना। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा है वसुदेव कुटुम्बकम, सारा संसार एक परिवार है। उन वेद और पुराणों को मानने वाले सारे विश्व को जब एक परिवार मान सकते हैं तो राजस्थान में जैसे आदरणीय मुख्य मंत्रीजी कहती हैं कि मेरी तो इच्छा है कि सब एक थाली में खाये। एक थाली का मतलब यह है कि सब एक जैसा खाये वह अलग है कि मिश्रण क्या हो और वहां आप इस तरह का बिल ला रहे हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा हम तो 90 से राजनीति में हैं हमने तो कहीं नहीं सुना कि कोई धर्म परिवर्तन हो रहा है। कानून क्यों बनाये जाते हैं, कोई बुराई को रोकने के लिये या किसी चीज को कंट्रोल करने के लिये या जनता की समस्या के निराकरण के लिये। राजस्थान में कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुए हैं। पिछले 10-15 साल में भैरोंसिंहजी भी रह लिये, गहलोत साहब भी रह लिये, अब सवा चार साल से वसुंधराजी के नेतृत्व में आप लोग भी बैठे हैं। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हां यह जरूर हमने अखबारों में पढा है कि आदिवासी क्षेत्र में इतने हजार लोगों ने वापस अपना हिन्दू धर्म अपनाया। क्या उसके ऊपर किसी ने आपत्ति की। रामगढ़ का मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, एक उदाहरण आया था किसी आदमी ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको आप एडमिनिस्ट्रेशन से पता कर लेना, उसके बाद उसके पास विश्व हिन्दू परिषद के लोग, शिव सेना के लोग और बाकी और लोग गये कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वह नहीं माना। उसके एक साल बाद गांव में कोई विवाद हो गया। जयपुर टेलीफोन कर दिया कि यहां तो धर्म परिवर्तन हो रहा है और जयपुर से फोन गये और अलवर का प्रशासन नाचता फिरा। उनको पता है क्योंकि एसडीओ वहां जाकर आये, तत्कालीन थानेदार जाकर आये पहले। उस आदमी को समझाया उसने कहा कि मैं तो अपनी मर्जी से कर रहा हूं। क्यों कर रहा है, उसने कहा कि मेरे पिताजी को किसी ने मार दिया मेरी किसी ने मदद नहीं की, कुछ आदमियों ने मदद करी मेरा तो मन बदल गया इसलिए मैंने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। उसके एक साल बाद जयपुर से तार खटके और उसके बाद जो वहां पुलिस छावनी बनी और कलक्टर, एसपी सब असहाय हो गये। हमने कहा कि उस आदमी के 164 के बयान करा दो केस मजबूत हो जायेगा। कल को कोई इसको बहका दे,

(श्री जुबेर खान)

164 के बयान नहीं कराये। उसने एफीडेविट दिये और उस सरदार की आखिर में जमानत हुई। मैं ऐसा आदमी हूं मैं मानता हूं कि किसी का भी धर्म परिवर्तन जबरदस्ती, प्रलोभन से, कपट छल से नहीं कराया जाना चाहिये, मैं इस सिद्धांत को मानने वाला आदमी हूं, बिलकुल नहीं कराया जाना चाहिये। लेकिन आप इस बिल के माध्यम से लोगों को परेशान करना चाहते हैं। मैं अपना उदाहरण दूंगा हम कमेटी में साउथ में गये। हमारे सब साथी सब मंदिरों में जा रहे थे हम भी जाकर ढोक लगा कर आ रहे थे, ठीक है, अच्छा है। मान लो मैं आकर कह दूं कि मुझे तो कालीचरणजी जबरदस्ती पकड़ कर ले गये तो क्या उनके खिलाफ मुकदमा हो जायेगा। या कोई आदमी दरगाह में चला जाये, मान लो मेरे साथ कोई जा रहा है मैंने कहा कि बाहर कहां खड़ा रहेगा तू भी अंदर आ जा। तो क्या आप उसको यह मानोगे कि उसको प्रलोभन दिया गया, दवाब डाला। सॉरी टू से जिस तरह से एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग कराया जा रहा है सवर्ण जातियों के द्वारा राजनीतिक उद्देश्य से और जमीनों के उद्देश्य से उसी तरह से अगर किसी आदमी ने यह कह दिया कि मुझे फला संस्था के पदाधिकारी ने प्रलोभन दिया कि धर्म परिवर्तन कर लो, आप नई समस्या खड़ी करने जा रहे हो, लोगों को परेशान कराना चाहते हो। टाडा का भी दुरुपयोग अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुआ, इसका भी दुरुपयोग आप अल्पसंख्यकों के खिलाफ करोगे यह मेरा एप्रिहेंसन है। आप इस बिल को इसलिए ला रहे हो वरना आज आपकी सत्ता है कौन सा धर्म परिवर्तन हो रहा है, किसकी मजाल है कोई धर्म परिवर्तन करा जाये। मुगलों ने कितने साल राज किया जिस धर्म को वह नहीं बदल पाये, वह कमजोर नहीं कर पाये। कितने साल अंग्रेजों ने राज किया वह कमजोर नहीं कर पाये.. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्या हुआ ओरंगजेब का, सल्तनत खतम हो गई, दफन हो गया, आज नाम लेने वाला कोई नहीं है। मेरा कहने का मतलब है यह हमारा सनातन धर्म, हिन्दू धर्म इतना कमजोर नहीं है। सैंकडों साल जिन्होंने राज किया उनसे नहीं दबा तो आज किसी के प्रलोभन से और किसी के लालच से दब जायेगा? यह कानून लाकर आप उसकी कमजोरी की बात कर रहे हो। जालौर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, घनश्यामजी आप तो

(श्री जुबेर खान)

पढ़े लिखे हो, नोर्थ ईस्ट कहां था, क्या परिस्थिति थी नोर्थ ईस्ट की। क्या परिस्थिति थी J&K की आजादी से पहले। जहां जहां अलग परिस्थितियां थी वहां थी, हमारे भी यहां आज यह परिस्थिति हैं कि आदिवासी क्षेत्रों का कल्चर मैनटेन करने के लिये, उनके रीति रिवाजों को मैनटेन करने के लिये हम लोगों को भी समझौते करने पड़ते हैं क्योंकि कहीं-कहीं की आवश्यकता होती है। नोर्थ ईस्टर्न में क्या हिन्दू धर्म रहते थे? कौन गया सबसे पहले वहां, अंग्रेज गये कि हम लोग गये? आप भ्रमित मत कीजिए और तरह-तरह की किताबों का हवाला दे रहे थे। यह तो लेखक है कोई किस प्रकार का प्रचार कर रहा है कोई किस प्रकार का.. (व्यवधान) आयोग की रिपोर्ट से खतरनाक तो यह अम्बेडकरजी की किताब है अगर मैं उसका अंश सुना दूंगा ना तो पतंगे लग जायेंगे। मैं तो राष्ट्र भक्त आदमी हूं मैं ऐसी हल्की बात कहूंगा ही नहीं। आरएसएस के लोग चंडीगढ़ पंजाब में प्रचार करने गये थे वहां समरजीत सिंह मान ने क्या कहा था जो टैंट उखाड़ कर भागना पड़ा, मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हो क्या कि उन्होंने क्या कहा था कि हमको हिन्दुओं से अलग रखने के लिये अपने आपको यह सिद्ध करना पड़े कि हम हिन्दू नहीं सिख हैं तो हम फलां कृत्य करने को तैयार हैं। क्या कहा था, मुझ से कहलवाना चाहते हो क्या? कोई आदमी बाहर कुछ भी कहे लेकिन हमें इस पवित्र सदन में ऐसे रेफरेंसेज को कोट नहीं करना चाहिये कि जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, आदर्श मानते हैं उनके प्रति अगर किसी ने गलत बात कह दी तो हमको इस सदन में उनके प्रति हवाला देकर गलत बात नहीं कहनी चाहिये।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा आपने कह दिया यह सिख तो सारे हिन्दुओं से ही बने हैं ना, अब अगर कोई सिख बनना चाहे तो दरख्वास्त दे, यही होगा ना इस कानून से तो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इसीलिए आपने लिख दिया कि ओरिजनल धर्म में दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इसीलिए आपने इसमें लिख दिया सैक्शन 5 में परन्तु... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री सभापति: जो आसन की बगैर इजाजत से बोल रहे हैं उनका आप अंकित नहीं करेंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, हिन्दू धर्म का कहीं उल्लेख है क्या वेद में, पुराण में, महाभारत में या रामायण में। सनातन धर्म से बने हैं। रामायण पढ लेते हैं क्योंकि आजकल अनुवाद में आती है। किसी भी वेद में है क्या ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): घनश्यामजी आपको पता है क्या कि वेदों की उत्पत्ति कहां हुई थी, कहां लिखे गये थे। यह टर्की में लिखे गये थे जो आज मुसलिम राष्ट्र है टर्की वहां वेदों का ओरीजन हुआ है आप पता कर लेना। सनातन ही धर्म था, पहले धर्म कौनसा था। इसलाम 1400-1450 साल पुराना, ईसाई 2100-2200 साल पुराना, 300-325 साल सिख धर्म पुराना, हां आप जैन धर्म वाले जरूर कहते हो कि हम आदि काल से हैं, सबसे पहले हम हैं। लेकिन बाकी तो सनातन ही धर्म था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इसीलिए हम कहते हैं आप हिन्दू धर्म को सनातन धर्म लिखिए क्योंकि सनातन धर्म सबसे पुराना है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपका मतलब यह है सिख भी हिन्दू धर्म

(श्री जुबेर खान)

है और जैन भी हिन्दू है और बौद्ध भी हिन्दू है (व्यवधान) टी.टी. साहब आप भी कह दीजिए जरा ताकि आपको (व्यवधान) अकालतख्त का सामना करना पड़ेगा, बोल दीजिए आप। (व्यवधान) सिख धर्म अलग है कि हिन्दू धर्म है... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरकि आपूर्ति मंत्री): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय घनश्यामजी आपको मालूम है कटारिया साहब तो इतने धार्मिक और इतनी आस्था रखते हैं जैन समाज के प्रति, एक बार तो भाषण देते-देते रो पड़े थे पुरानी विधान सभा में। जब जालौर में अनूप मण्डल वालों का और जैन समाज का कुछ विवाद हुआ था। सनातन धर्म के मायने तो आपको पता है ना, अनाधि व अनंत, अनाधि अनंत धर्म है सनातन, तो फिर इसमें जैन धर्म और सिक्ख धर्म और बौद्ध धर्म क्यों निकला भई। अंत ही नहीं होना चाहिए तो यह खतम करके हिन्दू कहां से आ गया। बहुत सी चीजें ऐसी हैं आस्था की रहती है जिनको लोग मानते हैं और argumentaly can you prove that there is a religion or there is a God. और यह तो आस्था हमारी आस्था है वरना तो आरग्यूमेंट से थोड़े कोई सिद्ध कर सकता है कि भगवान कहां है, हमारी आस्था है, मानते हैं आस्था है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): एक आपने मूल धर्म की बात कही परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने मूल धर्म में परिवर्तित होता है तो कोई सूचना अपेक्षित नहीं होगी। मूल धर्म क्या पैदाइशी से होगा। अगर मान लीजिए कटारियाजी जैन धर्म में पैदा हो गये तो आपका धर्म मूल आपका इनडिविजवली आपका एनसेस्टर्स कुछ हो सकता है, आपका मूल धर्म तो जैन ही हुआ ना। अब उसका क्या कहेंगे, मूल धर्म कौनसा माना जाएगा। आप इसको पैदाइशी रखिये। फिर तो आप सीधा एक्ट ही ले आते ना। राजस्थान में वह ही निवास करेगा जो हिन्दू धर्म अपनायेगा बाकी नहीं रहेगा, यह तो कोई प्रजातंत्र में होता नहीं है कि आपके छूट नहीं दे सकते कि एक धर्म को इसलिए फिर बिल पास नहीं होगा इस पर असेंट नहीं मिलेगी क्योंकि आप एक तरफ तो बोल रहे हो कोई भी ओरिजनल धर्म में तो आ जाओ बाकी में धर्म में परिवर्तन नहीं कर सकते, यही है ना? अब सिक्ख धर्म को ले लीजिए, सभापति महोदय मैं आपसे दो-चार मिनिट और लूंगा। गुरु ग्रन्थ साहब में, आपको मालूम है ना सभी धर्मों में कितनी बार भगवान राम का नाम आया, कितनी बार अल्लाह का आया है, कितनी बार नारायण का आया है, कितनी बार परमात्मा का आया है, कितनी बार परमेश्वर का आया है, बताऊं क्या? कितने भक्तों की वाणियां हैं उसमें हिन्दू भी है, मुसलमान भी है, कबीर भी है, फरीद भी हैं, जयदेव भी है, रविदास भी है, सूरदास भी है, फिखरता भी है, कितने ही लोग है, हमारी संस्कृति वो है। आप देखिये मुगलों के खिलाफ आप तो नहीं लड़े थे, ओरगंजेब के खिलाफ, यह भरतपुर के राजा लड़े थे ना सूरजमल जी उन्होंने अपने दो, गंगा मंदिर बनाया हिन्दुओं के लिए, जामा मस्जिद बनाई मुसलमानों के लिए वो परम्परा रही है हमारे देश की और राजस्थान की। जब बाबर यहां हमला करने आया था तो हसनका मैवादी को उसने कहा था आप तो मुसलमान मैं भी मुसलमान, मेरे साथ लड़, उसने कहा आप आक्रमणकारी हो और राणा सांगा मेरे देश का है, मेरे बराबर का भाई है मैं इसके साथ लड़ूंगा और दोनों मारे गये, शहीद हुए, हुए ना, वह परम्परा रही है इस संस्कृति की। और आपको सुनाऊंगा। आप प्रभातजोशी को जानते हैं उनका लेख आया था जनसत्ता में। लिखते हैं मेरी मां, कर्मकण्डी ही बोलते हैं ना, जो बहुत आध्यात्मिक, धार्मिक होती है, कर्मकाण्डी थी मेरी दादी और जब ताजिया हमारे घर के आगे से निकलते थे तो मुझे छोटे से को उसके नीचे से लेकर निकलती थी और कहती थी कि इसकी रक्षा करना उस संस्कृति को

(श्री जुबेर खान)

मानने वाले लोग हैं हम। (व्यवधान) फिर आपको क्यों मुसलमानों से नफरत होने लग गई। आप इसको देखिये। (व्यवधान) आप इसका दुरूपयोग करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): साधु संत, फकीरों की, यह इंडियन सब-कोन्टिनेट की ही देन है फिर भी अगर आप मानते हो यह ताजिये यहां की रीति-रिवाज है फिर भी जगह-जगह क्यों नहीं ताजिए निकलने देते, प्रोसेशन रोके थे ना आपने (व्यवधान) रोक रहे हैं ना।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, इससे तो अच्छा होता आप जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं। चाहे सनातन धर्म को मानने वाले हो, चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले हों, चाहे क्रिश्चिन धर्म को मानने वाले हों, चाहे जैन धर्म को मानने वाले हों, सिख धर्म को मानने वाले हों, इनकी रिलीजियस संस्थाओं को बताओ कि अब बहुत हो चुका, अब हमको यह तय करना चाहिये। कोई किसी के धर्म परिवर्तन के लिये काम नहीं करेगा। वह एक अच्छा मैसेज जाता लेकिन आपको तो चिन्ता नहीं है धर्म परिवर्तन हो, रुके नहीं रुके, आपको तो कैसे इसका राजनीतिक लाभ लें और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को परेशान करें। क्योंकि कोई भी दरख्वास्त दे देगा कि मुझे यह प्रलोभन दे दिया, आप संस्थाओं को वह ही कर देते ना। आपको कोई रोक रहा है क्या? यह जो मिशनरीज की संस्थाएं चल रही हैं, आप तो खतम करना चाहते हो। संस्थाओं की मान्यता रद्द कर देंगे। कोई स्टूडेंट ने आकर कर दिया, मान लो उदाहरण के तौर पर मैंने किसी बच्चे को भर्ती करा दिया। दो चार साल बाद करा दी एफ आई आर कि मुझे जबरदस्ती वहां यह सिखाया जा रहा है कि आप क्रिश्चियन बन जाइये। उसका तो गया ना। मान्यता भी गयी, मुकदमा भी हो गया और पचास लाख का जुर्माना भी हो गया, क्या-क्या हो गया। आप कैसा कानून बना रहे हो इसको आप गहराई से सोचिये।

फिर मैं कह रहा हूं कि आप यह जोर जबरदस्ती को तो और बाकी क्लॉज हैं ना। यह जो इतना और इसमें क्या कर रहे हैं आप? यह भी कर रहे हैं ना गृह मंत्रीजी, कोई मर्डर कर दे तो State has to prove that he is a culprit.

(श्री जुबेर खान)

और इसमें एक आदमी ने दरख्वास्त दे दी, वह सफाई दे कि मैंने कोई गलती नहीं की। हम भुगत रहे हैं ना एट्रोसिटी वाला। आप इससे लोगों को परेशान कराओगे और आपकी नीयत यह है इसलिये माननीय सभापति महोदय, मैं फिर कह रहा हूं मैं इस पक्ष का आदमी हूं कि जोर जबरदस्ती, छल कपट, प्रलोभन से कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराये इसका तो मैं मानता हूं लेकिन इस एक्ट के माध्यम से जो अल्प संख्यक लोगों को, अल्प संख्यक संस्थाओं को परेशान करने का आपका मन है, जो इसके ऊपर उद्देश्य है और जो मूल धर्म में तो चले जाइये। मूल धर्म कौनसा होगा? इसके पीछे आपका हिडन एजेंडा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको जनता के सामने जाने दो। जनमत जानने के लिये परिचालित करो और इसके बाद लोगों के सुझाव आएं उसके बाद पारित करें। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (अनुपस्थित) श्री भरत सिंहजी।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिये मैंने प्रस्तावित किया है।

माननीय सभापति महोदय, दो साल पहले यह विधेयक पारित हुआ था और अभी राष्ट्रपति के पास विचारणीय है। इसी बिल को दुबारा सदन में रखा गया है। यह समझ से परे है कि ऐसे क्या हालात बने राजस्थान के अन्दर कि दो साल के अन्दर इस बिल को दुबारा सदन में रखना पड़ा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि मैं जिस जिले से आता हूं 2004-05 में वहां समाचार पत्रों में प्रमुखता से कुछ समाचार छपे जो विचलित करने वाले थे। वह समाचार इस प्रकार के थे कि कोटा में बड़ी मात्रा में लोगों को, बच्चों को लाया जा रहा है और धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। मैं उस समाचार को पढ़कर क्योंकि वहां का रहने वाला हूं और राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं हों तो किसी भी नागरिक का विचलित होना स्वाभाविक है। मैंने इस सम्बन्ध में तत्कालीन जिला कलक्टर को टेलीफोन किया। मैंने जानकारी चाही कि क्या वास्तव में इस प्रकार का कुछ हो रहा है तो उन्होंने उत्तर दिया वह कुछ स्पष्ट नहीं था। वह कुछ बता नहीं पाये जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। उसी के आधार पर मैंने अपनी जानकारी के लिये 2005 में विधान सभा में एक प्रश्न लगाया।

(श्री भरत सिंह)

प्रश्न के माध्यम से जो उत्तर आया है, मैं चाहूंगा कि उस उत्तर को सदन में पढ़कर सुनाऊं ताकि सदन को जानकारी हो कि क्या वजह थी? 27/10/2005 को उत्तर प्राप्त हुआ है। अतारांकित प्रश्न था। प्रश्न संख्या 3117, गृह विभाग से मेरा प्रश्न था कि क्या यह सही है कि प्रदेश में धर्मान्तरण पर रोक लगाने हेतु कानून बनाना प्रस्तावित है? उत्तर दिया जी हां। प्रदेश में वर्ष 2004-05 में धर्मान्तरण के कुल कितने प्रकरण की जानकारी सरकार को है? सरकार का उत्तर है कोई नहीं। तीसरा भाग था उसका। क्या यह सही है कि फरवरी, 2005 में कोटा में धर्मान्तरण किया गया था? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई एफ आई आर दर्ज करवायी गयी है? यदि हां, तो एफ आई आर की प्रति सदन में रखें। उसका भी उत्तर था जी नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कुमार सोनी पुत्र मोहनलाल, निवासी रामपुरा कोटा की ओर से दिनांक 19/2/2005 को एक पृथक सूचना रिपोर्ट इम्मानुअल मिशन संस्थान, कोटा के संचालक सैमुअल थामस, नन इलिया शरद, विनोद एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज करायी गयी है। एफ आई आर संख्या 62/05, थाना भीमगंजमंडी, प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। चौथा इसके भाग में क्या धर्मान्तरण को लेकर कोई प्रदर्शन किया गया था? यदि हां, तो क्या प्रदर्शन करने वाले इस संस्थान के सदस्य थे, इनका उत्तर है, जी हां, प्रदर्शन किया गया था, इमानुअल संस्था के खिलाफ स्थानीय शिव सेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आदि संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना, प्रदर्शन, बयानबाजी आदि कर विरोध किया गया। प्रदर्शन करते समय पत्थर फेंकने व पैट्रोल बम फेंकने वालों को रोकने का प्रयास करते हुए पुलिसकर्मी घायल हो गये थे। यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में एफ आई आर दर्ज करवाई गई थी। यदि हां, तो एफआईआर की प्रति सदन की मेज पर रखें। दिनांक 23.2 को प्रदर्शन करते समय आक्रोशित भीड़ द्वारा समझाइश के बावजूद भी पुलिस पर पत्थर फेंकने, पैट्रोल बम फेंकने से पुलिस बल के श्री फतेहसिंह, सूबेदार, आर सी बटालियन, एसीएफ कम्पनी, राम कल्याण, कांस्टेबल, 342, इकबाल खान 908, इस प्रकार के लोग घायल हुए थे। माननीय सभापतिजी, उस समय जो इन्होंने उत्तर दिया और जो जानकारी प्रदान करी, जब इतना शोर-शराबा हुआ फिर भी प्रदेश के अन्दर एक भी धर्म परिवर्तन नहीं हुआ और उसके बाद दो साल गुजर गये हैं, प्रदेश में किसी प्रकार का और जिस कोटा में मैं रहता हूं, जिस कोटा शहर में यह घटना घटी थी, एक घटना धर्म परिवर्तन की नहीं हुई और जो लोगबाग वहां थे, जिन्होंने

(श्री भरत सिंह)

पैट्रोल बम फेंका, इस तरह की अशांति का एक माहौल इस शांत प्रदेश राजस्थान के अन्दर बना, वह एक दुखद घटना थी, धीरे-धीरे समय के साथ वह बात गुजर चुकी थी और उसके ऊपर लोगों का ध्यान भी नहीं था। आज हम इस सदन के अन्दर यह बिल लाकर जो चीज इस प्रदेश में घटित ही नहीं हो रही है

(समय : 16.37 बजे)

(प्रोफेसर बीरूसिंह राठौड़, सभापति, पदासीन)

कोई भी चीज नहीं है जिसकी आवश्यकता थी भी नहीं, उसके ऊपर दुबारा, हूबहू वही के वही शब्द, वही का वही बिल दुबारा आये, जो राष्ट्रपति के पास विचारणीय है, मैं समझता हूं कि इसका कोई औचित्य नहीं है, सदन का समय बिगाड़ने के अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं महसूस करता हूं इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जावे और अच्छा हो कि सरकार इस बिल को वापिस ही ले ले। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य चन्द्रशेखर बैद (अनुपस्थित)। माननीय सदस्य मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात को दो हिस्सों में आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला आज यह सदन राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 पर चर्चा कर रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 को हम देखें, विधेयकों पर अनुमति, यदि कोई विधेयक राज्य की विधान सभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है अथवा राष्ट्रपति को प्रेषित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद का आप जरूर अवलोकन करें और इसमें आगे चलकर कहा है Reservation for consideration of the President. Article 200 does not contemplate with the Governor shall first give his assent and when the Bill has become a full-fledged law reserve it for the consideration of the President is an alternate to giving or refusing assent to the Bill indeed in matters where reservation is compulsory that the Governor is prohibited from the giving his assent.

मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इसके बाद एक चीज और आई, आगे कहा है कि "Proof of an assent.

(मोहम्मद माहिर आजाद)

When an Act is published in the official gazette showing that the assent to the head of the state was given on a date the factum of assent can not be challenge din any court.'' माननीय सभापति महोदय, मैं कहना यह चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी विद्वान हैं और हमेशा सच भी बोलते हैं। यह सही है कि हमने 2006 में इस तरीके का एक बिल पारित किया था इस सदन से, हालांकि हम लोग बायकाट कर गये थे। हमारी उसमें कन्सेंट नहीं थी। वह बिल आपने महामहिम राज्यपाल महोदय को भेज दिया और राज्यपाल महोदय ने उस बिल को राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दिया। आज भी वह बिल राष्ट्रपति महोदय के पास पेंडिंग है। न तो उन्होंने हस्ताक्षर करके वापस आपको लौटाया और न उन्होंने उसको रिजेक्ट किया है। यह तो सही है या नहीं है। जब आज की स्थिति में एक बिल महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास पेंडिंग है और हम उसी तरीके का दूसराबिल ला रहे हैं तो ऐसी गलती, मैं आगे यह कहना चाहता हूं कि माननीय सभापति महोदय, ऐसी गलती और दूसरे राज्यों ने भी की थी। मैं यहां आपको उद्धृत करना चाहता हूं कि आपके पास, इसमें देखें 36. State of Bihar V/s Kamreshwar AIR 1958 SC 252(265-1952 SCR 889, 37. Kerala Education Bill, AIR 1958, SC P.956. H. Pharmaceuticals Ltd. V/s Government of Bihar, 1985, 217 Para 9 SC P. 1090, Abdul Kadar Mohammad V/s Govt. of Andhra AIR 1985, 217 para 9 DB 1984(2) Andra WR 440. यानि कहना यह चाहता हूं कि केरल, बिहार और आन्ध्र प्रदेश इनके चारों-पांचों स्टेट के बिल इसी तरीके से राष्ट्रपति और गवर्नर के पास पेंडिंग थे। न उन पर कंसेण्ट मिली थी, न रिजेक्ट हुए। और उसके बाद वह ये दुबारा इसी आशय के दूसरे बिल ले गये जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करने का काम किया है। यह मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। तो यह स्थिति न बन जाए। आज इस बिल को पास करने के बाद, कटारिया साहब, आप अपने घर तो नहीं रखेंगे, न सभापतिजी अपने घर रखेंगे, न मुख्य मंत्रीजी रखेंगी। आपको इसको वापस राज्यपाल महोदय के पास भेजना पड़ेगा। वह राज्यपाल, जब एक बिल राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है तो इस दूसरे बिल को राष्ट्रपति के पास भी नहीं भेज सकते हैं और जब एक का कोई फैसला नहीं हो रहा है तो वह उसके ऊपर अपनी सहमति भी जाहिर नहीं कर सकते हैं। इसलिये कांस्टीट्यूशनली हम यह गलत काम कर रहे हैं और यह काले बिल के अन्दर शुमार हो जाए कि कटारिया साहब जैसे गृह मंत्री के होते हुए इस तरह का एक काला कानून बना और गैर संविधानिक, गैर कानूनी काम आपके रहते हुए हुआ। यह मैं आपसे

(मोहम्मद माहिर आजाद)

निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, आप चाहें इस पर अपनी व्यवस्था दें, चाहे माननीय गृह मंत्रीजी, जो बात इसमें आ रही है, जवाब दें, तब दे दें, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आपका, भारत का जो संविधान है इसके आर्टिकल 200 के अन्दर साफ प्रोविजन है कि "when a Bill is pending on a Governor or a President" ऐसा बिल आप नहीं ला सकते, यह आप काम कर रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सदस्य, इसमें जो 200 में लिखा है, उसमें यह कहां लिखा है कि पेंडिंग बिल होते हुए दूसरा बिल नहीं ला सकते, उसको पढ़ दो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने यह बताया, पांच बिल बताये आपको कि जो पांच बिल लेकर आ गये थे। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): पाइण्ट आफ आर्डर, सभापति महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर, हमारे यहां ला यह है कि किसी भी आथोरिटी को साइट करेंगे तो आथोरिटी पास भी होगी, उसमें से पढ़कर, यह इसमें किसी पर भी एक बता दो कि उस माननीय अपेक्स कोर्ट ने यह लिखा है कि वह बिल पेंडिंग है और दूसरा बिल नहीं ला सकते हैं। आप कहें, जैसे कह दें, या वह आथोरिटी ले आयें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपकी नॉलेज में, सरकार की नॉलेज में आथोरिटी का नाम, पता सब बता दिया। आप आथोरिटी देख लें। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): नो, नो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सही हो तो मानें, नहीं हो तो मत मानो। आपको सब सुविधा है। (व्यवधान) आपको सब सुविधा है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आप तो एडवोकेट हैं। You know it very well.

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप मंगवा लो आथोरिटी को। मानने योग्य है तो मान लो और नहीं मानने योग्य हो तो मत मानो। आथोरिटी मंगवाओ ना। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): कोई भी आथोरिटी साइट करेंगे, आथोरिटी साथ होगी। (व्यवधान) ऐसा नहीं होता है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो यह कहना चाहते हो, आपने

बोल दिया जो हम तो देखेंगे ही नहीं। मत देखो तो मत देखो। आपकी मर्जी है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): यह आथोरिटी साइट करें, लॉ यह है कि वह आथोरिटी आपको साथ लानी पड़ेगी। जैसा आपने पढ़कर बताया, 62, सुप्रीम कोर्ट, वैसे आपको वह आथोरिटी पढ़कर बतानी पड़ेगी कि इस आथोरिटी में यह लिखा हुआ है। यह आथोरिटी नहीं है इनके पास।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप चाहो तो पढ़ो और नहीं चाहो तो मत पढ़ो। मानों तो मानो और नहीं मानो तो मत मानो। आपको यह सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानना। मैं जानता हूं आपको तो वह भी नहीं मानना। काहे को बहाना ढूंढ रहे हो। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है, आप बीच में नहीं बोलें। माननीय सभापतिजी की आज्ञा से बोल रहा हूं। मेरा पाइण्ट आफ आर्डर यह है कि जो कोई भी आथोरिटी साइट करेगा Neither in the High Court not in the Apex Court. वह आथोरिटी साथ नहीं है तो साइट करने का राइट नहीं है। दूसरा मैं चेलेंज करता हूं कि इन पांचों आथोरिटी में जो आप कह रहे हो, वह लिखा हुआ हो तो कहें जैसे कर दूं। यह मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह आप देख लें, सेक्शन 200, आर्टिकल 200 देख लें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, ये कह रहे हैं कि आपके भारत के संविधान में, इनको कहना चाहिए अपने भारत के संविधान में। बार-बार आपके भारत के संविधान में, आपके भारत के संविधान में कह रहे हैं। मतलब क्या है आपका। (व्यवधान) अपने भारत के संविधान में, आपने बार-बार इस बात को कहा है, आपके भारत के संविधान में। क्या आपका भारत नहीं है क्या।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कभी नहीं कहा मैंने यह।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, आप बैठिये। यह जो सैक्शन साइट करते हैं, कांस्टीट्यूशन में कोई सैक्शन है ही नहीं। कांस्टीट्यूशन में कभी कोई सैक्शन नहीं बनाया, आर्टिकल बनाया है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आर्टिकल बोला है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आर्टिकल 200 में यह लिखा हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आर्टिकल 200 बोला है, आप गौर से सुन लो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): हां, सुनाओ, हां सुनाओ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): दुबारा सुन लो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): हां, सुनाओ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आर्टिकल 200 बोल रहा हूं और इंडियन कांस्टीट्यूशन का पेज 757 देख लें, आप पहले। आप देख लें यह, मैंने तो पढ़ दिया। और आपके कहने से बार-बार नहीं पढ़ूंगा। मेरी मर्जी से पढ़ूंगा। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ये नहीं पढ़ सकते हैं। ये पढ़ें तो मेरा (व्यवधान) आर्टिकल 200 में यह लिखा हुआ है तो मेरा चेलेंज है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह सरकार कानून को देखना ही नहीं चाहती है, कानून को देख लेती तो बिल ही नहीं लाती।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बिल ही नहीं लाती, यस।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बिल ही नहीं लाती, कानून देखना ही नहीं चाहती।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आर्टिकल 200 मैं पढ़कर सुनाता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप एक मिनट बैठिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आर्टिकल 200 मैं पढ़कर सुना रहा हूं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): आर्टिकल 200 में (व्यवधान) एक बार वापस रिपीट कर दें, वापस पढ़कर सुना दें, आर्टिकल का जो आपने उल्लेख किया है एज-इट-इज जैसा बुक में है, वैसा आप पढ़कर सुना दें वापस।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, सुन लें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अभी अनिताजी के कहने से तो सुना देंगे। जोगारामजी के कहने से नहीं सुनाते।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं कहना यही आपको चाह रहा हूं कि जब...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): मेरे पाइण्ट आफ आर्डर का निर्णय करें। माननीय सभापति महोदय, मेरे पाइण्ट आफ आर्डर का निर्णय करें आप। आप अपनी व्यवस्था दें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): क्या जरुरी है। कोर्ट थोड़े ही है। (व्यवधान) ना, ना, कोई जरुरी नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): सभापति महोदय, It is nobody upto you to decide. You have no authority. Hon'ble Chairman is an Authority.

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कोई जरुरी नहीं है कि कानून बता दो, वह यहां रखना पड़ेगा। (व्यवधान) ऐसे ही आप कह दें वह कानून थोड़े है। (व्यवधान) आप बोल देंगे, वह कानून नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): मेरा पाइण्ट आफ आर्डर सभापतिजी के पास है। मेरा पाइण्ट आफ आर्डर सभापतिजी के पास है, सभापतिजी निर्णय करेंगे।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): नहीं, माननीय सदस्य। (व्यवधान) नगर से आने वाले माननीय सदस्य, आर्टिकल 200 आपने बोला है उसको एज-इट-इज पढ़ दें। (व्यवधान) आर्टिकल 200 आप वापस रिपीट कर दें, पढ़कर सुना दें। (व्यवधान)

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्य बैठें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप सुनिये, बैठिये, एक मिनट।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): मेरा निवेदन सभापतिजी से है, आपसे नहीं है।

श्री सभापति: आपका विषय आ गया। आपका विषय आ गया है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सभापति महोदय, हाउस मेरे कब्जे में है। हाउस का फ्लोर मेरे कब्जे में है, आप बैठिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): मेरे को सभापतिजी ने अनुमति दी है। मैं सभापतिजी की अनुमति से बोल रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं अपनी बात कह दूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: लूणी से आने वले माननीय सदस्य, बैठिये, आपकी बात आ गई है। आगे बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इन्होंने स्वीकार कर लिया कि इन्होंने आर्टिकल को गलत कोट कर लिया था। स्वीकार कर लिया। क्यों पीछे पड़े हुए हो, इन्होंने स्वीकार कर लिया, गलत कोट किया था।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): किसने कह दिया, किसने स्वीकार कर लिया। कोई स्वीकार नहीं किया, गलत बात।

श्री सभापति: मैंने सबकी बात सुन ली है, आगे बोलिये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह था कि हमारा इंडियन कांस्टीट्यूशन का आर्टिकल 200 यह कहता है कि जब कोई विधान सभा और जहां दोनों सदन हैं, कोई विधेयक पारित कर देंगे तो वह राज्यपाल को उसकी सहमति के लिये भेजा जाएगा और राज्यपाल या तो उस पर अपनी सहमति व्यक्त कर देगा या उसमें किसी पर आब्जेक्शन हो तो उसको वापस आपको सुधार करने के लिये भेज देगा, जैसा गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय ने किया और तीसरा यह कि वह उस पर विचार लेने के लिये महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेज देगा। हमने 2006 में जो विधेयक पारित किया वह विधेयक हमारा आज की तारीख में राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास पेंडिंग है। और वह वहां से स्वीकृत होकर के नहीं आया। मैंने आपको आगे कहा, बाकायदा उदाहरण दिये हैं, पांच केस मैंने आपको बताये, एक मैंने आपको बताया केरल का एजुकेशन का, ए.आई.आर. 1958, मैंने नाम बताया और सुप्रीम कोर्ट पेज 956, दूसरा मैंने आपको बताया H. Pharmaceuticals Ltd. V/s Government of Bihar, 1985, 217 Para 9 SC P. 1090, Abdul Kadar Mohammad V/s Govt. of Andhra AIR 1985, 217 para 9 DB 1984(2) Andra WR 440. यानि कहना और यह है आन्ध्र-प्रदेश। यह बताये हैं। जो आप पढ़ लें, क्या फैसले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी है। इन सबके फैसले, मैं यह पेश नहीं कर सकता पूरे, मैंने आपको उदाहरण दे दिया। मैं कुल मिलाकर यह बात कहकर ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): संक्षेप में बता दो कि क्या बात है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): संक्षेप में बता रहा हूं, यही कहना चाहता हूं कि मुझे एक बात बता दीजिए आप कि मान लो आज आपने यह

(मोहम्मद माहिर आजाद)

बिल पास कर लिया। उसको आप अपने घर तो नहीं रख सकते। इसको भी भेजेंगे राज्यपाल महोदय के पास। तो राज्यपाल महोदय एक बिल को जब राष्ट्रपति भवन में भेज चुके हैं तो एक तो राष्ट्रपति राय के लिए भेज चुके हैं और एक पर आपको दस्तखत करके दे देंगे? नहीं देंगे। क्या होगा फिर आप खुद बता दीजिए। क्या कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस नहीं होगा क्या? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मुझे आप बता दो। मुझे आप यह बताओ कि अपनी यह सभा कानून बनाने के लिए है और अपन ने कानून बनाकर भेज दिया तो या तो हां करें या ना करें। यदि कोई ना नहीं करें तो क्या करें?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कौन हां-ना नहीं करें?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हां भी नहीं करें और ना भी नहीं करें तो क्या हम मतलब हैल्ड होकर बैठ जाएं? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अच्छा इस पर भी यही, एक मिनट सुनो जुबेर साहब, (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप अब फाइल भेजते हो न मुख्य मंत्रीजी के पास, वह न करती हैं और न कुछ करती हैं, न हां, और ना, उनका क्या करते हो? ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पेंडिंग नहीं कर देतीं ? क्या करते हो? एक मिनट माननीय सभापति महोदय,

श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्या करते हो?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ऐसे कैसे कर दें, यह काम ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): दुबारा पेश करते हैं? माननीय सभापति महोदय, मुख्य सचेतकजी ने एक बात कही, ठीक है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पर यही कर दिया तो फिर क्या करोगे आप? इस पर भी यही कर दिया तो फिर क्या होगा? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह काल्पनिक बातें नहीं होती यहां पर ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, यह काल्पनिक बात ...

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(व्यवधान) आगे का पेंडिंग पड़ा है कि नहीं पड़ा है? अब अपनी बातें नहीं ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह सभा संवैधानिक है ... (व्यवधान) संविधान के तहत हम जो रूल्स बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं, उस पर कोई रोक लगी नहीं है ... (व्यवधान)।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप या तो कांस्टीट्यूशन की बात करो या तो आप कानून की बात करो। लूणी से आने वाले माननीय सदस्य वकील हो सकते हैं। वकील हैं तो हमें बता दें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह बता दें कि कहां है? (व्यवधान) महामहिम राज्यपाल ... (व्यवधान) इसलिए है कि ना करें? अपनी राय भेजें। ... (व्यवधान) यह थोड़े ही है कि उसको लेकर बैठ जाएं। (व्यवधान) या तो ना करें या अपनी राय भेजें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, यह मुख्य सचेतकजी आपका विषय नहीं है। होम मिनिस्टर साहब जो हैं उसमें फुली काम्पीटेंट हैं। वह जवाब दे देंगे मेरी बात का। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वह जवाब तो दे देंगे पर आप कांस्टीट्यूशन के किसी प्रोविजन में बता दो कि जहां पर बिल पेंडिंग होते हुए नया बिल नहीं ला सकते। इसके साथ मेरा निवेदन तो सुनें ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): संसदीय कार्य मंत्रीजी, (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मेरा निवेदन तो सुनिये आप। इसके साथ आर्टिकल 367 को पढ़ लो ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पढ़ लिया मैंने। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इंटरप्रिटेशन, वह कहता है और क्या आर्टिकल 367 के तहत ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने पढ़ लिया। आप जिस कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, मैं भी उसी क्लास में आपके साथ पढ़ा हूं। हां। माननीय सभापति महोदय, लाइये आप बता दीजिए। मुझे कोई ऐसा कि एक आपका पेंडिंग हो और दूसरा राजस्थान विधान सभा के इतिहास में दूसरा बिल पास किया हो, बताइये। मैं आपको चुनौती देता हूं। क्या बात करते हो आप? बताइये आप मुझे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नया इतिहास रचने का काम हम कर रहे हैं। नया इतिहास रचने का काम इस हिन्दुस्तान की धरती पर यह राजस्थान की विधान सभा कर रही है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इतिहास तो यू.आई.टी., अजमेर में रचो। इतिहास तो आप यू.आई.टी. अजमेर में रच रहे हो। रच रहे हो। इतिहास तो हाउसिंग बोर्ड, रच रहे हो इतिहास। कहां इतिहास रच रहे हो, मत कहलाओ। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पूरी कैबिनेट जो है वह अपनी कोई भी सिफारिश भेजती है महामहिम राज्यपाल महोदय के पास ... (व्यवधान) मैं वह कह रहा हूं कि ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, मुझे तो एक मिनट, ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि कैबिनेट ने अपना कोई भी प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल के यहां भेजते हैं वह ना कर देते हैं, हां कर देते हैं, यदि वह हां, ना नहीं करें तो क्या यह कैबिनेट दुबारा वहां नहीं जा सकती? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से विद्वान मुख्य सचेतकजी और सारे मंत्रियों से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान के संसदीय इतिहास में, 60 साल में कोई एक उदाहरण बता दें कि एक बिल पेंडिंग रहा हो राष्ट्रपति भवन में या राज्यपाल महोदय के पास और आप दूसरा बिल लाये हो, और एक उदाहरण इसके अलावा आप बता दें मुझे। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): मैंने भी बता दिया। मना कहां किया? ऐसा नहीं हो सकता, यह बता दो आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आप भी ऐसा कोई प्रोविजन बता दो कांस्टीट्यूशन में, कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला बता दो, कोई हाई कोर्ट का फैसला बता दो, जिसके अन्दर हम कानून नहीं बना सकते, उसकी पाबंदी हो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): या कांस्टीट्यूशन बता दो, उसमें मनाही आयी हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उसकी पाबंदी हो तो बता दो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप एक बिल पहले ही होते हुए नया दूसरा सेम वह का वही बिल नहीं ला सकते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यहां ... (व्यवधान) जहां संविधान में स्पष्ट नहीं हो, जहां संविधान में किसी चीज का स्पष्ट उल्लेख नहीं है वहां आर्टिकल 367 के अनुसार इण्टरप्रिटेशन की बात आती है तो जनरल क्लॉज को आप देखो और जनरल क्लॉज के हिसाब से ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं यह कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 14 या 15 को देखो। (व्यवधान) 14 और 15 कहते हैं कि हमें ... (व्यवधान) हमारा काम विधायिका का है। हमें यहां विधान बनाने का काम है। उस काम को पूरा कर रहे हैं इसलिए बिलकुल ठीक है यह। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): एक भी अथोरिटी बता दें, आर्टिकल बता दें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पांच साल में तो यह ... (व्यवधान) आज कह रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब यह मेरे से पूछ रहे हैं, मैं लॉ-मिनिस्टर हूं क्या यहां पर? यहां पर यह सब मुझसे आप कह रहे हैं, बता दें, आप बता दें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आप साइट कर रहे हो न। आप इसको साइट कर रहे हो न ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह सवाल है। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से खुद पूछ रहा हूं कि ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आप साइट कर रहे हो न इसको। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप ऐसा करना, आप ऐसा करना कि आप आठ महीने के बाद मुझसे पूछना, मैं हर बात का जवाब दूंगा आपको।

श्री उपाध्यक्ष: बोलो-बोलो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): कितने महीने के बाद में?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, आठ महीने के बाद पूछना और मैं आपको जवाब दूंगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आज तो आपको पता नहीं है न? आज तो आपको पता नहीं है न? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप बता दो न। (व्यवधान)

श्री सभापति: मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप माथा मत लगाओ, इनको बोलने दो ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आज तो पता नहीं है न आपको ... (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय सभापति महोदय, इनसे यह पूछिये कि ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब मेरा समय शुरू होगा अब। नहीं, होगा अब ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप जब हमारे साथ रहते हो न तब तो राज में रहते हो, हमारे खिलाफ जाते हो तो राज में नहीं रहते हो आप इसलिए आपका मूल ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मुझे आपने खूब प्रलोभन दिये मंत्री बनाने के। राजेन्द्र सिंहजी आ गये, सांवरलालजी आ गये और हमारे रामनारायणजी विश्नोई दूसरे लोग आ गये। माहिर आजाद ने आपका मंत्री पद ठुकरा दिया और उस वक्त भी कांग्रेस के साथ रहा और आज भी हूं। मैं फासिस्टवादी और साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ नहीं जा सकता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सुनिये, मूल धर्म में वापस आओगे कि मंत्री बन जाओगे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप लौट कर आओ माहिर साहब। लौट कर आओ, माहिर साहब।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आह-आह, माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मूल रूप से तो आप कांग्रेस के विरोधी रहे हैं ना? मूल रूप से तो आप कांग्रेस के विरोधी रहे हैं न? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वह दिन याद करो आपकी जवानी, जो आपने कांग्रेस के विरोध में निकाली, वह दिन याद करिये विश्वविद्यालय के इसलिए कह रहे हैं। इस सदन में कह रहे हैं, यहां लौट कर आओ। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): राजेन्द्रजी, आपका चरित्र, आप चूरू में तो ताज़ियों पर छबील लगाते हो ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब भी लगाता हूं। अब भी लगाता हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इनाम बांटते हो और जब आर.एस.एस. वाले आते हैं तब कहते हैं कि मेरा मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अभी भी लगाता हूं। अभी भी लगाता हूं। 20 साल से लगा रहा हूं। अभी भी लगा रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप इन सब बातों को छोड़ो। आपको मैं जानता हूं। आप मुझे जानते हो। बिना कपड़ों के भी देखा है आपने और मैंने एक दूसरे को। इस गहराई में मत जाइये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अब ज्यादा आगे मत बढ़ना। ज्यादा आगे मत बढ़ना। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, उससे आगे नहीं जा रहा हूं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): वह कौनसा कमरा है जिसमें आप दोनों बगैर कपड़े के रहे थे? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने भी आपको बी.जे.पी. के खिलाफ कालवी साहब की रैलियों में देखा है इसलिए आप मत जाओ और यहां जितने लोग बैठे हैं उनमें से रामनारायणजी डूडी कहां थे? कहां थे रामनारायणजी डूडी? बताओ आप? गंगारामजी कल तक हमारे साथ, यह कहां थे? उपाध्यक्षजी, रामनारायणजी, इसलिए इस गहराई में मत जाइये। आप इस बिल पर ही चर्चा करने दीजिए आज। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय,

(श्री महावीर प्र्रसाद जैन)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाए?

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन की बैठक का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन की बैठक का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाता है। बढ़ा देते हैं और अब मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि इस बिल पर लगभग 36 माननीय सदस्य बोलेंगे। उसके बाद में दो और अधिनियम आने वाले हैं, कोई भी बीच में डिस्टर्ब नहीं करें और माननीय सदस्य को मानसिक रूप से परेशान नहीं करें आप लोग।

विधेयक पर विचार

राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): थैंक्यू, साहब। आसन का धन्यवाद।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं, माननीय घनश्यामजी, राजेन्द्रजी से यह तो पूछ लो कि यह राजेन्द्रजी और माहिर आजाद साहब कौन से सर्किट हाउस में बगैर कपड़ों के सोये थे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हम तो हॉस्टल में रहते थे यूनिवर्सिटी में। (व्यवधान) हम तो हॉस्टल में साथ रहते थे। आप कहां, जब तो बच्चे थे आप। हां।

श्री सभापति: बैठिये-बैठिये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): तो माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारा जब आज की तारीख में एक बिल पेंडिंग है तो सिद्धांतता और कानूनी तौर पर हमको बिल नहीं लाना चाहिए था और फिर भी चूंकि मैं मानता हूं कि इसका पॉलिटिकल कम्पेलशन है, आप लोग अपने दिमाग से तो चलते नहीं हो, आपका दिमाग तो नागपुर है। नागपुर से आपको निर्देश मिलेंगे वह आपको करने हैं और हाथ खड़े कर रहे हैं, आपको तो चाहे वह सही हो चाहे गलत हो इसलिए जब आप इसको ले ही आये तो फिर मैं उस बिल के सम्बन्ध में कुछ बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूं। करना यह चाहता हूं और उससे पहले मैं एक निवेदन कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, यहां हमारे गृह राज्य मंत्रीजी अमरारामजी बैठे हैं, हमारे सुरेन्द्र गोयलजी, मंत्रीजी बैठे हैं, हरिश कुमावतजी चले गये और भी कई पुराने

(मोहम्मद माहिर आजाद)

माननीय सदस्य हैं। आप इनको पूछ लें यहां पर बैठे हैं, यह चश्मदीद गवाह हैं। जैसा जुबेर भाई ने कहा, मैं भी उन लोगों में से हूं। जब हम कमेटी ट्यूर पर गये तो मैंने रामेश्वरम् में, पूछ लो इनसे 22 कुण्डों का स्नान किया या नहीं किया?

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): किया-किया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इनसे पूछ लीजिए आप। यह गवाह हैं, मैं हर साल तिरूपति बालाजी के दर्शन करने जाता हूं और तिरूपति ... (व्यवधान) सुनिये-सुनिये आप। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): माहिर आजाद साहब ... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): हिन्दू धर्म में आस्था है इसलिए कह रहा हूं आपको, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी हिन्दू धर्म में बहुत अस्था है और हम यह मानते हैं कि ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह देखिये, यह देखिये इसलिए जो नये मैम्बर्स आये, जिनको जानकारी नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं ... (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): माहिर आजादजी, आप गंगा सागर भी गये कलकत्ता गये, नहीं-नहीं, वहां पर चांदी की थाली में किसने खाना खिलाया और आपको किसने खिलाया, यह बताओ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): गंगासागर भी गया हूं। वह अलग बात है। माननीय सभापति महोदय, सही कह रहे हैं। मैं गंगासागर भी गया हूं क्योंकि सुना है कि सारे तीर्थ बार-बार, गंगासागर एक बार। मैं हर साल तिरूपति बालाजी जाता हूं और वृहस्पतिवार के दिन जाता हूं। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि बाकी दिन तो बालाजी के दर्शन होते हैं केवल यहीं तक होते हैं और वृहस्पतिवार को उनका मुकुट ऊंचा कर दिया जाता है तो नेत्र सहित दर्शन होते हैं। वृहस्पतिवार को दर्शन करने जाता हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एक ही जगह नहीं गये, सब जगह गये हैं ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक ही जगह नहीं, सब जगह। तो

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मैं आपको निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि हिन्दुस्तान का शायद कोई तीर्थ बचा नहीं होगा जहां हम नहीं गये हों और पूरी आस्था के साथ नहीं गये हों इसलिए मैं आपसे यह निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि यह बात ... (व्यवधान) आप सुन रहे हो यह बात? अब यह सुन रहे हो यह बात?

श्री सभापति: कोई भी माननीय सदस्य बैठे-बैठे नहीं बोलेगा, मैं बाहर निकाल दूंगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं यह निवेदन कर रहा हूं, सभापति महोदय, कोई धर्म उठाकर आप देख लें। हिन्दू धर्म में जब यह भजन शुरू करते हैं तो कहते हैं जय जगदीश हरे। जगदीश यानि पूरे जगत का ईश्वर। हिन्दू ईश नहीं कहा है, केवल हिन्दुओं का ईश्वर और इस्लाम मजहब में जब कुरान की तिलावत शुरू की जाती है तो पढ़ते हैं अलहमद लिल्ला रब्बू आलमी, रब्बू मुसलिम नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का रब, रब्बू आलमी यानि पूरे आलम का। छोटी सी बात कहता हूं कि एक ट्रेक्टर होता है, उस ट्रैक्टर में एक स्टेयरिंग होता है। उसको चलाने वाला एक ड्राइवर होता है। हम उस ट्रैक्टर में दो स्टेयरिंग लगा दें एक आगे और एक पीछे और दो ड्राइवर बिठा दें। दोनों ड्राइवरों को कह दें कि ट्रेक्टर चलाओ, क्या ट्रैक्टर चल सकता है? घनश्यामजी, जब एक छोटा-सा ट्रैक्टर दो ड्राइवर होने पर नहीं चल सकता तो इस दुनिया को, इस संसार को, इस प्रकृति को, इस कुदरत को, इस सृष्टि को चलाने वाली शक्ति भी दो नहीं हो सकती। इसको चलाने वाली ताकत एक है। चाहे आप उसको खुदा कह दो, चाहे भगवान कह दो, चाहे God कह दो। एक शायर के अलफाजों में मैं कह सकता हूं। एक शायर ने सही कहा है कि कितने अवतार हुए, कितने पैगम्बर आये ..(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिये। आप नीचे बैठिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब एक और विद्वान खड़े हो गये।.. (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं फिर दुबारा आपसे कह रहा हूं बैठिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सारा फ्लो खतम कर दिया। मैं यह निवेदन कर रहा था एक शायर ने सही कहा है कि -

'कितने अवतार हुए, कितने पैगम्बर आये,
कितने अवतार हुए, कितने पैगम्बर आये,
तू न आया, पर तेरे पैगाम बराबर आये।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

सारे महापुरूष उसका संदेश लेकर आये। सबका संदेश एक है। मैं भी इस बात का समर्थक हूं कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिये। चूंकि धर्म बना है, सभापति महोदय, धारणा से। धर्म की जो उत्पत्ति हुई है धारणा से, कि आदमी की क्या धारणा है, वह क्या धारण करता है? उसकी नियति क्या है? मैं उदाहरण आपको इसलिए कह रहा हूं कि आदमी की अपनी धारणा होती है, उसका विश्वास, आत्म-विश्वास होता है। मेरी माताजी हैं, 75 साल की हैं। उन्होंने आज तक एलोपैथिक दवा नहीं ली, वह होम्योपैथी की दवा लेती हैं। उनका विश्वास होम्योपैथी में है। मेरे पिताजी ने कभी एलोपैथी की दवाई नहीं ली, वह आयुर्वेद और यूनानी दवा, जड़ी-बूटी वाली दवाई लेते हैं। बुखार हो गया तो वह जोशांदा पी लेते थे और काढ़ा पी लेते थे। उन्होंने वैसा इलाज लिया। मैं डायबिटिक हूं। मैं बिना एलोपैथी के जिंदा नहीं रह सकता। मैं एलोपैथी इंसुलिन लेता हूं तो यह अपनी-अपनी धारणा है। कई बार आदमी ऐसा भी करता है कि एक चीज से फायदा नहीं होता है तो दूसरी चीज भी करता है। आप किसी निःसंतान व्यक्ति की कल्पना करके देखो कि कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसकी शादी हुए 8-10 साल हो गये और उसके संतान नहीं है तो, सभापति महोदय, आप उसको कहीं भी भेज दोगे न, कहीं किसी का हाड़ गढ़ा हुआ है और वहां कह दो हाड़सा बाबा की मजार है तो वह वहां भी चला जायेगा चादर चढ़ाने के लिये कि शायद मुझे यहां से संतान प्राप्त हो जाये। वह धर्म नहीं देखेगा, वह तो कैसे उसके संतान पैदा हो, उसके लिए जाएगा। लेकिन वह जा रहा है किसी के बताये हुए रास्ते पर। आज मैं मेरे पड़ोस में, जहां मैं रहता हूं घाटगेट पर, बहुत सारे ऐसे अग्रवाल समाज के लोग हैं जिन्होंने जैन पंथ स्वीकार कर रखा है। कटारिया साहब, आप एग्री करो, हैं कि नहीं? बताइये आप। आप इस बात को कानून में ला रहे हो कि जबरदस्ती नहीं करेगा। मैं निहायत अदब से आपसे पूछना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री महोदय, 18 अप्रैल, 2005 को R.S.S. के प्रमुख आदरणीय के.सी. सुदर्शनजी कहां थे? आपके पास तो प्रोग्राम रहता है न, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवें, नेता आवें, अपने महापुरूष आवें तो उनका बकायदा प्रोग्राम रहता है। वह कहां थे? वह थे अमरापुरा आश्रम, ब्यावर में। वहां क्या कर रहे थे? आपको भी पता है, हमें भी पता है। नहीं पता हो तो मैं बता दूं क्या कर रहे थे? वहां जो लोग थे, उनका शुद्धिकरण कराकर वापस उनको हिन्दू धर्म के अन्दर शामिल कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तारीख भी बता दी, जगह भी बता दी, नाम भी बता दिया।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

माहिर आजाद और जुबेर खान, हम हिन्दुस्तान के सारे तीर्थों में जा आये आस्था से तो तो आपको मंजूर और अगर कोई हिन्दू कह दे कि मैं भी आज ख्वाजा साहब की दरगाह में चादर चढ़ाआऊं। मैंने मन्नत मांगी है तो वह आपको अच्छा नहीं लगे। कहो, कि यह काहे का हिन्दू है, यह वहां जा रहा है। मेरी बात सुन लीजिये प्लीज। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं ...(व्यवधान) सभापति महोदय, मुझे इनसे बचा लो आप। मुझे इनसे बचा लो आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिये। आप लोग बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह बात कर रहे हैं कि कलमा नहीं आता होगा। मैं पूरी कुरान सुनाऊं क्या कंठस्थ यहां? पूरी कुरान सुनाऊं ... (व्यवधान)

श्री सभापति: जब आपका नम्बर आवे, तब बोल लेना।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): गीता के श्लोक सुनाऊं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन्। रामायण का श्लोक सुनाऊं, किसका सुनाऊं?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं सुनाऊं?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां सुनाओ, सुनाओ। (व्यवधान)

श्री सभापति: सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य बैठिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, आज यह सब वोट के लिए तो कलमा पढ़ लेंगे। अगर इनको पता पड़ जाये ना कि मुसलमानों के 10 प्रतिशत वोट मिलना है तो यह सब आर.एस.एस., बीजेपी, सब कलमा पढ़ लेंगे, रात की रात पढ़ लेंगे, क्योंकि वोट के लिए तो बिल ला रहे हो। वोट के लिए कलमा पढ़ा, धन्यवाद, महाराज जय हो। वोट के लिए कलमा तो पढ़वाया मैंने आपको। मैं, सभापति महोदय, ..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हमारे यहां तो हैं। हमारे यहां तो वो ही वो हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं-नहीं, हम तो स्वेच्छा से मान रहे हैं। हम उसकी नहीं मान रहे हैं। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर आर एस एस के प्रमुख आवें और 1972 के पहले मेवात क्षेत्र में

(मोहम्मद माहिर आजाद)

इस तरीके के कार्यक्रम होते थे, अब तो मेव जागृत हो गये, पढ़-लिख गये और शिक्षित हो गये। और आज ब्यावर को केन्द्र आपने बना रखा है। मैं यह कहता हूं उसको तो आप अच्छा मानें, उसके लिये तो आपका बजट में भी प्रावधान है, नहीं हो तो आर.एस.एस.में मुझे बता देना। आदिवासी क्षेत्र में अगर ईसाई मिशनरी अपने धर्म का प्रचार करे तो वह आपको अच्छा नहीं लगे। या कहीं बाड़मेर में तबलीगी की जमात चली जाये तो आपको बुरी लगे, जबकि वह या तो आसमान के ऊपर की बात करते हैं या जमीन के नीचे की, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। मैंने उस रोज भी कहा था वह या तो यह कहते हैं कि आपके कर्म अच्छे होंगे तो कब्र में आपका जन्नत से ताल्लुक कर दिया जायेगा और आप खुदा के खौफ से डरो, खुदा आसमान के ऊपर है। वह बात ही नहीं करते दुनियादारी की। लेकिन आपको उनसे डर लगता है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमको ऐसा काम नहीं करना चाहिये। मैं रिपीटेशन नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मुझे कोई उदाहरण बता दें कि पांच साल, आपसे पहले 1998-2003 तक का राज इस राजस्थान में कांग्रेस का रहा, उस कांग्रेस के राज में कहीं धर्मान्तरण हुआ हो। कहीं एक जगह या कोई ग्रुप में या इंडिवीज्यूअल या कैसे भी कहीं धर्म परिवर्तन किया हो, आप मुझे बता दें। आपका चार साल से, सवा चार साल से राज है। इन सवा चार साल के अंदर बता दो कि कहीं इस तरीके की घटनाएं हुई हों और उसको आपने रोकने का काम किया हो। आप हमारा धर्म निरपेक्ष जो तंत्र है ..(व्यवधान) राज का कोई धर्म तो है नहीं ..(व्यवधान) हमारा राज का तो कोई धर्म नहीं है। हम तो ..(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): कोटा याद कर लो, कोटा। उस समय फोर्स लगी थी वहां। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): और कुछ कहना हो तो कह लें, मैं रूक जाता हूं। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि जब एक भी इस तरीके का उदाहरण हमारे सामने नहीं आया, फिर हम इस तरीके का कानून काल्पनिक तौर पर, कल्पना के तौर पर बना रहे हैं। हमारा पोलिटिकल कम्पलशन हो सकता है, यह बात मानता हूं। कई बार कई जगह मेरे मुसलिम भाई कहते हैं कि मदन दिलावरजी ने यह किया। मैं कहता हूं उनसे कि यह बताओ अगर वह यह काम नहीं करेंगे तो उनको हिन्दू वोट कैसे मिलेंगे?

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मुस्लिम लीग तकबीर अल्ला हो अकबर का नारा नहीं लगाये तो उसको मुसलमान वोट क्यों देगा? वह धर्म निरपेक्षता और सैक्युलरिज्म का तो आपका पॉलिटिकल कम्पलशन है और वह मैं यहां उद्धृत नहीं करना चाहता। एक मीटिंग के अंदर बात भी आ गयी थी। कटारिया साहब गुस्सा भी हो गये थे कि रखवाओ तो रखवाओ, नहीं रखवाओगे तो मैं कह दूंगा। यह सही बात कह देते हैं ईमानदारी की। तो यह बिल रखना आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन जिस उद्देश्य से आप रख रहे हो कि इस उद्देश्य से आप दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित कर सकें या दूसरे धर्म के लोगों को नाजायज तौर पर डरा धमका सकें, उनको कानून का डर दिखाकर फंसा सकें या आप इस धर्म के नाम पर कि हम धर्म स्वातंत्र्य बिल ले आये, हिन्दुओं के वोट आप बहुमत में ले सको, इन दोनों में से किसी मकसद में आप कामयाब होने वाले नहीं हो, क्योंकि प्रदेश की जनता अच्छी तरह से इस चीज को जान चुकी है। आपने पहले भी मंदिर बनाने के नाम पर ईंटें इकट्ठी की और पैसा इकट्ठा किया। मैं बड़े अदब से पूछ रहा हूं वह कौन से गोदामों में रखी हुई हैं? कहीं रखी हुई हैं? किसके गोदामों में रखी हुई हैं? वह पैसा कौन से बैंकों में है? नेशनल बैंक में है कि सेंट्रल बैंक में, यूको बैंक में है, कहां है? इसलिए यह नहीं, यह सारी चीजें छोड़ दीजिये। भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आपको अनुशासित पार्टी कहती थी, सैद्धांतिक पार्टी कहती थी, वह सिद्धान्त सब खत्म हो गये। आपका पॉलिटिकल कम्पलशन तो यह है कि कैसे वोट लें, कैसे राज करें और उसके लिए अनैतिक कार्य भी करना पड़े तो आप स्वयं अनैतिक कार्य करते हुए नहीं चूक रहे हो। (व्यवधान) मैं इसलिए यह बात आपको, सभापति महोदय, कहना चाहता हूं कि जुबेर खान के दो बच्चे हैं, मेरे भी एक बच्चा है, राजेन्द्र जी राठौड़ जानते हैं। 1985 में ऑपरेशन करा लिया नसबन्दी का। भले ही उस वक्त हमको मुल्लाओं ने कहा होगा, आप काफिर हो गये, फलानां हो गये, क्यों ऑपरेशन कराया? लेकिन हमारी अपनी एक सोच थी कि आबादी लिमिटेड रहनी चाहिये और हमने उस चीज को अपनाया। अब आर.एस.एस. कहे कि यह मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और फिर सुदर्शनजी कह दें कि नहीं, आप पांच-पांच बच्चे पैदा करो तो आप उसको जायज करार दे दो। यानि जो बात दूसरा कहे तो गलत और आप कह दो तो सही। इसलिए मेरा निहायत अदब के साथ आपसे निवेदन है कि आप वोट के लिए, सत्ता के लिए अपने

(मोहम्मद माहिर आजाद)

सिद्धान्तों को बेचने का काम मत कीजिये, आपके जो सिद्धांत हैं उन पर ही रहिये। कभी आप महाराष्ट्र के अन्दर सम्मेलन करते हो तो आप सोशलिज्म और सैक्युलर उसको अपना लेते हो और फिर दो सीट रह जाए तो फिर आप कट्टरपंथ की तरफ चल जाते हो। आज आप गुजरात के पैटर्न की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, नाम तो हिमाचल का ले रहे हो कि हिमाचल ने पास कर दिया लेकिन आप जाना चाहते हो गुजरात के पैटर्न पर।

माननीय सभापति महोदय, मैं साफ तौर पर यह बात कह सकता हूं कि गुजरात और राजस्थान में फर्क है, ना यहां सोहराबुद्दीन है ना यहां पर एनकाउण्टर का मामला है, ना यहां पर गोधरा है इसलिए राजस्थान में आपकी चाल नहीं चलेगी। राजस्थान में चाहे आप धर्म स्वातंत्र्य बिल ले आओ, चाहे और दूसरे बिल ले आओ, राजस्थान में आने वाला कल कांग्रेस का होगा। ऐसा काला कानून कितना ही आप बना लो, इसका कोई फर्क राजस्थान की जनता पर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैं आपके इस काले कानून का मेरे दल की तरफ से सख्त विरोध करता हूं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी उसके बाद भी आप इसको अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए ला रहे हैं लेकिन लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गये हैं, ना तो इससे अल्पसंख्यक डरेगा, ना जैन डरेगा, ना सिख डरेगा, न मुसलिम डरेगा और ना इससे हिन्दू खुश होगा।

अंत में एक शेर कहकर अपनी बात खतम करना चाहता हूं। आप किसी को कितना ही भयभीत करने की कोशिश करें, बातिल कहते हैं दुश्मन को, एक शायर ने सही कहा है कि 'बातिल से दबने वाले ए आसमा नहीं हम, सौ बार कर चुका है तू इम्तेहा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसां नहीं मिटाना नामो निशां हमारा।' धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री सी.डी. देवल।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): सभापति महोदय, पांच बज गये। (व्यवधान) एक आना है स्टेटमेंट सरकार का, आ रहा है स्टेटमेंट एक सरकार का ...(व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): ...(व्यवधान) पठान बने, ये तो बताओ क्या तुम मुसलमान बने?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह भी सुन लो अगर आप सुनना चाहते हो तो। मैंने कहा नहीं, यह हिन्दू धर्म की विडम्बना है। हमारे यहां तो यह कहते हैं खड़े होकर यह कि सब में मेहमूद ओ अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। (व्यवधान) यह किताब आकोदियाजी ने लिखी है, एस.टी. के व्यक्ति हैं, एक डिस्ट्रिक्ट जज हैं और इसमें जो लिखा है ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री रामचन्द्रजी सराधना। (अनुपस्थित)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: एक मिनट।

माननीय सदस्य श्री नन्दलालजी पूनिया। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमारजी। माननीय सदस्य श्री भवरू खानजी। माननीय सदस्य श्री महादेव सिंहजी। माननीय सदस्य श्री प्रहलादजी गुंजल। माननीय सदस्य डा. सी.पी. जोशी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सभापति महोदय, सदन में मेरे से पूर्व के साथियों ने, माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, उन विचारों को आगे बढ़ाते हुए मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने यह बात की कि हम एक नया इतिहास रचना चाहते हैं और यह विधान सभा राजस्थान की वो विधान सभा है जहां कानून का पालन किया और जहां परम्पराओं का निर्वहन किया आज वही विधान सभा संसदीय परम्पराओं का पूरा उल्लंघन करना चाहती है। संसदीय परम्पराओं के बारे में आर्टिकल 200 के अन्तर्गत यह बात सही है कि यह नेगेसन नहीं किया गया है कि एक बिल जब पेंडिंग है तो दूसरा बिल नहीं लिया जाए, नेगेसन नहीं किया गया है पर संसदीय परम्पराएं इस बात की कम्पेल करती हैं हमें सोचने के लिए कि आज दिन तक, आजादी के बाद अब तक जितने भी बिल पेंडिंग हैं प्रेसिडेंट की असेंट के लिए उन बिलों के सम्बन्ध में किसी भी सदन ने वो बिल पेंडेंसी के समय नया बिल नहीं लाये और यह सरकार एक नया इतिहास रचना चाहती है, एक नयी संसदीय परम्परा का निर्वहन करना चाहती है, मैं समझता हूं कि इस संसदीय परम्परा को निर्वहन कर हम इस सदन की गरिमा को कम कर रहे हैं।

यह वो सदन है जिस सदन से एक साधारण परिवार से पैदा होकर विधान सभा की इस फ्लोर का उपयोग लेकर माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत उप

(डा. सी.पी. जोशी)

राष्ट्रपति बने। संसदीय परम्पराओं का निर्वहन करने का इतिहास राजस्थान में यदि उठा कर देखें तो उनमें भैरोंसिंहजी शेखावत की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है और भैरोंसिंहजी शेखावत जिस पार्टी के सदस्य हैं उसी पार्टी के मुख्य मंत्री जब उनको खण्डहर और किले कहें और उसके बाद इस तरह का बिल लाये तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता क्योंकि परम्पराओं का निर्वहन करने का तो आपने नियम ही बना लिया है, न परम्पराओं का निर्वहन करना है, न संसदीय प्रणाली में जो कानून व्यवस्था है उसका पालन करना है। संविधान में यह व्यवस्था लिखी हुई है कि मुख्य मंत्री होंगे, संविधान में लिखा हुआ है कि कौंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पावर डिफाइन कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ गये हैं कि कौंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम आज रिकोग्नाइज करते हैं चीफ मिनिस्टर को हम रिकोग्नाइज नहीं करते हैं पर क्योंकि हम एक नया इतिहास बनाना चाहते हैं और नया इतिहास बनाने में अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करना चाहते हैं इसलिए नये इतिहास को बनाने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। सभापति महोदय, इस बात से हम सब, सदन को गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है।

यह बिल जो लाया गया है वो आर्टिकल 25 के अन्तर्गत जो यह प्रोविजन किया गया है, माननीय सभापति महोदय, कि "Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion." इस प्रोविजन में जो आर्टिकल 25 और 26 है, आर्टिकल 25 और 26 के होते हुए पार्लियामेंट में भी दो बार यह अटेम्प्ट किये गये कि इसको बिल को लाया जाए। 1954 में भी किया गया, सभापति महोदय, और बैकवर्ड क्लासेज के बारे में प्रोविजन करते समय भी यह व्यवस्था की गयी। सभापति महोदय, एक तो इंडियन कन्वर्जन रेगुलेशन एण्ड रजिस्ट्रेशन बिल है, 1954 और दूसरा बैकवर्ड कम्युनिटीज रिलीजियस प्रोटेक्शन बिल, 1960, यह दो बिल पार्लियामेंट में भी लाये गये और पार्लियामेंट में यह बिल पास नहीं हुए। पार्लियामेंट में डिस्कस करने के बाद यह निर्णय किया गया कि इन बिल की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अलग-अलग स्टेट में जिसमें कांग्रेस का भी आप एग्जाम्पल देंगे, हिमाचल का भी एग्जाम्पल देंगे, आप गुजरात का भी एग्जाम्पल देंगे, और भी एग्जाम्पल देंगे, मध्य प्रदेश का

(डा. सी.पी. जोशी)

भी एग्जाम्पल देंगे पर 1977 के एक केस के फैसले के बाद जब यह केस फैसला बना, कह दिया गया कि स्टेट कानून व्यवस्था के सन्दर्भ में जो प्रोपोगेट करने की व्यवस्था है उस प्रोपोगेट को रेगुलेट करने के प्रैक्टिस करने के लिए कानून बना सकते हैं। यह एक लिवरेज मिल गया जिस लिवरेज का उपयोग लेकर राजस्थान सरकार ने भी 2006 में बिल बनाया। सभापति महोदय, अब यह आज भी यह टैस्ट करना आवश्यक है कि 1977 का, 76 का जो भी फैसला है, आप 76 के ऐरा को तो एमरजेंसी का ऐरा कहते हैं आप तो एमरजेंसी के ऐरा में नियम और कानून और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ठीक नहीं मानते हैं, आज उस 76 और 77, जिसका भी जो केसे है, उस केस का आज दिन तक रिव्यू नहीं हुआ है। उसके जो फंडामेण्टल इश्यूज हैं, रेज किये गये हैं वो फंडामेण्टल इश्यूज आज भी रिलेवेंट हैं। यह रिलेवेंट हैं कि क्या स्टेट कानून बना सकता है, क्या यूनियन कानून बना सकती हैं। यदि स्टेट कानून बनायें और यूनियन कानून बना दें, यूनियन के कानून आलरेडी प्रोविजन हैं हेट्रेड एण्ड रॉयट करने के सम्बन्ध में सब प्रोविजन लिखे हुए हैं। उन कानून को मेन्टेन करने के लिए कानून बना हुआ है, सैण्ट्रल एक्ट कानून बना रखा है। डी.एम. और सरकार की ड्यूटी बनती है कि हम व्यवस्था को ठीक ढंग से लागू करें।

अब मुझे बतायें कि 77 में आपका राज था, बाद में भी भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री रहे, चार साल से भी आपका राज है, आप उदाहरण देकर बतायें हमें कि आपके उस कानून की व्यवस्था होने के बाद क्या आवश्यकता पड़ी कि आप कानून व्यवस्था को बनाने में असफल रहे इसलिए बिल को लाने की आवश्यकता है। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप बिल यह ला रहे हैं कि हम पब्लिक पीस को मेण्टेन करना चाहते हैं, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करती है और पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करती है कि हम रेगुलेट करना चाहते हैं। मैं समझता हूं इस बिल के माध्यम से गृह मंत्रीजी मुझे यह बताएं, गृह मंत्री हुए साढ़े चार साल हो गये हैं, एक उदाहरण दें, भैरोंसिंहजी शेखावत के समय में भी मंत्री रहे हैं, इसका उदाहरण दें आप कि राजस्थान में पीस ऑफ ट्रिंक्युलिटी कब खतम हुई जिसमें यह बिल लाने की आवश्यकता पड़ी? हम एक उदाहरण नहीं दे सकते। हमारे पास केसेज रजिस्टर नहीं हैं तो क्या मैं यह मान लूं, माननीय गृह मंत्रीजी, कि आपके द्वारा यह बिल रखवा कर आपकी पार्टी के

(डा. सी.पी. जोशी)

नेता आपको इनकाम्पिटेंट शो करना चाहते हैं क्या? आपकी काम्पिटेन्सी नहीं है कि चार साल तक आपको यह अधिकार था कि, भाई, कानून व्यवस्था ठीक ढंग से रखें, कानून व्यवस्था के अन्तर्गत यह काम होना चाहिए और कानून व्यवस्था के अन्तर्गत यह बिल ला रहे हैं। इसका सीधा इन्फ्लूएंस यह निकलता है, सभापति महोदय, कि यह चार, साढ़े चार साल में रिलीजियस जो यह प्रोपोगेट करने के लिए जो कन्वर्जन करने के लिए जो लोग अटेम्प्ट करते थे, चाहे व्यक्ति करें, चाहे संस्था करें, उनको रोकने में सरकार असफल रही है। यह उसका सीधा मतलब निकाला जाए। यदि यह मतलब नहीं है तो दूसरा मतलब है, सभापति महोदय, जो ज्यादा लोकतंत्र के लिए खतरा है।

दूसरा मतलब इसका यह है कि हमारा कोई अदर मोटिव्ज है, अदर मोटिव्ज पीस ऑफ ट्रिंक्युलिटी नहीं है। कानून व्यवस्था मेन्टेन करने के लिए हम नहीं ला रहे हैं, कानून व्यवस्था मेन्टेन करने के लिए तो अलग-अलग स्टेट्स के सामने समस्या आ जायेगी। उसमें यूनियन बिल, क्या केन्द्र बिल बनावे या स्टेट बिल बनावे, यह अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं किया है। आप जब यह फैसला करना चाहते हैं, सभापति महोदय, तो आपको विक्ट्री याद है गुजरात की गुजरात की जीत याद है। सभापति महोदय, लोकतंत्र में गम्भीर प्रश्न खड़ा हो गया है कि लोकतंत्र में कानून के माध्यम से हम ऐसा कानून बनायें जिस कानून से कुछ समाज के वर्गों में भय पैदा हो जाए। और कुछ बड़े समुदाय को हम कंसोलिडेट कर दें वोट बैंक के लिए, यह आधार बनाकर हमने लोकतंत्र में विजय प्राप्त की है गुजरात में। सभापति महोदय, यह उदाहरण है गुजरात का, गुजरात का उदाहरण इस बात का प्रतीक है कि कैसे हम वोट बैंक को कंसोलिडेट करें। जिनको जानकारी नहीं है उनको मैं जानकारी देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, सात परसेंट माइनोरिटी है गुजरात में दैट्स आल, सात परसेंट माइनोरिटी, पार्टी अफोर्ड कर सकती है सात परसेंट वोट को नाराज करने के लिए अफोर्ड कर सकती in order to consolidated 93%. They did it successfully. एक बार नहीं, दो-दो बार किया है। गुजरात में सक्सैसफुली एक आदमी, एक क्रिमिनल उसको आधार बनाकर हमने वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश की। यह कमाल है माननीय सभापति महोदय, कम्युनिकेशन का, यह कमाल है कि हम अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं और आज उसी स्ट्रेटेजी को सफल बनाने के लिए अपने ही साथियों की इनकाम्पीटैंस को भी, सारी दुनिया जानती है कि सबसे काम्पीटैंट,

(डा. सी.पी. जोशी)

ओनेस्ट, डेडिकेटेड इंटीग्रिटी का कोई होम मिनिस्टर है तो गुलाब चन्द कटारिया है। उसकी काम्पीटैंस को नेगलैक्ट कैसे करें, कैसे मैसेज दें कि नहीं, यहां पर संस्कारवान लोग ठीक ढंग से सरकार नहीं चला रहे हैं, यहां तो गैर संस्कारवान लोग सरकार ठीक ढंग से चला रहे हैं। इसलिए इस बिल को लाने की जुर्रत कर ली।

तो चाहे संसदीय परम्पराओं में नया इतिहास बनाना हो तो नया इतिहास भी बनायेंगे, नया इतिहास वो बनायेंगे जिनको संसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं है, नया इतिहास वो बनायेंगे जिनको संस्कारों में विश्वास नहीं है, नया इतिहास वह बनायेंगे जिनके लिए लोग प्रश्न उठाकर पूछते हैं कि कैसे नियम बनाये, कैसे कानून बनाये, कौन से नियम और कानून से स्टेट के एक्सचेकर को पैसा खर्च करके कुछ लोगों को फायदा देवें, वह लोग नई परम्परा बनायेंगे। सभापति महोदय, नई परम्परा तो आप बना ही रहे हैं। न केवल इसमें पहली बार, पहली बार राजस्थान के इतिहास में इंडीविज्युअल आदमी को स्टेट एक्सचेकर से पैसा देंगे। टेम्पटेशन, वोट लेने के लिए महिलाएं खाता खोलेंगी तो 1500, किसान की डेथ है तो भी कोई तकलीफ नहीं क्योंकि भारत सरकार ने किसान का वेवर कर दिया है, टैक्स तो हमने फैसला कर दिया है कि टैक्स आपको कोई तकलीफ नहीं, किसान के कोई ऋण बाकी है, नहीं चुकाए कोई चिन्ता नहीं, 1500 रुपये देंगे, यह नया इतिहास है। इससे वोट लेकर राज में आना चाहते हैं। राज में आना चाहते हैं ब्राइव करके बाकी तो इलेक्टोरल प्रैक्टिस है, माल प्रैक्टिसेज हैं पर हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेम वर्क में कांस्टीट्यूशनल एक्सचेकर का पैसा लोगों को देकर वोट लेने का काम करना चाहते हैं। वह सरकार इस बिल के माध्यम से एक भ्रम में रहकर कदम उठाना चाहती है और मैं कहना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी से, यह राजस्थान की परम्परा नहीं रही है, राजस्थान की गौरवशाली परम्परा रही है। राजस्थान में राजाओं का राज भी रहा है पर राजस्थान में साम्प्रदायिक सौहार्द रहा है। महाराणा प्रताप की बात करते हैं हम, महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी की बात करते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में किन-किन लोगों ने भाग लिया, हम तो बड़े गर्व से कहते हैं कि महाराणा प्रताप की संस्कृति के हम वाहक हैं और वाहक होने के बाद यह बिल क्यों लाना चाहते हैं।

यह बिल लाना चाहते हैं सभापति महोदय, कैसे उन लोगों में भय पैदा करें, आप हिमाचल का उदाहरण देना चाहते हैं, हिमाचल के उदाहरण में

(डा. सी.पी. जोशी)

बताइये इंस्टीट्यूशन को रजिस्टर्ड एक्ट में रजिस्टर्ड सोसायटी इंस्टीट्यूशन को बेन करने का अधिकार है, मुझे बताइये आप, पचास साल की यहां राजस्थान में ऐसी बहुत सी सोसायटियां होंगी जो अच्छा काम कर रही हैं पर उनके मन में भय पैदा करने के लिए एल्योरमैंट, एल्योरमैंट में डिफाइन कैसे करेंगे? आपने इसमें जो प्रोवीजन किया, कोई आदमी किसी को भी इम्प्लीकेट करना चाहे, आप यह एफ आई आर दर्ज करवा दीजिए कि यह संस्था यह काम कर रही है, इन्होंने मिलकर धर्म परिवर्तन करवाया, उस संस्था की सारी प्रोपर्टी को हम जब्त कर लेंगे, इसके रजिस्ट्रेशन को कैन्सिल कर देंगे, यह भय का वातावरण नहीं है? आपके पास है पुलिस एक्ट में प्रोवीजन है, क्रिमिनल एक्ट में प्रोसीक्यूट करिये, सज़ा दीजिए उनको, नहीं हमें यह नहीं करना। ब्लेंकेट पावर ले ली हमने कि हम खुद ही खड़ा करेंगे। एक कम्पलैंट खड़ी करेंगे और कम्पलैंट की जांच करवायेंगे और जांच करवाकर उस संस्था की सारी प्रोपर्टी को हम कर लेंगे। यह अटेम्पट है राजस्थान में मुसलमानों को कमजोर करने का नहीं है, युनूस खानजी मंत्री हैं, यह तो मुझे मालूम है, यह बिल लाने से पहले कैबीनेट में पास हुआ होगा, युनूस खानजी ने हां भरी होगी।

यह एक बहुत स्माल सेगमैंट आफ माइनोरिटी जिसको कहते हैं क्रिश्चियन, उनको भय पैदा करके क्योंकि मालूम है कि क्रिश्चियन का वोट परसण्टेज ज्यादा नहीं है तो टारगेट कर रहे हैं माइनोरिटी के नाम पर कि क्रिश्चियन की स्माल कम्युनिटी को उनको सिग्नल देना चाहते हैं। उस सिग्नल का उपयोग माइनोरिटी जो मुसलमान हैं उसको बताना चाहते हैं कि लुक यदि तुमने हमें वोट नहीं दिया तो यह तो एक एग्जाम्पल है, यह आने वाले समय में हम इसी तरह का एग्जाम्पल आपके लिए भी करेंगे। इस भय के वातावरण का दोहन करके सत्ता में कैसे आएं, उसके लिए एक स्टेप बढ़ाने का काम इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं बहुत गम्भीरता से कहना चाहता हूं यह बिल आप लाकर करना चाहते हैं पर यह न भूलें आप राज में क्रिश्चियन हैं पर आप भी बहुत सी संस्थाएं बना रहे हैं, आपकी संस्था भी बहुत प्रोपोगेट कर रही है। आदिवासी इलाके में कर रही है, आदिवासी इलाके में क्या स्थिति है यह मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आदिवासी इलाके में कौन आदमी जो क्रिश्चियन बन गया, कौन क्रिश्चियन बन गया उसकी लिस्ट उठाकर देखें

(डा. सी.पी. जोशी)

तो अपने भारतीय जनता पार्टी के बहुत से सदस्यों का सामने आ जाएगा कि उस समय कब क्रिश्चियन धर्म अपनाया और आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बने हुए हैं पर मैं कहना चाहता हूं कि यह काउंटर प्रोडेक्टिव होगा। अपन भी संस्था चलाते हैं, आदिवासी संस्था चलाते हैं वहां भी अपन यह काम कर रहे हैं, हम भी यह काम कर रहे हैं, बताएं मुझे।

तो इस एक्ट में आप प्रोवीजन रख रहे हैं। अच्छा किया आपको सदबुद्धि दी कि आपने इसमें रिलीजन को डिफाइन नहीं किया है। अब मुझे बताइये लॉ मंत्रीजी, मुझे जानकारी नहीं है कि मैं किस कानून का उल्लंघन कर रहा हूं। यदि आपने इस एक्ट में रिलीजन को परिभाषित ही नहीं किया है तो आपके इस एक्ट के प्रोवीजन क्या हैं? आपको मालूम है कि रिलीजन को प्रभावित करना ही नहीं है। आपने एग्जाम्पल दे दिया जे वर्मा का, सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट है हिंदू इज ए वे आफ लाइफ हिन्दू धर्म नहीं है, इधर लिख दिया ओरिजनल रिलीजन, अब ओरिजनल रिलीजन को कैसे डिफाइन करेंगे कि मैं हिन्दू धर्म में जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। आपकी ओपरेशनल डेफिनेशन में रिलीजन की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, रिलीजन की डेफिनेशन आपने नहीं सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को उठाकर देखें। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि हम धर्म की परिभाषा नहीं कर सकते। उन्होंने लिमिटेड कहा है कि ये ये प्रैक्टिसेज हों, जैसा आपने फरमाया कि प्रोपोगेट हो, धर्म हो तो सिख को उन्होंने मान लिया, सिख धर्म को मान लिया, बौद्ध धर्म को मान लिया, जैन धर्म को मान लिया, इनको तो इन्होंने कह दिया कि यह धर्म हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमैंट में उनको धर्म माना है, अब मुझे बताएं कि यदि वह जैनी आदमी धर्म में है तो वह हिन्दू ओरिजनल में जाएगा या इसमें जाएगा, समझाएं मुझे फिर तो यह जो उदाहरण दिया है सारे फोर फादर में, सारे माइनोरिटी के आदमी सब हिन्दू हैं तो फिर ओरिजनल रिलीजन को डिफाइन कौन करेगा। इसका मतलब है कि हमें इस एक्ट से किसी को कुछ नहीं करना है खाली सिग्नल देना है और इस एक्ट को हमें मालूम है कि वोट बैंक के लिए कैसे उपयोग में लेना है।

मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए यह आपको अच्छा लग रहा है, आज तो आप समझते हैं कि लोकतंत्र का इतिहास पांच साल बाद खतम हो जाएगा, हिन्दुस्तान में सौ साल तक इतिहास रहेगा लोकतंत्र का। उस लोकतंत्र के इतिहास में भविष्य में क्या हो, उसकी बात सोचकर हम निर्णय करें, तब

(डा. सी.पी. जोशी)

जाकर उस निर्णय का लाभ समाज को मिलता है और देश को मिलता है। इसलिए माननीय राठौड़ साहब, पार्लियामैंटरी अफेयर मिनिस्टर, अपने आपको गौरवान्वित नहीं करें नया संसदीय इतिहास बनाने के लिए, वैसे ही आपने, सरकार ने ऐसे इतिहास बनाये उसके लिए आप गौरवान्वित हैं। उसमें मुझे तकलीफ नहीं है लेकिन इस प्लेटफार्म के माध्यम से खड़े होकर यह कहने का दुस्साहस नहीं करें कि हम संसदीय प्रणाली में एक नया इतिहास बना रहे हैं। मैं समझता हूं सभापति महोदय, यह गम्भीर प्रश्न है जिसके ऊपर संवैधानिक दृष्टि से भी अभी बहुत से निर्णय होने बाकी हैं। मैं समझता हूं कि यह जो मैंने कुछ बातें नोट की, मैं चाहूंगा कि मंत्रीजी जवाब दें तब उसमें जरूर बताएं, आप मुझे बताएं कि इस बिल के आने के बाद केन्द्र और राज्य के रिलीजन के सम्बन्ध में बिल बनाने के लिए काम्पीटैंसी और उसमें आपस में झगड़ा खड़ा होगा कि नहीं होगा?

दूसरा, यह बताएं कि क्या बिल यूनियन राइट्स को इन्फ्रेंस करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा है, सब चीजों का नेगेशन अपने पास है। मैं समझता हूं, सभापति महोदय, यह भी बताने की आवश्यकता है कि आर्टिकल 25 में जो प्रोपोगेशन है, जिस प्रोपोगेशन के लिए कांस्टीट्यूशन के इस इन्टरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट हैं उसे प्रोपोगेशन करने के लिए हर चीज अलाऊ है, एक्सेप्ट कन्वर्जन। कन्वर्जन और प्रोपोगेशन के बीच में एक थिन लाइन है। उस थिन लाइन को डिफाइन करने के लिए यह बिल लाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि हमें आवश्यकता इस बात की है कि अब नया, लोकतंत्र में बाबरी मस्जिद का गिरना, लोकतंत्र में गुजरात की सरकार का जीतना, लोकतंत्र में इस सरकार का दुस्साहस, उसमें वोट के लिए सरकार के एक्सचेकर के पैसे को देना, उसके बाद नये सिरे से आवश्यकता है कि हम इस कन्वर्जन की परिभाषा को ठीक ढंग से डिफाइन करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह गुजरात की जनता का अपमान कर रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं सम्मान करता हूं आपका भी, आप सम्मान करें, मेरा अपना सोच है, मैं मेरी सोच को तो आपके सोच में नहीं जोड़ सकता। आपका सोच है, आप सम्मान करें, आपको मुबारक। मेरा सोच है, मैं अपने सोच को एक्सप्रेस करूंगा।

(डा. सी.पी. जोशी)

मानननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं ईमानदारी से क्योंकि मेरे सब साथियों ने पहले भी कह दिया है, पहली बार इतिहास में हम कांस्टीट्यूशन हैड, जिसका हम गर्व कर रहे थे, राजस्थान की महिला, राजस्थान की गवर्नर आज हिन्दुस्तान की प्रथम नागरिक बनी हैं, यह सदन बाई टेकिंग दिस लेजिसलेशन, यह कानून का प्रस्ताव लेकर हम संविधान की सबसे सर्वोच्च पद पर बैठी हुई महिला का अपमान कर रहे हैं और अपमान करने के लिए राजेन्द्र राठौड़जी तन सिंहजी की जयंती याद आयेगी, वसुन्धराजी को तन सिंहजी की जयंती याद आयेगी, यह प्रतिभाजी की जयंती भी लोकतंत्र में याद रहेगी, इसी इतिहास को बनाने के लिए, आप उनका अपमान करने के लिए फिर दोबारा भेजना चाहते हैं। आपको मालूम है गवर्नर वो थीं, उन्होंने रिजैक्ट किया, अब आप आशा कर रहे हैं वही व्यक्ति प्रेसिडेंट के रूप में उसे असेंट दे देगा। यह आपको मालूम है, कानूनन मालूम है कि असेंट आयेगी नहीं, बिल पास होगा नहीं पर आप एक सर्वोच्च पद पर बैठी हुई महिला का अपमान करने के लिए इस सदन के प्लेटफार्म का उपयोग करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इतिहास के रिकार्ड में होना चाहिए कि यह पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर राजेन्द्र राठौड़ जो राठौड़ लिगेसी की बात करता है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उनके पास जायेगा नहीं, माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): वसुन्धराजी तन सिंहजी की जयंती मनाने की बात करती हैं।

वह भी एक नया इतिहास बना दिया है कि संसदीय परम्पराओं का उपयोग करते हुए सर्वोच्च पद पर बैठी हुई एक महिला का अपमान करने का दुस्साहस कर रहे हैं, यह भी रिकार्ड में जाना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह उनके पास जायेगा ही नहीं, राष्ट्रपति महोदय के पास ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, यह उनके व्यक्तिगत विचार हैं, आप सहमत हों या नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं चाहता हूं कि मैं गम्भीरता से अपनी बात को समाप्त करूं, उससे पहले मैं माननीय कटारिया साहब, आपसे

(डा. सी.पी. जोशी)

विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल राजस्थान की संसदीय परम्पराओं के खिलाफ, काले कानून के रूप में याद रखा जायेगा। यह बिल राजस्थान में साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए याद रखा जायेगा। यह बिल आपकी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कभी भी साबित नहीं होगा और मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, माननीय कटारिया जी, इसमें कोई हेठी भी नहीं है। कोई भी आपकी मंशा है, हम भी मानते हैं कि कनवर्जन नहीं होना चाहिए, पर मुझे बतायें कि आपने इसमें डिफाइन किया है अल्योरमेंट का, अल्योरमेंट के सम्बन्ध में आप डेफिनेशन कैसे करेंगे, आप देखिये उसमें लिखा है कि " 'allurement' means offer of any temptation in the form of – (i) any gift or gratification, either in cash or kind; or (ii) grant of any material benefit, either monetary or otherwise;" अदरवाइज में तो अपन फ्री हैं, रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में आपने जो प्रोविजन लिखा, उसमें लिखा है कि "… that the funds of the body have been used, or are being used or are contemplated …" That word used is 'contemplated'. " … are contemplated to be used for conversion; .." यह कैसे पता लगायेंगे कि इस संस्था को यह पैसा उसके उपयोग में आयेगा। यह निर्णय कौन करेगा, यह वह डिप्टी एस.पी. करेगा, यह डी.एम. करेगा कि मुझे सपना आया है, रात को सपना आया, वह सपना कुछ मंत्रियों को तो आता ही है, वह बोलेगा कि कोटा की वह संस्था है, वह यह काम करेगी, सपना आ गया, सपना आते ही उसका रजिस्टर्ड करके केस में बंद कर देंगे, यह कांटम्पलेटेड वर्ड जो है, यह किस संस्था, जो काम करने वाली है, को भी मिसयूज करने के लिए आप जो प्रोविजन कर रहे हैं वह प्रोविजन माननीय गृह मंत्रीजी ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा, नम्बर एक, इसमें आपने रिलीजन को डिफाइन नहीं किया है, जब आपने रिलीजन को डिफाइन नहीं किया तो ओरिजनल रिलीजन क्या होगा।

नम्बर दो, मेरा अधिकार है व्यवसाय ढूंढने का, मेरा अधिकार है पार्टी चूज करने का, मेरा अधिकार है मकान बनाने का, मैं किस धर्म को कांसेस से अडाप्ट करूं उस पर पालिसिंग का काम सरकार करेगी। मुझे डी.एम. से परमिशन लेनी पड़ेगी, मुझे पूछना पड़ेगा कि मैं इस धर्म को मानूं की नहीं मानूं। मुझे परमिशन दें कि नहीं दें और धर्म कौनसा उसकी परिभाषा नहीं है।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि ऐसा कानून जिसमें रिलीजन को

(डा. सी.पी. जोशी)

डिफाइन नहीं किया है और आगे बढ़ना चाहते हैं यह तो बहुत खोटा, गलत कानून होगा, मैं समझता हूं कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, आप ऐसा मानते हैं कि हिन्दू वे ऑफ लाइफ है तो फिर धर्म का वायलेशन कहां हुआ, इसका मतलब यह पूरे जिस प्रिमेसेज पर आप कानून बना रहे हो उसकी जो क्रक्स, आत्मा है, वह है रिलीजन और रिलीजन आपने लिखी ही नहीं तो एक्ट में वायलेशन किसका होगा। लेकिन चूंकि हमें चुनाव में जाना है, झगड़े हैं और संस्कार और गैर संस्कारों के झगड़े हैं। पैच अप करना जरूरी है, पैच अप तो करना ही पड़ेगा। चाहे तोगड़ियाजी के लिये करो, चाहे इसके लिए करो, यह पैच अप करने में राजनीतिक उद्देश्य के लिए मुझे आपसे निवेदन करना है, यह लोकतंत्र के इतिहास में, राजस्थान की संसदीय परम्पराओं के खिलाफ होगा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको करना है तो फूलप्रुफ करो और कटारियाजी को मालूम है, पुलिस एक्ट बनाया, हमने कितनी मीटिंगें की, राजस्थान को गर्व है इस बात का कि हमने एक अच्छा पुलिस एक्ट बनाया। मैं आपको फिर निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपकी मंशा किसी भी धर्म को मानने वाले आदमी को, टेम्पटेशन से, बेइमानी से धर्म पलटता है तो वह रोकना चाहिए। यदि आपको करना है तो मेरी आपसे सानुरोध प्रार्थना है आप इसको सलेक्ट कमेटी में भेजो, थोरो डिस्कस करो और एक नयी चीज बनायें जिससे यदि हम आज उदाहरण बनाना चाहते हैं तो लोग कह सकें कि राजस्थान के इस बिल का फॉलो हम कर रहे हैं। तब तो हम इतिहास बनायेंगे और बाकी जो हम यह काम कर रहे हैं, यह इतिहास नहीं है। यह हम पॉलिटिकल ऐम्स को पूरा करने के लिए करना चाहते हैं, ऐसे पॉलिटिकल ऐम्स को पूरा करने वाले बिल के समर्थन में हम नहीं खड़े हो सकते हैं।

सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित करो और इस बिल को काले अध्याय के रूप में राजस्थान के इतिहास में याद रखा जायेगा। मैं मेरी पार्टी की तरफ से आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान की कानून-व्यवस्था नहीं बिगाड़ें, हमें इस बात के लिए कम्पेल नहीं करें कि राजस्थान में हम विधान सभा में कानून बनाने के लिए आये हैं। ऐसे कानून का विरोध करने के लिए यदि हमें पार्टी को भी खड़ा करना पडा तो निश्चित रूप से हम वह काम भी करेंगे और मैं नहीं चाहता कि हम राजस्थान में ऐसी गलत परम्पराओं का निर्वहन करें। अच्छा कानून बने, दूरदर्शी कानून बने, जो बेइमान आदमी है, जो धर्म

(डा. सी.पी. जोशी)

परिवर्तन के लिए बेइमानी करता है उनको सज़ा मिले और ऐसा बिल कानून बनाने के लिए लेकर आये हैं वह मैं समझता हूं कि वह कानून हम सबके हित में नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित करें।

श्री सभापति: पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य कुछ कह रहे थे।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): सभापति महोदय, पांच बजे का टाइम था, अब 5.35 हो गये हैं।

श्री सभापति: माननीय मुख्य सचेतकजी, मंत्रीजी तैयार हैं क्या वक्तव्य देने के लिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): बिलकुल तैयार हैं।

श्री सभापति: दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पहले प्रस्ताव ले लेते हैं ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): कौन से प्रस्ताव को, चलने तो दें अभी ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हम यहीं बैठे हैं, कहीं जायेंगे नहीं ...(व्यवधान) जवाब देने के लिए तैयार हैं ...(व्यवधान) यदि कोई दिक्कत नहीं हो, एतराज नहीं हो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय श्री रामनारायणजी मीणा। (अनुपस्थित) माननीय सदस्य श्री संयमजी लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, किसी कवि ने कहा है कि 'मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बाटो इंसान को।'

सभापति महोदय, राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन में आज एक ऐसे बिल पर जो इस सदन में तीसरी बार आया है, दो बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और एक बार कांग्रेस पार्टी की सरकार में, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा कि 3 नवम्बर, 1970 को भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार के वक्त में राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पेश हुआ था, तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री बिशम्भर नाथ जोशी ने इस बिल को पेश

(श्री संयम लोढ़ा)

किया था और उसके बाद यह बिल प्रवर समिति को सौंप दिया गया था, 21 नवम्बर को और फिर लैप्स हो गया।

सभापति महोदय, उस वक्त वह दौर था कि जब इस तरीके की शिकायतें मिल रही थी, अजमेर जिले में मिल रही थी, दक्षिणी राजस्थान में मिल रही थी। लेकिन आज पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, कोई भी सदस्य इस बात को नहीं कह सकता है कि प्रलोभन के आधार पर राजस्थान में धर्म परिवर्तन का कार्य हो रहा है और मैं यह समझता हूं कि 60 साल से भी अधिक परिपक्व हमारी इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अन्दर अगर आज हमारी मानसिकता यह है कि प्रलोभन के आधार पर धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है तो ऐसा वही लोग सोच सकते हैं जो हिन्दू धर्म की गहराई को नहीं समझते हैं, हिन्दू धर्म की शाश्वतता को नहीं समझते हैं, जो इस महान और गौरवशाली धर्म में दूसरे सभी तत्वों को अनुप्राणित करने की क्षमता को नहीं समझते हैं।

सभापति महोदय, कितना खूबसूरत धर्म है, कितना नैसर्गिक बोध है, लेकिन जब हम धर्म के आधार पर लोगों के कल्याण की अपनी प्रतिबद्धता के आधार पर काम नहीं करना चाहते और अपने कुत्सित स्वार्थ के लिए धर्म के प्रयोग का इरादा रखना चाहते हैं। जब हमारे दिमाग में ऐसा बिना किसी प्रयोजन के बिल लाने की सोच उत्पन्न होती है।

सभापति महोदय, हम अतीत पर नजर डालें और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र तो यहां तक कहते हैं कि भगवान राम का काल दस लाख साल पुराना है तो पिछले दस लाख साल से हिन्दू धर्म की जो व्यवस्था चल रही है, जो सनातन संस्कृति चल रही है, क्या हिन्दू धर्म की संस्कृति दस लाख साल किसी कानून की मोहताज रही है। पिछले दस लाख साल से जिस धर्म को लोगों की आत्मा को परिष्कृत करने के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ी। अपने अंतस की चेतना के बल पर जिस धर्म ने लोगों के जीवन को लाभान्वित करने का काम किया, क्या आज दस लाख साल के बाद में वह हिन्दू धर्म इतना कमजोर पड़ गया कि उसको राजस्थान सरकार के इस कानून की जरूरत पड़ गई? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं, मैं कोई राजनीतिक आधार पर आप पर आक्षेप नहीं लगाना चाहता, न राजनीतिक आधार पर इस सदन में बात कहना चाहता हूं लेकिन अगर सच्चाइयों के साथ में, प्रतिबद्धता के साथ में, अपने हृदय के अंतरतल की

(श्री संयम लोढ़ा)

गहराइयों के साथ में अगर मन में यह सोच है कि जो लोग जन्म के आधार पर हिन्दू हैं, उनका हम भला करना चाहते हैं, इस हिन्दू धर्म को आदर्श के रूप में लोगों के सामने रखना चाहते हैं तो एक प्रतिबद्धता के साथ राजस्थान की जनता के सामने आएंगे, चाहे हम हों चाहे वह आप हो। माननीय सभापति महोदय, उसके लिए बहुत मजबूत इरादों के साथ हिन्दू धर्म की व्यवस्थाओं को बदलना होगा लेकिन हिन्दू मन से भी जाते हैं, क्यों लोग हिन्दू धर्म छोड़कर जाते हैं? क्या आपने इस पर विचार करने की चेष्टा की है? क्या आपने हिन्दू धर्म की आंतरिक कमजोरियों को दूर करने की चेष्टा की है?

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि महान स्वप्न दृष्टा और क्रांतिकारी विचारक डाक्टर भीमराव अम्बेडकर पूरी जिन्दगी इस हिन्दू धर्म की आंतरिक कमजोरियों से जूझते रहे, बहुत भारी हृदय के साथ, पिछली सदी के चौथे दशक में उनको कहना पड़ा कि मैं किस धर्म में जन्म लूं, यह तो मेरे हाथ में नहीं है पर मैं किस धर्म में मरूंगा, यह मैं तय करूंगा। लगातार वह संघर्ष करते रहे और वह धर्म को बहुत महत्व देते थे, वह यह कहते थे कि शरीर को चलाने के लिए अन्न की जरूरत है, मस्तिष्क को चलाने के लिए विचारों की जरूरत है और आत्मा को चलाने के लिए धर्म की जरूरत है। ऐसे एक महान विचारक ने 24 मई, 1956 को मुम्बई में घोषणा की कि मैं हिन्दू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण करूंगा और माननीय सभापति महोदय, 14 अक्टूबर, 1956, दशहरे का दिन जिसको हमारा मुल्क विजयादशमी के नाम से मनाता है, अन्याय के ऊपर न्याय की विजय के नाम से मनाता है, उस दिवस को उन्होंने चुना। लाखों लोगों के साथ जो हिन्दू धर्म में पैदा हुए थे, जब उन्होंने हिन्दू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण करने का फैसला किया तब खुद बाबा साहब ने अपने मुंह से उच्चारण किया, बुद्धम् शरणम् गच्छामि। क्या 1956 के बाद भी इन 52 सालों के अन्दर हमने इस बात से सबक लिया कि एक ऐसा महान विचारक, हिन्दू धर्म को छोड़कर चला गया। इन 52 सालों के अन्दर और उसके बाद भी क्या हिन्दू धर्म की कमजोरियों को दूर करने की हमने चेष्टा की? नहीं की। (व्यवधान) मेरे ऊपर आप कृपा करें।

श्री सभापतिः माननीय मुख्य सचेतकजी, आप अपने माननीय सदस्यों से आग्रह करें कि वे बैठे-बैठे न बोलें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रीजी

से पूछना चाहता हूं कि आप उस विचारधारा से आते हैं, उस संगठन के संस्कारित व्यक्ति हैं जो हिन्दूत्व के नाम पर चलता है, हिन्दूत्व नाम को ओढ़ता है और हिन्दूत्व के नाम पर जीने की कसमें खाता है और दावे करता है। हिन्दू धर्म के किसी भी सन्यासी का भण्डारा होता है, हिन्दू धर्म के लोगों के द्वारा उसका आयोजन होता है, आप क्या बता सकते हैं कि उस भण्डारे के अन्दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए खाने की अलग से व्यवस्था क्यों होती है? क्या 60 सालों के हमारे प्रजातंत्र ने उस व्यवस्था को बदलने का काम किया है? आज भी राजस्थान के तमाम गांवों के अन्दर उन भण्डारों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आदमियों को अलग बैठकर खाना पड़ता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ऐसी बात मत करो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं साक्षी हूं। (व्यवधान) मैं देखता हूं, जाता हूं सब जगह ...(व्यवधान) आपके ऐसा करने से कुछ नहीं होता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सबको लांछित करने का काम कृपया मत करो। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हम बोलने दें इसका मतलब आप लांछित किए जाओ, यह अधिकार आपको किसने दिया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पूरे हिन्दू धर्म को लांछित करने का काम मत करो, सभी लोगों को लांछित करने का काम मत करो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप गलत कोट कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप अपनी कमजोरियों को दूर करिए। अपनी कमजोरियों को दूर करिए, मैं यह कह रहा हूं। (व्यवधान) आपके खड़े होने और इस प्रकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप हिन्दू हैं और हम हैं, हमारा भी हक है यह कहने का। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कमियों को दूर करना चाहिए, कोई एक भण्डारा हमें बता दें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कहना क्या चाहते हैं? यह फिर बांटना चाहते हैं, यह उस गरीब का और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का अपमान करना चाहते हैं। कौनसा भण्डारा है जिसमें अलग पंक्ति होती है, आप पूरे धर्म को लांछित कर रहे हो।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कोई भण्डारा ऐसा नहीं है, कोई मंदिर ऐसा नहीं है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ऐसा भण्डारा कहां दिखा आपको? आप गलतबयानी करते हो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यदि आप कहेंगे तो मैं लिस्ट दे दूंगा उन भण्डारों की। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): हिन्दू धर्म को कलंकित करने का काम इस राजस्थान के पवित्र सदन में आपने किया है। (व्यवधान) इसको कलंकित नहीं होने देंगे हम। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): भारतीय जनता पार्टी धर्मान्तरण करवाती है यह दिखा-दिखा कर, डरा कर वोट लेना चाहते हो, यह आप वोटों की राजनीति कर रहे हो। (व्यवधान) यह कह रहे हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को भण्डारों में नहीं जाने देते हैं। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह कौन से भण्डारे की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का भण्डारा अलग होता होगा, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई भण्डारा होता नहीं है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, सभी समाज, सभी जातियों, सभी धर्मों के लोगों के साथ बैठकर खाते हैं, पीते हैं, किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिए आप, इसका उत्तर मैं दे रहा हूं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): इनके विधान सभा क्षेत्र में होता होगा, राजस्थान में ऐसा भेदभाव हमने कहीं नहीं देखा।

श्री सभापति: आसन इसका उत्तर देगा, आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): यह संविधान तो अनुसूचित जाति के थे उन्होंने बनाया, संविधान बनाया अनुसूचित जाति के आदमी ने। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह भेदभाव आपकी मानसिकता में है। यह आपकी आत्मा में है, आपकी पार्टी की आत्मा में है, जिसके नाम के आगे 'हरि' लिखा हुआ है, उस जन का आप अपमान करना चाहते हो और उन सारे महापुरुषों को अपमानित करना चाहते हो, उन सारे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

देवी-देवताओं को अपमानित करना चाहते हो, जिनके नाम के हम भण्डारे लगाते हैं, यह हमारी संस्कृति का अंग है, गांव-गांव में भण्डारे लगते हैं, एक पंक्ति में राजा, रंक, हरिजन, ब्राह्मण, सब एक पंक्ति में बैठकर खाना खाते हैं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): सब साथ में एक मंच पर, एक दरी पर बैठकर जीमते हैं। इनके यहां कांग्रेस का अलग से कोई भण्डारा लगता होगा, इनका कोई अलग से भण्डारा होगा, इनके क्षेत्र में कांग्रेस का कोई अलग से भण्डारा लगता होगा। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): आपके वहां सोनिया गांधी का भण्डारा लगता होगा सोनिया गांधी का जो भारत की संस्कृति को, यहां की संस्कृति को नहीं मानती। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम 36 कास्ट के वोट लेकर इस राजस्थान विधान सभा में पहुंचते हैं। एक जाति के आधार पर हम राजनीति नहीं करते। धर्म के आधार पर हम राजनीति नहीं करते। सभी धर्मों के वोट मिलते हैं तब हम इस राजस्थान विधान सभा में पहुंचते हैं, 36 कौमों के वोट लेकर आ जाते हैं और फिर वहां वोट लेते समय तो नहीं कहते यह बात, आज यह सदन में बात कहते हैं। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आधे से ज्यादा शिड्यूल्ड कास्ट के लोग इधर भारतीय जनता पार्टी में हैं, जीतकर आए हैं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): 33 में से 27-28 विधायक इस भारतीय जनता पार्टी के राज में हैं, और माननीय मुख्य मंत्रीजी भैरोंसिंहजी ने कुछ किया तभी 27 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के ...(व्यवधान) इनके राज में नहीं रहे इसलिए भटके आ रहे हैं इसलिए कांग्रेस का भण्डारा लगा है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): शिड्यूल्ड कास्ट जिसकी तरफ देखना बंद कर देता है वह सत्ता में नहीं रहता है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हमेशा राज में रहती है और उसने राज आपसे छीन कर ले लिया इसलिए आपको कांग्रेस का भण्डारा याद आ रहा है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जिसकी तरफ नहीं देखती है उसका राज बदल जाता है। यह बदलते हैं राज को।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): इटली की संस्कृति हमारी भारतीय

संस्कृति से मेल नहीं खाती। (व्यवधान)

श्री सभापति: परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य, बैठिए। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप में और मेरे में क्या फर्क है? आप यह बताइए, आप महाजन हैं और मैं मेघवाल हूं, बताइए क्या फर्क है? बताइए?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं आसन को सम्बोधित कर रहा हूं, आपको जो कहना है आप आसन से कहिए।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप बता दीजिए, कुछ फर्क है? बताइए आप कि यह फर्क है आप में और मुझ में, क्या फर्क है? आप भी महाजन हैं और मैं भी महाजन हूं, व्यापार करे सो व्यापारी, बिणज करे सो व्यापारी, महाजन वही होता है जो व्यापार करता है। आदमी अपने कर्म के आधार पर जाना जाता है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरे तो खानदान में किसी ने व्यापार नहीं किया, हमने तो लोगों की भलाई के लिए काम किया है। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): इसलिए आप यह जात-पांत और धर्म के झगड़े छोड़कर इस राजस्थान की जनता के लिए सार्थक बहस कीजिए। (व्यवधान) फिर वही बात। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कांग्रेस ने 50 साल में क्या किया?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कांग्रेस के राज में शुरूआत हुई है। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह जात-पांत के झगड़े डालकर वोट ले लिए, अब मुसलमान इनको वोट देते नहीं है, यह धर्म स्वातंत्र्य वाला विधेयक लाए हैं, कांग्रेस के साथ में एक भी मुसलमान नहीं है इसलिए इनको यह करना पड़ रहा है।

श्री सभापति: बैठिए। देखिए, हिन्दुओं का सबसे पवित्र त्यौहार होता है कुम्भ का मेला, उसमें हिन्दुस्तान के सारे साधु, संत, एकांतवासी, तपस्वी और हर जाति का आदमी आता है, इसलिए हिन्दुस्तान में छुआछूत है ही नहीं। बस सही है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, व्यवहार में इस सच्चाई को समझना पड़ेगा। आज भी कस्बों के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट का

(श्री संयम लोढ़ा)

टीचर, गांव का आदमी जब शहर में नौकरी में ट्रांसफर होकर शहर जाता है अपने परिवार के साथ रहने आता है, अपना आत्मालोचन करें आपकी बस्ती में कोई उसको मकान किराये पर देता है क्या? उसी शिड्यूल्ड कास्ट की बस्ती में जाकर उसको मकान किराये पर लेना पड़ता है। क्या आपने व्यवस्था ठीक करने का काम किया है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, यह सदन है, क्या इन्होंने तय कर लिया कि आज बिल पर बोलते-बोलते ये राजस्थान के अनुसूचित जाति के लोगों को लांछित करना चाहते हैं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): लांछित नहीं करना चाहते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): फिर क्यों समय जाया कर रहे हो?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ईमानदारी से उनका दर्द इस सर्वोच्च सदन के अंदर रखना चाहता हूं, उनका दर्द रखना चाहता हूं, उनकी पीड़ा रखना चाहता हूं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय सदस्य एक भी उदाहरण तो बताएं ..(व्यवधान)..

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): कांग्रेस के कहने से ..(व्यवधान) यह रिकार्ड पर है।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): कितने लोगों को घर दिलाया, कितनों को बसाया? (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को आपने मरवाया है। आपके सामने से जूते ..(व्यवधान) इसीलिए शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया, यह पता है आपको।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): 1995 से अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को पंचायत राज में मौका मिला और आज दिन तक आप लोगों ने राज किया। कभी ऐसा किया आप लोगों ने? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उस कास्ट ने राजीव गांधी को ..(व्यवधान) जिसने यह क्रांतिकारी आदेश किया है ..(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): 1995 में माननीय भैरोंसिंह

शेखावत ने अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को पंचायत राज में भागीदारी का मौका दिया। कितना राज किया आप लोगों ने? एक भी उदाहरण बताओ। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने क्या दे दिया? (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): घड़ियाली आंसू बहाकर (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): रामायण के रचयिता कौन थे, वाल्मीकि। संविधान निर्माता कौन थे, भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब। संत रैदास, भक्त शिरोमणि मीराबाई के रूप में जाना जाता है या नहीं?

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय सभापति जी, ऐसा दकियानूसी बिल लाये हैं यह तो यहां हालत है और यह बिल जाने के बाद पूरा प्रदेश सांप्रदायिकता की आग में झुलसेगा। इसको वापस ले लें आप। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): यह आपका काम है साम्प्रदायिकता भड़काने का।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी थे।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): यह बेमतलब का ऐसा काला कानून आप ला रहे हो। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आप मुसलमानों के वोट पक्के करना चाहते हो (व्यवधान)

श्री सभापति: राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, बैठिए।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय सभापति महोदय, रामायण के रचयिता कौन थे, वाल्मीकि। इस राष्ट्र के संविधान के निर्माता कौन थे, बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर। महाभारत के रचयिता कौन थे, इनको पूछो। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): डा. भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण किया?

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप कांग्रेस वालों ने तो उनको हराया था। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): आपने उनको कभी भी विद्वान नहीं माना।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): उन्हीं की वजह से राष्ट्र का निर्माण

हुआ है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ..(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): यह बिल आप वापस करो। इसका भी वही हश्र होगा जो पहले हुआ है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): अणची बाई। (व्यवधान) 33 परसेंट आरक्षण किसने दिया, डा. भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने दिया। पंचायत राज 1994 में इसमें कई सदस्य, 90 परसेंट सदस्य ऐसे हैं जैसे माननीय मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत ने पंचायत राज एक्ट बनाया, नाथूसिंह जी गुर्जर उस समय पंचायत राज मिनिस्टर थे, शिड्यूल्ड कास्ट को आरक्षण किसने दिया पंचायत राज में? माननीय भैरोंसिंहजी ने दिया। महिलाओं को आरक्षण किसने दिया, माननीय वसुंधराजी राजे ने।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय सभापतिजी, आप बोलने दे रहे हैं?

श्री सभापति: आपकी बात आ गई, बैठिए आप।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ये क्या बोल रहे हैं आप इनको बिठाओ।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आज कांग्रेस की ..(व्यवधान) इसलिए ये ..(व्यवधान) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ..(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, ये अनर्गल कर रहे हैं। आपने व्यवस्था दी है उसको मान नहीं रहे हैं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप कहो तो आपके सामने आ जाऊं जनरल सीट पर चुनाव लड़ने।

श्री सभापति: आप बिलकुल सही बात कह रहे हैं मां मीरां के गुरु भी रैदास ही हुए थे। (व्यवधान) बोलिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, आप जैसे आदमी के सामने मेरी क्या औकात है? चुनाव लड़ने की मेरी कहां औकात है?

श्री सभापति: परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य, बहुत हो गया, बैठिए आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, पिछली अनेक

शताब्दियों और सदियों की ओर हम नजर डालें तो हिन्दू धर्म ने ऐसे अनेकानेक संत दिये जिन्होंने हम लोगों को यह संदेश देने की चेष्टा की कि नर ही नारायण है, जांत-पांत पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। स्वामी रामानंदजी ने चौदहवीं सदी में यह बात कही थी और-

रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाय,
टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप क्यों तोड़ रहे हो धागे को?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): रहीम, रसखान, अनेकानेक ऐसे स्वप्नदृष्टा हमारे मुल्क में हुए जिन्होंने इस देश की शाश्वत, जीवंत और गौरवशाली संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि हमारे हिन्दू धर्म के अंदर पुजारी का काम आज भी वंशानुगत आधार पर क्यों हो रहा है? क्यों वे लोग जिन्होंने सदियों से उस वंचित तबके के शोषण का काम किया है आज भी इस पूजा की कमान उन्हीं के हाथ में क्यों है? क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के आदमी को आप मंदिर में पुजारी बनाते हो? माननीय सभापति महोदय, वंशानुगत आधार पर अक्ल हो या नहीं हो, धर्म का ज्ञान हो या नहीं हो, धर्म की जानकारी हो या नहीं हो एक शोषण का चक्र आज भी स्थापित कर रखा है। (व्यवधान) आप मजाक में मत लीजिए तिवाड़ी साहब। आप जैसे लोगों की मानसिकता की वजह से इस हिन्दू धर्म ने अम्बेडकर जैसे महान विचारक को खो दिया और आज मैं कहना चाहता हूं बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सुझाव दिया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि मंदिरों में पूजा की व्यवस्था परीक्षा के माध्यम से होनी चाहिए। आप बाकायदा उसकी एक एग्जाम कंडक्ट कीजिए, जो व्यक्ति उन मानदण्डों पर खरा उतरेगा वह मंदिरों के अंदर पुजारी का काम करेगा। तब यह हिन्दू धर्म की कमजोरी दूर होगी तब हिन्दू धर्म के अंदर शोषण की व्यवस्था खतम होगी ..(व्यवधान) बिलकुल कराएंगे, कमिटमेंट है हमारा और जब तक आप यह नहीं करेंगे यह आपका अंदर का सिस्टम ठीक होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। आपने ठेका ले लिया हम ही पूजा करेंगे, हमारे बाद हमारी पीढ़ियां करेंगी और वे लोग जो हजारों साल से आपकी बनायी हुई वर्ण व्यवस्था के आधार पर हाशिये पर बैठे हुए हैं, किनारे पर बैठे हुए हैं उनको हिन्दू धर्म की मुख्य धारा में आने का कभी अवसर नहीं मिलेगा। हिम्मत करिये, आपने तो खाली भारत

(श्री संयम लोढ़ा)

नहीं, पूरी दुनिया की हिन्दू संस्कृति का ठेका है विश्व हिन्दू परिषद, उन ठेकेदारों को कहो कि अपने घर को ठीक करो।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उन्होंने कर दिया, नहीं तो ऐसे दुष्ट लोग इस देश को खा जाते।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): घंटा बजाने का अधिकार इनको मिलना चाहिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, वह आदमी जिसने जन्म तो हिन्दू धर्म में लिया है और जन्म के आधार पर उसका जो शोषण हो रहा है। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): चुनावों के बाद आपको तो यह अधिकार वैसे ही मिल जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हम तो सिर्फ पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण होते हैं तो यादवों में होते हैं। हम तो सिर्फ पुजारी हैं, हम क्या करते हैं? अब ज्यादा दिक्कत हो तो ममताजी को कहो, क्योंकि इनके घर वाले देवता जी कहलाते हैं, इनके साथ करो जो कुछ करना है। हम तो वैसे ही ब्राह्मण हैं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): घण्टा तो हम लोगों को ही बजाना पड़ता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यादव शाकम्भरी में बजाते हैं, ये राजपूत खाटूश्यामजी में बजाते हैं। कोई जाति नहीं है जो सब जगह न बजाती हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमारी तो पीड़ा आप दोनों से ही है। इस मामले में दोनों ही एक हो। इस मामले में कोई पार्टी नहीं है, वैसी ही व्यवस्था चलाने के पक्ष में चल रहे हो। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ...(व्यवधान) फिर तो बैकलॉग पूरा करना पड़ेगा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप माननीय सदस्यों को बोलने क्यों नहीं दे रहे ? (व्यवधान) फिर आप कहोगे कि लेट हो रहे हैं हम सब लोग।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो यह शोषण आधारित व्यवस्था हमारे ही पूर्वजों के द्वारा लाई हुई है उसको खतम करने की दिशा में ईमानदार प्रयास करने चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, इनका खास थर्स्ट रहा है, अवयस्क, महिला, दलित और आदिवासी इनके मामले में इन्होंने दूसरों से ज्यादा सख्त सज़ा का प्रावधान किया है। सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रीजी, आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा जन्म के आधार पर आप भी जैनी हैं, मैं भी जैनी हूं। जैन धर्म के अंदर कितने लोग, कितने बच्चे, जैन धर्म में दीक्षित होते हैं, अलग-अलग जाति के होते हैं ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप तो यहां नहीं थे, इन्होंने महावीरजी ने तो कह दिया कि जैन धर्म तो है ही नहीं, हम तो हिन्दू धर्म को ही मानते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ऐसा है कि जन्म के आधार पर तो कटारिया साहब और संयमजी जैन हैं पर कर्म के हिसाब से संयमजी राजेन्द्रजी के साथ हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इनके और गृह मंत्री जी के कर्म मिलते हैं क्या ? यह तो गजब हो गया, तब ही तो डिफरेंस नहीं रहा पूरी पोलिटिक्स में ...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय तिवाड़ीजी, क्या आप राजेन्द्रजी के कर्म खराब मानते हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री सभापति: देखो, माननीय संयमजी, दोनों पार्टी के माननीय सदस्य आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखिए, अब आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, जब से कानून मंत्रीजी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है, इनकी खोपड़ी घूमी हुई है ...(व्यवधान) चार साल जो नहीं किया, अब यह लम्बे साष्टांग दंडवत कर रहे हैं महारानी जी के आगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह तो कटारियाजी बीच में हैं वरना ऐसे ही लेट के पहुंच जाते। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अब यदि सभी माननीय सदस्यों की इच्छा हो तो उत्तर हो जाए।

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्यों की इच्छा हो तो इसका उत्तर दिलवा दें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): क्योंकि काफी मौलिक विचार आ गये हैं।

श्री सभापति: सब के मौलिक विचार आ गये हैं ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उत्तर आ जाने दो, आपके मौलिक विचार तो सब आ गये ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अब आपको कड़वा लग रहा है, इसका मेरे पास कोई इलाज थोड़े ही है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कोई कड़वा नहीं लग रहा है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसका इलाज थोड़े ही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कोई कड़वी नहीं लग रही है, आप जितना चाहो बोलें, हमारे लिए बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप ...(व्यवधान) यह जो सिरोही की तरफ जो मंदिर वगैरह गिरे हैं, मूर्तियां खंडित हुई हैं उसके बारे में। (व्यवधान)

श्री सभापति: चलिए, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ठीक है, आपकी जो आज्ञा है, मैं उसका पालन करूंगा। मैं दो बातें और निवेदन, सभापति महोदय, करना चाहता हूं, जैन धर्म में यह परम्परा है कि बाल दीक्षा होती है जिसमें हर जाति वर्ग के लोग दीक्षित होते हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बिल पर बोलें आप ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बिल पर ही बोल रहा हूं, यही सब आपके प्रावधान हैं। अब आप उसमें और आपकी जो जानकारी में होगा कि उन दीक्षाओं को लेकर के कई तरह के विवाद वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों के द्वारा खड़े किये जाते रहे हैं। अब यह आपका कानून आने के बाद में क्या गारंटी है कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा और जो लोग जैन साधुओं के साथ में रह कर उनके सानिध्य में रह कर सन्यास की भावना में जो रम जाते हैं और पूरा शिक्षण होने के बाद में जिनकी दीक्षा होती है, आप यह ऐसा कलक्टर और एस.डी.एम. और इनको अधिकार दे रहे हो, यह पूरे समुदाय के साथ छेड़छाड़

(श्री संयम लोढ़ा)

करने की वह चेष्टा करेंगे, ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल है, आपसे छिपा हुआ नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक आदिवासी की मौत होती है, एक्सीडेंट से हो, बल से हो, क्या होता है, मेरे जिले में भी आदिवासी हैं, पूरा का पूरा समुदाय जाकर के उसके घर पर धावा बोल देता है, पैसा वसूल करता है 60 साल में हम हिन्दू धर्म की अपनी इस कमजोरी को तो दूर नहीं कर पाए, पूरा पुलिस बल लेकर के हम बैठे हुए हैं, पूरा यह लॉ-एण्ड-ऑर्डर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट सब लेकर के बैठे हुए हैं, उसकी हमको चिंता नहीं है, हमको चिंता इसकी है कि इस विधान सभा में भाषण करा के अपने वोट पक्के कैसे कराएं, सब को मालूम है कि बिल आने के बाद भी इसके रूल्स बनेंगे, वापस रूल को अगले विधान सभा में रखना पड़ेगा लेकिन नहीं, राजनीति करनी है हमको।

मैं आपके माध्यम से सरकार से विनम्र शब्दों में प्रार्थना करना चाहता हूं, हम राजनीतिक आदमी हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है धर्म के बारे में बोलने की, पांच साल के लिए चुने हुए हम लोग हैं, कल चले जाएंगे और इस हर विधान सभा के अंदर वन थर्ड लोग वापस आते हैं, टू थर्ड नहीं आते हैं, धर्म जिन लोगों का विषय है, उनको उनके पास रहने दीजिए, धर्म की व्यवस्था का संचालन उनको करने दीजिए, हम यहां चुन कर के आ गये, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी 10 लाख वर्ष पुरानी संस्कृति को भी छिन्न-भिन्न करने का हमने ठेका ले लिया है या जनता ने हमको मेंडेट दे दिया है इसलिए मेहरबानी करके, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत विनम्र शब्दों में सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं यह इस पर छेड़छाड़ आप मत करिए, हमारी धर्म, संस्कृति हमारे मूल्यों से अनुप्राणित है, हमारी कमजोरियां होंगी, हमारे लोग दूर करेंगे, हमारे लोग ठीक करेंगे, इसमें हम जैसे लोगों को पार्ट नहीं बनना चाहिए इसलिए आपके माध्यम से मेरी सरकार से गुजारिश है कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक ... (व्यवधान) प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कमाल है, एक घंटा लगेगा अभी, एक डेढ़ घंटा ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः आसन की व्यवस्था हो गई है, मंत्रीजी उत्तर देंगे ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, अगर आप एक को अलाउ करेंगे तो फिर करना पड़ेगा इसलिए रहने दीजिए।

श्री सभापति: बैठिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बैठो, बैठो, बत्ती लालजी। (व्यवधान) हो गया ...(व्यवधान) क्या बात है, अभी रात को 12 बजे तक बैठना होगा, रात को 12 बजे तक, बैठो तो बैठो। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिए, आप लोग बैठिए ...(व्यवधान)

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): यह कैसे संभव होगा। माननीय हमको मौका मिल जाए, धर्म का मामला है ...(व्यवधान) आसन का आदेश तो शिरोधार्य करता हूं पर मान्यवर, हमारा अधिकार है कि हम यदि धर्म पर नहीं बोलेंगे तो ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): सभापति महोदय, मुझे भी इस बिल के ऊपर बोलने के लिए मैंने भी मेरा प्रस्ताव दिया है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस बिल पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया जाए। यह बिल सामान्य बिल नहीं है, यह बिल मजाक का बिल नहीं है, इस बिल पर मैं बोलना चाहता हूं, मेरे विचार रखना चाहता हूं, उसके बाद माननीय मंत्रीजी जवाब दें इसलिए मेरा निवेदन आपसे यह है कि मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया जाए। यह मेरा अधिकार है, एक सदस्य होने के नाते उस अधिकार का हनन नहीं किया जाए ...(व्यवधान) आप मेरी रक्षा करें।

श्री सभापति: मैं समझता हूं सभी माननीय सदस्यों के सुझाव आ गये हैं।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): नहीं, आप मुझे बोलने का अवसर दीजिए, यदि मैं कोई बात रिपीट करूं तो मुझे बोलने नहीं दें आप। मैं एक बात रिपीट नहीं करूंगा, जिस प्रकार से धर्म का हवाला देकर के हम मखौल कर रहे हैं, मुझे बोलने की इजाजत दी जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, अगर आप इनको अलाउ करें तो पहले जिनका नाम है, पहले उनका नाम पुकारें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): हां, तो बोलने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इनका नाम तो 35वें नम्बर पर है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): हां, तो बोलने दें उनको, बोलने दीजिए आप ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अगर आपने उनको अनुमति प्रदान की है तो फिर सिक्वेंस से नाम पुकारें आप।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): हां, तो बोलने दीजिए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, तो बुलाइए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: देखिए, मैं सदन में एक घंटे से महसूस कर रहा हूं, आप कोई भी सीसियर नहीं हैं बोलने के लिए, हंसी मजाक हो रही है, एक दूसरे पर कमेंट हो रहे हैं। सब के सुझाव आ गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति महोदय, मैं इस सदन की परम्परा की ओर आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सदस्य देते हैं, उनको बोलने का अधिकार रहता है लेकिन जब सारे तथ्य आ जाते हैं तो आसन कभी भी उस चर्चा को समाप्त करके मंत्रीजी को जवाब देने के लिए कह सकते हैं इसलिए सदन में मैं समझता हूं कि सारी बातें आ गई हैं और आप मंत्रीजी को बुलाकर इसकी चर्चा समाप्त करा सकते हैं।

श्री सभापति: मैं माननीय मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि उत्तर दें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। माननीय खाद्य मंत्रीजी ने जो बात कही है, यह परम्परा तो नहीं है। सारे सदन को कन्वींस करने के बाद या तो आप माननीय सदस्य को यह कहें कि आपको थर्ड रीडिंग में बोलने का मौका दिया जाएगा यदि प्रस्ताव दिया है, या फिर एक सर्वानुमति कायम करने के बाद तो यह होता है नहीं तो नहीं होता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): थर्ड रीडिंग में बोल लेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): थर्ड रीडिंग में उनको बुलवा दें। थर्ड रीडिग में इनको बुलवाने का आश्वासन दे रहे हैं?

श्री सभापति: हां, तीसरी में।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि शायद इस विधेयक का जो नामकरण किया है वह ही आपकी सारी शंकाओं को निर्मूल कर देता है। इसमें धर्म स्वातंत्र्य विधेयक है। यह न हिन्दू पर प्रतिबंध लगा रहा, न मुसलमान पर लगा रहा है, न क्रिश्चियन पर लगा रहा, न कोई जैन पर, न सिक्ख पर। सबको अपने-अपने धर्म को पालने की स्वतंत्रता है। डर उसको लग रहा है जो इस कानून को तोड़ने के काम करने का अभ्यस्त हो गया है। उसको भय है। इस कानून में न तो किसी को सज़ा होने वाली है, अगर आप अपने सीधे-सीधे रास्ते जाओगे तो कानून अपनी किताब में पड़ा रहेगा। कानून कोई आपको सज़ा देने थोड़े ही दौड़कर आता है। कानून तो तब काम में आता है जब कोई कानून को तोड़ता है। तो हमको पहले से ही चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों दिख रहा है? कोई समस्या है ही नहीं। मैं विषय को लम्बा नहीं करना चाहता हूं, कैं केवल कुछ बिन्दुओं को जिस पर यह हुआ कि यह बिल आ सकता है या नहीं आ सकता है, पैण्डिंग है फिर क्या स्थिति बन गई, यह बन गई, मैं बहुत ज्यादा कोई इसकी लम्बी हिस्ट्री में और कोई भाषण देने के पक्ष में नहीं हूं। इसके पीछे जो भावना थी वह केवल मेरी नहीं है। इस देश में, इसको लाने का विचार कोई मेरे द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं है, या कोई मेरी पार्टी के द्वारा लाया हुआ उत्पन्न नहीं है। जिस महात्मा गांधी को आप, मैं और सारा देश मानता है, उस व्यक्ति के जो शब्द थे उसको मैं केवल कोट कर रहा हूं इसलिए नहीं कि मैं उससे कुछ लाभ लेना चाहता हूं, या मेरी उसमें कोई मंशा है।

(समय : 18.13 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

"यदि मेरे विधान बनाने का अधिकार हो तो मैं निश्चयपूर्वक धर्म परिवर्तन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाऊंगा।" यह मैंने नहीं कहा, महात्मा गांधी ने इतने वर्षों पहले कहा। क्योंकि उस समय के जो हालात थे उन हालात के कारण से जिसको आप पब्लिक आर्डर कहते हो, वो पब्लिक आर्डर कई जगह उसके कारण से बिगड़ता था, आज भी बिगड़ रहा है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि अपने इस प्रदेश में बिगड़ रहा है। इसको कैसे रोका जाए इसकी चिंता थी, इसकी नहीं कि कोई स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहे, बदले न। किसको मनाही

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है? अगर किसी समझदार को समझाकर के कोई अपने धर्म में उसको कन्वर्ट करना चाहता है जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि जैन साधु बन रहा है। जैन साधु कोई यों ही तमाशबीन की तरह थोड़े ही बन सकता है। वर्षों तक उसके पीछे-पीछे लगा रहता है, परिवार वालों, समाज की, सबकी उपस्थिति में खड़ा रखकर सबकी स्वीकृति लेने के बाद कोई जैन साधु बन सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई कोठरी में छिपकर के और कहीं कोई गोरखधंधे करके धर्म परिवर्तन कर लिया। ऐसा नहीं होता है। इस कारण से आपने देखा कि जो पूर्वांचल की बात कही, वो ही नहीं, आप और हम में से जो लोग आदिवासी क्षेत्र को जानते हैं और देखते हैं, मैं ईमानदारी से आपको यह कह रहा हूं कि आज भी आप में से कोई जाकर के इंटिरियर एरिया में देखें तो किस तरह से लोगों को आज भी कन्वर्ट किया जा रहा है। यह बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश के लोकतंत्र का कि 60 साल बाद भी हम उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की पूरी ताकत नहीं दे पाये। आज भी वहां चिकित्सा नहीं पहुंच पाई, आज भी उसके बच्चों को और प्रकार की सहायता नहीं पहुंचा पाये। उसकी मजबूरी है, उसकी गरीबी उसको खा रही है। लेकिन यह सब के सब लोग वहां जाकर इस जंगल में अपने इस श्रेष्ठ धर्म का प्रचार करने की आवश्यकता क्या पड़ी? कहीं न कहीं हमारे जैसे बुद्धिमान को भी एक-आध को तो कोई न कोई बनाता। तो यह जो इसके पीछे भावना है कि किसी भी लोभ, लालच, डर या और किसी तरीके से बनाता है उसको रोका है। जो अपने तर्क के आधार पर किसी को बनाना चाहता है उसे आज भी कोई नहीं रोक रहा है। कौन रोकता है? यह कानून उसके लिए कुछ काम का ही नहीं है, कानून बिलकुल बेकार है उसके लिए। यह कानून तो उन लोगों के लिए है जो इन बातों को तोड़ते हुए काम करते हैं उनके लिए है। मैं सोचता हूं कि इस बात को आप समझ गये होंगे। धर्मान्तरण से होने वाली राष्ट्रीय और सांस्कृतिक क्षति देश की एकता और अखण्डता की सुरक्षा को चुनौती है या नहीं? ईमानदारी से हम अपनी राजनीतिक पार्टी से थोड़े ऊपर उठें और ऊपर उठने के बाद देखें कि इस देश का जो नक्शा, देश की आजादी के समय से लेकर अब तक बना है और जहां-जहां भी अशांति है, जहां-जहां भी इस प्रकार का जिसको पब्लिक आर्डर कहते हैं वह चाहे राजस्थान में हो, चाहे और किसी जगह अगर टूटता है तो इसके कारण से टूटता है या नहीं? इस सच्चाई को हमें मन से स्वीकार करना चाहिए, भाषण से नहीं या तर्कों के आधार पर नहीं। मैं सोचता हूं कि मैं इसको कोई राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहता हूं। जिस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

राज्य में भी धर्मांतरण की घटनाएं सामने आने लगी हैं उनका प्रभाव प्रदेश की सांस्कृतिक और कानून व्यवस्था पर पड़ने लगा है। तो यह धर्म स्वातंत्र्य कानून उसके लिए लाया गया है। यह कोई आज पहली बार हमने शुरू किया है ऐसा नहीं है। मैं सोचता हूं कि मध्य प्रदेश ने सबसे पहले, यह जिस किताब का जालोर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया था, जो नियोगी कमेटी आई थी, इसका गठन कोई भारतीय जनता पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं किया, मध्य प्रदेश की उस समय की सरकार ने एक अधिकृत यह आयोग बनाया और इसमें भी उस समय के जो भी राज्य में व्यक्ति थे, भवानी शंकर नियोगी, ये मुख्य न्यायाधीश थे हाई कोर्ट के, ये उसके मैम्बर थे। घनश्याम सिंहजी गुप्ता जो उस समय स्पीकर रहे थे वो भी इसके मैम्बर थे। ऐसे 8-10 प्रोमिनेंट इसमें थे। प्रोफेसर जॉर्ज भी इसके मैम्बर थे। सबको मिलाकर के किया था। ऐसा भी नहीं है कि कोई हिन्दुओं ने बना दिया, इसमें मुसलमान भी सदस्य के रूप में थे। कोमाखान, ये भी इसके मैम्बर थे। सबको मिलाकर के बनाया। उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखकर के बना यथा। उन्होंने सारा देखने के बाद जो अपनी रिकमंडेशन दी है उसके आधार पर इस कानून को लाने का सब से पहले प्रयास मध्य प्रदेश में हुआ 1968 में। यह 1968 में जो कानून लाया वो क्या है? जिस मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य केवल धर्म परिवर्तन ही हैं उन्हें वापस जाने के लिए कहा जाए। देश के भीतर विदेशी मिशनरियों का बड़ी संख्या में आना अवांछनीय है और उसकी रोकथाम होनी चाहिए। यह रिकमंडेशन उनकी है, उस आयोग की है। उन्होंने अपनी 10वीं रिकमंडेशन की उसको आप उस समय देखिये। जो धर्म परिवर्तन अनुचित ढंग से किये जाते हैं उन पर उचित नियंत्रण रखा जाए और उसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता हो तो कानून बनाया जाए। यह 1956 की उनकी रिपोर्ट है उसके आधार पर आपने देखा होगा कि सबसे पहले 1968 में ही मध्य प्रदेश में इस कानून को लाया गया। इसी तरह से अरूणाचल में बना और उड़ीसा में भी 1968 में कानून बना। दोनों कानून में से उड़ीसा का भी कानून बनने के बाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, मध्य प्रदेश का भी चैलेंज हुआ। मध्य प्रदेश के कानून में तो कोई विपरीत फैसला नहीं किया इस बिल बनाने का लेकिन उड़ीसा के हाई कोर्ट ने विपरीत अपना फैसला दिया और उसके बाद जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि वास्तव में यह कानून बनाने का अधिकार राज्य को है या नहीं है और उन्होंने जो अनुच्छेद 25 है

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसकी भी पूरी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि यह जो अपना प्रोपेगेंडा जिसको हम कहते हैं, वह तो आप प्रचार-प्रसार करो, उसको कोई रोक नहीं है, किसी को भी रोक नहीं है लेकिन इसके आधार पर धर्म परिवर्तन नहीं हो। इस एक बिन्दु पर उन्होंने माना कि इसमें बनाया जा सकता है। यह विषय केवल हमने यहां से शुरू नहीं किया, हमने तो आप सब लोगों की राय को लेते हुए जो समस्या है उस समस्या का निदान निकालने का प्रयास किया है। हमने कोई नई उत्पत्ति या नई सोच या नया कोई विचार पैदा किया हो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा। लोकसभा में पिछड़ी जाति आर्थिक संरक्षण बिल, यह आपके प्रकाशवीर शास्त्रीजी ने लोकसभा में रखा। इसके बाद आपने देखा होगा कि कांग्रेस के ही डाक्टर रामसुभग सिंह इस विधेयक के समर्थन में जो उन्होंने अपने विचार रखे, जिस प्रकार से हमारे दलित भाइयों को आर्थिक शोषण से बचाने का प्रयास किया जाता है उसी प्रकार से उनकी धार्मिक शोषण से भी रक्षा की जानी चाहिए। इसी तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य रणवीर सिंह ने भी उस समय-यह विधेयक वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है।

सेक्युलर के नाम पर बाहर के देशों से आये करोड़ों रुपयों के बल पर धर्म परिवर्तन को सहन नहीं किया जा सकता। यही नहीं, इस देश के राष्ट्रपति डाक्टर राधाकृष्णन ने अपने विचार उस समय भी दिये, उसमें देखिये, धर्म परिवर्तन के लिए किसी के साथ बल प्रयोग या प्रलोभन का क्या औचित्य है जबकि जिस धर्म में किसी व्यक्ति का धर्मान्तरण किया जा रहा है, स्वयं में पूर्णता का दावा नहीं कर सकता इसलिए धर्मान्तरण की निंदा की जानी चाहिए और इसे अवैध घोषित किया जाना चाहिए। यह डाक्टर राधाकृष्णन ने इस देश की उस समय की परिस्थितियों को देखकर उसके अनुसार अपनी बात कही।

यह जैसा मैंने कहा था कि उच्च न्यायालय में चैलेंज हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने जब अपना निर्णय किया तो इस अपील में उड़ीसा और मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य कानून के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 (1) में उल्लंघन को चुनौती दी गई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में देश के सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने, पालन करने, उनका प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। उनका जो कहना था, अंत:करण की और धर्म को अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा इस भाग में अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों के अंत:करण की स्वतंत्रता का और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक है। इसको उन्होंने किया है और आर्टिकल के परन्तुक (2) में यह व्यवस्था थी कि राज्य धार्मिक व्यवहार से जुड़ी किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य कोई लौकिक क्रिया-कलापों पर नियंत्रण या रोकने सम्बन्धी कानून नहीं बनायेगा। यह कानून उसमें कहीं भी उसको नहीं रोकता। यह उन्होंने अपने उस फैसले के द्वारा दिया तथा उसके बाद भी यह जो कांस्टीट्यूशन की बात है।

इसके बाद आपने देखा कि 1977 में यही जो फैसला है आपका, यह रेमंड्स बनाम मध्य प्रदेश और अन्य, राज्य में निर्णय देते हुए उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ए.आई.आर. 1977 सुप्रीम कोर्ट 908, संविधान के अनुच्छेद 25(1) में जिस बात की अनुमति दी गई, वह किसी दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म से अंतरित करने या धर्मान्तरण करने का अधिकार नहीं है बल्कि अपने धर्म के सिद्धान्तों की व्याख्या द्वारा अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने का अधिकार है। संवैधानिक पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिनियम स्पष्ट रूप से लोक व्यवस्था कायम करने का प्रावधान करने के उद्देश्य से है क्योंकि यदि जबरदस्ती किये जाने वाले धर्मान्तरण को प्रतिबन्धित नहीं किया गया होता तो उन राज्यों में लोक अव्यवस्था पैदा हो जाती। यह उनका सुप्रीम कोर्ट का अपना जजमेंट है, उसमें है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रत्येक राज्य की सरकार को यह अधिकार है कि वह परिस्थिति के अनुसार राज्य में इस प्रकार के कानून को बना सकती है। कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को जबरन भय, लोभ, लालच से धर्मान्तरित नहीं कर सकता और ऐसा करना अपराध है। यह कोर्ट की वर्डिंग है और अब उसके आधार पर ही यह कानून बना है। अब हमने जो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को जहां से शुरू किया, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य हैं, उन्होंने उसका रेफरेंस दिया। राजस्थान में भी इस काम को 1970 में प्रारम्भ किया सबसे पहले। तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 1970 में प्रस्तुत किया गया। राजस्थान के कई कट्टर धर्मानुयायी पिछड़े क्षेत्रों के गरीब समुदाय के लोगों को प्रलोभन या भय से धर्मान्तरण की घटनाएं राज्य सरकार की जानकारी में आई। 1970 में चौथी विधान सभा के नवें सत्र में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 1970 तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा 21.11.1970 को सलेक्ट कमेटी को सौंपा। सदन में 18.5.1974 को चौथी विधान सभा में 10वें सत्र में टेबल किया गया। लेकिन यह बिल लैप्स इसलिए हो गया था, यह आगे नहीं बढ़

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पाया, क्योंकि यह सलेक्ट कमेटी के पास ही पड़ा था और विधान सभा डिजोल्व हो गई थी और उसके कारण से वह बिल वहीं का वहीं रह गया, बाकी जो पहला प्रयास हुआ राजस्थान में, वह उसके बाद, उस समय जो सदस्य वहां थे, उसमें समाज कल्याण के मंत्री ने इसको मूव किया था। विश्वम्भर नाथ जोशी और सतीश चन्द्र अग्रवाल, भैरोंसिंहजी, बाकी सब लोगों ने इसमें बहस में भाग लेकर, सब लोगों का यही मानस बना था और बाद में कहा कि नहीं, इसको और अच्छे ढंग से अध्ययन करने के लिए इसको सलेक्ट कमेटी को दे दिया जाये। सलेक्ट कमेटी के भी जो मेम्बर बनाये गये, उसमें मूलचन्द डागा, गोकुल प्रसाद शर्मा, किशन लाल शर्मा, रघुनाथ विश्नोई, शीशराम ओला, गोकुल चन्द, ये सारे के सारे लोग उसमें थे, सतीशजी भी थे, बाकी सारे लोग थे। इन सब लोगों की राय थी लेकिन मैंने जैसा कहा कि वह बिल वहां सलेक्ट कमेटी में रह जाने के कारण इसको उस रूप में ला नहीं पाये, बाकी यह पहला प्रयास था।

हमारे यहां जो आपको लगता है कि नहीं, कोई कुछ हो ही नहीं रहा है, मैंने जैसा कहा कि आज भी आप उस आदिवासी क्षेत्र में जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का कोटड़ा-झाड़ोल, उस तहसील में आज भी अगर आप जायेंगे तो यह गतिविधियां हैं। यह जरूर है कि उस गतिविधियों के कारण से समय-समय पर जिस प्रकार की कार्यवाही होती है। आपने देखा कि कोटा में जिस प्रकार से हुआ, अजमेर में जिस प्रकार की घटना हुई, उदयपुर में जिस प्रकार की घटना हुई, बांसवाड़ा में जिस प्रकार की घटना हुई। नये-नये धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को इकट्ठा करके अपने विद्यालयों में लाना और वहां पर इस प्रकार के कार्यक्रम करना, उसका दूसरा ग्रुप विरोध करता है, फिर पुलिस की प्रजेंस वहां होती है और जैसे-तैसे करके उस काम को बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कि जो कोटा का हुआ। दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोटा में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने और सबने इसी सदन में थे हम, कोटा में जिस प्रकार से हुआ, आन्ध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, कहां-कहां से लोगों को ट्रेनों से लाया गया। लोगों ने उसका विरोध किया और जब उनको स्टेशन पर पकड़कर टीवी और मीडिया ने उनसे पूछा कि तुम्हें किस बात के लिए कहकर लाये, क्या कहने के लिए आये यहां, क्या काम करने के लिए आये? उनके वर्सन आज भी रिकार्ड पर दर्ज होगा। केवल लोगों की गरीबी का फायदा उठाकर यह काम किया जा रहा है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

"हकीकत" पुस्तक के नाम पर जो वातावरण बना और सारे प्रदेश में जिस प्रकार का वातावरण बना, इसको हम पब्लिक आर्डर के रूप में नहीं कह सकते। मतलब यह है कि इस सारी गतिविधियों पर कैसे हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह मंशा नहीं है कि हम किसी को क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति का है ही नहीं। किसी को भी नहीं रोका है कि इसको छूट है और इसको छूट नहीं है।

इसी तरह से आपने देखा होगा कि 7 अप्रैल 2000 को राज्य सरकार ने उड़ीसा, मध्य प्रदेश प्रचलित कानून 1970 राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किया तथा अध्ययन कर धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2006 तैयार किया गया जिसे राजस्थान विधान सभा द्वारा 7 अप्रैल, 2006 को हमने पास किया। एक मई के दिन इसे महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति हेतु भेजे जाने पर महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा विधेयक में संवैधानिक खामियां दर्शाई गईं। परन्तु संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन अपने संदेश के साथ माननीय सदन में वापस भेजने की बजाय विधेयक पर स्वीकृति रोककर महामहिम राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजे जाने का निर्देश दिया। विधेयक पर उनका आदेश अंकित है। अब इसमें आप देखेंगे, क्योंकि वह इतने महामहिम हैं। मैं कुछ कहने की स्थिति में तो नहीं हूं। उन्होंने अपना रोकने पर जो लिखा है कि "मैं इस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकती हूं", एक और दूसरा जो उन्होंने आगे लिखा है "व राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखती हूं"। दो चीजें नहीं हो सकती यानी 200 के अन्दर जो हमको अधिकार दिया गया है, वह बिलकुल स्पष्ट है कि जिस सैक्शन के बारे में हम कह रहे हैं कि अनुच्छेद 200 की हमने पालना नहीं की, वह नहीं की। जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 200 है, वह अपने आप में बिलकुल चार चीज हमको कहता है और यह गवर्नर के लिए है, विधेयक को स्वीकृति देना या विधेयक वा स्वीकृति देने से रोक देना को विधेयक को प्रस्तुत होने के उपरान्त जितना जल्दी हो सके, अपने संदेश के साथ माननीय सदन को पुनः विचारार्थ भेजना या महामहिम राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजना। अब यहां जो उन्होंने शब्द लिखे हैं उसमें न तो उन्होंने उसको, दोनों चीजें लिखी हैं, किस रूप में है, कैसे वह भेजा गया....

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय के कृत्य पर चर्चा नहीं हो सकती कि उन्होंने क्या लिखा है, क्या गलत लिखा है? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह पार्ट एण्ड पार्शल है। उस पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, उन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। नहीं, चर्चा नहीं है। कदापि नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह कटारिया साहब माफी के लिए कर रहे हैं। (व्यवधान) कटारिया साहब, माफ करना। आप यह माफ करना... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं नहीं, उन्होंने क्या लिखा है, इस पर चर्चा नहीं हो सकती। यह गलत परम्परा है। (व्यवधान) इस पर चर्चा हो ही नहीं सकती।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...यह इतना सेंसिटिव मामला नहीं है। लेकिन यह राज्यपाल महोदय पर आज दिन तक चर्चा हुई है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो तथ्य हैं, वह तो बतायेंगे ना।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय राठौड़ साहब, एक वरिष्ठ मंत्री सीनियर मंत्री से करवाये, इसमें यह लिखा है, वह लिखा है, फलानां लिखा है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप मत करिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपसे और उनसे क्षमा मांगते हुए, मेरी यह कोई मंशा नहीं है कि...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ये तथ्य रख रहे हैं, तथ्य रख रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ...सैक्शन जो आपको अनुच्छेद 200 में अधिकार है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): जानकारी लेने का अधिकार है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपको उस अनुच्छेद के अनुसार आपको पालन करना होगा। दो चीज एक साथ नहीं हो सकती। अगर आप अपने पास रोकना चाहते हैं तो रोक सकते हैं आप अगर राष्ट्रपति को भेजना चाहें तो भेज सकते हैं लेकिन दोनों काम का ही जगह, एक ही भाषा में सम्भव नहीं है और इसके कारण से स्थिति स्पष्ट नहीं हुई कि इसके कारण

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से क्या पोजीशन बनेगी, यह वास्तव में यहां रूका है या वहां गया है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): फिर क्या कहने से आप मानते हैं... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप क्या देख रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हमारी रोकने की जिम्मेदारी नहीं बनती...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपने, संविधान के आर्टिकल 200 का भी आपके सदस्यों ने भी जिक्र किया है। (व्यवधान) आपमें से ही बहुत से वक्ताओं ने आर्टिकल 200 का जिक्र किया है माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ऐसा हो ही नहीं सकता। (व्यवधान)

डा. ओ.पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): कांस्टीट्यूशन के अन्तर्गत ही काम करना पड़ता है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): चर्चा नहीं हो सकती। चर्चा नहीं हो सकती इस बात पर। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): राज्यपाल महोदय को पैसा हम ही वोट ऑन अकाउंट से देते हैं, सब चर्चा हो सकती है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इन्होंने क्या लिखा है, उन्हें क्या करना चाहिए था, इस पर चर्चा नहीं हो सकती। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इस पर चर्चा नहीं हो सकती। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उनको क्या पावर है और क्या किया, उनको विशेषाधिकार है..(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उन्होंने क्या कहा है और क्या गलत किया है इस कारण..(व्यवधान) यह चर्चा नहीं हो सकती। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): He has a privilege. नहीं-नहीं, गलत बात।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह विधान सभा, महामहिम राज्यपाल महोदय को भी यहां से ही पैसा जाता है, हम चर्चा कर सकते हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): देखिये, मुख्य सचेतकजी, गलत परम्परा नहीं डालें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): दोषी खुद ही हो और गलत परम्परा कायम मत करिये...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): गलत परम्परा मत डालिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बहुत सी ऐसी गलत परम्परा... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऑन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): You are absolutely wrong.

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऑन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अगर आपको इसमें कोई भी गलत लगे तो...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, I strongly object.

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऑन ए प्वाइंट आफ आर्डर। ऑन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं-नहीं, यह आपकी जिम्मेदारी थी। हमारे बोलने की आवश्यकता नहीं थी, यह आपकी स्वयं की जिम्मेदारी थी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आर्टिकल 200 की आपने भी व्याख्या की है, मंत्री महोदय भी व्याख्या कर सकते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तो फैसले की नहीं की, इन्होंने तो फैसला ही कह डाला कि गलत है। यह व्याख्या नहीं हो सकती। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हरिमोहनजी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हां, कर सकते हैं। चैलेंज कर रहे हो क्या।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप, व्याख्या हमने भी करी है, हरिमोहनजी, एक मिनट, आप व्याख्या कर सकते हैं...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप तो बोल लो...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सुनिये, व्याख्या हमने भी की, आप भी कर सकते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बस।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): लेकिन यह कहना कि वह या तो रोक सकता था या भेज सकता था...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह नहीं कह सकते।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): दोनों काम किये, और उनके एक्ट पर आप चर्चा नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एक्ट के ऊपर चर्चा नहीं हो सकती। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह लिखा हुआ है इसमें, यह हण्ड्रेड प्रतिशत लिखा हुआ है ...(व्यवधान) यह आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है..

श्री उपाध्यक्ष: यह आर्टिकल में ही लिखा हुआ है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): और इसके अलावा भी हम चर्चा कर सकते हैं..

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह आर्टिकल में नहीं है क्या लिखा हुआ, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): और आप उसको और...(व्यवधान)

डा. ओ.पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): महामहिम राज्यपाल को भी कांस्टीट्यूशन के दायरे में रह कर ही काम करना होता है, करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): शत-प्रतिशत गलत है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नो, वह कुछ भी करे, उनकी गाड़ी पर नम्बर क्यों नहीं होते। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा है कि मैं इसलिए यह विषय को कोट कर रहा हूं कि एक्ट को 2008 में...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट, प्वाइंट आफ आर्डर, प्वाइंट आफ आर्डर है मेरा, आप बिराज जाओ। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर नियम 272 के अन्तर्गत है। इसमें लिखा हुआ है शब्द, उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप न करेगा। इसमें यह 11 में लिखा है, राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल के आचरण पर आक्षेप नहीं करेगा। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आक्षेप कहां हो रहा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): " .. reflect upon the conduct of the President or the Governor of any State." माननीय गृह मंत्रीजी महामहिम राज्यपाल महोदय के और महामहिम राष्ट्रपतिजी के बारे में वहां यह कर सकते हैं, यह नहीं कर सकते, यह उनके ऊपर रिफलेक्ट करता है, इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि उच्च प्राधिकार वाले व्यक्ति यह विधायिका...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह उच्च, यह आप सबने माना है, वह यह है, उच्च प्राधिकार वाले व्यक्ति के...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट, मैं बोल तो लूं, उसके बाद बोल लेना आप, आपको कौन रोकता है but let me complete first. आप मेरे को पहले बोलने दीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हां, बोलें, बोलें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं यह आग्रह कर रहा था कि महामहिम राज्यपाल महोदय कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों के हैड हैं, वह हमारे आदरणीय हैं, वह महामहिम हैं, उनके बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना, उनके बारे में किसी भी प्रकार का यह वक्तव्य देना, यह रिफलेक्ट करता है, इस नियम के अन्तर्गत वह उनकी चर्चा नहीं करें, उनको कोट नहीं करें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, साफ लिखा हुआ है। (व्यवधान) मंत्रीजी, एक मिनट आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: राज्यपाल का नाम...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): "272. Rules to be observed while speaking.- A member while speaking shall not .... (vi) use the name of the President or the Governor for the purpose of influencing the debate..."

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आप कल्लाजी से ज्यादा योग्य हो क्या, आप कल्लाजी से ज्यादा विद्वान हो क्या।

श्री उपाध्यक्ष: यह आपने...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप डिबेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति का नाम नहीं ले सकते। आप इन्फ्लुएंस, डिबेट रिप्लाई दे रहे हैं और आप उनके कर्तव्य, रिफलेक्ट कर रहे हैं, यह नई परम्परा मत डालिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप लोगों ने चर्चा नहीं की...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हमे भी चाहते हैं हम आसन का मान करना छोड़ दें। आपको रक्षा करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी तरफ से चर्चा, आपकी तरफ से महामहिम राज्यपाल का आपने नाम नहीं लिया क्या फिर डिबेट के अंदर। (व्यवधान) बराबर लिया है कि साहब, उन्होंने राज्यपाल का दर्जा...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या बात कर रहे हो। कंटेम्प्ट आफ द...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नाम थोड़े ही लेते हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): What transpired between the Governor and the Government .... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप गलत परम्पराएं डाल रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप बहुत गलत परम्परा डाल रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय..(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रकार का आक्षेप माननीय गृह मंत्रीजी ने नहीं किया है लेकिन महामहिम राज्यपाल... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कह क्या रहे हैं, आप सुनें तो सही।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप माननीय मंत्रीजी हैं, आप कह सकते हैं लेकिन please don't quote what the Governor has written. That is not relevant.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मेरी आप बात सुन लें तो शायद आपको संतुष्टि हो जायेगी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यस, यही है। आप कहिये पर आपको...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप कहिये पर आप तो फाइल के नोट को कोट कर रहे हैं, विशेषाधिकार है...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): लेकिन वह दोनों कर लिये और वह लिख देते...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): चलो, कोट नहीं करेंगे लेकिन यह 2008...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यस, आप अपनी गलती मान लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: अब माननीय सदस्य...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): का बिल हम क्यों लेकर आये, क्या ऐसे कारण बन गये...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह बोलें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उसके पीछे यह मंतव्य था क्योंकि या तो लौट करके हमारे पास आता बिल, हम फिर से विचार करके उस पर जो भी आगे करना था वह करते और अगर उन्हें भेजना भी था तो राज्य सरकार के जिस प्रोसीजर के थ्रू वह जाता है, अब मुझे आप...(व्यवधान) एक सैकण्ड। ना। यह आपका राजस्थान कार्यविधि...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह हमारा आब्जेक्शन है। यही आब्जेक्शन है कि उनको क्या पावर थी, उन्होंने क्या एक्सरसाइज की, यह आप चर्चा नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वह आप नहीं कर सकते, यह आप नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, कोई चर्चा नहीं हो रही। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह टोटली इल्लीगल है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक मिनट। जनरल क्लॉज एक्ट का कह रहे हैं। यह कार्यविधि अधिनियम की बात कर रहे हैं। कार्यविधि अधिनियम की बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मान ली, हम आपके बहुत आभारी हैं, वह रिकार्ड पर लायें, ठीक रहेगा। आप बेकार में लाये हैं, अच्छा है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): शायद मेरी बात आप, मेरी बात पूरी सुन लेंगे तो शायद आपको यह प्रश्न खड़ा करने का नहीं आयेगा। हम यह 2008 में बिल लेकर आने की मजबूरी क्या हुई। क्यों इस स्थिति में.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सुनिये पहले, पूरा सुनिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक-दो मिनट दे दें आप मेरे को। यह जो जानकारी हमको मई 2006 में मिली, एक मई 2006 को, उसका तो पत्र उन्होंने हमारे थ्रू दिया कि, मैं उसको आगे बताउंगा, लेकिन जो कोई भी राष्ट्रपति को भेजेंगे तो भेजने के लिए राजस्थान कार्यविधि नियम हैं, इसके नियम 50 के तहत व्यवस्था है कि राज्यपाल अगर कोई भी चीज रिकमण्डेशन जो भी वह भेजेंगे, वह भेजेंगे तो उसका एक प्रोसीजर है। वह प्रोसीजर हमारे पास जब कोई चीज है ही नहीं, हमारी जानकारी में ही नहीं आई, हमारे जिस प्रोसीजर से हमको जानकारी मिलती है और हमारे थ्रू और हमारे विभाग के जैसे यह जो 50 का 2 है, जहां राज्यपाल यह निर्देश दे कि विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जाना चाहिए या कि विधान मण्डल को किसी संदेश के साथ लौटा दिया जाना चाहिए, वहां राज्यपाल के सचिव द्वारा सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के सचिव तथा विधि सचिव के परामर्श से आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यह जायेगा थ्रू सैक्रेटरी होम, लॉ सैक्रेटरी और उसके बाद जायेगा, आज दिन तक हमारे रिकार्ड पर यह नहीं है कि यह वास्तव में यह बिल राष्ट्रपतिजी के पास हमारी इस प्रक्रिया में से नहीं गया और इसके कारण से इसके जो अधिकृत कागज के आधार पर जो हमें जानकारी चाहिए, वह इस प्रोसीजर से जाती है तब तो हमारे डिपार्टमेंट के ध्यान रहता है कि यह राष्ट्रपतिजी को किस तारीख को कब भेजा, किस रिकमण्डेशन के साथ भेजा। इस प्रोसीजर से हमारे रिकार्ड से नहीं गया, इसके कारण से हमको इसकी जानकारी जो मिलनी चाहिए थी वह हमें नहीं मिली।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मतलब गलत काम किया क्या,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

राज्यपाल ने गलत काम किया, यही कहना चाहते हो क्या आप कि थ्रू प्रोसेस नहीं गया, गलत किया, यह कहना चाहते हैं क्या। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह कहना चाहते हैं आप कि सरकार की जानकारी में यह बात नहीं है, यह बोल कर...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): लाओ रिकार्ड पर। लाओ न रिकार्ड पर यह बात। (व्यवधान) हां, रिकार्ड पर लाओ कि हां साहब, राज्यपाल महोदय ने...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हां, यह मैं कह रहा हूं यह।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): लाइये रिकार्ड पर यह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): गृह मंत्रीजी नहीं कह रहे, मैं विधि मंत्री के नाते कह रहा हूं कि राज्यपाल महोदय के यहां से वह +++हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अच्छा। ठीक है, ठीक है। कहिये आप यह, कहिये इस बात को। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह क्या बात हुई, गलत हुआ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): गलत परम्परा डाल रहे हैं आप, आप बहुत गलत परम्परा डाल रहे हैं। यह सदन की परम्परा नहीं रही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): राज्यपाल महोदय के..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह सदन की परम्परा नहीं रही है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): राज्यपाल संविधान के खिलाफ काम नहीं कर सकते। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप गवर्नर पर लगा रहे हैं, गवर्नर के कंडेम को रिकार्ड बना रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के गवर्नर की बातें जब सदन में हो रही थीं तो आप आसन पर थे, यह काले कारनामे मत करवाइये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह कानून मंत्री, राजस्थान का कानून मंत्री, आपको यह भी ज्ञान नहीं हो, राजस्थान के कानून मंत्री को, यह क्या कानून है यहां। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय.. (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह क्या बात हुई...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोल एण्ड शकधर संसदीय कार्य और प्रक्रिया के नियम, पृष्ठ 34, राष्ट्रपति की शक्तियां...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष) यहां बिल पर चर्चा न करके राज्यपाल के निर्णय को भी चुनौती दे डाली, इसलिए संविधान, राज्यपाल महोदय के निर्णय तक को चुनौती दे डाली..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप बहस करो न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इनके पास कहने को कुछ नहीं है...

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष) उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान के इतिहास में आज दिन तक कभी भी राज्यपाल के निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है लेकिन विधि मंत्री ने राज्यपाल के निर्णय को चुनौती दी है... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जो बोल रहे हैं बिहार में क्या हुआ था? झारखण्ड में क्या हुआ था? एक-एक घंटे तक राज्यपाल महोदय के ...(व्यवधान) पर चर्चा हुई थी इसमें क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) पर विषय उसने सदनों को इस संदेश के साथ लौटाया हो, उस पर पुनर्विचार किया जाए यदि वह सदनों द्वारा संशोधन ...(व्यवधान) नहीं उसने चुना ...(व्यवधान).... फिर से पारित किया जाता है और राष्ट्रपति जी क समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है, यदि वह अनुमति नहीं रोक सकता, यह राष्ट्रपति के लिए भी है, यह राष्ट्रपतिजी के लिए भी है, आप यह पढ़िये, आप यह पढ़िये ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में पहली बार राज्यपाल के निर्णय को चुनौती यहां सदन में दी गई है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप सुनिये, माननीय सदस्य पहले सुनिये ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): और विधि मंत्री द्वारा इस प्रकार की चुनौती देना यह महामहिम राज्यपाल महोदय का घोर अपमान है। राज्यपाल महोदय के इस घोर अपमान को यह सदन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ...(व्यवधान) व्यवस्था नहीं देने देंगे क्या? (व्यवधान) माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

(सदन में नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान) सदन का समय व्यर्थ किया जा रहा है, महामहिम के किसी आचरण पर चर्चा करने का कोई विषय नहीं है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आप सुनिए बात ...(व्यवधान) माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): लेकिन मैं फिर कह रहा हूं राज्यपाल महोदय और महामहिम राष्ट्रपति जी भी कांस्टिट्यूशन के दायरे में रहकर काम करते हैं, उनके भी अधिकार असीमित नहीं है, कांस्टिट्यूशन में महामहिम राष्ट्रपति जी के अधिकार भी असीमित नहीं हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान) इनके पास कहने को कुछ नहीं है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। जवाब दे रहे हैं मंत्री जी ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ...(व्यवधान) यह जवाब सुनना नहीं चाहते, यह जवाब सुनना नहीं चाहते हैं मंत्रीजी का, यह जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। कहने को तो कुछ है नहीं, आज यहां ढोंग रच रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा है लोकतंत्र की हत्या आपको और हमको ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब सुनना नहीं चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) सब टेबिल कर देता हूं जो भी है उसको और क्या है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के लिए ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, माननीय सदस्य आपका पाइंट ऑफ ऑर्डर जो है, जो पांइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है उस पर व्यवस्था देने दीजिए मुझे ...(व्यवधान) माननीय सदस्य आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है उस पर व्यवस्था देने दीजिए मुझे ...(व्यवधान).... व्यवस्था देने दीजिए मुझे माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ××× ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य कहने दीजिए। माननीय सदस्य आप, माननीय सदस्य पहले जवाब तो सुनिए, कर देंगे आपके कहने से, आप हाउस नहीं चलाना चाहते हो? मत चलाइए आप, माननीय सदस्य ऐसा नहीं होगा यह बैठिए आप, सब रक्षा होगी, संविधान के आर्टिकल की रक्षा होगी, संविधान के विरूद्ध कोई काम नहीं होगा। माननीय सदस्य ...(व्यवधान) आप जवाब ही नहीं सुनना चाहते, जवाब ही नहीं सुनना चाहते आप, जवाब सुनना पड़ेगा आपको, जवाब दे रहे हैं वह, जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, जवाब आने के बाद ही यह व्यवस्था दूंगा मैं ...(व्यवधान) माननीय सदस्य के पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर मेरी व्यवस्था दी जाएगी। व्यवस्था देंगे, व्यवस्था देने के लिए समय भी देंगे माननीय सदस्य ...(व्यवधान).... तो व्यवस्था नहीं देंगे क्या? माननीय सदस्य व्यवस्था देंगे ...(व्यवधान) आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है उस पर व्यवस्था ...(व्यवधान) आप व्यवस्था नहीं सुनना चाहते, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर माननीय कल्लाजी ने उठाया है उस पर व्यवस्था दी जाएगी ...(व्यवधान) उस पर व्यवस्था को सुनना नहीं चाहते आप ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आसन के आदेशों की बार-बार अवहेलना करना, माननीय मंत्री महोदय इस सदन के माध्यम से राजस्थान के अवाम को बताना चाह रहे थे कि धर्म स्वतंत्रता का जो बिल लेकर के आये हैं, यह पूरे राजस्थान में, पूरे देश में ...(व्यवधान) काम किया है ...(व्यवधान) आज सब धर्म के मानने वाले लोग हैं ...(व्यवधान) जो धर्मान्तरण के नाम पर ईसाई मिशनरियां काम कर रही हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाने की बात हो रही है तो उस पर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य व्यवस्था दी जाएगी ...(व्यवधान) व्यवस्था को नहीं सुनना चाहते, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया था ...(व्यवधान) माननीय सदस्य वह आपने आप व्यवस्था में आ जाएगी ...(व्यवधान) आसन की व्यवस्था को सुन लीजिए, आसन की व्यवस्था को सुनिये आप ...(व्यवधान) और कोई बात ...(व्यवधान) आपका जवाब सुनेगा आसन और कोई बात कही है ...(व्यवधान) उसको हम हटा देंगे ...(व्यवधान) माननीय सदस्य जवाब दे दिया ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह माननीय सदस्य नहीं सुनना चाहें तो गृह मंत्रीजी टेबिल कर देंगे अपने भाषण को ...(व्यवधान) उत्तर को टेबिल कर देंगे ...(व्यवधान)....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अगर मान लो मैं आसन को यह अधिकार दे रहा हूं, मैं आसन को यह अधिकार दे रहा हूं अगर मेरी कोई बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं आसन को अधिकार दे रहा हूं अगर कोई मेरी बात ऐसी लगे जो मर्यादा के विरूद्ध है, वह आप उसे कटवा दीजिए, अंकित नहीं करिए मुझे कोई चिंता नहीं लेकिन संविधान की जो बात है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य पहले जवाब तो सुनें, पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर व्यवस्था ...(व्यवधान) पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर आसन की व्यवस्था दी जाएगी, कोई बात नहीं सुनी जाएगी ...(व्यवधान) आसन की व्यवस्था होगी ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कोई भी बात अगर नियमों के विरूद्ध हो तो आप अंकित नहीं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

करें, कह दिया मैंने, मेरी कोई भी बात अगर विधान सभा के नियमों के प्रतिकूल हो तो अंकित नहीं करिए, निकाल दो उसको, कह दिया मैंने ...(व्यवधान) कर लिया है, कर लिया है ...(व्यवधान) खेद कर लिया है बैठ जाओ ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा है उपाध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनें तसल्ली से पहले ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैंने कोई बात ऐसी कहीं है जो नियम के विरूद्ध हो, आप उसे निकाल दीजिए ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रतिपक्ष का आचरण ठीक नहीं है, मंत्रीजी का जवाब तो सुनना पड़ेगा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। कल्ला साहब के पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर व्यवस्था दी जाएगी, और कोई भी ...(व्यवधान) कल्ला साहब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर, माननीय बीकानेर से आने वाले सदस्य ने जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है उसके ऊपर व्यवस्था दी जाएगी और जो भी कोई बात होगी, जो भी गैर सम्पादित कोई भी टिप्पणी हुई है, उसको हटा दिया जाएगा ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों का जिस तरह का आचरण है, यह राजस्थान की जनता के लिए, वह सब लोग जो अपना धार्मिक आचरण स्वतंत्रतापूर्वक ...(व्यवधान) चाहते हैं और जिस तरह से ...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ...(व्यवधान) धमान्तरण करने का जो काम हो रहा है ...(व्यवधान) देने का काम ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया था उसके ऊपर सुनकर के व्यवस्था दी जाएगी ...(व्यवधान) आप व्यवस्था को ...(व्यवधान) कोई आसन की व्यवस्था को नहीं सुनना चाहते, आसन की व्यवस्था आप नहीं सुनना चाहते हो माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, जो हो सकता था, इनकी जो शंका है एक पेंडिंग बिल रहते हुए दूसरा पेंडिंग बिल जा सकता है कि नहीं जा सकता है कानूनी दृष्टि से जो भी मैं अपना उत्तर इकट्ठा करके लाया हूं, मैं चाहूंगा अगर इनकी मंशा नहीं है सुनने की तो मैं इसको टेबिल करना चाहता हूं आपकी इजाजत हो तो मैं टेबिल करता हूं। ...

सदन में नारेबाजी

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये। पाइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर आप कोई व्यवस्था लेना चाहते हैं? (व्यवधान) नगरीय विकास मंत्री। माननीय सदस्य, नगरीय विकास मंत्री स्टेटमेंट देना चाहते हैं। नगरीय विकास मंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं। दीजिये स्टेटमेंट।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्न समाचार पत्रों में दिनांक 18 मार्च, 2008 को ...(व्यवधान)

सदन में नारेबाजी

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। मैं सदन की कार्यवाही आगे ले रहा हूं माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

सदन में नारेबाजी

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) पास करायें।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2

श्रीमती अनिता भदेल एवं श्री मदन राठौड़ संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना जो संशोधन दिया है उसको वापस लेती हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 कोई संशोधन नहीं।

खण्ड-4

श्री हरिमोहन शर्मा, श्री महिपाल यादव, डा. बुलाकीदास कल्ला, श्री जुबेर खान (माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े नहीं हुए) श्री मदन राठौड़ संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-4 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-4 स्वीकार किया गया।

(श्री मदन राठौड़)

खण्ड-5

श्री टीकमचन्द कान्त संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री टीकमचंद कांत (सिवाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-5 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-5 स्वीकार किया गया।

खण्ड-6 से 8 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-6 से 8 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-6 से 8 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 को पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: कोई सदस्य बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2008

डा. नाथूसिंह गुर्जर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये।

ड. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये।

(सदन में नारेबाजी)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) वो पढ़ देते हैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष: हां, पढ़िये। (व्यवधान)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे – श्री संयम लोढ़ा, डा. सी. पी. जोशी, श्री जुबेर खान, श्री जोगेश्वर गर्ग, श्री शंकरसिंह राजपुरोहित, श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, श्री हरिमोहन शर्मा, श्री बाबूलाल नागर, डा. बुलाकीदास कल्ला, श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया, श्री अमराराम धोद, श्री प्रहलाद गुंजल, श्री तगाराम चौधरी, श्री कन्हैयालाल मीणा, श्री राकेश मेघवाल, श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल, श्रीमती राजकुमारी शर्मा। (माननीय सदस्य बोलने के खड़े नहीं हुए)

श्री रामनारायण मीणा, विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। (अनुपस्थित) ...(व्यवधान)

प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2

डा. बुलाकीदास कल्ला – संशोधन प्रस्तुत करेंगे। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपकी उपस्थिति में महामहिम राष्ट्रपतिजी और महामहिम राज्यपाल ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

डा. नाथुसिंह गुर्जर, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाये।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाये।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप हमारे हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से राज्यपाल महोदय के निर्णय के बारे में मंत्री ...(व्यवधान) दे इससे ज्यादा खेदजनक बात प्रजातंत्र में हो नहीं सकती और +++ उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से सरकार का बचाव करें यह +++ हम कतई उम्मीद नहीं करते थे। आपसे प्रतिपक्ष की रक्षा की हम उम्मीद करते थे उपाध्यक्ष महोदय, परन्तु +++ लेकर के इस सदन की कार्यवाही को चलाया ...(व्यवधान)...

विधेयक का पारण

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, ...(व्यवधान)...

प्रश्न यह है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया गया।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारे हितों की रक्षा नहीं कर रहे। सरकार और +++ रवैये से खिन्न होकर के हम वाकआउट करते हैं।

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना आचरण किया है और यह कहा है कि राज्यपाल महोदय की किसी भी भूमिका के बारे में सदन में कोई चर्चा नहीं हो सकती, (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णय के संकलन दो की तरफ दिलाना चाहता हूं। कई सदन में इस तरह के अवसर आये हैं और एक इसी तरह का अवसर पहले आया था जिसमें एक विधेयक महामहिम राज्यपाल महोदय ने राष्ट्रपति महोदय को भेजा और उसके कारणों को सदन में स्पष्ट करने के लिये जब मंत्रीजी उत्तर दे रहे थे तब यह बात चली कि उनके नाम का उल्लेख नहीं किया जा सकता। उस समय जो उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी वह मैं आपको पढ़ कर सुना रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं लेकिन मेरी धारणा है कि कोई भी बिल अगर वापस लौट कर आता है तो माननीय सदस्यों को उसकी पूरी जानकारी देनी चाहिये। किन प्रश्नों पर राज्यपाल महोदय ने उसे लौटाया इसके बारे में विचार करने की, उनकी परिस्थिति की जानकारी करने की माननीय सदस्यों को पूरा अधिकार है।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, जब गृह मंत्रीजी अपनी बात कह रहे थे धर्म स्वातंत्र्य बिल क्यों लौटाया गया, राष्ट्रपति महोदय को सिफारिश के साथ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

क्यों भेजा गया उन पूरी बातों पर अपनी बात कह रहे थे और इस पर माननीय रसद मंत्रीजी ने कहा कि जब यह बिल से सम्बन्धित है तो बिल से सम्बन्धित उनके द्वारा किये गये कृत्य की यहां चर्चा हो सकती है और बिना किसी जानकारी के आज प्रतिपक्ष ने महत्वपूर्ण बिलों पर भाग नहीं लिया। उपाध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त जैसा बिल जो आज पारदर्शिता के लिये, स्वच्छ शासन के लिये यह सरकार लेकर आ रही है उस पर इन्होंने भाग नहीं लिया और सुबह से जिस बात की चर्चा कर रहे थे अजमेर के यूआईटी के चेयरमैन के बारे में, पूरा उत्तर सरकार के पास है, सरकार ने जांच बैठा दी। पहले इन्होंने कहा कि स्टेटमेंट होना चाहिये और आज खुद वापस चले गये, यह गैर जिम्मेदाराना कृत्य इन्होंने किया है।

श्री उपाध्यक्ष: यूडीएच मिनिस्टर का स्टेटमेंट करा दें क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): करा दीजिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था चेयर की है, अगर आपका हुक्म होगा तो सरकार स्टेटमेंट देने के लिये तैयार है, करा दीजिए।

शासकीय वक्तव्य

अजमेर नगर विकास न्यास का सीडी प्रकरण

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्न समाचार पत्रों में दिनांक 18 मार्च, 2008 को श्री अरुण उपाध्याय, उप नगर नियोजक की वार्तालाप की सीडी से सम्बन्धित समाचार प्रकाशित होने एवं सीडी प्राप्त होने के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने श्री अरुण उपाध्याय, उप नगर नियोजक के तुरन्त प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा के आदेश जारी कर दिये गये हैं एवं उनका मुख्यालय जयपुर कर दिया है। श्री धर्मेश जैन, अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास ने उक्त प्रकाशित समाचारों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यकाल में किये गये कार्यों की निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह करते हुए स्वेच्छा से अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया है जिसे राज्य सरकार द्वारा तुरन्त प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है तथा जिला कलक्टर, अजमेर को अग्रिम आदेशों तक अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, अजमेर के पद पर नियुक्त किया जा चुका है। समाचार पत्रों में जिस सीडी का हवाला दिया गया है उस सीडी की सत्यता की जांच पुलिस विभाग की सीआईडी क्राइम ब्रांच से करवाई जायेगी। न्यास के अन्य विषयों के सम्बन्ध में भूतपूर्व अध्यक्ष ने

स्वयं जांच का आग्रह किया है और इसे स्वीकार करते हुए राज्य सरकार इस विषय में जांच के सम्बन्ध में उच्च स्तर पर समुचित निर्णय लेगी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रभुलाल सैनी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री संयम लोढा, श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, श्री हरिमोहन शर्मा, श्री जुबेर खान, डा. बुलाकीदास कल्ला, डा. सी. पी. जोशी, श्री बाबूलाल नागर, श्री अमराराम धोद, श्री भरत सिंह, श्री जोगेशवर गर्ग, श्री सुभाष चन्द बहेड़िया, श्री प्रहलाद गुंजल, श्री हेमराज मीणा, श्री रामनारायण मीणा, श्री देवीशंकर भूतड़ा, श्री तगाराम चौधरी, श्री कन्हैयालाल मीणा, श्री रामप्रताप कासनिया, श्री राकेश मेघवाल, श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल, श्रीमती राजकुमारी शर्मा, श्री रामचन्द्र सराधना। (माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े नहीं हुए)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री जवाब देंगे (व्यवधान) हो गया जवाब।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2, श्री भरत सिंह संशोधन प्रस्तुत करेंगे। (अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री प्रभुलाल सैनी प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाये।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक से जो भी सम्बन्धित बिन्दु थे वह मैंने आपकी अनुमति से टेबल कर दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: पारित किया जाये वह बोलो।

विधेयक का पारण

राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: जो सदस्य बोलना चाहें उन्हें अनुमति दी जायेगी, कोई सदस्य नहीं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया गया।

सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 25 मार्च, 2008 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके शेष तारांकित प्रश्नोत्तर

राजगढ़ (चूरू) बहल मार्ग का सुदृढ़ीकरण

344. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजगढ़ (चूरू) बहल मार्ग अन्तर्राज्यीय मार्ग है? यदि हां, तो वर्तमान में इस सड़क की चौड़ाई क्या है?

(2) क्या सरकार अन्तर्राज्यीय मार्ग होने के कारण इसकी चौड़ाई बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में इस सड़क की चौड़ाई 3.65 मीटर है।

(2) अन्तर्राज्यीय मार्ग होने के कारण इस सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिये अन्तर्राज्यीय एवं आर्थिक महत्व की सड़क योजना में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे हुये हैं। स्वीकृति अपेक्षित है।

कोटपूतली के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पेयजल व्यवस्था

345. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के किन-किन गांवों हेतु गत चार वर्षों में पाइप लाइन की योजना स्वीकृत की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के कितने गांव ऐसे हैं, जिनमें अभी पाइप लाइन की सुविधा नहीं है? क्या सरकार इन गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार गांवों में हैण्डपम्प स्वीकृत करने के बजाय प्रत्येक गांव में नलकूप द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में हैण्डपम्प से लाभान्वित ग्रामों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। भू-जल की उपलब्धता, आवश्यकता एवं प्राथमिकता अनुसार शेष योजनाओं के प्रकार परिवर्तन पर सतत प्रक्रिया के तहत स्वीकृति बाबत निर्णय एवं तदुपरान्त क्रियान्वयन सम्भव होगा।

(3) हैण्डपम्प अथवा नलकूप की स्वीकृति बाबत निर्णय आवश्यकता, भू-जल उपलब्धता (मात्रा एवं गुणवत्ता) एवं जल स्तर आदि के आधार पर लिया जाता है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सैनिकों व उनके परिजनों को देय सुविधाओं में वृद्धि

346. श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सेना में शौर्य प्रदर्शन करने पर राज्य के सैनिकों को राज्य सरकार की ओर से सम्मान स्वरूप भेंट राशि व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं? यदि हां, तो किस आधार पर कितनी राशि व सुविधाएं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य के सैनिकों को अन्य राज्यों के मुकाबले कम धनराशि व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार राज्य के सैनिकों व उनके परिजनों को उनकी वीरता प्रदर्शन पर देय पुरस्कार राशि व अन्य सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा सेना में शौर्य प्रदर्शन करने पर गैलेन्ट्री अवार्ड धारकों को उन्हें मिले पदक के अनुसार नकद राशि एवं 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि की एवज में 2 लाख रुपये नकद प्रदान किये जाते हैं विवरण संलग्न है।

उक्त के अतिरिक्त निम्न सुविधाऐं और प्रदान की जाती हैं :-

1. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र एवं शौर्य चक्र से सम्मानित पूर्व सैनिकों

(सैनिक कल्याण मंत्री)

एवं मरणोपरान्त अलंकृत की सैनिकों की धर्मपत्नियों को निःशुल्क यात्रा का प्रावधान है।

2. राजस्थान हाउस, नई दिल्ली/ राजस्थान स्थित विश्राम भवनों में ठहरने वाले शौर्य पदक धारकों को राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारियों की भांति देय कर एवं निर्धारित अवधि तक आवास एवं भोजन आदि की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

3. जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर विकास न्यासों में 220 वर्ग मीटर के भूखण्ड, परमवीर चक्र धारक को आरक्षित कीमत के 10 प्रतिशत महावीर चक्र धारक को आरक्षित कीमत के 25 प्रतिशत एवं वीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र धारकों को आरक्षित कीमत के 50 प्रतिशत पर भूखण्ड आबंटन का प्रावधान है। मरणोपरान्त उक्त वर्णित पदक धारकों की धर्मपत्नी या उनके एक आश्रित को उक्तानुसार रियायती दर पर भूखण्ड आबंटन का प्रावधान है।

(2) जी नहीं। केवल पंजाब एवं हिमाचल राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों की तुलना में गैलेण्ट्री अवार्ड धारकों को अधिक सुविधायें दी जाती हैं।

(3) जी नहीं।

राज्य सरकार द्वारा गैलेण्ट्री अवार्ड धारकों को प्रदत्त की जा रही सुविधाओं का विवरण

1. परमवीर चक्र	225000 रुपये नकद व इन्दिरा गांधी नहर परियोजना फेज द्वितीय में 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि की ऐवज दो लाख रुपये नकद।
2. अशोक चक्र	200000 रुपये नकद व इन्दिरा गांधी नहर परियोजना फेज द्वितीय में 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि की ऐवज दो लाख रुपये नकद।
3. महावीर चक्र	150000 रुपये नकद व इन्दिरा गांधी नहर परियोजना फेज द्वितीय में 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि की ऐवज दो लाख रुपये नकद।
4.किर्ती चक्र	120000 रुपये नकद व इन्दिरा गांधी नहर परियेजना द्वितीय में 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि की ऐवज दो लाख रुपये नकद।

(सैनिक कल्याण मंत्री)

5. वीर चक्र	70000 रुपये नकद व इन्दिरा गांधी नहर परियोजना फेज द्वितीय में 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि की ऐवज दो लाख रुपये नकद।
6. शौर्य चक्र	50000 रुपये नकद व इन्दिरा गांधी नहर परियोजना फेज द्वितीय में 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि की ऐवज दो लाख रुपये नकद।
7. सेना/ नोसैना/वायुसेना मेडल	30000 रुपये नकद व इन्दिरा गांधी नहर परियोजना फेज द्वितीय में 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि की ऐवज दो लाख रुपये नकद।
8. शौर्य के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक	100000 रुपये नकद व इन्दिरा गांधी नहर परियोजना फेज द्वितीय में 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि की ऐवज दो लाख रुपये नकद।
9. शौर्य के लिए पुलिस पदक	50000 रुपये नकद व इन्दिरा गांधी नहर परियोजना फेज द्वितीय में 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि की ऐवज दो लाख रुपये नकद।

भीम में ए.एन.एम. के रिक्त पद

347. श्री हरीसिंह रावत (भीम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में कितने ए.एन.एम. सेंटर कार्यरत हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सेंटरों पर ए.एन.एम. कार्यरत हैं?

(3) कितने ए.एन.एम. सेंटर ए.एन.एम. के अभाव में बन्द हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में 53 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

(2) जी नहीं। उप स्वास्थ्य केन्द्र जेतगढ़, समेलिया, मियाला एवं कलालों की आंती में वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यरत नहीं हैं।

(3) उप स्वास्थ्य केन्द्र समेलिया एवं मियाला में वर्तमान में जी.एन.एम. को लगा रखा है। आयुष योजना के अन्तर्गत नियुक्त आयुर्वेद

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

कम्पाउन्डर को उप स्वास्थ्य केन्द्र जेतगढ़ में कार्य संचालन हेतु लगाया गया है। उप स्वास्थ्य केन्द्र कलालों की आंती में वर्तमान में कोई भी स्टाफ कार्यरत नहीं हैं।

जी हां। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं जिन्हें भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बारां जिले में सड़क निर्माण संवेदकों से शास्ति स्वरूप वसूल राशि

348. प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में संवेदकों द्वारा किन-किन सड़कों का निर्माण निर्धारित समयावधि में माह फरवरी, 2008 तक पूर्ण नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) संवेदकों द्वारा उक्त सड़कों के निर्माण निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं कराने पर किस-किस सक्षम अधिकारी द्वारा समयावधि बढ़ाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) संवेदकों द्वारा सड़क निर्माण समय पर पूर्ण नहीं कराने पर किन-किन संवेदकों को ब्लेक लिस्टेड किन-किन कारणों से नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सड़क निर्माण कार्य समय पर पूर्ण नहीं कराने पर संवेदकों पर कितनी-कितनी पेनल्टी लगाई गई एवं उसमें से कितनी-कितनी राशि किस-किस संवेदक से वसूल की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में संवेदकों द्वारा 69 सड़कों का निर्माण निर्धारित समयावधि में माह फरवरी, 2008 तक पूर्ण नहीं किया गया। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) संवेदकों के अपूर्ण कार्यों की कार्य पूर्ण करने की समयावधि नहीं बढ़ाई गई है। कार्य पूर्ण होने पर गुणावगुण के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा समय अवधि स्वीकृत की जावेगी।

(3) निर्माण कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने पर संवेदकों के विरुद्ध

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

अनुबन्ध की धाराओं के अनुसार कार्यवाही की जाती है। कार्य में देरी के लिये संवेदक जिम्मदे◌ार होने पर शास्ति लगाई जाती है और कार्य पूरा कराने के प्रयास किये जाते हैं। यदि संवेदक अन्तिम नोटिस के बाद भी कार्य करने का प्रयास नहीं करता है तो नियमानुसार ब्लेक लिस्ट करने की भी कार्यवाही की जा सकती है। बारां जिले की उक्त सड़कों में देरी का कारण वन विभाग से अनुमति नहीं मिलना भी एक प्रमुख कारण रहा है क्योंकि कार्य या तो प्रगति पर हैं या विविध व्यवधानों की वजह से पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, जिसके लिये संवेदक को जिम्मेदार नहीं माना गया है।

(4) निर्माण कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने पर संवेदकों पर लगाई गई शास्ति (पेनल्टी) और वसूल की गई शास्ति (पेनल्टी) का विवरण परिशिष्ट 'ब' (के कॉलम संख्या 8 व 9) पर अंकित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बाली के क्षतिग्रस्त सिंचाई संसाधनों की मरम्मत

349. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2003 से अब तक विधान सभा क्षेत्र बाली में बाढ़ के दौरान कौन-कौन से बांध, तालाब, एनिकट, नहरें, आवक फीडर्स कितने-कितने क्षतिग्रस्त हुए तथा किस बांध में मिट्टी जमा होने से भराव क्षमता कम हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त बांध, तालाब, एनिकट, नहरें आदि को ठीक करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली के वर्ष 2003 से अब तक आंशिक क्षतिग्रस्त हुए कार्यो की सूची प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है। शिवनाथ सागर बांध में मिट्टी का जमाव होने से बांध की भराव क्षमता में कमी हुई है।

(2) जी हां। आंशिक रूप से कुछ क्षतिग्रस्त बांधों/ नहरों की मरम्मत का कार्य प्रपत्र 'अ' के अनुसार करवा दिया गया है। शेष मानसून पूर्व दुरूस्त करवाना प्रस्तावित है।

प्रपत्र 'अ'

बाली विधान सभा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के वर्ष 2003 से अब तक आंशिक क्षतिग्रस्त हुए बांधों/ नहरों एनिकटों (वाटर हार्वेस्टिंग) के कार्यों की सूची

(राशि लाखों रुपये में)

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>कार्य का नाम</th><th>तहसील</th><th>कार्य का प्रकार</th><th>मरम्मत हेतु अनुमानित लागत</th><th>विशेष विवरण</th></tr>
<tr><td colspan="6">(अ) क्षतिग्रस्त बांध/नहर</td></tr>
<tr><td>1</td><td>मिठडी बांध व नहर</td><td>बाली</td><td>बांध व नहर</td><td>-</td><td rowspan="8">क्षतिग्रस्त बांध/नहर के मरम्मत का कार्य पूर्ण करवा दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>कोट बांध व नहर</td><td>बाली</td><td>बांध व नहर</td><td>-</td></tr>
<tr><td>3</td><td>दांतीवाडा बांध व नहर</td><td>बाली</td><td>बांध व नहर</td><td>-</td></tr>
<tr><td>4</td><td>शिवनाथ सागर बांध व नहर</td><td>बाली</td><td>बांध व नहर</td><td>-</td></tr>
<tr><td>5</td><td>फूटिया बांध व नहर</td><td>बाली</td><td>बांध व नहर</td><td>-</td></tr>
<tr><td>6</td><td>पिपला बांध व नहर</td><td>बाली</td><td>बांध व नहर</td><td>-</td></tr>
<tr><td>7</td><td>सेवाडी बांध व नहर</td><td>बाली</td><td>बांध व नहर</td><td>-</td></tr>
<tr><td>8</td><td>लटाडा बांध व नहर</td><td>बाली</td><td>बांध व नहर</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="6">(ब) क्षतिग्रस्त वाटर हार्वेस्टिंग कार्य</td></tr>
<tr><td>1</td><td>बिजोलिया एनीकट</td><td>बाली</td><td>एनीकट</td><td>-</td><td rowspan="4">मरम्मत कार्य ठेकेदार द्वारा करवा दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>रूपणमाता एनीकट</td><td>बाली</td><td>एनीकट</td><td>-</td></tr>
<tr><td>3</td><td>नरेशनाथ की घूणी एनीकट</td><td>बाली</td><td>एनीकट</td><td>-</td></tr>
<tr><td>4</td><td>मिठडी नदी डाईवर्सन</td><td>बाली</td><td>डाईवर्सन स्कीम</td><td>-</td></tr>
</table>

1	2	3	4	5	6
5	महादेव एनीकट गुढा कल्याण सिंह	बाली	एनीकट	-	मरम्मत कार्य ठेकेदार द्वारा करवाया जा रहा है।
(स) जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के क्षतिग्रस्त कार्य					
1	खारीवाली एनीकट पुनाडिया	बाली	एनीकट	7.00	मानसून पूर्व दुरूस्त करवाना प्रस्तावित है।
2	फतापुरा एनीकट	बाली	एनीकट	6.00	
3	कांटेश्वर एनीकट लुणावा	बाली	एनीकट	4.00	
4	लालदेवी सब सरफेश बेरीयर बीजापुर	बाली	स.स. बेरियर	6.00	
5	सब सरफेश बेरीयर डूंगरली	बाली	स.स. बेरियर	6.00	
6	पेमली का नाका एनीकट	बाली	एनीकट	6.00	
7	मालदर एनीकट	बाली	एनीकट	5.00	
8	सब सरफेश बेरीयर कोढार I	बाली	स.स. बेरियर	8.00	
9	सब सरफेश बेरीयर कोढार II	बाली	स.स. बेरियर	8.00	
10	सब सरफेश बेरीयर बेडा	बाली	स.स. बेरियर	12.00	
11	सब सरफेश बेरीयर नाणा	बाली	स.स. बेरियर	11.00	
12	सब सरफेश बेरीयर भन्दर	बाली	स.स. बेरियर	15.00	

1	2	3	4	5	6
13	पेरवा एनीकट	बाली	एनीकट	10.00	मानसून पूर्व दुरूस्त करवाना प्रस्तावित है।
14	सब सरफेश बेरीयर खिमेल	बाली	स.स. बेरियर	6.00	
15	भागली एनीकट	बाली	एनीकट	6.00	
16	सादलवा टीपरी एनीकट	बाली	एनीकट	10.00	
17	जीवा एनीकट खीमेल	बाली	एनीकट	16.00	
18	जीवादा जुंझारजी एनीकट	बाली	एनीकट	3.00	
19	वीर बावजी एनीकट	बाली	एनीकट	5.00	
20	मामाजी एनीकट बिजीया	बाली	एनीकट	4.00	
	योग :-			**154.00**	

शाहगढ़ (जैसलमेर) क्षेत्र में सेना हेतु अवाप्त भूमि में से उपजाऊ भूमि की अवाप्ति से मुक्ति

350. श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के शाहगढ़ क्षेत्र की जमीन को आर्मी की रेंज के लिए दिया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कितनी भूमि?

(2) क्या सरकार उक्त जमीन में से उपजाऊ सिंचित योग्य भूमि को आर्मी रेंज से बाहर रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रस्तावित रेंज में राजस्व विभाग की 5,55,121.19 बीघा एवं उपनिवेशन विभाग की 4,09,796.14 बीघा भूमि आबंटन/ अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी नहीं। चूंकि भूमि राष्ट्र हित एवं रक्षा प्रयोजनार्थ अवाप्त किये जाने का विचार है। अतः राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए प्रस्तावित भूमि में से उपजाऊ सिंचित योग्य भूमि को आर्मी रेंज से बाहर रखने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

अप्रशिक्षित एवं अपंजीकृत चिकित्सकों की रोकथाम हेतु कार्य योजना

351. **श्री जीतराम** (मालपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में अभी भी अनेक ''झोलाछाप'' अप्रशिक्षित एवं अपंजीकृत चिकित्सक कार्य कर रहे हैं? जिससे जनता के धन एवं स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है?

(2) क्या सरकार अप्रशिक्षित एवं अपंजीकृत चिकित्सकों पर नियंत्रण हेतु कोई प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे एवं कब तक?

उत्तर

(1) प्रदेश में अप्रशिक्षित एवं अपंजीकृत चिकित्सकों पर अंकुश लगाने की कार्यवाही जिला स्तर पर गठित कार्यदल (जिसमें प्रशासनिक, पुलिस, आयुर्वेद, औषधि नियंत्रण संगठन, चिकित्सा विभाग के अधिकारी सदस्य हैं द्वारा की जाती है।

(2) जी हां। क्लिनिकल ऐस्टोब्लिशमेन्ट बिल केन्द्र सरकार द्वारा पारित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है उक्त बिल के पारित होने के पश्चात राज्य सरकार उसे राज्य में प्रभावी करने का विचार रखती है।

जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में मानदण्डानुसार निर्मित सड़कें

352. **श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर सम्भाग क्षेत्र से कौन-कौन से राज्य राजमार्ग निकलते हैं?

(2) क्या यह सही है कि राज्य राजमार्ग सड़क निर्माण के मानदण्ड बने हुये हैं? यदि हां, तो अजमेर सम्भाग के कौन-कौन से राज्य राजमार्ग

(श्री शिवाजीराम मीणा)

मानदण्ड के अनुसार बने हुए हैं एवं कौन-कौन से से नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जहाजपुर क्षेत्र से निकलने वाले राज्य राजमार्ग सं. 39 के किलो मीटर 27/0 से 70/0 तक एवं राज्य राजमार्ग सं. 26 के किलो मीटर 90/0 से 99/0 तक पैंसेंजर कार यूनिट (पी.सी.यू.) के मापदण्डानुसार नहीं बने हैं? यदि हां, तो क्या सरकार मानदण्डानुसार सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अजमेर सम्भाग के अधीन निकलने वाले राज्य राजमार्गों की सूची परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है।

(2) जी हां। अजमेर सम्भाग के अधीन मापदण्ड अनुसार बने व नहीं बने राज्य राजमार्गों की सूची विवरण परिशिष्ट ''ब'' एवं ''स'' में संलग्न है।

(3) जी हां। जहाजपुर क्षेत्र से निकलने वाले राज्य राजमार्ग संख्या 39 के कि.मी. 27/0 से 70/0 तक की चौड़ाई मापदण्डानुसार नहीं हैं।

जी नहीं। राज्य राजमार्ग संख्या-26 के कि.मी. 90/0 से 99/0 तक सड़क के हिस्से की चौड़ाई पैसेंजर कार यूनिट के मापदण्डों के अनुसार है।

राज्य राजमार्ग संख्या-39 के कि.मी. 27/0 से 70/0 का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं कार्य की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा सम्भाग में भू-जल संरक्षण हेतु परवन व कालीसिंध नदी (कोटा) पर एनिकट निर्माण

353. **श्री भरत सिंह** (दीगोद) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा सम्भाग के जिला झालावाड़, बारां व कोटा में कितने गांव व कस्बे इस प्रकार के हैं, जहां ग्रीष्मकाल में टैंकरों से पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ती है? इन समस्याग्रस्त गांवों में मवेशियों के पेयजल हेतु क्या व्यवस्था है?

(2) वर्ष 2007-08 में अभी कितने गांवों व कस्बों में टैंकरों से

(श्री भरत सिंह)

पेयजल की व्यवस्था की जा रही है तथा इस पर कितनी राशि व्यय की जा रही है?

(3) कोटा सम्भाग के उपरोक्त जिलों में कोटा शहर को छोड़कर शेष बचे भू-भाग में पेयजल की आपूर्ति भू-जल व सतही जल का जिलेवार प्रतिशत क्या है?

(4) क्या सरकार कोटा जिले की सांगोद तहसील में परवन व कालीसिंध नदी पर एनिकट का निर्माण करके भू-जल संरक्षण करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कोटा सम्भाग के जिला झालावाड़, बारां व कोटा के ग्रामों एवं कस्बों में टैंकरों से पेयजल व्यवस्था अधिकतम निम्नानुसार ग्रीष्म, 2007 में की गई :-

क्रम संख्या	**जिला**	**कस्बों की संख्या**	**ग्रामों की संख्या**
1	झालावाड़	1	29
2	बारां	0	28
3	कोटा	5	122
	योग	**6**	**179**

ग्रामों में मवेशियों के पेयजल हेतु सार्वजनिक एवं निजी जल स्त्रोत तथा हैण्डपम्प विद्यमान हैं।

(2) वर्ष 2008 में वर्तमान में निम्नानुसार टैंकरों से पेयजल की व्यवस्था की जाकर राशि व्यय की जा रही है :-

क्रम संख्या	**जिला**	**ग्रामों की संख्या**	**कस्बों की संख्या**	**प्रतिदिन व्यय की जा रही (राशि रु.)**
1	झालावाड	16	2	0.68 लाख
2	बारां	7	0	0.02 लाख
3	कोटा	59	2	0.58 लाख
	योग	**82**	**4**	**1.28 लाख**

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) कोटा सम्भाग के उपरोक्त जिलों में कोटा शहर को छोड़कर शेष भू-भाग में पेयजल आपूर्ति में भू-जल एवं सतही जल उपयोग को कस्बों/ग्रामों की संख्या के आधार पर जिलेवार प्रतिशत निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	जिला	भू-जल का प्रतिशत		सतही जल का प्रतिशत	
		शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
1	झालावाड	0	96.95	100	3.05
2	बारां	80	99.82	20	0.18
3	कोटा	33	98.90	67	1.10

(4) कोटा जिले की सांगोद तहसील में परवन व कालीसिंध नदी पर एनिकट निर्माण तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त एवं फिजीबल पाये जाने पर आवश्यकतानुसार एनिकट निर्माण के संदर्भ में निर्णय लिया जायेगा।

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को कृषि भूमि विक्रय के अधिकार

354. **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (बैराठ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को अपनी कृषि भूमि को विक्रय करने का अधिकार नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को अपनी कृषि भूमि को विक्रय करने के अधिकार देने की दिशा में कुछ प्रयास किया गया है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को अपनी कृषि भूमि को विक्रय करने का अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को अपनी कृषि भूमि

(राजस्व मंत्री)

क्रमशः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को बेचने के अधिकार प्रदत्त हैं।

(2) खण्ड एक के अनुसार

(3) खण्ड एक के अनुसार

कन्या भ्रूण हत्या प्रकरणों में आरोपित चिकित्सक

355. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2004 उपरान्त सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या मामलों में कितने दोषी चिकित्सकों की प्रैक्टिस पर रोक लगाई गई है? जारी आदेशों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सकों को सरकार द्वारा रियायत देते हुए प्रैक्टिस में लगी रोक हटा ली गई है? यदि हां, तो लिए गए निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सकों के विरुद्ध न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों पर अन्तिम निर्णय पूर्व ही सरकार द्वारा उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) कन्या भ्रूण हत्या के मामले में राज्य का देश में कौनसा स्थान है? क्या सरकार कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु कोई कारगर कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

उत्तर

(1) निजी टी.वी. चैनल द्वारा प्रसारित समाचारों के सम्बन्ध में की गई शिकायत पर राजस्थान मेडिकल कान्सिल की पैनल एण्ड एथिकल उप समिति ने विचार विमर्श के उपरान्त प्रथम दृष्टया 33 चिकित्सकों को का दोषी पाया गया। उक्त चिकित्सकों की Medical Council of India के Regulation (Professional Conduct & Etiquette & Ethics) 2002 की धारा 8.5 के अन्तर्गत 6 माह अथवा जांच पूरी होने तक जो भी पहले हो प्रैक्टिस पर रोक लगाई गई थी। जिनकी जिलेवार सूची आदेशों की प्रतियों सहित परिशिष्ट-अ प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं, उक्त चिकित्सकों की प्रैक्टिस पर लगाई गई 6 माह की अवधि समाप्त होने पर राजस्थान मेडिकल कान्सिल की बैठक में दिनांक 08 अक्टूबर, 2007 को सभी प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया और

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सकों द्वारा राय देने या इकरार करने के मामलों का प्रतिपादित आचार संहिता का उल्लंघन माना। राजस्थान मेडिकल कॉन्सिल ने इन चिकित्सकों पर लगाई गई रोक को पर्याप्त मानते हुए और भविष्य में इस प्रकार का कार्य नहीं करने की चेतावनी देते हुए इन पर लगाई रोक को हटा दिया। उक्त रोक को हटाने संबंधी निर्णय की प्रति परशिष्ट ब पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं। राजस्थान मेडिकल कान्सिल द्वारा उक्त चिकित्सकों के कृत्य को Professional Misconduct मानते हुए कार्यवाही की गई हैं। पीसीपीएनडीटी एक्ट, 1994 एवं एमटीपी एक्ट, 1971 के प्रावधानों के उल्लंघन होने की स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा उक्त चिकित्सकों के विरुद्ध आरोप तय कर दिये जाते हैं तो राजस्थान मेडिकल कान्सिल द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर मुकदमे के निस्तारण तक संबंधित चिकित्सक की प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाने का प्रावधान है। अभी तक किसी भी आरोपी चिकित्सक के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा आरोप तय नहीं किये गये हैं।

(4) भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई सूची प्रकाशित नहीं की गई है।

प्रदेश में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेद) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट स पर प्रस्तुत है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)

सूमर-डेरूमाता (खानपुर) सड़क के पुनर्निर्माण में व्याप्त अनियमितताएं

356. **श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उपखण्ड खानपुर द्वारा सम विकास योजना के अन्तर्गत सूमर से डेरूमाता के मध्य कहां-कहां पर कब-कब कितने किलोमीटर व कितनी राशि व्यय कर सड़क निर्माण करवाया गया?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सम विकास योजना में कंवरपुरा (मण्डवालान) से बोहरा तक आधा किलोमीटर सड़क बनवायी गई थी, जिस पर संवेदक की गारण्टी होने के बावजूद भी इस पर पुनः सड़क निर्माण करवा दिया गया?

(श्री नरेन्द्र नागर)

(3) क्या सरकार इस सड़क के निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उपखण्ड खानपुर द्वारा सूमर से डेरूमाता के मध्य कि.मी. 7/600 से 7/675 डामर सड़क, 7/675 से 8/200 में खारजा का कार्य एवं 8/200 से 11/525 तक डामर सडक का निर्माण कराया गया। अतः कुल कि.मी. 3.925 लम्बाई सड़क का निर्माण कार्य सम विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि रुपये 80.00 लाख के विरुद्ध करवाया गया। जिस पर राशि 78.99 लाख रुपये व्यय हुये।

(2) जी नहीं। कंवरपुरा (मण्डवालान) से बोहरा तक का भाग सूमर-जोलपा सड़क के कि.मी. 3/0 से 4/0 के भाग में आता है। इस भाग का नवीनीकरण वर्ष 2001 में आर.यू.पी. फेज-प्रथम के अन्तर्गत राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया गया, जिसमें संवेदक की गारण्टी अवधि 2 वर्ष थी। वर्ष 2005 में इस सड़क के लगभग आधा कि.मी. क्षतिग्रस्त भाग में पेच वर्क का कार्य करवाया गया।

वर्ष 2005 में भारी वर्षा के कारण उक्त सड़क के भाग कि.मी. 3/0 से 4/0 में सड़क व पुरानी पलिया क्षतिग्रस्त हुई। जिसमें पुलिया की मरम्मत हेतु सहायता विभाग द्वारा 0.60 लाख रुपये की स्वीकृति वर्ष 2005-06 में प्राप्त हुई। जिसके अन्तर्गत पुलिया की मरम्मत का कार्य कराया गया, परन्तु राशि की कमी के कारण अप्रोचेज का डामरीकरण नहीं हो पाया।

वर्ष 2006-07 में आर.एम.यू.पी. फेज-तृतीय के अन्तर्गत कि.मी. 3/0 से 4/0 में नवीनीकरण के कार्य की स्वीकृति राशि रुपये 4.50 लाख की प्राप्त हुई जिसमें पुलिया की अप्रोच सहित सड़क के इस भाग 3/0 से 4/0 में नवीनीकरण का कार्य माह जनवरी, 2008 में कराया गया।

(3) जी नहीं। क्योंकि कोई अनियमितता नहीं की गई है।

स्थगित प्रश्न

सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2008

अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का वितरण

210. प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु सूक्ष्म पोषक तत्वों के वितरण की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों में कौन-कौन से तत्व हैं व प्रत्येक बालक को कितनी मात्रा में कितने अन्तराल से उपलब्ध कराये जा रहे हैं? इस योजना से कितने बच्चे लाभान्वित हुए?

उत्तर

जी हां। जनजाति क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु सूक्ष्म पोषक तत्वों के वितरण की व्यवस्था की गई है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में आयरन फौलिक एसिड, पालीविटामिन, कैल्शियम विद विटामिन ''डी'' एवं विटामिन सी 50 एमजी की एक-एक गोलियां मिड-डे-मील के उपरान्त 100 दिवस तक दिये जाने एवं प्रथम दिवस सभी लाभान्वित बच्चों को टेबलेट एल्बेन्डाजोल तथा विटामिन ए के घोल की एक-एक खुराक दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना से जनजाति क्षेत्र के लगभग 3.84 लाख बच्चे लाभान्वित हुए।

धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत हैण्डपम्पों की क्रियान्विति

357. श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में वर्ष 2007-08 में हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये थे? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्वीकृत हैण्डपम्प आज तक नहीं लगाये गये? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के ग्राम विसायतीपुरा, करीमपुर, गुर्जर करीमपुर एवं किशोरपुरा में नवीन हैण्डपम्प लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री बनवारी लाल)

(4) उक्त स्वीकृत नवीन हैण्ड-पम्प अभी तक नहीं लगाने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में वित्तीय वर्ष 2007-08 में (माह फरवरी, 2008 तक) शहर धौलपुर में 32 हैण्डपम्प एवं ग्रामीण क्षेत्र में 223 हैण्डपम्प, कुल 225 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये हैं। स्थानवार स्वीकृत हैण्डपम्पों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त स्वीकृति विरुद्ध माह फरवरी, 2008 तक शहर धौलपुर में 14 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 59, कुल 73 हैण्डपम्प चालू कर दिये गये हैं। शेष हैण्डपम्प निम्नानुसार लगाये जाने प्रस्तावित हैं

अप्रेल, 2008 तक	मई, 2008 तक	जून, 2008 तक
80 है. पम्प	67 है. पम्प	35 है. पम्प

(3) जी हां। विवरण निम्न प्रकार है :-

ग्राम का नाम	स्वीकृत है. पम्प	लगाने का संभावित माह/वर्ष
विसायतीपुरा	4	अप्रैल, 2008 तक
करीमपुर	4	अप्रैल, 2008 तक
गुर्जा करीमपुर	1	अप्रैल, 2008 तक
किरारपुरा	3	अप्रैल, 2008 तक

(4) वर्ष 2007-08 में माह फरवरी, 2008 तक 309 नवीन हैण्डपम्प लगाये गये हैं। शेष समस्त हैण्डपम्प जून, 2008 तक लगाना प्रस्तावित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

शहीद सैनिकों के परिजनों के कल्याण व पुनर्वास हेतु कार्य योजना

358. श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कारगिल युद्ध से पूर्व पाकिस्तान से हुए युद्ध व कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के आश्रितों के कल्याण

(श्री दाताराम गुर्जर)

व पुनर्वास के लिए योजनाएं लागू की गई हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? वर्ष 2003-04 से अब तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। कारगिल युद्ध से पूर्व पाकिस्तान से हुए युद्धों में शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए निम्नानुसार सुविधाएं दिये जाने का प्रावधान था :-

अ.	जेसीओ व अधिकारी वर्ग	1000 रुपये नकद व 1500 रुपये के डिफेंस सर्टिफिकेट तथा 25 बीघा सिंचित भूमि
ब.	अन्य रैंकों के कार्मिक	1000 रुपये नकद व 1000 रुपये के डिफेंस सर्टिफिट तथा 25 बीघा सिंचित भूमि

शहीदों की वीरांगनाओं एवं उनके आश्रित अव्यस्क बच्चों को राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों के किराये में 75 प्रतिशत की रियायत देने का प्रावधान था। 6.7.99 से नि:शुल्क यात्रा का प्रावधान।

शहीद सैनिक की कृषि भूमि पर विद्युत कनेक्शन में प्राथमिकता।

शहीदों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा तथा स्कूल स्तर पर 1300 एवं कॉलेज स्तर पर 3600 रुपये सालाना छात्रवृत्ति का प्रावधान है। 31.3.1999 से पूर्व विभिन्न युद्धों एवं ऑपरेशनों में शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं एवं अविवाहित शहीदों के माता-पिता को 750/- रुपये प्रतिमाह सम्मान भत्ता दिया जाता है।

1.4.1999 के पश्चात कारगिल युद्ध एवं अन्य आपरेशनों में सशस्त्र सेनाओं एवं अर्द्ध सैनिक बलों के शहीद कार्मिकों के परिजनों हेतु निम्नानुसार कारगिल पैकेज जारी किया गया।

शहीद की धर्मपत्नी को 1 लाख रुपये नकद एवं 25 बीघा सिंचित भूमि या हाउसिंग बोर्ड का एम.आई.जी. मकान या भूमि की एवज में 4 लाख रुपये नकद, शहीद के माता-पिता को मासिक आय योजना में 1.50 लाख रुपये जमा, शहीद की धर्मपत्नी या आश्रित पुत्र/पुत्री को नियोजन, शहीद के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा तथा स्कूल स्तर पर 1800 रुपये एवं कालेज स्तर पर 3600 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति, शहीद के नाम से उसके गांव के स्कूल का

(सैनिक कल्याण मंत्री)

नामकरण, शहीद की कृषि भूमि पर आउट आफ टर्न विद्युत कनेक्शन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा के पास देने का प्रावधान है।

वर्ष 2003-04 से अब तक दी गई सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

1. 113 मामलों में प्रत्येक युद्ध वीरांगना को तत्काल सहायता के एक-एक लाख रुपये का भुगतान

2. 102 में भूमि अथवा मकान के बदले प्रत्येक को 4 लाख का भुगतान

3. 6 को भूमि आबंटन

4. 89 शहीदों के माता-पिता के नाम पोस्ट आफिस मासिक आय योजना के तहत प्रत्येक के नाम से 1.50 लाख रुपये जमा।

5. 59 शहीदों के एक-एक आश्रित को नियोजन दिलाया गया।

6. 52 शहीदों की कृषि भूमि पर विद्युत कनेक्शन।

7. 115 शहीदों की धर्मपत्नियों एवं आश्रित बच्चों को रोडवेज के निःशुल्क पास।

8. छात्रवृत्ति

(क) कालेज स्तर पर 30 बच्चों को 93500/- रुपये का भुगतान।

(ख) स्कूल स्तर पर 1520 बच्चों को 2736600/- रुपये का भुगतान।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उपखण्ड झाड़ोल (फलासिया) के ग्रामों हेतु पेयजल व्यवस्था

686. श्री बाबूलाल खराडी (फलासिया) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फलासिया के उपखण्ड झाडोल के 22 गांवों हेतु पेयजल योजना स्वीकृत है? यदि हां, तो क्या उनका कार्य चालू कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। तहसील झाडोल जिला उदयपुर के 22 समस्याग्रस्त गांवों की मांसी वाकल बांध से क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 765.64 लाख की माह अगस्त, 2006 में जारी हुई थी।

योजना में स्वीकृत कार्य यथा स्लो-सैण्ड फिल्टर, रॉ-वाटर रिजरवायर, स्वच्छ जलाशय, उच्च जलाशय, पम्प हाऊस, पंपिग मशीनरी इत्यादि के निर्माण कार्यों हेतु आवश्यक भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति वन विभाग द्वारा माह जनवरी, 2008 में जारी की जाकर भूमि हेतु आवश्यक राशि की मांग माह फरवरी, 2008 में की गई है। उक्त कार्य माह अप्रैल, 2008 में प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।

योजना के शेष कार्य माह अक्टूबर, 2007 से प्रगति पर हैं। योजना माह मार्च, 2009 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित है।

भीम विधान सभा क्षेत्र के 1500 की आबादी वाले ग्रामों हेतु पेयजल

687. श्री हरीसिंह रावत (भीम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में 1500 से अधिक आबादी वाले कितने ग्राम हैं?

(2) क्या सरकार 1500 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को पेयजल से जोड़ने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार फ्लोराइड वाले ग्रामों कुशलपुरा, समेलिया, भीलखेडा

(श्री हरीसिंह रावत)

आदि को भी पेयजल योजनाओं से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में वर्ष 2001 की जनगणनानुसार 1500 से अधिक आबादी वाले 34 गांव विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हैं। विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) वर्ष 2001 की जनगणनानुसार 1500 से अधिक जनसंख्या वाले हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित तहसील भीम के ग्राम लसाड़िया (जनसंख्या वर्ष 2001-1525) एवं मियालाखेत (जनसंख्या वर्ष 2001-1992) की पम्प एवं टैंक योजना में परिवर्तन के प्रस्ताव सक्षम स्तर पर तकनीकी जांच प्रक्रियाधीन है।

भू-जल की उपलब्धता, आवश्यकता एवं प्राथमिकता अनुसार शेष योजनाओं के प्रकार परिवर्तन पर सतत प्रक्रिया के तहत स्वीकृति बाबत निर्णय एवं तदुपरान्त क्रियान्वयन सम्भव होगा।

(3) वर्णित ग्राम विभागीय मानदण्ड अनुसार हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित हैं।

'राजस्थान एकीकृत फ्लोराइड निवारण कार्यक्रम' के प्रथम चरण में ग्राम कुशलपुरा (फ्लोराइड-7.2 मिलीग्राम/लीटर) में 41 बी.पी.एल. परिवारों को घरेलू डि-फ्लोरिडेशन यूनिट प्रदत्त की जा चुकी है।

उक्त कार्यक्रम के प्रगतिरत द्वितीय चरण के अन्तर्गत 3.0 से 5.0 मिलीग्राम/लीटर तक फ्लोराइड मात्रा वाले 2 गांव क्रमशः समेलिया (फ्लोराइड-4.8 मिलीग्राम/लीटर) एवं भीलखेड़ा (फ्लोराइड-4.3 मिलीग्राम/लीटर) में गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से सूचना, शिक्षा एवं प्रसार कार्यक्रम चलाया जाकर बी.पी.एल. परिवारों को घरेलू डि-फ्लोरिडेशन यूनिट प्रदत्त की जाकर वर्ष 2008 में स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित करना प्रस्तावित है ताकि बी.पी.एल. परिवार इन संयंत्रों को प्रयोग करे तथा शेष परिवार इन संयंत्रों को खरीद कर उपयोग करें।

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र भीम के 1500 से अधिक आबादी वाले गांवों में वर्तमान पेयजल व्यवस्था का विवरण

तहसील	पेयजल योजना से लाभान्वित		
	कुल ग्राम	1500 से अधिक आबादी के ग्राम	विभिन्न योजना से लाभन्वयन विवरण (1500 से अधिक आबादी वाले ग्राम)
भीम	132	28	पाइप्ड योजना – 11 ग्राम पंप एवं टैंक योजना – 5 ग्राम
			हैण्डपम्प योजना – 12 ग्राम (1 ग्राम नंदावट को भीमादेह बांध से स्वीकृत योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने का कार्य प्रगति पर है।)
देवगढ	131	6	पाइप्ड योजना – 3 ग्राम पम्प एवं टैंक योजना – 2 ग्राम हैण्डपम्प योजना से – 1 ग्राम
योग	**263**	**34**	

भादरा विधान सभा क्षेत्र की विचाराधीन पेयजल योजनाएं

688. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा की पेयजल योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी व किस स्तर पर? सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) सरकार उक्त पेयजल योजनाएं कब तक स्वीकृत करने का विचार रखती है तथा उक्त योजनाओं से कौन-कौन से ग्राम लाभान्वित होंगे?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र, भादरा की प्रस्तावित 5 पेयजल योजनाओं का वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) (अ) उक्त पुनर्गठित/संवर्धन क्षेत्रीय जल योजनाएं तकनीकी जांच प्रक्रियाधीन है।

(ब) उक्त योजनाओं में सम्मिलित गांवों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में समाहित है।

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र भादरा की विचाराधीन पेयजल योजनाओं का विवरण

क्रम संख्या	प्रस्तावित पेयजल योजना का नाम	अनुमानित लागत रु. लाख में	योजना में सम्मिलित कुल ग्राम	विधान सभा क्षेत्र भादरा के ग्राम	स्तर जहां योजना विचाराधीन है
1.	5.0 पी.पी.एम. से अधिक फ्लोराइड युक्त गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना	99.77	13 (विधान सभा क्षेत्र भादरा के 3 ग्राम)	5 बी आर डब्ल्यू	राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंध, मण्डल, जयपुर में तकनीकी जांच प्रक्रियाधीन
				4 बी आर डब्ल्यू	
				2 के आर पी	
2.	पुनर्गठित क्षेत्रीय जल योजना, गांधी बाड़ी-भोजासर	525.00	23 (विधान सभा क्षेत्र भादरा)	6 एस डी आर	राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंध, मण्डल, जयपुर में तकनीकी जांच प्रक्रियाधीन
				7 एस डी आर	
				8 एस डी आर	
				10 एस डी आर	
				2 एस डी आर	
				3 एस डी आर	
				4 एस डी आर	
				6 बारानी	

1	2	3	4	5	6
	पुनर्गठित क्षेत्रीय जल योजना, गांधी बाड़ी-भोजासर	525.00	23 (विधान सभा क्षेत्र भादरा)	1 बी एच डी	राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंध, मण्डल, जयपुर में तकनीकी जांच प्रक्रियाधीन
				2 बी एच डी	
				3 बी एच डी	
				4 बी एच डी	
				5 बी एच डी	
				1 के आर पी	
				7 बारानी	
				1 एम एस आर	
				2 डी पी एन	
				4 डी पी एन	
				5 बारानी	
				2 एम एस आर	
				9 एस डी आर	
				1 डी पी एन	
				3 डी पी एन	
3.	पुनर्गठित क्षेत्रीय जल योजना, गोगामेड़ी	390.66	7 (विधान सभ क्षेत्र भादरा के 2 ग्राम)	सरदारगढिया (7 एम एस आर)	राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंध, मण्डल, जयपुर में तकनीकी जांच प्रक्रियाधीन
				मुन्सरी (12 एम एस आर	

1	2	3	4	5	6
4.	पुनर्गठित क्षेत्रीय जल योजना, घेऊ-जाटान	335.09	4 (विधान सभा क्षेत्र भादरा)	जाटान	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, बीकानेर द्वारा सक्षम स्तर को भेजने से पूर्व जांच प्रक्रिया में
				हुणतपुरा	
				रासलाना	
				घेऊ	
5.	पुनर्गठित क्षेत्रीय जल योजना उतरादाबास	481.58	9 (विधान सभा क्षेत्र भादरा)	उतरादाबास	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, बीकानेर द्वारा सक्षम स्तर को भेजने से पूर्व जांच प्रक्रिया में
				मोठसरा	
				मोमनवास	
				चनान	
				भांगवा	
				डोबी	
				गंगासिंहपुरा	
				स्वामियों की ढाणी	
				पचारवाली	

पाली जिले के प्रस्तावित राजस्व ग्राम

689. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा ढाणियों को नए राजस्व ग्राम घोषित करने के लिये क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा गत 10 वर्षों में पाली जिले में कोई नये राजस्व ग्राम घोषित किये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वर्तमान में जिला पाली में नये राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मानदण्डों का परिपत्र दिनांक 19.3.2007 परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। सूची परिशिष्ट 'ख' संलग्न है।

(3) मानदण्ड पूरे करने वाले नवीन ग्रामों के प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही हो सकेगी। वर्तमान में कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पूर्व सैनिकों की विधवाओं को भू-आबंटन नियमों में शिथिलता

690. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उपनिवेशन विभाग द्वारा अप्रैल, 2007 में भूतपूर्व सैनिकों को तहसील रामगढ़ में भूमि आबंटन करने हेतु नोटिस जारी किये गये थे? यदि हां, तो किस-किस को? नाम पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों को आबंटन जारी होने के पूर्व मृत्यु होने पर उनकी विधवाओं को भूमि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को भूमि आबंटन करने हेतु नियमों में शिथिलता प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। अप्रैल, 2007 में उपनिवेशन तहसील रामगढ़ में आबंटन हेतु नोटिस जारी नहीं किये गये हैं।

(2) जी नहीं। आबंटन आदेश जारी होने से पूर्व यदि किसी भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु हो गई है तो उसकी विधवा को आबंटन करने का प्रावधान नहीं है।

(3) ऐसा कोई बिन्दु विचाराधीन नहीं है।

ग्राम नींदड़ तहसील आमेर की मंदिर माफी भूमि का बेचान

691. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम नींदड़ तहसील आमेर जिला जयपुर में कितने मंदिरों के नाम मन्दिर माफी की भूमि दर्ज है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन मन्दिर माफी की भूमियों का बेचान कर दिया गया है? यदि हां, तो इस संबंध में किन-किन के विरुद्ध कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम नींदड तहसील आमेर में 6 मंदिरों की 44.62 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार दर्ज है-

क्र.सं.	नाम मंदिर	रकबा हैक्टेयर में
1	मंदिर श्री नृसिंह जी	18.41
2	मंदिर श्री मोहन लाल जी	4.10
3	मंदिर श्री रघुनाथ जी	16.63
4	मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी	4.12
5	मंदिर श्री बालाजी	0.68
6	मंदिर श्री शनिचर जी	0.68
		44.62

(2) उक्त मंदिरों की 44.62 हैक्टेयर भूमि में से 31.97 हैक्टेयर भूमि का विभिन्न व्यक्तियों को बेचान हुआ है जिसमें 32 व्यक्तियों के विरुद्ध रेफरेन्स प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं। सूची परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जैसलमेर जिले के प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम

692. श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा गत 4 वर्षों में जैसलमेर जिले में अब तक कितने राजस्व गांव घोषित किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्व गांव घोषित करने के लिये कितने प्रस्ताव तहसील/उपखण्ड/जिला कलक्टर/सरकार के विचाराधीन हैं?

(3) क्या सरकार राजस्व गांव घोषित करवाने के लिए विचाराधीन प्रस्तावों का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत 4 वर्षो में अब तक जैसलमेर जिले में 90 नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये गये हैं। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए तहसील स्तर पर 17 प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

(3) राज्य स्तर पर वर्तमान में जैसलमेर जिले में नवीन राजस्व ग्राम का कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है। राजस्व मण्डल के माध्यम से प्रस्तव प्राप्त होने पर नियमानुसार नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

परिशिष्ट 'अ'

सरकार द्वारा गत चार वर्षों से आदिनांक जिला जैसलमेर में घोषित नवीन राजस्व ग्रामों की सूची

1	नीम्ब की ढाणी	9	नया रासला
2	रातड़िया की ढाणी	10	नागाणां
3	खाभिया	11	लीला पारेवर
4	परताणियों की बस्ती	12	हसन का गांव
5	गोविन्दसिंहपुरा	13	दामपुरा
6	नया मलका	14	विजयनगर
7	मालकोट	15	दिलावर का गांव
8	हस्तिनापुर	16	किशनपुरा

17	नया लूणांकला	48	तिलक नगर
18	मुकनसर	49	जवाहर नगर
19	फतेहनगर	50	रामसिंहनगर
20	गोविन्दगढ़	51	ब्रह्मनगर
21	केशरसिंह का तला	52	जगदीशपुरा
22	सुकबाकोट	53	समतानगर
23	चानणगढ	54	रामपुरा
24	समेलनगर	55	सिंहपुजराजपुरा
25	रतन का गांव	56	श्री भंवरनगर
26	वीरसिंह की ढाणी	57	अभयनगर
27	नवलसिंह का गांव	58	सुल्तानपुर
28	हीरगढ़	59	भावलनगर
29	प्रतापपुर	60	रहीमपुरा
30	अर्जनसर	61	कलरों की ढाणी
31	सैनिक नगर	62	टावरी नगर
32	मनुज नगर	63	गोसरसूल नगर
33	सुख नगर	64	आमदफजल नगर
34	अम्ब नगर	65	सोनिया नगर
35	करणी नगर	66	बरसल नगर
36	सम्पत नगर	67	करतार नगर
37	जोरावरसिंहपुरा	68	लालेखां की ढाणी
38	केसरीसिंहनगर	69	गाजी रहीमपुर
39	भगतसिंह नगर	70	केहर फकीर की ढाणी
40	गोडेरासर	71	खूमसिंह की नगर
41	कृष्ण नगर	72	जोगराजगढ़
42	गायत्री नगर	73	बालासर
43	बांकलसर	74	प्रेमासर
44	नरेन्द्र नगर	75	झूबरखा
45	कल्याणपुरा	76	धर्मासर
46	पूर्ण नगर	77	भूरपुरा
47	श्याम नगर	78	सोढासर

79	पनुवानाड़ा	85	जीवराजसिंह की ढाणी
80	दीनासर	86	गजुओं की बस्ती
81	जालोड़ा सोनपुरा	87	लोरडीसर
82	मोबतासर	88	नया अचला
83	नाहरखानसर	89	लखाराम का गांव
84	काजासर	90	लाखाणियों की ढाणी

सीकर जिले में नई उप तहसीलों का गठन

693. श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जिला सीकर में नई उप तहसीलें खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला सीकर में लोसल व पाटन को नई उप तहसील बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। तहसील खोलने के लिए क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति तथा राज्य के वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए विचार किया जाता है। अभी ऐसे प्रकरणों को विचारार्थ नहीं लिया गया है।

किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में जमीनों की पैमाईश के लम्बित प्रकरण

694. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में विगत एक वर्ष में कितने-कितने किसानों द्वारा जमीनों की पैमाइश कराने के आवेदन तहसीलों में दिये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदनों में कितने-कितने किसानों की जमीन की पैमाइश की गई व कितने किसानों की नहीं?

(3) उक्त जमीनों की पैमाइश नहीं करवाने के क्या कारण रहे व इनमें कौन-कौन कर्मचारी दोषी है? क्या सरकार दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में विगत एक वर्ष में तहसील किशनगंज में 336 एवं तहसील शाहबाद में 180 आवेदन कुल 516 किसानों ने जमीनों की पैमाइश कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये। सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) उक्त आवेदनों में से 508 किसानों की जमीन पर पैमाइश की गई एवं 8 आवेदन पैमाइश करने से शेष हैं।

(3) 8 प्रकरण 4 ग्रामों से संबंधित हैं। इन ग्रामों के नक्शे जीर्ण-शीर्ण होने के कारण पैमाइश नहीं हो पाई है।

दीगोद विधान सभा क्षेत्र की उप तहसील कनवास का तहसील में क्रमोन्नयन

695. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रदेश में परिसीमन आयोग द्वारा माह अगस्त, 2002 से नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन/ पुनर्गठन पर प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया है?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दीगोद में स्थित उप तहसील कनवास जहां रियासत के समय में तहसील हुआ करती थी जहां आज भी तहसील खोलने हेतु पर्याप्त राजस्व कार्य है तथा 94 गांव इस उप तहसील सीमा में आते हैं, जिनकी जनसंख्या करीब 61,809 से अधिक है? क्या वहां सरकार उप तहसील के स्थान पर तहसील बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। तहसील के गठन/पुनर्गठन के लिए क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति के साथ राज्य के वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए विचार किया जाता है, अभी इन प्रकरणों पर विचार नहीं किया जा रहा है।

श्रीडूंगरगढ़ तहसील में सीमा ज्ञान हेतु थियोडोलाइट मशीन की सुविधा यंत्र देने हेतु

996. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मंगलाराम गोदारा)

(1) क्या सरकार काश्तकारों के हितों एवं झगडों को कम करने की दृष्टि से सीमाज्ञान के लिए आधुनिक यंत्र देने का विचार रखती है? यदि हां, तो अब तक राज्य में कितनी तहसीलों में थियोडोलाइट मशीन उपलब्ध करवाई गई तथा कितनी प्रस्तावित हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार श्रीडूंगरगढ़ तहसील में उक्त सीमाज्ञान हेतु उक्त यंत्र देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) काश्तकारों के सीमाज्ञान से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण हेतु वर्तमान में पारम्परिक यंत्रों से ही सीमाज्ञान करवाया जाता है, अभी भू-प्रबन्ध विभाग में दो आधुनिक मशीनें (ETS) उपलब्ध करवाई गई हैं। उनकी उपयोगिता विश्लेषण प्रतिवेदन के परिणाम आने पर तहसीलों में नए उपकरण उपलब्ध करवाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) खण्ड एक के अनुसार।

अजमेर जिले में सी.एन.जी. पम्प की स्थापना

697. श्री गोपाल लाल धोबी (केकड़ी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गैस एजेन्सी आबंटन एवं निरस्त करने के लिये क्या मानदण्ड निर्धारित हैं?

(2) जिला अजमेर में कुल कितने पैट्रोलियम गैस वितरक हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला अजमेर में सी.एन.जी. के कितने पम्प हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार अजमेर में सी.एन.जी. पम्प खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गैस एजेन्सी का आबंटन तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी नीति के अनुसार किया जाता है। गैस एजेन्सी का निरस्तीकरण तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइड लाइन (एमडीजी 2001) के अनुसार किया जाता है।

(2) जिला अजमेर में कुल 26 गैस एजेन्सी हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) जिला अजमेर में सी.एन.जी. का कोई पेट्रोल पम्प नहीं है। वर्तमान में आयल कंपनियों की अजमेर में सी.एन.जी. पेट्रोलियम पम्प खोलने की कोई योजना भी नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जन साधारण की सूचनार्थ नीम-हकीमों की सूची का प्रकाशन

698. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर, 2006 को प्रदेश के नीम-हकीमों की सूचियां समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु आदेश जारी किये गये थे? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त आदेश की पालना में प्रदेश के नीम-हकीमों की सूचियां समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दी गई? यदि हां, तो समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्तियों की प्रति सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2006 को पारित आदेश में जिला अलवर के उन मेडिकल प्रेक्टिशनरों की सूची प्रकाशित करने के आदेश दिये जो योग्यता नहीं रखते हैं। आदेश की पालना में अलवर जिले के ऐसे नीम-हकीम अपंजीकृत चिकित्सकों की सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दी गई एवं प्रकाशित विज्ञप्ति की प्रति परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नर्स/कम्पाउण्डर्स के पदों में आरक्षित वर्ग का बैकलॉग

699. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में महिला नर्स, पुरुष कम्पाउण्डर के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं इन पर कुल कितने व्यक्ति कार्यरत व कितने पद रिक्त हैं? वर्गवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नर्स एवं कम्पाउण्डर के पदों में अनुसूचित जाति, जनजाति का बैकलॉग है यदि हां, तो कितना? क्या सरकार इस बैकलॉग को शीघ्र भरने

(श्री निर्भय लाल)

का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत इन पदों पर नियुक्ति की जा रही है? यदि हां, तो क्या इन नियुक्तियों में बैकलॉग का ध्यान रखा गया है? यदि हां, तो जिलेवार बैकलॉग की स्थिति स्पष्ट करते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियम 3.6.82 में नर्स व पुरुष कम्पाउण्डर के पदों को विलोपित कर पदनाम नर्स श्रेणी द्वितीय किया गया है। राज्य में नर्स श्रेणी द्वितीय के 11449 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 9276 पद भरे हुए हैं तथा 2173 पद रिक्त हैं।

(2) जी हां। नर्स श्रेणी द्वितीय के पदों में 390 अनुसूचित जाति के एवं 438 अनुसूचित जनजाति के पदों का बैकलॉग है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से 1980 चयनित अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त हो गई है तथा नर्स श्रेणी द्वितीय के पदों का बैकलॉग पूर्ण कर लिया जावेगा।

(3) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत 2500 जी.एन.एम. की अनुबन्ध पर नियुक्ति की गई थी जिसमें अनुसूचित जाति के 400 एवं अनुसूचित जनजाति के 300 अभ्यार्थियों का चयन किया गया जिसका कोई बैकलॉग नहीं है।

शेष प्रश्न उपस्थिति नहीं होता है।

उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर मेल नर्स की नियुक्ति

700. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि पूर्व में उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वीकृत मेल नर्स द्वितीय के पद सरकार द्वारा समाप्त कर दिये गये थे? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इन उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर मेल नर्स की नियुक्तियां करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

केन्द्रीय परिवर्तित योजना के अन्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

स्वीकृत नर्स श्रेणी द्वितीय के पद का बजट आबंटन नहीं करने के कारण उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थापित नर्स श्रेणी द्वितीय का वेतन अन्य मदों से आहरण किया जा रहा है। वर्तमान में पदस्थापित नर्स श्रेणी द्वितीय उप स्वास्थ्य केन्दों पर ही कार्यरत हैं।

शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं

701. **श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बालेसर, शेरगढ़ व देचू में चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से व कितने? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा तीनों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्या-क्या उपकरण उपलब्ध करवाए गये तथा भविष्य में और क्या-क्या उपकरण व सामग्री उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बालेसर, शेरगढ़ एचं देचू में स्टाफ के रिक्त पदों का रिक्ति, अवधि सहित संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ट चिकित्सा अधिकारी, नर्स श्रेणी प्रथम, महिला स्वास्थ्य दर्शिका एवं रेडियोग्राफर के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त एवं चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को जिला स्तर पर समेकित वेतन पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से नर्स श्रेणी द्वितीय के चयनित अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त हो चुकी है रिक्त पदों पर पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

लैब टैक्निशियन के रिक्त पदों को नियमित भर्ती के माध्यम से भरने

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

की कार्यवाही पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अस्थाई रोक लगा रखी है रोक हटते ही पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद सीधी भर्ती का है जिसे भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कनिष्ठ लेखाकार का रिक्त पद निदेशक कोष एवं लेखा विभाग द्वारा भरा जाना है।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बालेसर एवं शेरगढ़ में उपलब्ध करवाये गये उपकरणों का संख्या विवरण परिशिष्ट ब पर प्रस्तुत है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बालेसर, शेरगढ एवं देचू में प्रस्तावित उपकरणों की सूची परिशिष्ट-स पर प्रस्तुत है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सरकारी/गैर सरकारी अनुसंधान केन्द्रों की गुणवत्ता के मानदण्ड

702. **डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य की सरकारी व गैर सरकारी अनुसंधान केन्द्रों की गुणवत्ता हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त संस्थाओं द्वारा चिकित्सा जांच के लिए कोई दर निर्धारित की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अनुसंधान केन्द्रों द्वारा की गई जांच रिपोर्ट गलत होने तथा मेडिकल स्टैण्डर्ड के अनुसार न होने की स्थिति में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है? वर्ष 2004 से अब तक राज्य में की गई उक्त कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकारी चिकित्सा संस्थाओं के बाहर अनुसंधान करवाने बाबत सरकार द्वारा कोई परिपत्र जारी किया गया है? यदि हां, तो परिपत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। सरकारी अस्पतालों में होने वाली चिकित्सा जांचों की दरें स्थानीय स्तर पर संबंधित मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) सरकारी लैबोरेटरी द्वारा जांच रिपोर्ट में चिकित्सक को संदेह होने पर जांच दुबारा करवाई जाती है तथा टैक्नीशियन को भविष्य में सावचेती से कार्य करने के निर्देश दिए जाते हैं। कार्यवाही का विवरण राज्य स्तर पर संधारण नहीं किया जाता है।

(4) जी नहीं। सरकारी चिकित्सा संस्थाओं के बाहर अनुसंधान करवाने बाबत कोई परिपत्र जारी नहीं हुआ है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सादड़ी में ब्लड बैंक की स्थापना

703. **श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1999 से 2003 तक तथा 2004 से 2008 की अवधि में राज्य में कितने ब्लड बैंकों की स्थापना की गई? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सादडी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ब्लड बैंक स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1999 से 2003 तक 16 एवं 2004 से 29.02.2008 तक 18 अनुज्ञापत्र ब्लड बैंकों हेतु जारी किये गये है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सादडी में रक्त संग्रह इकाई (ब्लड स्टोरेज यूनिट) स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिसके लिये ब्लड बैग रेफ्रिजरेटर तथा जनरेटर सेट उपलब्ध कराये गये हैं।

तहसील नावां में जलाई गई दवाओं की जांच हेतु गठित समिति

704. **श्री हरीशचन्द्र कुमावत** (नावां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सितम्बर, 2007 में नावां तहसील के ग्राम काकोट की पहाड़ी घाटी के नजदीक पुराने हौज में जलाई गई सरकारी दवाइयों की जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी? यदि हां, तो जांच में कौनसी दवाइयां होनी पाई गई?

(2) इस प्रकरण में जलाई गई दवाइयों का मूल्य कितना था तथा यह दवाइयां किसके नियंत्रण में थी?

(श्री हरीशचन्द कुमावत)

(3) क्या इस प्रकरण की एफ.आई.आर. पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी? यदि हां, तो कब व उसका नतीजा क्या रहा? यदि एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवाई गई, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जांच दल को सरकारी दवाइयां जो अर्द्ध जली अवस्था में लावारिस हालत में जांच स्थल पर पड़ी हुई मिलीं। इनकी सूची परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जो दवाईयां जल चुकी थीं तथा अर्द्ध जली अवस्था में थीं उनकी मात्रा का सही आंकलन नहीं होने के कारण दवाईयों की राशि का पूर्ण मूल्यांकन किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है।

उक्त दवाइयां किसके नियंत्रण में थी इसके आंकलन के लिए विस्तृत जांच करवाई जा रही हैं। जांच परिणामों के बाद ही नियंत्रण की जिम्मेदारी तय हो सकेगी।

(3) जी नहीं। उक्त प्रकरण वर्तमान में विभागीय जांच में प्रक्रियाधीन है। जांच के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र भीमड़ा (बाड़मेर) हेतु भवन

705. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भीमड़ा तहसील बायतू जिला बाडमेर में भवन निर्माण हेतु जमीन आवंटित कर दी गई है? यदि हां, तो, अब तक भवन नहीं बनाये जाने के क्या कारण है?

(2) क्या यह भी सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भीमड़ा के अलावा लगभग सभी जगहों पर पक्के भवन बन चुके हैं? यदि नहीं, तो कहां-कहां भवन नहीं बने? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भीमड़ा (बाड़मेर) का पक्का भवन बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में वर्तमान में 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

भवन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन के अनुरूप निर्मित नहीं हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति उपलब्ध वित्तीय प्रावधान के आधार पर चरणबद्ध रूप से जारी की जाती है।

(2) जिला बाड़मेर में वर्तमार में 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन के अनुरूप निर्मित नहीं हैं। जिनमें से वित्तीय वर्ष 2007-08 में 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं। शेष 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिनके भवन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के अनुरूप निर्मित नहीं हैं उनके नामों का विवरण निम्न प्रकार है :

1. नीमड़ा
2. खण्डप
3. नवातला
4. अराबा चौहान
5. पारलू
6. दाखा

(3) जी हां। आगामी वित्तीय वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भीमड़ा के भवन निर्माण करवाये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

बाय-कोलसिया (नवलगढ़) क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत

706. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में नवलगढ़ से गुढा गौडजी रोड पर बाय से कोलसिया रोड जगह-जगह टूट गई है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सडक की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) सरकार द्वारा गत 10 वर्षों में उक्त सड़क की मरम्मत पर कितना कितना व्यय कब-कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में नवलगढ़ से गुढा गौडजी

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

रोड पर बाय से कोलसिया सड़क कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुई है। आवश्यक मरम्मत करा दी गई है।

(2) गत 10 वर्षों में उपरोक्त सडक पर निम्न प्रकार व्यय किया गया है :-

वर्ष	व्यय राशि (लाखों में)
1997-98 से 2001-02	शून्य
2002-03 में	0.49
2002-03 में	12.51
2004-05 से वर्ष 2006-07	शून्य

चौमूं बाइपास सड़क निर्माण हेतु स्वीकृति

707. **श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार प्रस्तावित चौमूं बाइपास जिस हेतु जमीन का अधिग्रहण कर किसानों को मुआवजा भी दे दिया गया है, का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। इसका निर्माण कार्य भारतीय रा.रा. मार्ग प्राधिकरण जो कि भारत सरकार का उपक्रम है के द्वारा अपनी कार्य योजना में सम्मिलित किया है। जिसके अन्तर्गत इस मार्ग को चार लेन में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त कार्य की निविदायें भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आमंत्रित की जा चुकी हैं।

तोपदड़ा रेलवे क्रोसिंग, अजमेर पर ओवर ब्रिज निर्माण

708. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अजमेर शहर की बढ़ती यातायात समस्या के समाधान हेतु तोपदड़ा रेलवे क्रोसिंग पर ब्रिज निर्माण की योजना स्वीकृत की गयी है? यदि हां, तो इस ब्रिज निर्माण का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाएगा?

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार द्वारा इस कार्य हेतु रुपये 13.00 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 10.03.2007 को जारी की गई है। यह कार्य आर.एस.आर.डी.सी. के माध्यम से किया जाना है। इस कार्य की जी.ए.डी. स्वीकृति हेतु रेलवे अधिकारियों को भेजी गयी थी, परन्तु रेलवे ने अपने पत्र दिनांक 23-11-2007 द्वारा यह एतराज लगाते हुए, जी.ए.डी. लौटा दी है कि इस आर.ओ.बी. से फ्रेजर रोड (रेलवे रोड) पर यातायात बढ़ जावेगा जो कि रेलवे के हित में अवांछित है। अतः ब्रिज का निर्माण कार्य रेलवे द्वारा जी.ए.डी. मंजूर करने पर निर्भर करेगा।

सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में सड़क रहित ग्राम

709. **श्री अर्जुन लाल मीणा** (सलूम्बर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कितनी आबादी के गांव प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जोड़े गये व कितनी सड़कों का कार्य प्रगति पर है तथा कितने राजस्व गांव सड़कों से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जुड़े गांवों के अलावा उपखण्ड के अन्तर्गत कितने गांव सड़क से वंचित हैं?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में वर्ष 2001 की जनगणनानुसार 500 से अधिक आबादी के 53 गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ा जा चुका है। (जोड़े गये गांवों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।) 325 से 449 तक की आबादी के 14 गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है एवं 250 से 324 तक की आबादी के 9 गांवों को जोड़ने की स्वीकृति प्राप्त है एवं निविदा प्रक्रियाधीन है। (विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।) उक्त 23 गांवों को माह दिसम्बर, 2008 तक सड़क मार्ग से जोड़ा जाना सम्भावित है। विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में 250 से कम आबादी के 13 राजस्व गांव सड़कों से वंचित हैं। सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(2) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जुड़े गांवों के अलावा उपखण्ड के अन्तर्गत 250 से कम आबादी के 34 गांव सड़क मार्ग से वंचित हैं। (विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।) राज्य सरकार ने अपने स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया है कि रेगिस्तानी व जनजाति क्षेत्रों के समस्त गांवों को सड़कों से जोड़े जाने का कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम गोगपुरा-जैथल (बून्दी) हेतु सड़क निर्माण

710. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले के ग्राम गोगपुरा (रिहाणा) से जैथल के मध्य स्थित रास्ते में सड़क निर्माण तथा इस रास्ते में जैथल के पास स्थित कुरल नदी पर पुल निर्माण कार्य होने पर राजमार्ग संख्या 34 से राजमार्ग संख्या 33 के मध्य स्थित गांवों के लिए सडक निर्माण अति उपयोगी होगा? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जाएगी?

(2) उक्त सम्पर्क सड़क की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए इस सड़क एवं पुलिया का निर्माण किस योजना में कब तक करवा लिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। इस सड़क का डामरीकरण एवं पुलिया निर्माण राज्य सरकार की प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

(2) उक्त निर्माण राज्य सरकार की प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

शाहपुरा-विजयनगर मार्ग का डामरीकरण

711. **श्री रामरतन बैरवा** (शाहपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) शाहपुरा (भीलवाड़ा) से विजयनगर मार्ग (वाया तहनाल, खामौर, बिलीया घट्टा) पर कितने किलोमीटर सड़क नहीं है?

(2) क्या सरकार उक्त मार्ग पर सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक? व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) शाहपुरा (भीलवाड़ा) से विजयनगर मार्ग वाया तहनाल, खामौर, बिलिया घरटा 16 किलोमीटर कच्चा रास्ता है।

(2) इस सडक के छूटे हुए 16 कि.मी. के भाग को पूर्ण कराना राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं कार्य की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

महुवा-कैला देवी (करौली) क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत

712. **श्री सुरेश मीणा** (करौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री सुरेश मीणा)

(1) क्या यह सही है कि महुवा से जिला करौली में स्थित तीर्थ स्थल कैला देवी को जाने वाली मुख्य सडक की स्थिति बहुत खराब है? यदि हां, तो कब से व क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त तीर्थ स्थल पर हजारों तीर्थ यात्री रोजाना आते जाते रहते हैं तथा करौली जिला मुख्यालय होने के कारण वाहनों का आवागमन रहता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सडक का पुनः डामरीकरण करवाने तथा साईड में कच्ची सड़क बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क काफी समय से खराब पड़ी हुई है? यदि हां, तो इसमें कौन दोषी है? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। महुआ से जिला करौली में स्थित तीर्थ स्थल कैला देवी को जाने वाली सड़क का मासलपुर मोड़ से कैला देवी मोड़ तक 10.00 कि.मी. लम्बाई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11-बी का भाग है, जो ज्यादातर शहरी क्षेत्र करौली से होकर गुजरता है एवं शहरी भाग में पानी का निकास नहीं होने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त है।

(2) जी हां। पुनः डामरीकरण हेतु राज्य उच्चमार्ग संख्या-22 करौली-हिण्डौन-महुआ के कि.मी./43/0 से 69/0 के डामरीकरण का प्रस्ताव केन्द्रीय सड़क निधि योजना में रुपये 524.00 लाख एवं रा.रा. मार्ग 11-बी पर चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य मय ड्रेन रुपये 800.00 लाख का केन्द्र सरकार भूतल परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय को भिजवाये गये हैं। साईड में कच्ची सड़क का बनाना राज्य के उपलब्ध संसाधनों व पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर है।

(3) जी नहीं। सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1- बी का भाग क्षतिग्रस्त है। उक्त सड़क पर समय-समय पर आवश्यकतानुसार पेच रिपेयर कार्य किया जाता रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति के लिये इस भाग का डामरीकरण/सुदृढ़ीकरण न होना व पानी/वर्षा एवं अत्यधिक भारी वाहनों का आवागमन है।

नाते/पति को छोड़कर जाने वाली महिलाओं के पूर्व पति की विरासत में हक

713. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विरासत में जो उत्तराधिकारी का नाम लगता है और कोई महिला अगर नाते या दूसरी जगह अपने पति को छोड़कर चली जावे तो क्या उसका नाम विरासत में इन्द्राज रह सकता है?

(2) क्या सरकार नाते या पति को छोड़कर चले जाने वाली महिला का नाम विरासत में इन्द्राज नहीं करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उत्तराधिकार का निर्धारण क्रमश: हिन्दुओं के लिये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, मुसलमानों के लिये मुस्लिम वैयक्तिक विधि और अन्य के लिये भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अधीन होता है। पति और पत्नि के बीच उत्तराधिकार का प्रश्न दोनों के पति पत्नि के संबंध के आधार पर निर्धारित होता है। इसलिए यदि पत्नि पति को विवाह विच्छेद के बिना छोडकर चली जाती है तो उसका विरासत का हक समाप्त नहीं होता है और यदि विवाह विच्छेद हो जाता है तो वे एक दूसरे के उत्तराधिकारी नहीं रहते हैं।

(2) विरासत, विवाह और विवाह विच्छेद के संबंध में या तो वैयक्तिक विधि के प्रावधान लागू होते हैं या फिर केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। इसलिए उक्त प्रश्न का समाधान उक्त कानूनी प्रावधानों के अनुसार न्यायालय द्वारा किया जाना होता है।

खारची विधान सभा क्षेत्र में निर्माणाधीन एनिकट/नहरें

714. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में जनवरी, 2004 से अब तक कितने एनिकटों तथा नहरों का निर्माण कब-कब और कहां-कहां पर कितनी लागत का कराया गया? कार्यों की सूचना वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कितने एनिकटों/नहरों का कार्य चल रहा है तथा

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

इनके कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है व कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित हैं? प्रस्तावित कार्यों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खारची विधान सभा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग द्वारा जनवरी, 2004 से अब तक 20 एनिकटों का निर्माण करवाया गया है। वर्षवार विवरण मय लागत परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में एक एनिकट का कार्य चल रहा है एवं एक एनिकट का शेष कार्य को पूर्ण करवाने हेतु संवेदक को कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने की सम्भावना है। इन कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है तथा अन्य प्रस्तावित कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलगन है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य

715. **श्री मुरारीलाल मीणा** (बांदीकुई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में दिनांक 1 अप्रैल, 2003 से 31 जनवरी, 2008 तक कौन-कौनसी योजनाओं में, कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य कहां-कहां पर सम्पन्न कराये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कौन-कौनसी योजनाओं में कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य कहां-कहां पर प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1 अप्रैल, 2003 से 31 जनवरी, 2008 तक विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में जल संसाधन विभाग द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में स्थानीय स्तर पर 29 एनिकटों के प्रस्ताव अन्वेषण (जांचाधीन) में है। मापदण्डों के अनुरूप उपादेय पाये जाने के उपरान्त संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाना सम्भव होगा जिसका विवरण प्रपत्र 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

माही डेम की क्षतिग्रस्त दाईं मुख्य नहर से प्रभावित कृषकों को मुआवजा

716. श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि माही डेम की दाईं मुख्य नहर से पीयत होने वाले गांवों की भूमि गांव व नाला, कूवानिया, भवरवोड, चडला, केहरी, जगपुरा, मगेलापाड़ा, पढ़ोली, राठौड़ के गांवों की जमीन, नहर की टूट-फूट के कारण पानी सीपेज होने से फसलें नष्ट हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उन गांवों का सर्वे करा नष्ट हुई फसलों का मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं।

खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र के प्रस्तावित एनीकट/बांध

717. श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 2004 से अब तक विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में कितने एनीकट/बांध स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन एनीकट/बांधों के प्रस्ताव सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाये गये हैं, क्या सरकार उन्हें स्वीकृति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जनवरी, 2004 से अब तक विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में 15 एनीकटों के कार्य राशि 131.90 लाख रुपये के स्वीकृत किये गये जिनका विवरण प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

(2) माननीय विधायक महोदय द्वारा 20 एनिकटों के प्रस्ताव दिये गये जो स्थानीय स्तर पर अन्वेषण (जांचाधीन) में है। मापदण्डों के अनुरूप उपादेय पाये जाने के उपरान्त संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृत किये जाने सम्भव होंगे।

प्रपत्र 'अ'

जनवरी, 2004 से अब तक विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में स्वीकृत किये गये कार्यों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि लाख रुपये में	विशेष विवरण
1	बैरा की ढाणी एनीकट	10.00	कार्य पूर्ण
2	कुरावाला फोल एनीकट	08.25	कार्य पूर्ण
3	खोह नाला एनीकट	11.00	कार्य पूर्ण
4	कालोरा एनीकट	10.00	कार्य पूर्ण
5	अजीत समन्ध बांध जीर्णोद्धार	10.00	कार्य पूर्ण
6	झोझु एनीकट	08.50	कार्य पूर्ण
7	रोजड़ा एनीकट जीर्णोद्धार	03.00	कार्य पूर्ण
8	राम कुमार मांदरोपुरा एनीकट	07.50	कार्य पूर्ण
9	भैयावाला एनीकट नागोलिया गुजरवास	09.00	कार्य पूर्ण
10	गोरीर एनीकट	07.50	कार्य पूर्ण
11	बगोडियो की ढाणी एनीकट जीर्णोद्धार	04.00	कार्य पूर्ण
12	बीलवा एस.एस.डी. एवं 2 इर्न्वप्ड वैल निर्माण	07.30	कार्य पूर्ण
13	चीरानी एनीकट राजौता	10.00	कार्य पूर्ण
14	मोडो ईलाखर बांध जीर्णोद्धार	14.85	कार्य पूर्ण
15	अजीत सागर फीडर जीर्णोद्धार	11.00	कार्य पूर्ण
	योग	**131.90**	

कपासन विधान सभा क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पदस्थापित कार्मिक

718. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में कितनी क्रय-विक्रय सहकारी समितियां हैं?

(श्री बद्रीलालाल जाट)

उनमें व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक के कितने-कितने पद सृजित हैं व कितने कार्यरत व कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र कपासन में किस-किस ग्राम सेवा सहकारी समिति में कौन-कौन अध्यक्ष, व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में 6 क्रय-विक्रय सहकारी समितियां कार्यरत हैं। प्रत्येक क्रय-विक्रय सहकारी समिति में एक-एक व्यवस्थापक का पद सृजित है। किसी भी क्रय-विक्रय सहकारी समिति में सहायक व्यवस्थापक का कोई पद सृजित नहीं है।

इन समितियों में से एक समिति में व्यवस्थापक कार्यरत है शेष 5 समितियों में व्यवस्थापक के पद रिक्त हैं। इन समितियों में विभागीय निरीक्षकों को अतिरिक्त कार्यभार दे रखा है।

(2) विधान सभा क्षेत्र कपासन में कार्यरत ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत अध्यक्ष, व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र कपासन में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत अध्यक्ष, व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक की सूचना निम्नानुसार है

क्र. सं.	नाम समिति	अध्यक्ष का नाम	व्यवस्थापक का नाम	सहायक व्यवस्थापक का नाम
1	बामनिया	देवीलाल भट्ट	सुरेश चन्द्र भट्ट	प्रवीण भट्ट
2	धमाना	जगदीश चन्द्र जाट	माधव लाल लुहार	सुरेश चन्द्र शर्मा
3	मुंगाना	जमना लाल टांक	लाल सिंह	भैरू लाल लुहार
4	रोलिया	माधव लाल अहीर	रामेश्वर लाल पारीख	मोहन लाल जाट

1	2	3	4	5
5	निम्बाहेड़ा	किशन लाल जाट	लक्ष्मी लाल अहीर	भेरू गिरी
6	कपासन	गोविन्द बारेगामा	सुरेश भट्ट	-
7	लांगच	बद्री लाल जाट	डाल चंद डांगी	मिट्ठू लाल डांगी
8	जयसिंहपुरा	भेरू लाल जाट	रामेश्वर लाल शर्मा	नंदलाल शर्मा
9	पाण्डोली	प्रेम सिंह	-	शंकर लाल गूजर
10	सिंहपुर	बद्री लाल जाट	श्याम लाल शर्मा	-
11	चाकूडा	ताराचंद कीर	-	भेरू लाल ढोली
12	हथियाना	नारायण लाल लुहार	भेरू लाल शर्मा	-
13	सुरपुर	भेरू लाल जाट	-	पुष्कर शर्मा
14	ताराखेड़ी	मोहब्बत सिंह	सत्यनारायण शर्मा	-
15	छापरी	नगजी राम जाट	किशन लाल ओझा	-
16	अनोपपुरा	बद्री लाल जाट	रतनलाल गूजर	-
17	बबराना	नारायण लाल गूजर	लक्ष्मी लाल	प्रेम चंद लौहार
18	भोपाल सागर	पुरूषोतम टांक	चंपालाल माली	नानूराम अहीर किशन लाल नाई
19	किसान आकोला	मोहम्मद हुसैन	नानूराम रेगर	जितेन्द्र कुमार
20	चौकड़ी	गुलाब चंद मेनारिया	बाबूलाल शर्मा	पृथ्वीराज जाट

1	2	3	4	5
21	कानाखेड़ा	सम्पत लाल जाट	मोहन लाल खटीक	सत्यनारायण
22	कांकरवा	बाबूदीन	किशन नाथ	अभय सिंह
23	पारी	देशराज गूजर	भेरू लाल शर्मा	चतर सिंह
24	शंकर ताणा	भीम सिंह	-	अमरसिंह
25	सर्वोदय बानसेन	भेरू लाल जाट	अब्बास अली बोहरा	किशन रेबारी
26	भादसोडा	पूरण मल पूर्बिया	-	-
27	नपानिया	संग्राम सिंह	लक्ष्मण सिंह झाला	भंवर सिंह
28	मण्डफिया	कालू लाल जाट	सोहन लाल शर्मा	नाथू लाल नारायण लाल
29	लेसवा	कालू सिंह	सत्यनारायण शर्मा	-
30	चौबे जी का कथारिया	कालूराम गाडरी	रतन लाल शर्मा	-

बारां एवं झालावाड़ जिले हेतु विभिन्न योजनान्तर्गत प्राप्त एवं व्यय राशि

719. श्री प्रमोद जैन ''भायां'' (बारां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा बारां एवं झालावाड़ जिले के लिए वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2007-08 तक कितनी-कितनी राशि की सीलिंग, बजट हेतु निर्धारित की गई? वर्षवार/जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा बारां एवं झालावाड़ जिले को वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2007-08 तक राज्य, केन्द्रीय एवं अन्य योजना मद में कितनी-कितनी राशि आबंटित एवं रिलीज की गई? जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बारां एवं झालावाड़ जिलों में आबंटित एवं रिलीज बजट राशि से

(श्री प्रमोद जैन 'भाया')

विधान सभा क्षेत्रवार कौन-कौन से मद पर कितनी-कितनी राशि आबंटित रिलीज एवं व्यय की गई? जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) बारां एवं झालावाड़ जिलों को आवंटित एवं रिलीज राशि से विधान सभा क्षेत्रवार किस-किस कार्य एवं योजना पर कितनी-कितनी राशि स्वीकृत एवं व्यय हुई? जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) बारां एवं झालावाड़ जिले में निर्माण व अन्य कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि किस-किस विभाग को किस-किस प्रयोजनार्थ एवं कार्य हेतु हस्तांतरित की गई? विधान सभा क्षेत्रवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां एवं झालावाड़ जिले के लिए वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2007-08 तक निर्धारित/आबंटित बजट का वर्षवार जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) बारां एवं झालावाड़ जिले को वर्ष 1999-2000 से 2007-08 तक राज्य केन्द्रीय योजना मद में आबंटित एवं रिलीज की गई राशि का जिलेवार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) बारां एवं झालावाड़ जिलों में विधान सभा क्षेत्रवार आवंटित रिलीज एवं व्यय की गई राशि का जिलेवार व वर्षवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'ब' एवं 'स' पर उपलब्ध है।

(4) बारां एवं झालावाड जिलों में विधान सभा क्षेत्रवार आबंटित एवं रिलीज राशि का योजनावार, जिलेवार एवं वर्षवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'ब' एवं 'स' पर उपलब्ध है।

(5) वर्ष 2006-07 में झालावाड़ जिले में सहकार भवन के निर्माण हेतु राज. राज्य ब्रिज कॉर्पोरेशन, जयपुर को रु. 30.00 लाख हस्तांतरित किये गये। अन्य योजनाओं में आबंटित राशि का विधान सभा क्षेत्रवार वर्षवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'ब' एवं 'स' पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

महाराज गोपालपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर द्वारा विकसित आवासीय योजनाएं

720. **श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

(1) महाराज गोपालपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर द्वारा समिति के गठन के पश्चात जयपुर में कितनी आवासीय योजनाएं काटी गई?

(2) क्या उक्त आवासीय योजनाओं में काटे गये भूखण्डों को नियमानुसार जयपुर शहर के निवासियों को दिया गया है? यदि हां, तो योजनानुसार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त समिति द्वारा जयपुर शहर के अतिरिक्त बाहर के लोगों को भी भूखण्ड आबंटित किये गये हैं? यदि हां, तो उसके क्या मानदण्ड तय किये गये?

(4) क्या सरकार उपरोक्त समिति द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) समिति द्वारा दी गई सूचनानुसार उनके द्वारा गठन के पश्चात 11 योजनाएं सृजित की गई हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। समिति के अनुसार जयपुर में, इच्छुक सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित जयपुर के पते के आधार पर, भूखण्डों का आबंटन किया गया है। योजनावार सदस्यों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। समिति द्वारा उक्तानुसार जयपुर के लिए प्रार्थित निवासियों को ही भूखण्ड आबंटित किये गये हैं।

(4) जी नहीं। वर्तमान में समिति के विरुद्ध कोई शिकायत लम्बित नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

केन्द्रीय सहकारी बैंक बारां की भंवरगढ़ एवं शाहाबाद शाखा द्वारा ट्रैक्टर क्रय हेतु स्वीकृत ऋण

721. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक की भंवरगढ़ एवं शाहाबाद शाखा द्वारा वर्ष 2004 से 2007 की अवधि में किन-किन सदस्यों को ट्रैक्टर ऋण दिया गया ऋणी सदस्यों के नाम पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(2) उक्त सदस्यों को किस-किस तारीख को कितना-कितना ऋण दिया गया? ऋणी सदस्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उकत ऋणी सदस्यों के पास कितनी-कितनी खातेदारी की भूमि किस-किस किस्म की है? सदस्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त ऋणी सदस्यों में से किस-किस ऋणी द्वारा कितना-कितना ऋण का भुगतान माह फरवरी, 2008 तक किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त ऋणी सदस्यों को ऋण देने का इन्द्राज किस-किस सदस्य के राजस्व विभाग के रिकार्ड में किन-किन कारणों से नहीं कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति पलायथा द्वारा दिनांक 5 जनवरी, 2008 एवं 12 जनवरी, 2008 से उक्त ऋणों के संबंध में की गई शिकायत की जांच के क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. भंवरगढ़ एवं शाहाबाद शाखा द्वारा वर्ष 2004 से 2007 की अवधि में कोई ट्रैक्टर ऋण नहीं दिया गया।

(2) उक्त अवधि में कोई ऋण नहीं दिया गया।

(3) उक्त अवधि में कोई ऋण नहीं दिया गया।

(4) उक्त अवधि में कोई ऋण नहीं दिया गया।

(5) उक्त अवधि में कोई ऋण नहीं दिया गया।

(6) अध्यक्ष, ग्राम सेवा सहकारी समिति, पलायथा से प्राप्त शिकायती पत्र दिनांक 5.1.2008 एवं 12.1.2008 के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाहे जाने पर बैंक अधिशाषी अधिकारी, बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा इस बाबत तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बाली विधान सभा क्षेत्र के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में रिक्त पद

722. **श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाली के राजकीय आयुर्वेद औषधालयों में चिकित्सकों, नर्सों, कम्पाउण्डरों, परिचारकों के पद कई वर्षों से

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

रिक्त हैं? यदि हां, तो कहां-कहां कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली में, वर्तमान में 18 विभागीय आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं। इनमें चिकित्सकों के 6 पद, नर्स/कम्पाउण्डर के 6 पद तथा परिचारक के 3 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों का औषधालयवार विवरण परिशिष्ट-क में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) आयुर्वेद चिकित्सक के रिक्त पद भरने पर माननीय उच्च न्यायालय की रोक है। नर्स/कम्पाउण्डर के 419 रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने हेतु अर्थना भेजने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिचारक के रिक्त पद, मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों से भरे जावेंगे।

परिशिष्ट-क

विधान सभा क्षेत्र बाली में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में चिकित्सकों, नर्स/कम्पाउण्डरों व परिचारकों के रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	स्थान औषधालय	अवधि जब से पद रिक्त है।
आयुर्वेद चिकित्सक		
1	बीजापुर	09.4.2007
2	बीसलपुर	10.11.2005
3	भीमाना	15.7.1999
4	गोरिया	20.10.1995
5	कोयलबाव	26.02.2007
6	मालनू	26.2.2003
नर्स/कम्पाउण्डर		
1	नाना	27.11.2005
2	चामुन्डेरी	23.6.2002

क्र.सं.	स्थान औषधालय	अवधि जब से पद रिक्त है।
3	कोठार	06.10.2004
4	लून्दाडा	29.12.2002
5	बीजापुर	28.02.2007
6	खुडाला	30.9.2005
परिचारक		
1	नाना	31.8.2007
2	बीजापुर	30.4.2007
3	भाटून्द	30.4.2007

स्थगित प्रश्न

(सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2008)

कथौड़ी/सहरिया जाति के अन्त्योदय योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवार

374. **श्री दाताराम गुर्जर** (खेतड़ी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सहरिया जाति को अन्त्योदय योजना के तहत दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है? यदि हां, तो क्या इसी क्षेत्र के कथौड़ी जाति के लोगों को भी यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई? यदि हां, तो कब से तथा सहरिया व कथौड़ी जाति के कितने परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं?

उत्तर

जी हां। यह सही है कि जिला बारां के 20557 सहरिया जाति के परिवारों को अक्टूबर, 2004 से एवं उदयपुर जिले की पंचायत समिति झाडोल में 716, कोटड़ा में 364 कुल 1080 कथौड़ी परिवारों को दिनांक 1.6.2006 से अन्त्योदय अन्न योजना अन्तर्गत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलो प्रति परिवार प्रतिमाह गेहूं वितरण कराया जा रहा है।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-339 का विवरण)

आयुर्वेद विभागान्तर्गत आयुर्वेद चिकित्सकों, यूनानी चिकित्सकों एवं नर्स-कम्पा. के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का जिलेवार विवरण

स्थिति दिनांक 31.12.2007

क्र. सं.	नाम जिला	आयुर्वेद चिकित्सक		यूनानी चिकित्सक		नर्स कम्पा.	
		स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	अजमेर	156	26	8	0	218	51
2	नागौर	160	30	5	2	159	63
3	भीलवाड़ा	190	50	1	0	216	98
4	टोंक	104	4	4	1	100	11
5	बीकानेर	106	25	4	0	116	54
6	चूरू	118	13	4	2	118	4
7	श्रीगंगानगर	88	28	0	0	90	33
8	हनुमानगढ़	97	11	2	1	95	8
9	जयपुर-अ	165	3	4	1	186	20
10	जयपुर-ब	162	5	7	0	196	24
11	अलवर	187	7	2	0	204	9
12	झुन्झुनूं	155	20	4	3	150	40
13	सीकर	166	12	3	0	181	36
14	दौसा	99	3	3	2	96	4
15	भरतपुर	147	6	7	6	192	16
16	धौलपुर	54	2	2	0	59	2
17	जोधपुर	129	31	9	1	153	46
18	पाली	141	50	2	0	139	49
19	जालौर	71	24	0	0	68	28
20	जैसलमेर	35	13	2	1	34	19

क्र. सं.	नाम जिला	आयुर्वेद चिकित्सक		यूनानी चिकित्सक		नर्स कम्पा.	
		स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद
21	सिरोही	64	14	1	0	74	29
22	बाड़मेर	94	44	4	2	90	36
23	कोटा	60	6	2	1	71	9
24	बारां	64	18	3	3	72	22
25	बून्दी	64	6	1	0	67	10
26	झालावाड	87	16	3	3	92	30
27	सवाई माधोपुर	89	4	6	2	109	8
28	करौली	79	2	5	1	91	2
29	उदयपुर	182	48	3	2	211	42
30	चित्तौड़गढ़	98	37	2	4	117	48
31	डूंगरपुर	117	39	5	2	153	6
32	बांसवाड़ा	116	25	2	0	135	2
33	राजसमन्द	95	35	0	1	117	39
34	प्रतापगढ़	53	26	1		63	6
	योग	**3792**	**683**	**111**	**43**	**4232**	**904**

परिशिष्ट-2

परिशिष्ट 'अ'

(तारांकित प्रश्न संख्या-343 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का रिक्ति अवधि सहित चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है :-

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति अवधि
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेड़ता सिटी	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन, सर्जरी, नेत्ररोग, शिशुरोग, स्त्रीरोग)	5	1 शिशुरोग	11/05
	ब्लॉक सी.एम.ओ.	1	-	
	चिकित्सा अधिकारी (पी.जी. अस्थी)	1	1	07/05
	चिकित्सा अधिकारी (पी.जी. निश्चेतन)	1	1	07/05
	चिकित्सा अधिकारी	2	-	
	चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1	-	
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन, सर्जरी)	2	2	03/07
	ब्लॉक सी.एम.ओ.	1	-	
	चिकित्सा अधिकारी	2	-	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डागावास	चिकित्सा अधिकारी	1	-	

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति अवधि
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुरडाया	चिकित्सा अधिकारी	1	1	01/08
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेण	चिकित्सा अधिकारी	1	-	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धनापा	चिकित्सा अधिकारी	1	-	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पादुखुर्द	चिकित्सा अधिकारी	1	-	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पादुकलां	चिकित्सा अधिकारी	2	-	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गवारडी	चिकित्सा अधिकारी	1	-	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जसनगर	चिकित्सा अधिकारी	1	-	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बगड	चिकित्सा अधिकारी	2	-	

परिशिष्ट–'ब'

विधान सभा क्षेत्र मेडता के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के वर्ष 2004 से 15 फरवरी, 2008 तक के आउटडोर रोगियों का चिकित्सा संस्थानवार एवं वर्षवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है

चिकित्सा संस्थान का नाम	वर्ष				
	2004	2005	2006	2007	2008 (15 फरवरी, 2008 तक)
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेड़ता सिटी	44962	65184	63588	62730	5217
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रियाबाड़ी	18346	17424	22862	24336	2289
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डागावास	4922	8948	13492	15385	756
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुरडाया	3185	2462	2380	1846	155
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेण	5943	15654	17404	16140	1733
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धनापा	3796	3878	4179	3142	445
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पादुखुर्द	4218	4509	5346	3754	486
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पादुकलां	9127	12009	10836	9252	736
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गवारडी	3223	3750	3825	3351	423
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जसनगर	6589	8589	9763	5862	784
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बगड	6665	7011	4206	3426	423

परिशिष्ट-3

पढ़े हुए माने गये नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

राजसमंद विधान सभा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केलवा को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संदर्भ में

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजसमंद विधान सभा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत केलवा है। जिसकी जनसंख्या 2001 के अनुसार 9137 है एवं राष्ट्रीय उच्च मार्ग आठ पर स्थित है। यह क्षेत्र मार्बल खदानों का बहुत बड़ा केन्द्र है आये दिन घटना दुर्घटना होती रहती है पूरे क्षेत्र के मजदूरों का आना-जाना निरन्तर बना रहता है। साथ ही इसी वर्ष जैन आचार्य श्री महाप्रज्ञजी का विशाल चातुर्मास होने जा रहा है जिसमें लाखों श्रद्धालुओं का आना जाना अनरवत रूप से बना रहेगा।

अतः आपसे मेरा निवेदन है कि राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केलवा को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करना अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही एक एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने एवं राजकीय जिला चिकित्सालय राजसमंद को 100 शैयाओं से 200 शैयाओं में क्रमोन्नत करने व राजसमंद विधान सभा क्षेत्र के सभी चिकित्सालयों में रिक्त पदों की पूर्ति व आवश्यक संसाधनों की पूर्ति की जाने की कृपा करावें।

धन्यवाद।

बंशीलाल खटीक
(राजसमंद)

ईसरदा बांध के ओवरफ्लो पानी को मोरेल एवं डील बांध में डलवाने की व्यवस्था बाबत

महोदय,

निवेदन है कि प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि :

निर्माणाधीन ईसरदा बांध का ओवरपुल पानी को मोरेल बांध एवं डील बांध में लाने की मांग को लेकर तहसील बौली, म.डूंगर, बामनवास एवं लालसोट के किसानों ने पिछले एक डेढ़ साल से कई बार बैठकें कीं और उपरोक्त तहसीलों के किसान इस मांग के सम्बन्ध में निरन्तर आन्दोलनरत हैं ईसरदा बांध के ओवरफूल पानी को डील एवं मोरेल बांध में लाने के लिये जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन भी दिया गया है लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिससे उक्त तहसीलों के किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन हैं कि अगर ईसरदा बांध के ओवरफूल पानी को एक बार उक्त दोनों बांधों में डाल दिया जाता है तो बांध के ओवरपूल पानी को एक बार उक्त दरोनों बांधों में डाल दिया जाता है तो बांध के कमाण्ड एरिया के किसानों को दी हजारों से भी अधिक हैक्टेयर सिंचाई का पानी मिल सकता है। उक्त योजना से ओवरपूल पानी का सदुपयोग भी हो सकेगा तथा किसानों को लाभान्वित भी किया जा सकेगा।

अभी हाल ही में दिनांक 3.2.2008 को किसानों ने आम सभा की थी जिसमें उपरोक्त तहसीलों के किसानों ने निर्णय लिया है कि हमारी उचित मांग को सरकार निर्माणाधीन ईसरदा बांध की योजना में सम्मिलित कर तहसील बौली के डील बांध एवं मोरेल बांध में ओवरपुल पानी को डलवाने की स्वीकृति नहीं मिलती है तो बड़ा आन्दोलन किया जावेगा प्रतिनिधि भी इस उचित मांग से सहमत हैं इस संबंध में मेरा आपसे अनुरोध है कि किसानों इस उचित मांग पर राज्य सरकार गम्भीरता से विचार करते हुए एक समयबद्ध तरीके से ईसरदा बांध को योजना में सम्मिलित करते हुए इस बांध के ओवरपुल पानी को डील एवं मोरेल बांध में डलवाने की व्यवस्था करे जिससे उपरोक्त तहसीलों के हजारों किसानों को लाभान्वित किया गया जा सके।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर माननीय सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

हीरालाल मीणा
(बामनवास)

पिड़ावा की ग्रा.पं. सुनेल की चुंगी पुनर्भरण अनुदान की पिछले 4 वर्ष से बकाया चल रही राशि के भुगतान किये जाने बाबत

महोदय,

माननीय महोदय, विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) के सुनेल

कस्बे में देश की आजादी के पूर्व से ही नगरपालिका विद्यमान थी लेकिन लगभग 20 वर्ष पूर्व सुनेल नगर को नगरपालिका से ग्रा.पं. में तब्दील कर दिया। वर्तमान में सुनेल नगर की आबादी लगभग 13-14 हजार की है सरकार द्वारा चुंगी समाप्त किये जाने के बाद चुंगी के बदले सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में अनुदान आबंटित किया जाता रहा है। लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से ग्राम पंचायत सुनेल को क्षतिपूर्ति अनुदान नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से ग्रा.पं. को अपनी आवश्यक व्यवस्थाऐं कस्बे में बनाए रखने के लिये काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आमजन की अव्यवस्थाओं के चलते परेशानी महसूस करता है।

अतः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्री महोदया से अनुरोध करता हूं कि ग्रा.पं. सुनेल की चुंगी के बदले क्षतिपूर्ति अनुदान की बकाया राशि का आबंटन कराने का कष्ट करें ताकि ग्राम पं. अपने कस्बे में प्रकाश एवं सफाई आदि की समुचित व्यवस्था कर सके।

धन्यवाद।

कन्हैयालाल पाटीदार

(पिड़ावा)

चितरी थाना जिला-डूंगरपुर में मुकदमा नं. 79/07 वापस लेने के संबंध में

महोदयजी,

सादर निवेदन इस प्रकार है कि पुलिस चौकी कुआं थाना चितरी जिला डूंगरपुर में ग्रा.पं. गुन्दलारा में सुश्री पुष्पा पुत्री अखमा मीणा की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या की गई थी। जिस पर थाना चितरी में मु.नं. 58/07 धारा 302 दर्ज हुआ अज्ञात मुल्जिम कि तलाशी जारी जो आज तक जारी है। इस प्रकरण से समाज के कई संगठनों, विभिन्न संस्थाओं परिवारजनों ने जिलाधीश डूंगरपुर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को बार-बार निवेदन किया गया धरने प्रदर्शन हुए परन्तु फिर भी मुल्जिम को पुलिस पकड़ नहीं पाई। इसी प्रकरण के संबंध में एक महीना गुजर जाने के बावजूद जब मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हो सका तो दिनांक 20/5/07 को मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया गया इस एवज में ज्ञापन देने हेतु ग्रा.पं. गुन्दलारा, कुंआ, सेण्डोला, डंगरसारण, नई बस्ती बडगामा आदि आस-पास की सभी ग्रा. पंचायतों के 8-10 हजार लोग

ज्ञापन देने हेतु एकत्रित हुए थे उक्त मौके पर उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा आदि अधिकारियों को जूलुस कुआं में निकालने के बाद वहां के लोगों ने शान्तिपूर्वक ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद में जब लगभग सारे लोग वहां से चले गये। पुलिस ने जा रही भीड़ को अन्धा-धुन्ध मारना चालू कर दिया जिससे जा रही भीड़ ने आक्रोश में आ गई और भीड़ में लोग भागने लगे जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने आगजनी एवं पथराव की घटना शुरू कर दी जिसमें वातावरण बिगड गया।

अत: माननीय उपाध्यक्ष महोदय इस मुकदमे में पुलिस ने बदले की भावना से आस-पास की ग्राम पंचायतों के 45 लोगों के नाम मुकदमें में बिना जांच-पड़ताल किये लिखे दिये। इसलिये आज तक वहां के पुरुष अपने घर बारों को छोड़कर पुलिस द्वारा बार-बार परेशान किये जाने की वजह से भटकते फिर रहे हैं।

अत: माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बिना जांच पड़ताल किये मुकदमें में लिखे 45 लोगों का नाम हटाकर मुकदमें को निरस्त किया जावे ताकि वहां के जनजाति लोग अपने घरों में वापस लौट सकें।

धन्यवाद।

सुशील कटारा
(चौरासी)

कामां विधानसभा क्षेत्र की पेयजल समस्या समाधान बाबत

महोदय,

मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र कामां की पेयजल समस्या के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र कामां में दो तहसील हैं और मेरा विधान सभा क्षेत्र राजस्थान के पूर्वांचल में हरियाणा व उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। आर्थिक, सामाजिक एवं शिक्षा की दृष्टि से पिछडा हुआ यह क्षेत्र अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आज भी पूरी तरह अपेक्षित है। लगभग 2 वर्ष पूर्व राजस्थान की मुख्यमंत्री माननीय वसुन्धरा राजेजी ने भी इस क्षेत्र को समस्याग्रस्त मानते हुए इस क्षेत्र का कई बार दौरा भी किया। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस क्षेत्र की महती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विशेष पैकेज की भी घोषणा की थी जिसमें प्रमुख रूप से विधान सभा क्षेत्र के कस्बा कामां, पहाड़ी, जुरहरा एवं गोपालगढ़ के लिए विशेष रूप से

लगभग 6.50 करोड़ रुपये की पेयजल योजनाएं स्वीकृत करने की घोषणा भी की गई एवं ग्रामीण क्षेत्र में भी आवश्यकतानुसार पंचायतों में भी छोटी-छोटी पेयजल योजनाएं स्वीकृत की थी जो आज भी लम्बित पड़ी हुई हैं। करीब डेढ वर्ष पूर्व कस्बा कामां में नगर पालिका कामां द्वारा वितरण हेतु निर्मित पानी की टंकी ठह गई जिसमें करीब 36 लोगों की मौत भी हुई साथ ही पानी की टंकी ठह जाने के कारण कांमा की पेयजल व्यवस्था भी ठप्प हो गई। आज मुख्य मंत्रीजी की घोषणा में कांमा को पेयजल की स्वीकृति आयोजित भोजन थाली मेले पर एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें उस स्थान पर पेयजल एवं बजट उपलब्ध हो जाने के बाद एवं टंकी के ठह जाने के बाद भी कस्बा कामां की पेयजल व्यवस्था नहीं सुधरी है।

पेयजल के लिए कस्बा कामां में स्वीकृत 3 पानी की टंकी बनाने का काम आज तक भी शुरू नहीं हो सका है जबकि नगर पालिका द्वारा इन टंकियों के निर्माण हेतु जगह भी उपलब्ध करवा दी गई है। माननीय मैंने इस सम्बन्ध में बार-बार पेयजल विभाग के अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित कर उन्हें निर्देशित किया है। किन्तु टंकी निर्माण कार्य अभी भी आरम्भ नहीं हो सका है जबकि अब गर्मी शुरू हो गई है पीने के पानी की आवश्यकता भी बढ़ गई है और पेयजल की व्यवस्था क्षेत्र में गड़बड़ा गई है ऐसी स्थिति में कई बार जन साधारण द्वारा भी प्रदर्शन किया गया है तथा जन आक्रोष कभी भी फूट सकता है।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए यह आग्रह करता हूं कि ग्रीष्मकाल शुरू होने से पहले शीघ्रातिशीघ्र कस्बा कामां में टाकियों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर कस्बा कामां एवं ग्रामीण क्षेत्र को पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करवाई जावे। यदि समय पर व्यवस्था नहीं हुई तो जन आन्दोलन कभी भी भड़क सकता है। जन प्रतिनिधि होने के नाते मुझे भी आन्दोलनकारी जनता के बीच खड़ा होकर जनहित में संघर्ष करना पड़ेगा।

मैं समय रहते मेरे क्षेत्र की जनता की इस समस्या का समाधान करने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

धन्यवाद।

मदन मोहन सिंघल
(कामां)

शिव, जैसलमेर एवं शेरगढ़ में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग

महोदय,

राज्य सरकार ने अपने सवा चार साल के कार्यक्रम में बडी संख्या में

प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रूप में क्रमोन्नत करने, समस्त राजीव गांधी विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने, ग्राम पंचायतों में सैकेण्डरी विद्यालय खोलने सहित शिक्षा जगत में बहुत कीर्तिमान हासिल किये हैं।

जहां तक नये प्राथमिक विद्यालयों का खोलने का विषय है, राज्य सरकार ने काफी विद्यालय खोले हैं। लेकिन राज्य सरकार की नीति के अनुसार एक किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय खोला जायेगा। इस दृष्टि से यह उल्लेखनीय है कि भौगोलिक दृष्टि से विधान सभा क्षेत्र शिव, जैसलमेर, शेरगढ़, चोहटन तथा बाड़मेर में 3 से 6 कि.मी. दूरी के बीच सैकड़ों स्थानों पर विद्यालयों की बहुत ही जरूरत है ढाणियों में बसी हुई है, तथा निवास करने वाले लोग अत्यन्त ही गरीब एवं अनपढ़ हैं। मुझे यह बोलते हुए अत्यन्त दुख हो रहा है कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने राजनैतिक द्वेशता के आधार पर राजीव गांधी पाठशालाएं खोली थी, जहां कई विद्यालयों में नाम मात्र के विद्यार्थी ही है। मोटे तौर पर बाड़मेर जिले शिव विधान सभा क्षेत्र में 200, जैसलमेर विधान सभा क्षेत्र में 200, शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 200, बाड़मेर में 200, तथा चोहटन में 200 नये प्राथमिक विद्यालय शुरू करने की नितान्त आवश्यकता है।

सरकार से अनुरोध है कि शिव, जैसलमेर, चोहटन, बाड़मेर तथा शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्रों में सर्वे कराकर आवश्यकता अनुसार नये प्राथमिक विद्यालय खोलकर अत्यन्त लोक कल्याणकारी कार्य करें।

सधन्यवाद।

जालम सिंह रावलोत
(शिव)

ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी को मातृ शिशु कल्याण केन्द्र को क्रमोन्नत करवाने एवं नवीन पद सृजन के क्रम में

अध्यक्ष महोदय,

नियम प्रक्रिया 295 विशेष उल्लेख के जरिये में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में स्थित राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग की बस्ती के पास एवं शहर के मध्य में स्थित है। इसका भवन अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था। दानदाता को तैयार कर इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया जा चुका है।

शहर की आबादी एवं क्षेत्र को देखते हुए यह स्पष्ट है कि वर्तमान में राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय में कार्यरत सभी इकाइयों में कार्यभार बहुत अधिक है। वर्तमान में इसी विधान सभा सत्र में दौरान मेरे एक अतारांकित प्रश्न के प्रत्युत्तर में यह जानकारी दी कि गत वर्ष ही सिटी डिस्पेन्सरी से 12362 रोगियों को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान में यहां पास में ही और कई कॉलोनियों के विकसित होने से कार्यभार की अधिकता बढ़ रही है जिससे आकस्मिक घटना के समय आने वाले सामान्य रोगी को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है और उसे अपने इलाज के लिए अमृतकौर चिकित्सालय पर निर्भर रहना पड़ता है या अन्य स्थिति में उसे किसी बड़ी घटना का शिकार बनना पड़ता है।

राज्य सरकार की मंशा है कि सभी को चिकित्सा सुलभ रूप से उपलब्ध हो इसको पूरी करने के लिए ब्यावर में राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय के अलावा कई विकल्प होना चाहिए। अतः ब्यावर में कार्यरत सिटी डिस्पेन्सरी को मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के रूप में क्रमोन्नत करवाया जाना अति आवश्यक है। अतः इसे क्रमोन्नत करने एवं मापदण्डानुसार आवश्यक स्टाफ के नवीन पद सृजित कर उनके पदस्थापन के क्रम में उचित कार्यवाही करवाने के निर्देश दिलावें।

देवीशंकर भूतड़ा

(ब्यावर)

सड़कों के निर्माण एवं पुर्नः निर्माण बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषय में निम्न अनुरोध मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए करना चाहूंगा :-

1. राज्य सरकार की घोषणा अनुसार मेरे विधान सभा के देव स्थानों को जोड़ने के लिये 1. सम्पर्क सड़क मतवाली माता राशमी, 2. सम्पर्क सड़क चावण्ड माता बोरदा 3. सम्पर्क सड़क सागरामाता, 4. सम्पर्क सड़क पुर्नः निर्माण मात्रीकुण्डिया तक सड़क बनाने की राशि आबंटन करावें।

2. मेरे विधान सभा क्षेत्र की मिसिंग लिंक सड़क को सूचीबद्ध करावा कर स्वीकृत करावें।

3. मेरे विधान सभा क्षेत्र के कई गांव मुख्य सड़क से मात्र 1 किमी.

या इससे भी कम दूरी पर स्थित है। ऐसे सभी गांवों को डामर सड़क से जोड़ने की व्यवस्था करावें।

धन्यवाद

अर्जुन लाल जीनगर
(गंगरार)

आयुर्वेद महाविद्यालय, सीकर के शिक्षक कर्मचारी एवं छात्रों द्वारा 157 दिन से हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि परसरामपुरिया आयुर्वेद महाविद्यालय सीकर जो पिछले छः दशकों से कार्यरत है इस महाविद्यालय का निर्माण आमजन के जन सहयोग से हुआ है जिसमें 18 बीघा भूमि एवं 82 कमरे हाले एवं होस्टल बना हुआ है एक परिवार के सदस्यों ने फर्जी मैनेजमेंट का चुनाव दिखाकर एक परिवार ने पूर्ण मैनेजमेन्ट को एक परिवार का मैनेजमेंट बना लिया गया तथा जिस संस्था को राज्य सरकार से 80 प्रतिशत अनुदान देय है लेकिन पिछले दो वर्षों से अनुदान नहीं लिया जा रहा है। कर्मचारियों एवं प्राध्यापकों को परेशान किया जा रहा है जिसके कारण आयुर्वेद निदेशक ने जांच करके संस्था में प्रशासक लगाने की अनुशंसा की है तथा आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के उपकुलपति ने भी संस्था का निरीक्षण करके प्रबन्धकों द्वारा रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया तथा उपकुलपति ने प्रशासक लगाने की अनुशंषा किए हुए 6 महीने होने के बाद भी आज तक 157 दिन से सभी महाविद्यालय परिवार आन्दोलनरत हैं। भारी असंतोष व्याप्त है।

अतः सरकार ने एक परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए आज तक प्रशासक नहीं लगाया है। अतः तुरन्त प्रशासक लगाकर अनियमितताओं की जांच करवाई जावे, क्योंकि यह सबसे पुरानी आयुर्वेद महाविद्यालय है जिसमें 80 प्रतिशत अनुदान है अतः राज्य सरकार अधिग्रहण करके सीकर की आम जनता की भावनाओं की अहमियत देते हुए इसे सरकारी महाविद्यालय घोषित किया जावे।

अमराराम (धोद)
(धोद)

जयपुर शहर के अग्निशमन केन्द्रों में पर्याप्त एवं प्रशिक्षित अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त करने के संबंध में

महोदय,

जयपुर शहर में अग्निशमन केन्द्रों की वर्तमान स्थिति काफी गम्भीर एवं चिन्ताजनक है। जिस गति से जयपुर के चारों ओर आवासीय कॉलोनियां बस रही हैं उस दृष्टिकोण से अग्निशमन केन्द्रों की संख्या नगण्य सी है। महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में काफी संख्या में प्रतिष्ठित फैक्ट्रियां हैं और विस्तृत भूभाग पर विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र बसा हुआ है, इस विस्तृत क्षेत्र के लिए एक अग्निशमन केन्द्र है जिसमें भी काफी कम संख्या में प्रशिक्षित स्टाफ एवं अग्निशमन गाड़ियां एवं उपकरण मौजूद हैं। अग्निशमन गाडियां एवं उपकरण बहुत पुराने एवं नाकारा स्थिति में है जिसके कारण किसी फैक्ट्री अथवा बहुमंजिली इमारत में आग लगने की स्थिति में आग पर काबू पाया जाना सम्भव नहीं होता है। महोदय, जयपुर नगर निगम में वर्ष 2002 से मुख्य अग्निशमन अधिकारी का पद रिक्त चल रहा है एवं अधिकांश कर्मचारी ठेके पर कार्यरत हैं जिस कारण ऐसा लगता है कि पूरे अग्निशमन केन्द्र ठेके पर चल रहे हैं। नियमित कर्मचारी पदस्थापित नहीं होने के कारण ठेके पर कार्यरत कर्मचारी अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन जिम्मेदारी के साथ नहीं करते हैं। आग लगने एवं दुर्घटना होने की स्थिति में समय पर गाड़िया नहीं पहुंचती हैं। जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों में भयंकर जानमाल के नुकसान की संभावना बनी रहती है। हाल ही में 24 फरवरी, 2008 को मैसर्स लावेश्वर पॉलीमर्स लि. ए-243/ए, रोड नं. 6 में जिस तरह की आग लगी उसके लिए आठ अग्निशमन वाहन ही काम में लिये गये जबकि शहर में 36 अग्निशमन वाहन मौजूद थे, लेकिन अधिकांश वाहनों की नाकारा स्थिति होने के कारण लम्बे समय तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका तथा मौके पर कोई जिम्मेदार अधिकारी भी नहीं पहुंचा, जो कर्मचारी आग बुझाने के लिए आये थे, वे न तो कोई वर्दी में थे न उनके नाम की पटिटका लगी हुई थी। अग्निशमन कर्मचारी आग की भयानकता को देखकर मौका छोड़ कर इधर-उधर हो गये। जयपुर शहर में बहुमंजिली इमारत, कोल्ड स्टोरेजों में फंसे हुए व्यक्तियों को बचाने के लिए स्नोंकल लेडर नामक वाहन भी उपलब्ध नहीं है, पैट्रोल एवं गैस से अग्नि दुर्घटना होने पर आग पर काबू पाना असम्भव लगता है जिसका प्रमुख कारण साधन के अभाव (गैस मास्क) एवं अधिकारियों/ कर्मचारियों के प्रशिक्षण की कमी है।

अतः मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि जयपुर के विस्तृत रूप को देखते हुए और नवीन अग्निशमन केन्द्र खोलने, अग्निशमन अधिकारी/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने एवं संसाधन उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे जानमाल की हानि नहीं हो सके।

मोहनलाल गुप्ता

(किशनपोल)

वासा पंचायत समिति और रोहिड़ा ग्राम पंचायत के वागरीवास के पट्टे दिलवाने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत रोहिड़ा, पंचायत समिति पिण्डवाड़ा द्वारा वर्ष 1963 से 1970 तक वागरीवास नई आबादी भूमि वासा रोड पर भूखण्डों के पट्टे जारी किये गये थे। उकत 447 भूखण्डों के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर निगरानी न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही में प्रस्तुत हुई, जिसका निर्णय जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा दिनांक 7/9/70 को किया गया। आपके सुलभ अवलोकनार्थ निर्णय की प्रति संलग्न है। निर्णयानुसार 20 भूखण्ड अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दिये गये, उनकी पुष्टि की गई। पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को जारी 200 भूखण्डों की पुष्टि की गई। इसके अलावा 214 भूखण्ड बगैर नीलामी बेचे गये, जिसमें से 125 भूखण्ड निश्चित कीमत पर तथा 89 भूखण्ड आपसी बातचीत के आधार पर बेचे जाने थे। जिन व्यक्तियों को उक्त भूखण्ड बेचे गये वे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जातियों से सम्बन्धित नहीं थे। चूंकि उक्त भूखण्डों पर कुछ लोगों द्वारा निर्माण कार्य भी करा लिये गये, ऐसी स्थिति में इन सभी व्यक्तियों से दो रुपया प्रति वर्गफीट की दर से कीमत वसूल करने एवं इस कीमत की राशि में से संबंधित व्यक्ति द्वारा पूर्व में दी गई धनराशिशशि कम कर वसूल करने का निर्णय दिनांक 7.9.1990 को लिया गया था। यदि कोर्इ व्यक्ति दो रुपया प्रति वर्गफीट की दर से मूल्य न दे तो उसका पट्टा निरस्त करने का निर्णय पारित किया गया। अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों को 220 भूखण्ड दिये गये हैं, वे निःशुल्क दिये जाने थे, लेकिन निःशुल्क नहीं देकर कीमत वसूल की गई जिन्हें एक माह के अन्दर धनराशि लौटाने के आदेश दिये गये।

यह कि उक्त भूखण्डों के सम्बन्ध में प्रशासन गांवों के संग अभियान

2004 केम्प रोहिड़ा दिनांक 6.12.04 प्रस्ताव संख्या 4 लिया गया जो निम्न प्रकार हैं :-

वागीरवास वासा रोड पर स्थित पट्टेशुदा भूखण्डों पर कब्जा दिलवाने बाबत् आज अभियान में वागरीवास वासा रोड पर स्थित पट्टेशुदा भूखण्डों पर कब्जा दिलवाने हेतु अभियान में गांव के सभी पट्टेशुदा ग्रामीणों ने जिला कलक्टर महोदय, सिरोही के समक्ष निवेदन किया गया जिस पर विचार-विमर्श कर पूर्व फैसले के अनुसार प्रति वर्गफुट रुपये 2 के हिसाब से राशि वसूल कर भूखण्ड का कब्जा दिलवाने का निम्न बिन्दुओं में निर्णय लेते हुए निर्देश दिये :-

1. 1963-70 के बीच आबंटित पट्ट्टाधारियों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर जारी करना।
2. आपतियां आने पर निस्तारण पंचायत कार्यकारिणी द्वारा निस्तारण करना।
3. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के निर्णय दिनांक 25.8.80 की अनुपालना में 214 पट्टाधारियों से 2 रुपये वर्गफुट के हिसाब से रसीद काटकर कब्जा सुपुर्द करना। पुरानी शुल्क की राशि काटकर।
4. प्रशासन आपके द्वारा में प्रस्तुत ले-आउट प्लान के अनुसार ही पट्टेधारियों को कब्जा सुपुर्द करने की कार्यवाही करना।
5. आउट प्लान के अनुसार सूची में किये गये नम्बर सूची प्रदर्शित करने उपरान्त कब्जा की कार्यवाही की जावें।
6. कब्जा सुपुर्द के पश्चात यदि जमीन बचती हैं, तो प्राथमिकता के अनुसार नामों को पट्टे देने की कार्यवाही की जावें।
7. पुराने ले-आउट प्लान में पुलिस थाना व विद्युत लाइन की जमीन न होने से इनकों चतुदर्शी बदलने का निर्णय पंचायत कार्यवाही द्वारा ही मान्यता है।

ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा मार्गदर्शन चाहा जा रहा है कि कीमतन वाले 214 भूखण्डों के संबंध में दिनांक 6.12.2004 को लिये गये प्रस्तावानुसार पूर्व के निर्णय (7.9.1970) के आधार पर राशि रुपये 2 प्रति वर्गफुट की दर से राशि वसूल की जायें अथवा 1970 से आज दिनांक तब ब्याज लेकर पट्टे दिये जायें। एक विकल्प यह भी हो सकता है कि चूंकि पट्टे ही अब दिये जाने हैं, अतः ब्याज नहीं लिया जाये।

माह जनवरी 2007 में आयोजित ग्राम सम्पर्क अभियान शिविर के

दौरान भी यह प्रकरण फिर उठाया गया और इसके लम्बित रहने से ग्रामीणों में असंतोष व्याप्त है।

अतः कृपया सन्दर्भित पत्रों द्वारा चाहा गया मार्गदर्शन शीघ्र भिजवाने का कष्ट करावें, ताकि पट्टे वितरण की कार्यवाही करने हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति पिण्डवाड़ा/ग्राम पंचायत रोहिड़ा को प्राप्त निर्देशानुसार निर्देशित किया जा सके।

समराम गरासिया

(पिण्डवाड़ा)

भाखड़ा नहर सिंचाई प्रणाली नहरों, माइनरों एवं खालों को पक्के करने के संबंध में

महोदयजी,

मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदया, एवं सिंचाई मंत्री महोदय को 1978-79 के बाद किसानों एवं कास्तकारों की चिन्ता सरकार ने की है लेकिन प्रतिपक्ष आये दिन किसानों के नाम का दुरुपयोग कर सदन का समय बर्बाद करते है। कांग्रेस ने अपने शासन काल में कास्तकार व किसानों के हित में ऐसा कोई महत्वूपर्ण कार्य नहीं किया, जिसे यह सदन में बता सके। आये दिन सदन का समय किसानों के नाम से बर्बाद करना जनहित में नहीं है। इस वक्त राजस्थान की जनता का ध्यान सदन की तरफ है। जनता यह समीक्षा कर रही है। किसानों व कास्तकार के हित के कार्य कांग्रेस राज में अधिक हुए या वर्तमान भ.ज.पा. सरकार के कार्य काल में। मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय भैरोसिंहजी के कार्यकाल के बाद किसान व कास्तकार के खेत में पक्की ईन्ट लगी है तो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पक्की नहरें, माईनरों एवं खालों से कास्तकारन के खेत में 100 प्रतिशत पानी पहुंचता है। व नहरें, माईनर, खालों के पक्के होने से कास्तकारों को 20 से 30 प्रतिशत पानी बचत होती है आज हनुमानगढ़ जिले में इ.गा.न. परियोजना के प्रथम चरण में एवं नोहर फिडर में समस्त नहरों एवं खालों पक्के हो चुके हैं गत चार वर्षों में 94 करोड़ रुपये का पक्का निर्माण हुआ है। कास्तकार के खेत में 100 प्रतिशत पानी पहुंचता है। किसान व कास्तकार वर्ग खुश है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्री महोदयाजी को दिनांक 17/03/08 को सदन में भाखड़ा नहर प्रणाली में कास्तकार

सहभागिता से 9000 रुपये प्रति हैक्टेयर से पक्के खालों बनाने की घोषणा की है। कास्तकारों को इसका लाभ मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं हनुमानगढ़ जिले में आर.डब्लू.एस.आर.पी. परियोजना के तहत 33 प्रतिशत पक्की नहरें की गई हैं। शेष कच्ची नहरों के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो शेष 67 प्रतिशत कच्ची नहरें व माईनर कच्चे रह गये है उसे जिस प्रकार गंग कैनाल सिंचाई क्षेत्र में आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. व ए.आई.बी.पी. योजना के तहत पक्के निर्माण करवाये जा रहे हैं। उसी प्रकार भाखड़ा सिंचाई क्षेत्र में नहरों एवं माईनरों खालों को पक्का किया जावे। ताकि हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, सगरिया व गंगानगर जिले के सादुलशहर, सूरतगढ़ क्षेत्र के कास्तकारों व किसानों को पक्के निर्माण करावाकर के 100 प्रतिशत पानी कास्तकारों के खेतों तक पहुंचाने की व्यवस्था करने का श्रम करें।

सधन्यवाद।

धर्मेन्द्र मोची

(टिब्बी)